रजिस्ट्री सं॰ डी॰-221 REGISTERED NO. D.-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2— अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 2] नई दिल्ली, गुरुवार, 25 मई, 2017/4 ज्येष्ठ, 1939 (शक) [खंड LIII
NO. 2] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2017/JYAISTHA 4, 1939 (SAKA) [VOL. LIII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 2017/4 ज्येष्ठ, 1939 (शक)

दि कोल माइन्स (स्पेशल प्रोवीजन्स) ऐक्ट, 2015; (2) दि जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन) ऐक्ट, 2015; (3) दि ब्यूरो आफ इंडियन स्टैण्डर्ड्स ऐक्ट, 2016; (4) दि आधार (टार्गेटड डिलीवरी आफ फाइनेंशियल एंड अदर सबसिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेस) ऐक्ट, 2016; (5) दि डा॰ राजेन्द्र प्रसाद सेंट्रल एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 2016; (6) दि चाइल्ड लेबर (प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2016; (7) दि कम्पन्सेटरी एफारेस्टेशन फंड ऐक्ट, 2016; (8) दि टेक्सेशन लाज (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; और (9) दि पेमेंट आफ वेजेस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2017; के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, May 25, 2017/*Jyaistha* 4, 1939 (*Saka*)

The translation in Hindi of the following, namely:— The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015; (2) The Juvenile Justice (Care And Protection of Children) Act, 2015; (3) The Bureau of Indian Standards Act, 2016; (4) The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016; (5) The Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016; (6) The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016; (7) The Compensatory Afforestation Fund Act, 2016; (8) The Taxation Laws (Second Amendment) Act, 2016 and (9) The Payment of Wages (Amendment) Act, 2017 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

पृष्ठ

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 11) 237
The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 2) 269
The Juvenile Justice (Care And Protection of Children) Act, 2015

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 11) 319
The Bureau of Indian Standards Act, 2016

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 337
(2016 का अधिनियम संख्यांक 18)
The Aadhar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

डा॰ राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 32) 357
The Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 35) 391
The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 38) 397
The Compensatory Afforestation Fund Act, 2016

कराधान विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 48) 415
The Taxation Laws (Second Amendment) Act, 2016

मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 1) 423
The Payment of Wages (Amendment) Act, 2017

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 11)

[30 मार्च, 2015]

कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सफल बोली लगाने वालों को और आबंटितियों को कोयला खानों के आबंटन और खनन पट्टों के साथ भूमि और खान अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित को निहित करने का तथा राष्ट्रीय हित में देश की आवश्यकता के अनुरूप कोयला संसाधनों के अधिकतम उपयोग का संवर्धन करने का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

उच्चतम न्यायालय ने तारीख 24 सितंबर, 2014 के अपने आदेश के साथ पठित तारीख 25 अगस्त, 2014 के निर्णय द्वारा कोयला खंडों का आबंटन रद्द कर दिया है और ऐसे कोयला खंडों के विषय में निदेश जारी किए हैं तथा केंद्रीय सरकार को उक्त निदेशों के अनुसरण में उक्त आदेश को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी है;

और केंद्रीय सरकार के लिए देश की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और इस्पात, सीमेंट और विद्युत उपयोगिताओं जैसे कोर सेक्टरों पर, जो राष्ट्र के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, किसी भी समाघात को कम करने के लिए सफल बोली लगाने वालों का और आबंटितियों को कोयला खानों का आबंटन करने हेतु लोकहित में तुरंत कार्रवाई करना समीचीन है;

और संसद्, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 54 के अधीन, खानों और खनिज विकास का विनियमन करने के लिए उस सीमा तक, जिस तक संघ के नियंत्रणाधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद् द्वारा विधि द्वारा, लोकहित में समीचीन घोषित किया जाए, विधान बनाने के लिए सक्षम है;

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह 21 अक्तूबर, 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

संघ कार्रवाई की समीचीनता की घोषणा।

2. इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ द्वारा अनुकूलतम उपयोग के लिए अनुसूची 1 कोयला खानों के विकास और सतत आधार पर कोयला निकालने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

परिभाषाएं।

3. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''अतिरिक्त उद्ग्रहण'' से उच्चतम न्यायालय द्वारा 2012 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 120 द्वारा निकाले गए कोयले पर दो सौ पचानवे रुपए प्रति मीटरी टन के रूप में यथा अवधारित अतिरिक्त उद्ग्रहण अभिप्रेत होगा;

(ख) ''आबंटन आदेश'' से धारा 5 के अधीन जारी आबंटन आदेश अभिप्रेत है;

(ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा 2012 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 120 में तारीख 24 सितंबर, 2014 को पारित आदेश के अनुसरण में ''नियत तारीख'',—

(i) अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में अनुसूची 2 कोयला खानों को छोड़कर, 24 सितंबर, 2014 होगी, यह वह तारीख है जिसको पूर्विक आबंटितियों को कोयला खंडों का आबंटन रद्द हुआ था; और

(ii) अनुसूची 2 कोयला खानों के संबंध में, 1 अप्रैल, 2015 होगी, यह वह तारीख है जिसको पूर्विक आबंटितियों को कोयला खंडों का आबंटन रद्द हो जाएगा;

(घ) ''बैंक'' का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में है; 2002 का 54

(ङ) ''कोयला खनन संक्रियाओं'' से कोयला लब्ध करने के प्रयोजन के लिए की गई कोई संक्रिया अभिप्रेत है;

(च) ''कंपनी'' का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में है; 2013 का 18

(छ) ''निगम'' का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (11) में है; 2013 का 18

(ज) ''वित्तीय संस्था'' का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ड) में है; 2002 का 54

(झ) ''सरकारी कंपनी'' का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में है; 2013 का 18

(ञ) ''खान अवसंरचना'' के अंतर्गत खनन अवसंरचना भी है, जैसे कोयला खनन संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त मूर्त आस्तियां, अर्थात् सिविल संकर्म, कर्मशालाएं, कोयला प्राप्त करने के स्थावर

उपस्कर, प्रतिष्ठान, तटबंध, पटरियां, विद्युत प्रणालियां, संचार प्रणालियां, राहत केंद्र, स्थल प्रशासनिक कार्यालय, स्थिर प्रतिष्ठापन, कोयला हथालन प्रबंध, पिसाई और प्रवहण प्रणालियां, रेल साइडिंग, गड्ढे, कूपक, आनति, भूमिगत परिवहन प्रणालियां, सिंचाई प्रणालियां (जंगम उपस्कर के सिवाय, जब तक वह उसके स्थायी लाभप्रद उपभोग के लिए भूमि में गड़ा न हुआ हो), वनरोपण के लिए सीमांकित भूमि और कोयला खनन संक्रियाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के सुसंगत विधि के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए भूमि;

(ट) ''नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी'' से धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ठ) '' अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ड) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) ''पूर्विक आबंटिती'' से अनुसूची 1 कोयला खानों का जैसी उसमें सूचीबद्ध हैं, पूर्विक आबंटिती अभिप्रेत है, जिसे 1993 और 31 मार्च, 2011 के बीच कोयला खानें आबंटित की गई थी, जिसके आबंटन उच्चतम न्यायालय के तारीख 25 अगस्त, 2014 के निर्णय और उसके तारीख 24 सितंबर, 2014 के आदेश के अनुसरण में रद्द कर दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत वे आबंटन भी हैं, जिनका 2012 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 120 के पूर्व और उसके लंबित रहने के दौरान आबंटन निष्प्रभाव कर दिया गया हो;

स्पष्टीकरण—उस दशा में, जब अनुसूची 1 कोयला खानों के ऐसे आबंटन के पश्चात् कोई खनन पट्टा किसी तीसरे पक्षकार के पक्ष में निष्पादित किया गया है, तीसरा पक्षकार पूर्विक आबंटिती समझा जाएगा;

(ण) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(त) ''अनुसूची 1 कोयला खानों'' से अभिप्रेत है,—

(i) ऐसी सभी कोयला खानें और कोयला खंड जिनका आबंटन 2012 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 120 में तारीख 25 अगस्त, 2014 के निर्णय और उसके तारीख 24 सितंबर, 2014 को पारित आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत वे आबंटन भी हैं, जिनका उक्त रिट याचिका के पूर्व और उसके लंबित रहने के दौरान आबंटन निष्प्रभाव कर दिया गया हो;

(ii) पूर्विक आबंटिती द्वारा अर्जित सभी कोयला धारक भूमि और पूर्विक आबंटिती द्वारा कोयला खनन संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त कोयला खानों में या उसके पार्श्वस्थ अर्जित भूमि;

(iii) खंड (ञ) में यथा परिभाषित कोई भी विद्यमान खान अवसंरचना;

(थ) ''अनुसूची 2 कोयला खानों'' से अनुसूची 2 में सूचीबद्ध ऐसी बयालीस अनुसूची 1 कोयला खानें अभिप्रेत हैं, जो ऐसी कोयला खानें हैं, जिनके संबंध में उच्चतम न्यायालय का तारीख 24 सितंबर, 2014 का आदेश किया गया था;

(द) ''अनुसूची 3 कोयला खानों'' से अनुसूची 3 में सूचीबद्ध ऐसी बत्तीस अनुसूची 1 कोयला खानें या ऐसी कोई अन्य अनुसूची 1 कोयला खानें अभिप्रेत हैं, जो धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित की जाएं;

(ध) ''प्रतिभूत लेनदार'' का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (यघ) में है; 2002 का 54

(न) ''प्रतिभूत ऋण'' का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (यङ) में है; 2002 का 54

(प) ''प्रतिभूति हित'' का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (यच) में है; 2002 का 54

(फ) ''विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग'' से निम्नलिखित में से कोई अंतिम उपयोग अभिप्रेत है:—

(i) लौह और इस्पात का उत्पादन;

(ii) विद्युत उत्पादन, जिसके अंतर्गत स्थैतिक उपयोग के लिए विद्युत उत्पादन भी है;

(iii) किसी खान से अभिप्राप्त कोयले का धावन;

(iv) सीमेंट;

(v) ऐसा अन्य अंतिम उपयोग, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

और ''विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोक्ता'' पद का, उसके व्याकरणिक रूपभेदों सहित, तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ब) ''निधान आदेश'' से धारा 8 के अधीन किया गया निधान आदेश अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 जिनके अंतर्गत उनके अधीन बनाए गए कोई नियम या विनियम भी हैं, में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो इन अधिनियमों में क्रमशः उनका है।

1957 का 20
1957 का 67
1973 का 26

अध्याय 2

नीलामी और आबंटन

नीलामी में भाग लेने की पात्रता और फीस का संदाय।

4. (1) धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुसूची 1 कोयला खानें, ऐसे नियमों के अनुसार और पांच करोड़ रुपए से अधिक की ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, लोक नीलामी द्वारा आबंटित की जाएंगी।

(2) इस धारा की उपधारा (3) और धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार, ऐसे क्षेत्र की बाबत, जिसमें कोयला हो, भूमीक्षण अनुकरण, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करने के प्रयोजन के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विहित की जाएं, प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से, निम्नलिखित कंपनियों में से किसी का चयन कर सकेगी,—

(क) कोई सरकारी कंपनी या निगम या यथास्थिति, ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के बीच बनाई गई कोई सह-उद्यम कंपनी या भारत में निगमित कोई अन्य कंपनी; या

(ख) दो या अधिक कंपनियों द्वारा बनाई गई कोई कंपनी या कोई सह-उद्यम कंपनी जो भारत में कोयला खनन संक्रियाएं, यथास्थिति अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार किसी भी रूप में स्वयं के उपभोग, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए चला रही है और राज्य सरकार ऐसी कंपनी को जिसका इस धारा के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से स्वयं के लिए चयन किया जाए, ऐसे किसी क्षेत्र की बाबत, जिसमें कोयला हो, ऐसा भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करेगी।

(3) धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित व्यक्ति, जो ऐसे मानकों को, जो विहित किए जाएं, पूरा करते हैं, अनुसूची 2 कोयला खानों और अनुसूची 3 कोयला खानों की किसी नीलामी में बोली लगाने और उनके सफल बोली लगाने वाले होने की दशा में कोयला खनन संक्रियाओं में लगने के पात्र होंगे, अर्थात्:—

(क) विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग में लगी कोई कंपनी, जिसके अंतर्गत ऐसी कंपनी भी है, जिसके पास ऐसा कोयला अनुबंध है जिसने ऐसा विनिधान किया है, जो विहित किया जाए।

स्पष्टीकरण—''कोयला अनुबंध वाली कंपनी'' के अंतर्गत ऐसी कोई कंपनी है, जिसका आवेदन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को केन्द्रीय सरकार के पास लंबित है;

(ख) सामान्य विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग वाली और इस अधिनियम के अनुसार बोली लगाने के लिए स्वतंत्र रूप से पात्र दो या अधिक कंपनियों द्वारा बनाई गई कोई सह-उद्यम कंपनी;

(ग) कोई सरकारी कंपनी या निगम या ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या सामान्य विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग वाली किसी अन्य कंपनी के साथ बनाई गई कोई सह-उद्यम कंपनी:

परंतु उपधारा (2) में अंतर्विष्ट कोई बात इस उपधारा को लागू नहीं होगी।

(4) कोई पूर्विक आबंटिती अतिरिक्त उद्ग्रहण ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संदाय करके नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने का पात्र होगा और यदि पूर्विक आबंटिती ने ऐसे उद्ग्रहण का संदाय नहीं किया है तो पूर्विक आबंटिती, उसका संप्रवर्तक या ऐसे पूर्विक आबंटिती की कोई भी कंपनी, स्वयं या किसी सह-उद्यम के रूप में बोली लगाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(5) कोई ऐसा पूर्विक आबंटिती, जो कोयला खंड आबंटन से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध और तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, नीलामी में भाग लेने का पात्र नहीं होगा।

सरकारी कंपनियों या निगमों को खानों का आबंटन।

5. (1) धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी सरकारी कंपनी या निगम को अथवा दो या अधिक सरकारी कंपनियों या निगमों के बीच किसी सह-उद्यम को या किसी ऐसी कंपनी को, जिसे ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, कोई आबंटन आदेश करके, विनिर्दिष्ट अनुसूची 1 कोयला खानों से टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर, कोई विद्युत परियोजना (जिसके अंतर्गत अति वृहत् विद्युत परियोजनाएं भी हैं) प्रदान की गई है, कोई अनुसूची 1 कोयला खान आबंटित कर सकेगी और राज्य सरकार, ऐसी कंपनी या निगम को किसी ऐसे क्षेत्र की बाबत, जिसमें कोयला है, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करेगी:

परंतु सरकारी कंपनी या निगम, यथास्थिति, अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार किसी भी रूप में स्वयं के उपभोग के लिए, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोयला खनन कर सकेगा:

परंतु यह और कि सरकारी कंपनी या निगम से भिन्न कोई कंपनी, सरकारी कंपनी या निगम अथवा सरकारी कंपनी या निगम के बीच सह-उद्यम में प्रत्यक्षत: या अपनी समनुषंगी कंपनी या सहयुक्त कंपनी के माध्यम से छब्बीस प्रतिशत से अधिक समादत्त शेयर पूंजी धारित नहीं करेगी:

परंतु यह भी कि किन्हीं दो या अधिक सरकारी कंपनियों या निगमों का कोई सह-उद्यम, किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण या उधार लेने के सिवाय, सह-उद्यम में किसी भी प्रकृति के हित का, जिसके अंतर्गत किसी तृतीय पक्षकार के पक्ष में स्वामित्व भी है, अन्य संक्रांत या अंतरित करने से प्रतिषिद्ध होगा।

(2) यदि किसी पूर्विक आबंटिती ने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अतिरिक्त उद्ग्रहण का संदाय नहीं किया है तो उस आंबटिती को उपधारा (1) के अधीन कोई आबंटन नहीं किया जाएगा।

केंद्रीय सरकार का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से कार्य करना।

6. (1) केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी अधिकारी को जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से कार्य करेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाएं।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी नीलामी के संचालन और अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में निधान आदेश का आबंटन आदेश तैयार करने के लिए प्राधिकारी को सिफारिशें करने के लिए ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखने वाले तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, किसी विशेषज्ञ को नियोजित कर सकेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से कार्य करेगी, अर्थात्:—

(क) विशेषज्ञों की सहायता से नीलामी प्रक्रिया का संचालन और आबंटन;

(ख) नीलामी के अनुसरण में अनुसूची 1 कोयला खानों के अंतरण और निहित किए जाने संबंधी निधान आदेश का निष्पादन;

(ग) धारा 5 के अनुसरण में किसी सरकारी कंपनी या निगम के लिए आबंटन आदेश का निष्पादन करना;

(घ) अमूर्त अधिकारों को चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों, जिनके अंतर्गत सहमति, अनुज्ञा, अनुज्ञापत्र, अनुमोदन, मंजूरी, रजिस्ट्रीकरण भी हैं, लेखबद्ध किया जाना और नामांतरण;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नीलामी आगमों का संग्रहण, अधिमानी संदायों का समायोजन और ऐसी संबंधित राज्य सरकारों को जहां अनुसूची 1 कोयला खान अवस्थित है, रकम का अंतरण।

(4) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अनुसूची 1 कोयला खानों की नीलामी ऐसे समय के भीतर और ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, पूरी करेगा या उनके आबंटन आदेशों का निष्पादन करेगा।

(5) केन्द्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सहायता के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

(6) इस धारा के अधीन नियुक्त नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

(7) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी नीति विषयक प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेश द्वारा आबद्ध होगा।

केंद्रीय सरकार द्वारा कतिपय अनुसूची 1 कोयला खानों का वर्गीकरण करने की शक्ति।

7. (1) केन्द्रीय सरकार, नीलामी की विशिष्टियां अधिसूचित करने के पूर्व अनुसूची 1 कोयला खानों से पहचान की गई उन खानों का वर्गीकरण करेगी, जो विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के उसी वर्ग के लिए चिह्नित की गई हैं।

(2) केन्द्रीय सरकार, लोक हित में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के प्रयोजनों के लिए अनुसूची 3 कोयला खानों को, उसमें किसी अन्य अनुसूची 1 कोयला खान को जोड़कर उपांतरित कर सकेगी।

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निधान आदेश या आबंटन आदेश का जारी किया जाना।

8. (1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अनुसूची 1 कोयला खानों के पूर्विक आबंटितियों को, ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, नीलाम की जाने वाली अनुसूची 1 कोयला खानों की विशिष्टियां अधिसूचित करने के लिए अपेक्षित सूचना देने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए अधिसूचित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित सूचना, ऐसी सूचना की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर दी जाएगी।

(3) प्रतियोगी आधार पर ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, संचालित किसी नीलामी में सफल बोली लगाने वाला ऐसी अनुसूची 1 कोयला खान के जिसके लिए उसने बोली लगाई है, ऐसे नियमों के अनुसार तैयार किए गए निधान आदेश के अनुसरण में विहित किए जाने का हकदार होगा।

(4) निधान आदेश से, सफल बोली लगाने वाले को निम्नलिखित अंतरित किया जाएगा और उसमें निहित होगा, अर्थात्:—

(क) सुसंगत नीलामी से संबंधित अनुसूची 1 कोयला खान में पूर्विक आबंटिती के सभी अधिकार, हक और हित;

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले किसी खनन पट्टे की हकदारी;

(ग) अनुसूची 1 कोयला खानों में, कोयला खान संक्रियाएं आरंभ करने के लिए अपेक्षित कोई भी कानूनी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञा, अनुमोदन या सहमति यदि वह पूर्विक आबंटिती को पहले ही जारी की जा चुकी है;

(घ) पूर्विक आबंटिती की अनुमोदित खनन योजना से संलग्न अधिकार;

(ङ) ऐसा कोई भी अधिकार, हक या हित जो खंड (क) से खंड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से समाविष्ट नहीं किया गया है।

(5) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, निम्नतम मूल्य या आरक्षित कीमत अवधारित करेगा।

(6) सफल बोली लगाने वाला निधान आदेश के जारी किए जाने और उसके निष्पादन के पूर्व, ऐसी बोली लगाने वाले को नीलाम की गई अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में यथा अधिसूचित किसी रकम के लिए कार्यपालन बैंक प्रत्याभूति ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से देगा, जो विहित की जाए।

(7) इस धारा के अधीन निधान आदेश के जारी किए जाने और केन्द्रीय सरकार के पास तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पदाभिहित समुचित प्राधिकारी के पास उसके फाइल किए जाने के पश्चात्, सफल बोली लगाने वाला बाधा या प्रतिबाधा के बिना अनुसूची 1 कोयला खान का कब्जा लेने का हकदार होगा।

(8) निधान आदेश के निष्पादन पर, अनुसूची 1 कोयला खान की सफल बोली लगाने वाले को संबंधित
1957 का 67 राज्य सरकार द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार यथा लागू, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर किया जाएगा।

(9) किसी सरकारी कम्पनी या निगम या यथास्थिति ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के बीच बनाई गई किसी सह-उद्यम कंपनी को या भारत में निगमित ऐसी किसी अन्य कंपनी को जिसे अनुसूची 1 कोयला खान आबंटित की गई हो, खान और खनिज (विकास और विनियमन)
1957 का 67 अधिनियम, 1957 के अनुसार, यथा लागू, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर किया जाएगा।

(10) अनुसूची 2 कोयला खानों के संबंध में, सफल बोली लगाने वाला, जो पूर्विक आबंटिती था, निधान आदेश दिए जाने पर, अनुमोदित खनन योजना के निबंधनों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उपधारा (8) के निबंधनों के अनुसार खनन पट्टा मंजूर किए जाने तक, कोयला खनन संक्रियाएं जारी रखेगा और उस सीमा तक सफल बोली लगाने वाले को उक्त उपधारा के निबंधनों के अनुसार खनन पट्टे के निष्पादन तक खनन पट्टा मंजूर किया गया समझा जाएगा।

(11) अनुसूची 2 कोयला खानों के संबंध में ऐसी सरकारी कंपनी या निगम, जो पूर्विक आबंटिती था तथा आबंटन आदेश के निष्पादन पर अनुमोदित खनन योजना के निबंधनों के अनुसार, नियत तारीख के पश्चात् उपधारा (9) के निबंधनों के अनुसार खनन पट्टा मंजूर किए जाने तक, कोयला खनन संक्रियाएं जारी रख सकेगा और उस सीमा तक सफल बोली लगाने वाले को उक्त उपधारा के निबंधनों के अनुसार खनन पट्टे के निष्पादन तक खनन पट्टा मंजूर किया गया समझा जाएगा।

(12) इस धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) और उपधारा (4) से उपधारा (7) (जिसमें दोनों सम्मिलित है) के उपबंध, जैसे वे किसी निधान आदेश को लागू हैं, यथावश्यक परिवर्तनों सहित आबंटन आदेश को भी लागू होंगे।

आगमों के संवितरण की पूर्विकता।

9. अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में भूमि और खान अवसंरचना से उद्भूत होने वाले आगम, अन्य बातों के साथ-साथ, सुसंगत विधियों और ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, संदायों की पूर्विकता बनाए रखते हुए संवितरित किए जाएंगे,—

(क) अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में प्रतिभूत ऋण के किसी भाग के लिए प्रतिभूत लेनदारों को ऐसा संदाय, जो निधान आदेश की तारीख तक असंदत्त है;

(ख) पूर्विक आबंटिती को अनुसूची 1 कोयला खान की बाबत संदेय प्रतिकर।

अध्याय 3

पूर्विक आबंटितियों के अधिकार और बाध्यताओं का निरूपण

कोयला खनन संक्रियाओं में प्रयुक्त जंगम संपत्ति का उपयोग।

10. (1) अनुसूची 1 कोयला खानों की बाबत सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती कोयला खनन संक्रियाओं में प्रयुक्त ऐसी जंगम संपत्ति का ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन पर वे पारस्परिक रूप से सहमत हों, स्वामित्व लेने या उपयोग करने के लिए पूर्विक आबंटिती के साथ बातचीत कर सकेगा।

(2) जहां सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती में अनुसूची 1 कोयला खान की कोई जंगम संपत्ति निहित नहीं की गई है, वहां वह ऐसे स्वामित्व या संविदात्मक अधिकारों, बाध्यताओं या दायित्वों से उद्भूत किन्हीं दायित्वों या बाध्यताओं से आबद्धकर नहीं है जो कि पूर्विक आबंटिती की ही बनी रहेगी।

(3) उस दशा में जब सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति या आबंटिती, पूर्विक आबंटिती या ऐसे तृतीय पक्षकार के साथ, जिसने जंगम संपत्ति के लिए पूर्विक आबंटिती के साथ संविदा की है, समाधानप्रद रूप से बातचीत करने में असमर्थ है, पूर्विक आबंटिती या तृतीय पक्षकार की यह बाध्यता होगी कि वे, यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर ऐसी जंगम संपत्ति को हटाएं और सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती ऐसी संपत्ति को हुए किसी नुकसान के लिए दायी नहीं होगा।

(4) सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती, जिसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट जंगम संपत्ति को क्रय या अंतरित न करने अथवा उसका उपयोग जारी न रखने का चयन किया है, यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश के निष्पादन के पूर्व नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यह घोषित करेगा कि उसका आशय पूर्विक आबंटिती या ऐसे तृतीय पक्षकार की ऐसी जंगम संपत्ति को ले जाने और भंडार करने का है तथा, यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश की तारीख के पश्चात् सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती ऐसी जंगम संपत्ति को इस प्रकार ले जाने और भंडार करने का हकदार होगा जिससे कि कोयला खनन संक्रियाओं में कोई अड़चन पैदा न हो।

(5) यदि पूर्विक आबंटिती या ऐसा तृतीय पक्षकार, जिसने पूर्विक आबंटिती के साथ जंगम संपत्ति के लिए कोई संविदा की है, ऐसी जंगम संपत्ति को हटाने में असफल रहता है जिसका सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती ने उपधारा (4) के अनुसार क्रय या उपयोग न करने का चयन किया है तो, यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश से पचहत्तर दिन की अवधि के पश्चात् सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती ऐसी जंगम संपत्ति का व्ययन करने का हकदार होगा जो अनुसूची 1 कोयला खान के भीतर भौतिक रूप से अवस्थित है, उस दशा में सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती ऐसी व्ययन की गई जंगम संपत्ति के विक्रय आगमों को उस जंगम संपत्ति को हटाने, उसका भंडारण, विक्रय या व्ययन करने के लिए सफल बोली लगाने वाले द्वारा या आबंटिती द्वारा उपगत किसी खर्च का संदाय करने के लिए ऐसी जंगम संपत्ति के विक्रय आगमों पर प्रथम भार के रूप में विनियोजित करने का हकदार होगा :

परंतु सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती द्वारा खर्चे को विनियोजित करने के पश्चात्, शेष विक्रय आगमों का ऐसे किसी प्रतिकर के मद्दे, जो ऐसी विक्रीत जंगम संपत्ति के स्वामी को संदेय हो, ऐसी जंगम संपत्ति के प्रति हक के सिद्ध करने पर, केंद्रीय सरकार को ऐसे नियमों के अनुसार संदाय किया जाएगा जो विहित किए जाएं:

परंतु, यह और कि यदि पूर्विक आबंटिती का कोई तृतीय पक्षीय संविदाकार ऐसी जंगम संपत्ति का स्वामी है, तो ऐसा तृतीय पक्षकार इस उपधारा के अनुसार विक्रीत जंगम संपत्ति के विक्रय आगमों से प्रतिकर ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार को साबित करने का हकदार होगा।

पूर्विक आबंटितियों के साथ तृतीय पक्षकार संविदाओं का निर्वहन या अंगीकरण।

11. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, बोली लगाने वाला कोई सफल व्यक्ति या आबंटिती अनुसूची 1 कोयला खानों की बाबत ऐसी संविदाओं को, जो कोयला खनन संक्रियाओं के संबंध में किसी पूर्विक आबंटिती के साथ विद्यमान हों, अंगीकार करने या जारी रखने का चयन कर सकेगा और वह ऐसी संविदा की अवशिष्ट अवधि या अवशिष्ट कार्यपालन के लिए नवीकरण के रूप में होगा :

परंतु ऐसी दशा में सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती या पूर्विक आबंटिती सफल बोली लगाने वाले द्वारा अंगीकृत किन्हीं संविदाओं के निहित किए जाने को सम्मिलित करने के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।

(2) यदि सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती ऐसी विद्यमान संविदाओं को जो पूर्विक आबंटितियों द्वारा तृतीय पक्षकारों के साथ की गई थीं, अंगीकार न करने या जारी न रखने का चयन करता है, तो उस दशा में ऐसी सभी संविदाएं जो अंगीकृत नहीं की गई हैं या जारी नहीं रखी गई हैं, अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध या आबंटिती के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं रह जाएंगी और ऐसे संविदा करनेवाले पक्षकारों का उपचार पूर्विक आबंटितियों के विरुद्ध होगा।

प्रतिभूत लेनदारों के संबंध में उपबंध।

12. (1) पूर्विक आबंटितियों के ऐसे प्रतिभूत लेनदार, जो अनुसूची 1 कोयला खान की भूमि या खान अवसंरचना के किसी भाग में कोई प्रतिभूति हित रखते थे, निम्नलिखित के हकदार होंगे—

(क) पूर्विक आबंटिती के साथ सुविधा करारों और प्रतिभूति हित को जारी रखना, यदि ऐसा पूर्विक आबंटिती सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती है; और

(ख) यदि पूर्विक आबंटिती सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती नहीं है, तब ऐसे प्रतिभूत लेनदार के प्रतिभूति हित को ऐसे पूर्विक आबंटिती को केवल संदेय प्रतिकर में से ही उस सीमा तक पूरा किया जाएगा जो ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अवधारित की जाए और बकाया ऋण पूर्विक आबंटिती से वसूलीय होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, धारा 9 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर विचार करते हुए, उस रीति को विहित करेगी जिसमें प्रतिभूत लेनदार को किसी पूर्विक आबंटिती की बाबत प्रतिकर में से संदाय किया जाएगा।

शून्य अन्य-संक्रामण और अनुज्ञात प्रतिभूति हित।

13. किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था या किसी अन्य प्रतिभूत उधार देने वाले द्वारा यथा रजिस्ट्रीकृत भूमि और खान अवसंरचना में किसी रजिस्ट्रीकृत प्रतिभूति हित और उस पर के किसी भार के सिवाय, किसी पूर्विक आबंटिती द्वारा 25 अगस्त, 2014 के पश्चात् भूमि और खान अवसंरचना का किया गया कोई भी और सभी अन्य संक्रामण तथा उन पर किन्हीं विल्लंगमों का, चाहे किसी भी प्रकृति के हों सृजन, जो अनुसूची 1 कोयला खानों से संबंधित है, शून्य होगा।

पूर्विक आबंटितियों के दायित्व।

14. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध या आबंटिती के विरुद्ध या अनुसूची 1 की कोयला खानों की बाबत भूमि और खान अवसंरचना के विरुद्ध कुर्की, करस्थम्, रिसीवरशिप, निष्पादन या वैसे ही धन की वसूली किसी प्रतिभूति या गारंटी का प्रवर्तन के लिए वाद, कोई कार्यवाहियां, आदेश (इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय) नहीं होंगे या उन पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और उनके विरुद्ध कोई उपचार नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कार्यवाहियां पूर्विक आबंटिती के विरुद्ध वैयक्तिक उपचार के रूप में जारी रहेंगी किंतु वे अनुसूची 1 कोयला खान की भूमि या खान अवसंरचना या सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती के विरुद्ध इस अधिनियम के अनुसरण में कायम या जारी नहीं रहेंगी।

(3) निधान आदेश या आबंटन आदेश से किसी पूर्ववर्ती अवधि की बाबत अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में किसी पूर्विक आबंटिती का प्रत्येक दायित्व ऐसे पूर्विक आबंटिती का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा न कि सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती या केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध।

(4) सभी अप्रतिभूत ऋण पूर्विक आबंटिती के दायित्व बने रहेंगे।

(5) अनुसूची 2 कोयला खानों के पूर्विक आबंटितियों के विरुद्ध अधिरोपित अतिरिक्त उद्ग्रहण ऐसे पूर्विक आबंटितियों का दायित्व बना रहेगा और ऐसे अतिरिक्त उद्ग्रहण का संग्रहण केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(6) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि—

(क) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती के विरुद्ध यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश की तारीख से पूर्ववर्ती किसी अवधि की बाबत अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में मजदूरी, बोनस, स्वामिस्व रेट, भाटक, कर, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान या किसी अन्य शोध्यों के लिए कोई दावा प्रवर्तनीय नहीं होगा;

(ख) किसी अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व अनुसूची 1 कोयला खानों की भूमि और खान अवसंरचना के संबंध में, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई अधिनिर्णय, डिक्री, कुर्की या आदेश, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा;

(ग) यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश की तारीख से पूर्व किसी कार्य या लोप से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए कोई दायित्व, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती या केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा।

संदाय आयुक्त का नियुक्त किया जाना और उसकी शक्तियां।

15. (1) केन्द्रीय सरकार, अनुसूची 1 कोयला खानों के पूर्विक आबंटितियों को संदेय रकमों का संवितरण करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे अधिकारी को, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, संदाय आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, आयुक्त की सहायता करने के लिए उतने अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति कर सकेगी जितने वह उचित समझे और तदुपरि आयुक्त इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या किन्हीं शक्तियों का भी प्रयोग करने के लिए एक या अधिक ऐसे अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) आयुक्त द्वारा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी उन शक्तियों का उसी रीति में और उसी प्रभाव से प्रयोग कर सकेगा मानो इस अधिनियम द्वारा, उसे सीधे प्रदत्त की गई हों न कि किसी प्राधिकार द्वारा।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(5) केन्द्रीय सरकार उस तारीख से, जो अधिसूचित की जाए, तीस दिन की अवधि के भीतर आयुक्त को, पूर्विक आबंटिती को संदाय करने के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अवधारित प्रतिकर की रकम के बराबर रकम का संदाय करेगी।

(6) आयुक्त द्वारा ऐसी प्रत्येक अनुसूची 1 कोयला खान की बाबत, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन उसे संदाय किया गया है, पृथक् अभिलेख रखे जाएंगे।

पूर्विक आबंटिती को संदाय के लिए प्रतिकर का मूल्यांकन।

16. (1) अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में भूमि के लिए प्रतिकर की मात्रा, ऐसे क्रय या अर्जन की तारीख से, यथास्थिति, निधान-आदेश या आबंटन आदेश के निष्पादन की तारीख तक बारह प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ, ऐसे नियमों के अनुसार जो विहित किए जाएं, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास निविष्ट रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के अनुसार होगी।

(2) अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में, खान अवसंरचना के लिए प्रतिकर की मात्रा का अवधारण, ऐसे नियमों के अनुसार और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कानूनी रूप से संपरीक्षित तुलनपत्र में दिए गए अवलिखित मूल्य के अनुसार किया जाएगा।

(3) यदि सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती अनुसूची 1 कोयला खानों में से किसी कोयला खान का पूर्विक आबंटिती है, तो ऐसे सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती को संदेय प्रतिकर का अनुसूची 1 कोयला खानों में से किसी कोयला खान के लिए यथास्थिति, ऐसे सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती द्वारा संदेय नीलामी राशि या आबंटन राशि में से मुजरा या समायोजन किया जाएगा।

(4) पूर्विक आबंटिती अतिरिक्त उद्ग्रहण का संदाय प्रतिकर का हकदार किए जाने पर ही होगा अन्यथा नहीं।

अध्याय 4

नियत तारीख के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की शक्तियां

नियत तारीख के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व।

17. (1) नियत तारीख से ही, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन कंपनी को, ऐसी प्रत्येक अनुसूची 2 कोयला खानों के संबंध में, जिसकी बाबत इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व खनन पटटा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, राज्य सरकार को ऐसा पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा, मानो ऐसी कोयला खान के संबंध में खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन किसी कंपनी को दी गई थी और ऐसे पट्टे या अनुज्ञप्ति की अवधि ऐसी अधिकतम अवधि होगी, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा खनिज छूट नियम, 1960 के अधीन ऐसा पट्टा या अनुज्ञप्ति दी जा सकती थी और तब ऐसे खनन पट्टे के अधीन सभी अधिकार जिसके अंतर्गत सतह पर के भूतल के नीचे के और

अन्य अधिकार भी हैं, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन किसी कंपनी को अंतरित और उसमें निहित हुए समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति पर, ऐसे पट्टे या अनुज्ञप्ति का राज्य सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से उतनी अधिकतम अवधि के लिए नवीकरण किया जाएगा, जितनी अवधि के लिए ऐसे पट्टे या अनुज्ञप्ति का खनिज छूट नियम, 1960 के अधीन नवीकरण किया जा सकता है।

(3) जैसा कि लोकहित में तथा ऐसी कठिन स्थिति, जो उद्‌भूत हुई है, को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन और आवश्यक समझा गया है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में, किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे को समय पूर्व समाप्त करने की राज्य सरकार की शक्तियां इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अन्य अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, निलंबित हो जाएंगी।

1957 का 67

केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित अभिरक्षक को नियुक्त किया जाना।

18. (1) नियत तारीख से ही यदि अनुसूची 1 कोयला खानों की नीलामी या आबंटन पूरा नहीं होता है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसी कोयला खानों के जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, प्रबंध और प्रचालन के लिए किसी व्यक्ति की अभिहित अभिरक्षक के रूप में नियुक्ति करेगी।

(2) अभिहित अभिरक्षक, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित कोयला खानों की बाबत, केन्द्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से अनुसूची 1 कोयला खानों के प्रबंध और प्रचालन के लिए ऐसी रीति में जो अधिसूचित की जाए, धारा 8 के साथ पठित धारा 4 और धारा 5 के अधीन ऐसी कोयला खानों की, यथास्थिति, नीलामी या आबंटन पूरा होने तक कार्य करेगा।

अनुसूची 2 कोयला खानों की बाबत अभिहित अभिरक्षक की शक्तियां और कृत्य।

19. (1) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अभिहित अभिरक्षक, केन्द्रीय सरकार की ओर से ऐसी सभी भूमि का जो अनुसूची 2 कोयला खानों में या उसके पार्श्वस्थ में है और जिसका उपयोग अनुसूची 2 कोयला खान के संबंध में कोयला खनन संक्रियाओं और खान अवसंरचना के लिए नियंत्रण और कब्जे में लेने का हकदार होगा।

(2) अभिहित अभिरक्षक नियत तारीख के ठीक पहले पूर्विक आबंटियों या अनुसूची 2 कोयला खानों और कोयला खनन संक्रियाओं के प्रबंध के भारसाधक किन्हीं अन्य व्यक्तियों को कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला के उत्पादन की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अपेक्षित जनशक्ति जो आवश्यक हो, उपलब्ध कराने का निदेश दे सकेगा।

(3) अभिहित अभिरक्षक सभी अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए अनुसूची 2 कोयला खानों को देय किन्हीं धनराशियों को, ऐसे मामलों के होते हुए भी प्राप्त करेगा, जहां ऐसी प्राप्ति नियत तारीख से पूर्व किसी समय किए गए संव्यवहार से संबंधित है।

(4) पदाभिहित अभिरक्षक, अनुसूची 2 कोयला खानों और कोयला खनन संक्रियाओं के संबंध में ऐसे किसी व्यक्ति या सभी व्यक्तियों से, जो नियत तारीख से पूर्व अनुसूची से पूर्व अनुसूची 2 कोयला खानों के प्रबंधन और प्रचालन के प्रभारी थे, किसी सूचना, अभिलेखों और दस्तावेजों को मंगा सकेगा और ऐसे व्यक्ति पदाभिहित अभिरक्षक को उनकी अभिरक्षा में अनुसूची 2 कोयला खानों से संबंधित ऐसे दस्तावेज परिदत्त करने के लिए आबद्धकर होंगे।

(5) पदाभिहित अभिरक्षक, अनुसूची 2 कोयला खानों के प्रबंध और प्रचालन के संबंध में उतने परामर्शियों या विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे।

(6) पदाभिहित अभिरक्षक, अनुसूची 2 कोयला खानों का प्रबंध और प्रचालन ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में अंतरित कर सकेगा, जो विहित की जाए।

(7) अभिहित अभिरक्षक को धारा 18 के अधीन उसे न्यस्त की गईं कोयला खानों की बाबत किसी पूर्विक आबंटिती या किसी सफल बोली लगाने वाले के रूप में अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं होंगी जिनका ऐसी रीति में प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(8) पदाभिहित अभिरक्षक को ऐसे अन्य कृत्य करने की शक्ति होगी जो इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट कृत्यों के पारिणामिक या आनुषंगिक हैं।

(9) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अभिहित अभिरक्षक, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन करने में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उसे लिखित में दे।

अध्याय 5

कतिपय ठहराव

केन्द्रीय सरकार की कतिपय ठहरावों का अनुमोदन करने की शक्ति।

20. (1) कोई सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती या कोयला अनुबंध-धारक, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, यथास्थिति, अन्य सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती या कोयला अनुबंध-धारक के साथ, लोकहित में और लागत दक्षता प्राप्त करने के लिए समान अंतिम उपयोग हेतु कोयला खान के अधिकतम उपयोग के लिए कतिपय करार या ठहराव करने का हकदार होगा।

(2) सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, किसी विशिष्ट अनुसूची 1 कोयला खान से सामान्य विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग में लगे हुए उसके किन्हीं संयंत्रों के लिए भी कोयला खान का उपयोग कर सकेगा।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भूमि का अर्जन।

21. (1) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में सभी विद्यमान भूमि अर्जन कार्यवाहियां ऐसे भूमि क्षेत्रों की बाबत उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जारी रहेंगी। 2013 का 30

(2) ऐसे सभी भूमि क्षेत्रों पर, जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन कोयला खानों के संबंध में भूमि अर्जन कार्यवाहियों की विषय -वस्तु नहीं है, केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के निबंधनों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। 2013 का 30 1957 का 20

(3) ऐसी राज्य सरकारें, जिन्होंने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन भूमि अर्जन कार्यवाहियां आरंभ कर दी हैं और ऐसी सभी भूमियां जो अनुसूची 1 कोयला खानों की बाबत उक्त अधिनियम की भी विषय-वस्तु हैं— 2013 का 30

(क) पूर्विक आबंटितियों को ऐसी किसी भूमि का अंतरण नहीं करेंगी जिसे उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित किया गया है;

(ख) नियत तारीख तक भूमि अर्जन कार्यवाहियां जारी रखेंगी;

(ग) ऐसी अनुसूची 1 कोयला खानों के लिए जो नियत तारीख तक, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती में निहित नहीं हुई हैं, केन्द्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से भूमि अर्जन कार्यवाहियां जारी रखेंगी;

(घ) नियत तारीख के पश्चात्, यथास्थिति, निहित होने या आबंटन पर, सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती की ओर से ऐसी भूमि अर्जन कार्यवाहियों को जारी रखेंगी।

अतिरिक्त उद्ग्रहण की वसूली।

22. यदि अनुसूची 2 कोयला खान का पूर्विक आबंटिती विनिर्दिष्ट समय के भीतर केन्द्रीय सरकार के पास अतिरिक्त उद्ग्रहण को जमा करने में असफल रहता है, तो ऐसे अतिरिक्त उद्ग्रहण की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

कतिपय अपराधों के लिए शास्तियां।

23. यदि कोई व्यक्ति—

(क) केन्द्रीय सरकार या अभिहित अभिरक्षक द्वारा अनुसूची 1 कोयला खानों का कब्जा लेने में बाधा या कोई अड़चन डालेगा; या

(ख) ऐसी अनुसूची 1 कोयला खानों और कोयला खनन संक्रियाओं से संबंधित जिसके प्रबंध के लिए अभिहित अभिरक्षक नियुक्त किया गया हो, अपनी अभिरक्षा में की लेखा बहियों, रजिस्टरों या किन्हीं अन्य दस्तावेजों को अभिहित अभिरक्षक को परिदत्त करने में असफल रहेगा; या

(ग) किसी खान अवसंरचना या कोयला स्टाक को नष्ट करेगा या उसका दुरुपयोग करेगा; या

(घ) ऐसी कोयला खान की किसी संपत्ति को प्रतिधारित करेगा या उसे हटाएगा या नष्ट करेगा,

तो वह और कंपनी का कोई व्यतिक्रमी अधिकारी, अपराध की प्रकृति पर निर्भर रहते हुए, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या न्यूनतम एक लाख रुपए प्रतिदिन के जुर्माने से और असफलता जारी रहने की दशा में, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम दो लाख रुपए के जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

केन्द्रीय सरकार के निदेशों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

24. यदि कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के केन्द्रीय सरकार या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या अभिहित अभिरक्षक द्वारा दिए गए निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा, तो वह, अपराध की प्रकृति पर निर्भर रहते हुए, एक लाख रुपए के जुर्माने से और असफलता के जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, प्रतिदिन अधिकतम दो लाख रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध।

25. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक,सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

अपराधों का संज्ञान।

26. कोई न्यायालय, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, केन्द्रीय सरकार या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या अभिहित अभिरक्षक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं।

विवाद का निपटारा और सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।

27. (1) केंद्रीय सरकार, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या संदाय आयुक्त या अभिहित अभिरक्षक की किसी कार्रवाई से उद्भूत किसी विवाद या सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती और पूर्विक आबंटिती के बीच अधिनियम से संबंधित किसी विवाद्यक से उद्भूत किसी विवाद का न्यायनिर्णयन कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन गठित अधिकरण द्वारा किया जाएगा।

1957 का 2

(2) जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि अधिनियम से संबंधित किसी विवाद्यक से उद्भूत कोई विवाद विद्यमान है या उसकी आशंका है और उस विवाद का न्यायनिर्णयन उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए वहां केंद्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा ऐसे विवाद या विवाद से संबंधित या उससे सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी विषय को न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकरण, विवाद के पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् विवाद के संस्थित या निर्दिष्ट किए जाने से नब्बे दिन की अवधि के भीतर लिखित अधिनिर्णय करेगा।

(4) इस अधिनियम के प्रारंभ से ही उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सिवाय किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण को अधिनियम से संबंधित विषयों के संबंध में कोई भी अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार नहीं होगा या वह किसी अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकरण का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

28. जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या किए जाने के लिए आशयित किसी ऐसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्रीय सरकार, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, संदाय आयुक्त, अभिहित अभिरक्षक या उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

29. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अनुसूची 4 में अंतर्विष्ट कतिपय अधिनियमों का संशोधन।

30. इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से ही कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की अनुसूची 4 में उपबंधित रीति में संशोधित हो जाएंगे। 1973 का 26 1957 का 67

नियम बनाने की शक्ति।

31. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अनुसूची 1 कोयला खानों की लोक नीलामी द्वारा आबंटन की रीति और फीस के ब्यौरे;

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करने के निबंधन और शर्तें तथा प्रतिस्पर्धी बोली की रीति और शर्तें;

(ग) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन किसी नीलामी में बोली लगाने हेतु पात्र होने के मानक और कोयला अनुबंध रखने वाली किसी कंपनी की बाबत विनिधान की रकम;

(घ) वह अवधि जिसके भीतर धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन पूर्विक आबंटिती द्वारा अतिरिक्त उद्ग्रहण का संदाय किया जाएगा;

(ङ) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी कंपनी या निगम को आबंटन किए जाने के लिए आबंटन आदेश;

(च) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की शक्तियां;

(छ) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अनुसूची 1 कोयला खानों की नीलामी या आबंटन करने और निधान या आबंटन आदेशों के निष्पादन की रीति;

(ज) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(झ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन नीलाम की जाने वाली अनुसूची 1 कोयला खानों की विशिष्टियों को अधिसूचित करने और पूर्विक आबंटितियों द्वारा अपेक्षित सूचना देने की रीति;

(ञ) धारा 8 की उपधारा 3 के अधीन नीलामी का संचालन करने और निधान आदेश तैयार करने की रीति;

(ट) धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निकटतम मूल्य का अवधारण;

(ठ) धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन बैंक प्रत्याभूति देने का प्ररूप और रीति तथा समय जिसके भीतर ऐसी बैंक प्रत्याभूति दी जाएगी;

(ड) धारा 9 के अधीन पूर्विकता संदायों के संवितरण की रीति;

(ढ) धारा 10 की उपधारा (5) के पहले परंतुक के अधीन पूर्विक आबंटिती या तृतीय पक्षकार, जिसने जंगम संपत्ति के लिए पूर्विक आबंटिती के साथ संविदा की है, द्वारा जंगम संपत्ति पर हक स्थापित करने की रीति;

(ण) धारा 10 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अधीन जंगम संपत्ति के विक्रय आगमों से प्रतिकर प्राप्त करने की रीति;

(त) वह रीति जिसमें धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन किसी पूर्विक आबंटिती की बाबत प्रतिकर में से प्रतिभूत लेनदार को संदाय किया जाएगा;

(थ) धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन अनुसूची 2 कोयला खानों के पूर्विक आबंटितियों से केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त उद्ग्रहण के संग्रहण की रीति;

(द) धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन संदाय आयुक्त और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ध) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन पूर्विक आबंटिती को संदेय प्रतिकर के अवधारण और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख को निविष्ट करने की रीति;

(न) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन अनुसूची 1 के संबंध में खान अवसंरचना के लिए प्रतिकर के अवधारण की पद्धति और उसका कानूनी रूप से संपरीक्षित तुलनपत्र में दिया जाना;

(प) धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन अभिहित अभिरक्षक द्वारा किसी अनुसूची 2 कोयला खानों के प्रबंध और प्रचालन के अंतरण की रीति;

(फ) धारा 19 की उपधारा (7) के अधीन अभिहित अभिरक्षक द्वारा अधिकार, दायित्व और बाध्यताओं के प्रयोग और निर्वहन की रीति;

(ब) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोगों के लिए खनन किए गए कोयले के अधिकतम उपयोग के लिए करार या ठहराव उपबंधित करने की रीति;

(भ) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती द्वारा अपने संयंत्रों में से किसी संयंत्र के लिए कोयला खान के उपयोग की रीति;

(म) कोई अन्य विषय जो अपेक्षित हो या जो विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने और जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा/जाएगी। किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

32. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

33. (1) कोयला खान (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2014 निरसित किया जाता है। 2014 का अध्यादेश संख्यांक 7

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के, 2012 की रिट याचिका (दांडिक) सं॰ 120 में पारित तारीख 25 अगस्त, 2014 के निर्णय और तारीख 24 सितंबर, 2014 के उसके आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएंगी।

अनुसूची 1

[धारा 3 (1) (त) देखें]

क्र॰ सं॰	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आबंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ब्लॉक स्थित है
1	2	3	4
1.	तांडीचेरला–I	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	तेलंगाना
2.	अनेस्तीपाली	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	तेलंगाना
3.	पुंकुला–चिल्का	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	तेलंगाना
4.	पेनगाडप्पा	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	तेलंगाना
5.	नामचिक नामफुक	अरुणाचल प्रदेश खनिज विकास और व्यापार निगम	अरुणाचल प्रदेश
6.	सायंग	एईएस छत्तीसगढ़ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़
7.	राजगमर डिपसाइड (देवनारा)	एपीआई इस्पात एंड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड, सीजी स्पांज निर्माता कंसोर्टियम कोलफील्ड प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़
8.	दुर्गापुर–II/ताराईमार	भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	छत्तीसगढ़
9.	दातिमा	बिनानी सीमेंट लिमिटेड	छत्तीसगढ़
10.	तारा	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	छत्तीसगढ़
11.	गारे पालमा, सेक्टर–I	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	छत्तीसगढ़
12.	शंकरपुर भटगांव–II विस्तार	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	छत्तीसगढ़
13.	सोंधिया	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	छत्तीसगढ़
14.	परसा	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	छत्तीसगढ़
15.	विजय सेंट्रल	कोल इंडिया लिमिटेड, एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
16.	गिधमूरी	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	छत्तीसगढ़
17.	पतूरिया	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	छत्तीसगढ़
18.	दुर्गापुर–II/सरया	डीबी पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
19.	भास्करपारा	इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़
20.	वेस्ट ऑफ उमरिया	सैनिक फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्व में गरुड़ क्लेज लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
21.	मोरगा–II	गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	छत्तीसगढ़
22.	गारे पालमा सेक्टर–III	गोवा औद्योगिक विकास निगम	छत्तीसगढ़

1	2	3	4
23.	मदनपुर साउथ	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, अक्षय इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर लिमिटेड, छत्तीसगढ़ विद्युत निगम लिमिटेड, एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, छत्तीसगढ़ कैप्टिव कोल माइनिंग लिमिटेड (पांच कंपनियों का संकाय)	छत्तीसगढ़
24.	नाकिया–I	इस्पात गोदावरी लिमिटेड, इंड एग्रो सिनर्जी लिमिटेड, श्री नाकोडा इस्पात लिमिटेड, वंदना ग्लोबल लिमिटेड, श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड	छत्तीसगढ़
25.	नाकिया–II	इस्पात गोदावारी, इंड एग्रो सिनर्जी, श्री नाकोडा इस्पात, वंदना ग्लोबल लिमिटेड, श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड	छत्तीसगढ़
26.	गारे–पालमा–IV/4	जयसवाल नेको लिमिटेड	छत्तीसगढ़
27.	गारे–पालमा–IV/8	जयसवाल नेको लिमिटेड	छत्तीसगढ़
28.	गारे–पालमा–IV/2	जिंदल पावर लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
29.	गारे–पालमा–IV/3	जिंदल पावर लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
30.	गारे–पालमा–IV/1	जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
31.	गारे–पालमा–IV/6	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, नलवा स्पांज आयरन लिमिटेड	छत्तीसगढ़
32.	फतेहपुर ईस्ट	जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटेड, आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, वीजा पावर लिमिटेड, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, वंदना विद्युत लिमिटेड	छत्तीसगढ़
33.	मोरगा–I	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड	छत्तीसगढ़
34.	मोरगा–III	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड	छत्तीसगढ़
35.	मोरगा–IV	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड	छत्तीसगढ़
36.	गारे–पालमा सैक्टर–II	महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन, तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	छत्तीसगढ़
37.	गारे–पालमा–IV/5	मोनेट इस्पात लिमिटेड	छत्तीसगढ़
38.	राजगमर डिपसाइड (साउथ ऑफ फुलकाडीह नाला)	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड, टोपवोर्थ स्टील प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़
39.	तलाईपाली	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
40.	चोटिया	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़
41.	गारे–पालमा–IV/7	रायपुर एलॉयज एंड स्टील लिमिटेड (अब शारदा एनर्जी एंड मिनरल लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
42.	परसा ईस्ट	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	छत्तीसगढ़
43.	केसला नार्थ	राठी उद्योग लिमिटेड	छत्तीसगढ़
44.	कांता बासन	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	छत्तीसगढ़

1	2	3	4
45.	पंचबहानी	श्री राधे इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़
46.	फतेहपुर	एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़
47.	मदनपुर (नार्थ)	अल्ट्राटेक लिमिटेड, सिंघल एंटरप्राइज लिमिटेड, नव भारत कोलफील्ड लिमिटेड, वंदना एनर्जी एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अंजनी स्टील प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ कैप्टिव कोल माइनिंग लिमिटेड (पांच कंपनी का संकाय)	छत्तीसगढ़
48.	ब्रिन्दा	अभिजीत इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
49.	ससई	अभिजीत इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
50.	मेराल	अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
51.	सेरेगरहा	आर्सेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड जीवीके पावर (गोंविदवाल साहिब) लिमिटेड	झारखण्ड
52.	पटल ईस्ट	भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड	झारखण्ड
53.	सरिया कोरियाटांड	बिहार राज्य खनिज विकास निगम (बीआरकेवीएन) पटना	झारखण्ड
54.	मछेरकुंदा	बिहार स्पांज आयरन लिमिटेड	झारखण्ड
55.	ब्रह्माडीहा	कास्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	झारखण्ड
56.	महुआगढ़ी	कोलकाता विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीईएससी), जैस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
57.	चितारपुर	कॉरपोरेट इस्पात एलॉयज लिमिटेड	झारखण्ड
58.	साहरपुर जमरपानी	दामोदर घाटी निगम	झारखण्ड
59.	लालगढ़ (नार्थ)	डोम्को स्मोकलैस फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
60.	पर्बतपुर-सेंट्रल	इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड	झारखण्ड
61.	चकला	एस्सार पावर लिमिटेड	झारखण्ड
62.	अशोक कैरकटा सेंट्रल	एस्सार पावर लिमिटेड	झारखण्ड
63.	जयनगर	गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (जीएमडीसी)	झारखण्ड
64.	तोकीसूद नार्थ	जीवीके पावर (गोंविदवाल साहिब) लिमिटेड	झारखण्ड
65.	तूबेड	हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	झारखण्ड
66.	मोइत्रा	जयसवाल नेको लिमिटेड	झारखण्ड
67.	नार्थ ढाडू	झारखण्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, पवनजय स्टील एंड पावर लिमिटेड, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड, आधुनिक एलॉयज एंड पावर लिमिटेड	झारखण्ड
68.	बनहारडीह	झारखण्ड स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	झारखण्ड
69.	सूगिया क्लोज्ड खान	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	झारखण्ड
70.	राउता क्लोज्ड खान	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	झारखण्ड

1	2	3	4
71.	बुराखाप स्माल पैच	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	झारखण्ड
72.	पिंद्रा–देबीपुर–खाउवाटांड	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	झारखण्ड
73.	लातेहार	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	झारखण्ड
74.	पतरातू	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	झारखण्ड
75.	राबोडीह ओसीपी	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	झारखण्ड
76.	जोगेश्वर और खास जोगेश्वर	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	झारखण्ड
77.	जीतपुर	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	झारखण्ड
78.	अमरकोंडा मुर्गादंगल	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, गगन स्पान्ज आयरन प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
79.	उर्मा पहारीतोला	झारखण्ड स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड, बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन निगम लिमिटेड	झारखण्ड
80.	रोहने	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	झारखण्ड
81.	गोमिया	मैटल एण्ड मिनरल ट्रैडिंग कारपोरेशन निगम	झारखण्ड
82.	राजहरा नार्थ (मध्य व पूर्वी)	मुकुंद लिमिटेड, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड	झारखण्ड
83.	डुमरी	नीलाचल आयरन एंड पावर लिमिटेड, बजरंग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
84.	केरनदारी	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	झारखण्ड
85.	चट्टी बरिअतू	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	झारखण्ड
86.	चट्टी बरिअतू साउथ	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	झारखण्ड
87.	ब्राहिमनी	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड + कोल इंडिया लिमिटेड जेवी	झारखण्ड
88.	चिचरो पतसीमल	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड + कोल इंडिया लिमिटेड जेवी	झारखण्ड
89.	पचवारा सेंट्रल	पंजाब स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	झारखण्ड
90.	महल	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	झारखण्ड
91.	तेनूघाट–झिरकी	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	झारखण्ड
92.	बुंदू	रूंगटा माइन्स लिमिटेड	झारखण्ड
93.	मेदनीराय	रूंगटा माइन्स लिमिटेड, कोहिनूर स्टील (पी) लिमिटेड	झारखण्ड
94.	चोरीतांद तिल्लिया	रूंगटा माइन्स लिमिटेड, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	झारखण्ड
95.	सीतानाला	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	झारखण्ड
96.	गनेशपुर	टाटा स्टील लिमिटेड, आधुनिक थर्मल एनर्जी	झारखण्ड
97.	बदम	तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड	झारखण्ड

1	2	3	4
98.	राजबर ई एंड डी	तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड	झारखण्ड
99.	गोंदुलपाड़ा	तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड, दामोदर घाटी निगम	झारखण्ड
100.	कोतरे-बसंतपुर	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (अब टाटा स्टील लिमिटेड)	झारखण्ड
101.	पचमो	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (अब टाटा स्टील लिमिटेड)	झारखण्ड
102.	लोहारी	उषा मार्टिन लिमिटेड	झारखण्ड
103.	कथौटिया	उषा मार्टिन लिमिटेड	झारखण्ड
104.	पचवारा नार्थ	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	झारखण्ड
105.	सुलियारी	आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	मध्य प्रदेश
106.	बिक्रम	बिरला कारपोरेशन लिमिटेड	मध्य प्रदेश
107.	गोतितोरिया (ईस्ट)	बीएलए इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्यप्रदेश
108.	गोतितोरिया (वेस्ट)	बीएलए इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य प्रदेश
109.	महन	एस्सार पावर लिमिटेड, हिडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य प्रदेश
110.	मंडला नार्थ	जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश
111.	उर्तन नार्थ	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	मध्य प्रदेश
112.	थेसगोरा-बा/रूद्रापुरी	कमल स्पांज स्टील एंड पावर लिमिटेड, रेवती सीमेंट पी॰ लिमिटेड	मध्य प्रदेश
113.	अमेलिया	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन	मध्य प्रदेश
114.	अमेलिया (नार्थ)	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन	मध्य प्रदेश
115.	मंडला साउथ	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड	मध्य प्रदेश
116.	डोंगरी ताल-II	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
117.	मरकी बारका	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
118.	सेमरिया/पिपरिया	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
119.	बिचारपुर	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
120.	तांडसी-III और तांडसी-III (एक्सटेंशन)	मिडईस्ट इन्टीग्रेटिड स्टील्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश
121.	शाहपुर ईस्ट	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	मध्य प्रदेश
122.	शाहपुर वेस्ट	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	मध्य प्रदेश
123.	मारा II महन	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल)	मध्य प्रदेश
124.	सियाल घोघरी	प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड	मध्य प्रदेश

1	2	3	4
125.	ब्रह्मपुरी	पुष्प स्टील एंड माइनिंग लिमिटेड	मध्य प्रदेश
126.	रावनवारा नार्थ	एसकेएस इस्पात लिमिटेड	मध्य प्रदेश
127.	बंदेर	एएमआर आयरन एंड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड	महाराष्ट्र
128.	मरकी मंगली–I	बी एस इस्पात लिमिटेड	महाराष्ट्र
129.	तकली–जेना–बेल्लोरा (नार्थ) और तकली–जेना–बेल्लोरा (साउथ)	केन्द्रीय कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और लायड्स मेटल्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	महाराष्ट्र
130.	दाहेगांव–मकरधोकरा–IV	आईएसटी स्टील एंड पावर लिमिटेड, गुजरात अंबुजा लिमिटेड, लाफार्ज इंडिया प्राइवेट सीमेंट लिमिटेड	महाराष्ट्र
131.	गोंदखारी	महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड, केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	महाराष्ट्र
132.	मरकी–ज़री–जमानी–अदकोली	महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड	महाराष्ट्र
133.	लोहरा (ईस्ट)	मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	महाराष्ट्र
134.	खप्पा और विस्तार	सनफ्लैग आयरन एंड स्टील लिमिटेड, डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड	महाराष्ट्र
135.	लोहरा वेस्ट विस्तार	अदानी पावर लिमिटेड	महाराष्ट्र
136.	वरोरा वेस्ट (नार्थ)	भाटिया इंटरनेशनल लिमिटेड	महाराष्ट्र
137.	कोसर डोंगेरगांव	चमन मेटालिक्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
138.	वरोरा (वेस्ट) दक्षिणी भाग	फील्डमाइनिंग एंड इस्पात लिमिटेड	महाराष्ट्र
139.	चिनोरा	फील्डमाइनिंग एंड इस्पात लिमिटेड	महाराष्ट्र
140.	माजरा	गोंडवाना इस्पात लिमिटेड	महाराष्ट्र
141.	नेराद मालेगांव	गुप्ता मेटालिक्स एंड पावर लिमिटेड, गुप्ता कोलफील्ड्स और वाशेरिज़ लिमिटेड	महाराष्ट्र
142.	बरांज–I	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
143.	बरांज–II	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
144.	बरांज–III	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
145.	बरांज–IV	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
146.	किलोनी	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
147.	मनोरा डीप	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
148.	अग्रज़री	महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड(एमएसएमसीएल)	महाराष्ट्र
149.	वरोरा	महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन (एमएसएमसीएल)	महाराष्ट्र
150.	भंदक वेस्ट	श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड	महाराष्ट्र

1	2	3	4
151.	मरकी मंगली–II	श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड	महाराष्ट्र
152.	मरकी मंगली–III	श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड	महाराष्ट्र
153.	मरकी मंगली–IV	श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड	महाराष्ट्र
154.	बेलगांव	सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	महाराष्ट्र
155.	मंदाकनी बी	असम मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मेघालय मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, तमिलनाडु बिजली बोर्ड, ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड	ओडिशा
156.	न्यू पात्रपारा	भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड, आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड, दीपक स्टील एंड पावर लिमिटेड, आधुनिक कारपोरेशन लिमिटेड, उड़ीसा स्पांज आयरन लिमिटेड, एसएमसी पावर जनरेशन लिमिटेड, श्री मेटालिक्स लिमिटेड, वीजा स्टील लिमिटेड	ओडिशा
157.	बिजहान	भूषण लिमिटेड, श्री महावीर फेरो एलायज प्राइवेट लिमिटेड	ओडिशा
158.	जमखानी	भूषण लिमिटेड	ओडिशा
159.	नैनी	गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, पांडिचेरी	ओडिशा
		इंडस्ट्रीयल प्रमोशन डेवलपमेंट एण्ड इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	ओडिशा
160.	महानदी	गुजरात स्टेट इलैक्ट्रीसिटी कारपोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	ओडिशा
161.	मच्छाकाटा	गुजरात स्टेट इलैक्ट्रीसिटी कारपोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	ओडिशा
162.	तालाबीरा–I	हिडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	ओडिशा
163.	रामचंडी प्रोमोशन ब्लाक	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	ओडिशा
164.	उत्कल बी I	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	ओडिशा
165.	बेतरनी वेस्ट	केरल स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड, ओडिशा हाइड्रो पावर कारपोरेशन, गुजरात पावर कारपोरेशन लिमिटेड,	ओडिशा
166.	तालाबीरा–II एवं III	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड,हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	ओडिशा
167.	उत्कल–ए	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), जेएसडब्ल्यू स्टील्स लिमिटेड, जिंदल थर्मल पावर कंपनी, लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस स्टील्स लिमिटेड, श्याम डीआरआई लिमिटेड	ओडिशा
168.	उत्कल–बी 2	मोनेट इस्पात लिमिटेड	ओडिशा
169.	मंदाकिनी	मोनेट इस्पात एनर्जी लिमिटेड, जिंदल फोटो लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ओडिशा
170.	उत्कल–'ई'	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम निगम	ओडिशा
171.	दुलंगा	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	ओडिशा
172.	उत्कल–डी	ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन	ओडिशा

1	2	3	4
173.	नौगांव तेलीसाही	ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन, आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट (एपीएमडीसी)	ओडिशा
174.	मनोहरपुर	ओडिशा पावर जेनरेशन कारपोरेशन	ओडिशा
175.	डिपसाइड मनोहरपुर	ओडिशा पावर जेनरेशन कारपोरेशन	ओडिशा
176.	राधिकापुर (वेस्ट)	रूंगटा माइन्स लिमिटेड, ओसीएल इंडिया लिमिटेड, ओसिएन इस्पात लिमिटेड	ओडिशा
177.	रामपिया	स्टरलाइट एनर्जी लिमिटेड, (आईपीपी), जीएमआर एनर्जी लिमिटेड, (आईपीपी), आर्सेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड, (सीपीपी), लैंको ग्रुप लिमिटेड (आईपीपी), नवभारत पावर प्राइवेट लिमिटेड, (आईपीपी), रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (आईपीपी)	ओडिशा
178.	रामपिया की डिपसाइड	स्टरलाइट एनर्जी लिमिटेड, (आईपीपी), जीएमआर एनर्जी (आईपीपी), आर्सेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड, (सीपीपी), लैंको समूह लिमिटेड (आईपीपी), नवभारत पावर प्राइवेट लिमिटेड, (आईपीपी), रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (आईपीपी)	ओडिशा
179.	अर्खापाल श्रीरामपुर के नार्थ	स्ट्रेटजिक एनर्जी टेक्नालाजी सिस्टम्स लिमिटेड (एसईटीएसएल)	ओडिशा
180.	राधिकापुर (ईस्ट)	टाटा स्पांज आयरन लिमिटेड, स्काव इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसपीएस स्पांज आयरन लिमिटेड	ओडिशा
181.	चेंदीपाडा	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपपेंट कारपोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रीसिटी जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	ओडिशा
182.	चेंदीपाडा–II	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रीसिटी जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	ओडिशा
183.	उत्कल–सी	उत्कल कोल लिमिटेड (पूर्व में आईसीसीएल)	ओडिशा
184.	बिहारीनाथ	बांकुरा डीआरआई खनन निर्माता कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
185.	आनदल ईस्ट	भूषण स्टील लिमिटेड, जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रशमी सीमेंट लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
186.	बरजोरा (नार्थ)	दामोदर घाटी निगम	पश्चिमी बंगाल
187.	कागरा जोयदेव	दामोदर घाटी निगम	पश्चिमी बंगाल
188.	कास्ता (ईस्ट)	दामोदर घाटी निगम	पश्चिमी बंगाल
189.	गौरंगडीह एबीसी	हिमाचल ईएमटीए पावर लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
190.	मोइरा–मधुजोरे	रामस्वरूप लौह उद्योग लिमिटेड, आधुनिक कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम गल्वा स्टील्स लिमिटेड, हावड़ा गैसिस लिमिटेड, विकास मेटल एंड पावर लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल

1	2	3	4
191.	सरीसातोल्ली	कोलकाता इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
192.	अर्धग्राम	सोवा इस्पात लिमिटेड, जय बालाजी स्पांज लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
193.	तारा (वेस्ट)	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
194.	गंगारामचक	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
195.	बरजोरा	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
196.	गंगारामचक-भदुलिया	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
197.	तारा (ईस्ट)	वेस्ट बंगाल स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	पश्चिमी बंगाल
198.	जगन्नाथपुर बी	वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रैडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
199.	सीतारामपुर	वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रैडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
200.	ट्रांस दामोदर	वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रैडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
201.	इच्छापुर	वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रैडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
202.	कुल्टी	वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रैडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
203.	जगन्नाथपुर-क	वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रैडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
204.	दामोगरिया ईस्ट (कल्याणेश्वरी)	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल

अनुसूची 2

[धारा 3 (1) (थ) देखिए]

क्रम॰ सं॰	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आबंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ब्लॉक स्थित है
1	2	3	4
1.	नामचिक नामफुक	अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन	अरूणाचल प्रदेश
2.	गारे-पालमा-IV/4	जयसवाल नेको लिमिटेड	छत्तीसगढ़
3.	गारे-पालमा-IV/2	जिंदल पावर लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
4.	गारे-पालमा-IV/3	जिंदल पावर लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
5.	गारे-पालमा-IV/1	जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
6.	गारे-पालमा-IV/5	मोनेट इस्पात लिमिटेड	छत्तीसगढ़
7.	चोटिया	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़
8.	गारे-पालमा-IV/7	रायपुर एलॉयज एंड स्टील लिमिटेड (अब सारदा एनर्जी एंड मिनरल लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
9.	परसा ईस्ट	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	छत्तीसगढ़
10.	कांता बासन	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	छत्तीसगढ़
11.	पर्बतपुर-सेंट्रल	इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड	झारखण्ड
12.	तोकीसूद नार्थ	जीवीके पावर (गोविंदवाल साहिब) लिमिटेड	झारखण्ड
13.	पचवारा सेंट्रल	पंजाब स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	झारखण्ड
14.	कथौटिया	उषा मार्टिन लिमिटेड	झारखण्ड
15.	पचवारा नार्थ	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	झारखण्ड
16.	गोतितोरिया (ईस्ट)	बीएलए इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य प्रदेश
17.	गोतितोरिया (वेस्ट)	बीएलए इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य प्रदेश
18.	मंडला नार्थ	जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश
19.	अमेलिया (नार्थ)	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन	मध्य प्रदेश
20.	बिचारपुर	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
21.	सियाल घोघरी	प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड	मध्य प्रदेश
22.	मरकी मंगली-I	बी॰ एस॰ इस्पात लिमिटेड	महाराष्ट्र

1	2	3	4
23.	बरांज–I	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
24.	बरांज–II	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
25.	बरांज–III	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
26.	बरांज–IV	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
27.	किलोनी	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
28.	मनोरा डीप	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
29.	मरकी मंगली–II	श्री वीरांगना स्टील्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
30.	मरकी मंगली–III	श्री वीरांगना स्टील्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
31.	बेलगांव	सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	महाराष्ट्र
32.	तालाबीरा–I	हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	ओडिशा
33.	बरजोरा (नार्थ)	दामोदर घाटी निगम	पश्चिमी बंगाल
34.	कागरा जोयदेव	दामोदर घाटी निगम	पश्चिमी बंगाल
35.	सरीसातोल्ली	कोलकाता इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
36.	अर्धग्राम	सोवा इस्पात लिमिटेड, जय बालाजी स्पांज लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
37.	तारा (वेस्ट)	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
38.	गंगारामचक	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
39.	बरजोरा	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
40.	गंगारामचक–भदुलिया	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
41.	तारा (ईस्ट)	वेस्ट बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	पश्चिमी बंगाल
42.	ट्रांस दामोदर	वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेंट एण्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल

अनुसूची 3

[धारा 3 (1) (द) देखिए]

क्रम॰ सं॰	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आबंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ब्लॉक स्थित है
1	2	3	4
1.	दुर्गापुर–II/ताराईमार	भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	छत्तीसगढ़
2.	दुर्गापुर–II/सरया	डी बी पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
3.	गारे–पालमा सेक्टर–III	गोवा इंडस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन	छत्तीसगढ़
4.	गारे–पालमा IV/8	जयसवाल नेको लिमिटेड	छत्तीसगढ़
5.	तलाईपाली	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
6.	चट्टी बरिअतू	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	झारखण्ड
7.	महन	एस्सार पावर लिमिटेड, हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य प्रदेश
8.	मंडला साउथ	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड	मध्य प्रदेश
9.	डोंगरी ताल–II	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
10.	कोसर डोंगरेगांव	चमन मेटालिक्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
11.	नेराद मालेगांव	गुप्ता मेटालिक्स एंड पावर लिमिटेड, गुप्ता कोलफील्ड्स एंड वाशेरिज़ लिमिटेड	महाराष्ट्र
12.	मरकी मंगली–IV	श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड	महाराष्ट्र
13.	जमखानी	भूषण लिमिटेड	ओडिशा
14.	उत्कल–बी 1	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	ओडिशा
15.	उत्कल–बी 2	मोनेट इस्पात लिमिटेड	ओडिशा
16.	मंदाकिनी	मोनेट इस्पात एनर्जी लिमिटेड, जिंदल फोटो लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ओडिशा
17.	उत्कल–सी	उत्कल कोल लिमिटेड (ईस्ट में आईसीसीएल)	ओडिशा
18.	वृंदा	अभिजीत इंफ्रास्ट्रकचर प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
19.	ससई	अभिजीत इंफ्रास्ट्रकचर प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
20.	मेराल	अभिजीत इंफ्रास्ट्रकचर प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
21.	मोइत्रा	जयसवाल नेको लिमिटेड	झारखण्ड
22.	जीतपुर	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	झारखण्ड
23.	रोहने	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	झारखण्ड

1	2	3	4
24.	डुमरी	नीलाचल आयरन एंड पावर लिमिटेड, बजरंग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
25.	केरनदारी	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	झारखण्ड
26.	सीतानाला	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	झारखण्ड
27.	गणेशपुर	टाटा स्टील लिमिटेड, आधुनिक थर्मल एनर्जी	झारखण्ड
28.	बदम	तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड	झारखण्ड
29.	तारा	छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	छत्तीसगढ़
30.	लोहारी	उषा मार्टिन लिमिटेड	झारखण्ड
31.	दुलंगा	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	ओडिशा
32.	मनोहरपुर	उड़ीसा पावर जेनरेशन कारपोरेशन	ओडिशा

अनुसूची 4

(धारा 28 देखिए)

भाग क

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973

(1973 का 26)

धारा 1क का संशोधन।

1. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1क की उपधारा (1) में ''धारा 3 की उपधारा (3) और (4)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् '', धारा 3क'' शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 3क का अन्त:स्थापन।

2. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कंपनी और अन्य द्वारा खनन संक्रियाएं।

'3क. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो—

(क) कोई सरकारी कंपनी या निगम या यथास्थिति, ऐसी कंपनी या निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के बीच बनाई गई कोई सह-उद्यम कंपनी है या भारत में निगमित कोई अन्य कंपनी है; या

(ख) दो या अधिक कंपनियों द्वारा सृजित कोई कंपनी या सह-उद्यम कंपनी है,

भारत में कोयला खनन संक्रियाएं यथास्थिति पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार किसी भी रूप में स्वयं के उपभोग के लिए, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए चला सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसी कोयला खानों का सुव्यवस्थीकरण करने की दृष्टि से, जिससे कि देश की बढ़ती अपेक्षाओं से संगत कोयला संसाधनों का समन्वित और वैज्ञानिक विकास और उपयोग सुनिश्चित हो सके, समय-समय पर, —

(i) कोयला खानों या कोयला धारक क्षेत्र और उनके अवस्थान;

(ii) कोयला खान या कोयला धारक क्षेत्रों का न्यूनतम आकार;

(iii) ऐसी अन्य शर्तें,

विहित कर सकेगी, जो उस सरकार की राय में कोयला खनन संक्रियाओं या किसी कंपनी द्वारा विक्रय हेतु खनन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

स्पष्टीकरण —इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''कंपनी'' से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है।'। 2013 का 18

धारा 34 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(कक) धारा 3क की उपधारा (2) के अधीन कोयला खानों या कोयला धारक क्षेत्र और उनके अवस्थान, कोयला खान या कोयला धारक क्षेत्रों का न्यूनतम आकार और ऐसी अन्य शर्तें जो कोयला खनन संक्रियाओं, जिनके अन्तर्गत किसी कंपनी द्वारा विक्रय के लिए खनन भी है, के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।''।

भाग ख

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

(1957 का 67)

धारा 11क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

1. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे का मंजूर किया जाना।

'11क. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी क्षेत्र के संबंध में जिसमें कोयला या लिग्नाइट अन्तर्विष्ट है, भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नीलामी द्वारा निम्नलिखित कंपनियों में से किसी का चयन कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) कोई सरकारी कंपनी या निगम या यथास्थिति, ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के बीच बनाई गई कोई सह-उद्यम कंपनी या भारत में निगमित कोई अन्य कंपनी; या

(ख) दो या अधिक कंपनियों द्वारा बनाई गई कोई कंपनी या सह-उद्यम कंपनी,

जो, भारत में कोयला खनन संक्रियाएं यथास्थिति, अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार किसी भी रूप में स्वयं के उपभोग के लिए, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए चला सकेंगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोयला और लिग्नाइट खानों का सुव्यवस्थीकरण करने की दृष्टि, जिससे कि देश की बढ़ती अपेक्षाओं से संगत संसाधनों का समन्वित और वैज्ञानिक विकास और उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, समय-समय पर,—

(i) खानों और उनके अवस्थान के ब्यौरे;

(ii) ऐसी खानों का न्यूनतम आकार;

(iii) ऐसी अन्य शर्तें,

विहित कर सकेगी, जो उस सरकार की राय में खनन संक्रियाओं या किसी कंपनी द्वारा विक्रय हेतु खनन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(3) राज्य सरकार, किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बंध में जिसमें कोयला या लिग्नाइट अंतर्विष्ट है, ऐसी कंपनी को जिसका इस धारा के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से या अन्यथा चयन किया गया है, भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करेगी:

परन्तु इस धारा के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा नीलामी किसी ऐसे क्षेत्र को लागू नहीं होगी, जिसमें कोयला या लिग्नाइट अन्तर्विष्ट है—

(क) जहां ऐसे क्षेत्र पर किसी सरकारी कंपनी या निगम या यथास्थिति, ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के बीच बनाई गई किसी सह-उद्यम कंपनी को आबंटित करने के लिए विचार किया जाता है;

(ख) ऐसे क्षेत्र पर किसी ऐसी कंपनी या निगम को, जिसे टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर कोई विद्युत परियोजना (जिसके अन्तर्गत अतिबृहत विद्युत परियोजनाएं भी हैं) मंजूर की गई है, आबंटित करने के लिए विचार किया जाता है।

2013 का 18

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''कंपनी'' से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है।'।

धारा 13 का संशोधन।

2. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(घ) धारा 11क की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के निबंधन और शर्तें, खानों और उनके अवस्थानों के ब्यौरे, ऐसी खानों का न्यूनतम आकार और ऐसी अन्य शर्तें, जो कोयला खनन संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, जिसके अन्तर्गत किसी कंपनी द्वारा विक्रय के लिए खनन भी है।''।

———————

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

(2016 का अधिनियम संख्यांक 2)

[31 दिसम्बर, 2015]

विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित और उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों और देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए,बालकों के सर्वोत्तम हित में मामलों के न्यायनिर्णयन और निपटारे में बालकों के प्रति मित्रवत् दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख,संरक्षा, विकास, उपचार, समाज में पुनः मिलाने के माध्यम से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और उपबंधित प्रक्रियाओं तथा इसमें इसके अधीन स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से उनके पुनर्वासन के लिए, तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (3), अनुच्छेद 39 के खंड (ङ) और खंड (च), अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 47 के उपबंधों के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उनके मूलभूत मानव अधिकारों की पूर्णतया संरक्षा की जाए, शक्तियां प्रदान की गई हैं और कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं;

और, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत, बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, जिसमें ऐसे मानक विहित किए गए हैं जिनका बालक के सर्वोत्तम हित को

सुनिश्चित करने में सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किया जाना है, 11 दिसम्बर, 1992 को अंगीकार किया था;

और, विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित और उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों तथा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए बालक के अधिकारों से संबंधित अभिसमय, किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम, 1985 (बीजिंग नियम), अपनी स्वतंत्रता से वंचित संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण नियम (1990), बालक संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तकग्रहण की बाबत सहयोग संबंधी हेग कन्वेंशन (1993) तथा अन्य संबंधित अंतरराष्ट्रीय लिखतों में विहित मानकों को ध्यान में रखते हुए व्यापक उपबंध करने के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को पुनः अधिनियमित करना समीचीन है। 2000 का 56

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित सभी मामलों में लागू होंगे, जिनके अंतर्गत,—

(i) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की गिरफ्तारी, निरोध, अभियोजन, शास्ति या कारावास, पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना;

(ii) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के पुनर्वासन, दत्तकग्रहण, समाज में पुनः मिलाने और वापसी की प्रक्रियाएं और विनिश्चय अथवा आदेश,

भी हैं।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) ''परित्यक्त बालक'' से अपने जैविक या दत्तक माता-पिता या संरक्षक द्वारा अभित्यक्त ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसे समिति द्वारा सम्यक् जांच के पश्चात् परित्यक्त घोषित किया गया है;

(2) ''दत्तकग्रहण'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके माध्यम से दत्तक बालक को उसके जैविक माता-पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है और वह अपने दत्तक माता-पिता का ऐसे सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और उत्तरदायित्वों सहित, जो किसी जैविक बालक से जुड़े हों, विधिपूर्ण बालक बन जाता है;

(3) ''दत्तकग्रहण विनियम'' से प्राधिकरण द्वारा विरचित और केन्द्रीय सरकार द्वारा, दत्तकग्रहण के संबंध में अधिसूचित विनियम अभिप्रेत है;

(4) ''प्रशासक'' से राज्य के उपसचिव से अनिम्न पंक्ति का ऐसा कोई जिला पदाधिकारी अभिप्रेत है जिसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं;

(5) ''पश्चात्वर्ती देखरेख'' से उन व्यक्तियों की, जिन्होंने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किन्तु इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर दिया है, वित्तीय और अन्यथा सहायता का उपबंध किया जाना अभिप्रेत है;

(6) ''प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण'' से ऐसा कोई विदेशी, सामाजिक या बाल कल्याण अभिकरण अभिप्रेत है जो अनिवासी भारतीय के या विदेशी भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तियों या विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के भारत से किसी बालक के दत्तकग्रहण संबंधी आवेदन का समर्थन करने की उस देश के उनके केन्द्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग की सिफारिश पर केन्द्रीय दत्तकग्रहण स्रोत प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत है;

(7) ''प्राधिकरण'' से धारा 68 के अधीन गठित केन्द्रीय दत्तकग्रहण स्रोत प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(8) ''भीख मांगना से,—

(i) किसी लोक स्थान पर भिक्षा की याचना करना या उसे प्राप्त करना अथवा किसी प्राइवेट परिसर में भिक्षा की याचना करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करना, चाहे वह किसी भी बहाने से हो;

(ii) भिक्षा अभिप्राप्त करने या उद्दापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति या किसी जीवजंतु का कोई व्रण, घाव, क्षति, अंग विकार या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना,

अभिप्रेत है;

(9) ''बालक का सर्वोत्तम हित'' से बालक के बारे में, उसके मूलभूत अधिकारों और आवश्यकताओं, पहचान, सामाजिक कल्याण और भौतिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास के पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए किए गए किसी विनिश्चय का आधार अभिप्रेत है;

(10) ''बोर्ड'' से धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड अभिप्रेत है;

(11) ''केन्द्रीय प्राधिकरण'' से बाल संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तकग्रहण की बाबत सहयोग संबंधी हेग कन्वेंशन (1993) के अधीन उस रूप में मान्यताप्राप्त सरकारी विभाग अभिप्रेत है;

(12) ''बालक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

(13) ''विधि का उल्लंघन करने वाला बालक'' से ऐसा बालक अभिप्रेत है, जिसके बारे में यह अभिकथन है या पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है और जिसने उस अपराध के किए जाने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

(14) ''देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक'' से ऐसा बालक अभिप्रेत है—

(i) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिसके पास जीवन निर्वाह के कोई दृश्यमान साधन नहीं है; या

(ii) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने तत्समय प्रवृत्त श्रम विधियों का उल्लंघन किया है या पथ पर भीख मांगते या वहां रहते पाया जाता है; या

(iii) जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है (चाहे वह बालक का संरक्षक हो या नहीं) और ऐसे व्यक्ति ने,—

(क) बालक को क्षति पहुंचाई है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है अथवा बालक के संरक्षण के लिए अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अतिक्रमण किया है; या

(ख) बालक को मारने, उसे क्षति पहुंचाने, उसका शोषण करने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है और उस धमकी को कार्यान्वित किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है; या

(ग) किसी अन्य बालक या बालकों का वध कर दिया है, उसके या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी या उनकी उपेक्षा या उसका या उनका शोषण किया है और प्रश्नगत बालक का उस व्यक्ति द्वारा वध किए जाने, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसका शोषण या उसकी उपेक्षा किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है; या

(iv) जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता-पिता या संरक्षक हैं, किन्तु वे उसकी देखरेख करने में, यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाए, असमर्थ हैं; या

(v) जिसके माता-पिता अथवा कोई संरक्षक है और ऐसी माता या ऐसे पिता अथवा संरक्षक को बालक की देखरेख करने और उसकी सुरक्षा तथा कल्याण की संरक्षा करने के लिए, समिति या बोर्ड द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया जाता है; या

(vi) जिसके माता-पिता नहीं हैं और कोई भी उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या जिसके माता-पिता ने उसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया है; या

(vii) जो गुमशुदा या भागा हुआ बालक है या जिसके माता-पिता, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, युक्तियुक्त जांच के पश्चात् भी नहीं मिल सके हैं; या

(viii) जिसका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, प्रपीड़न या शोषण किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या

(ix) जो असुरक्षित पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरुपयोग या अवैध व्यापार में सम्मिलित किए जाने की संभावना है; या

(x) जिसका लोकात्मा विरुद्ध अभिलाभों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या

(xi) जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या प्रभावित है; या

(xii) जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम है और जिसके माता-पिता और कुटुंब के सदस्यों, संरक्षक और अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठापन के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है;

(15) ''बालक हितैषी'' से ऐसा कोई व्यवहार, आचरण, पद्धति, प्रक्रिया, रुख, वातावरण या बर्ताव अभिप्रेत है, जो मानवीय, विचारशील और बालक के सर्वोत्तम हित में हो;

(16) ''बालक का दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होना'' से धारा 38 के अधीन सम्यक् जांच के पश्चात् समिति द्वारा उस रूप में घोषित किया गया बालक अभिप्रेत है;

(17) ''बालक कल्याण अधिकारी'' से, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा दिए गए निदेशों का ऐसे उत्तरदायित्व से, जो विहित किया जाए, पालन करने के लिए बाल गृह से जुड़ा कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(18) ''बालक कल्याण पुलिस अधिकारी'' से धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में पदाभिहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(19) ''बाल गृह'' से राज्य सरकार द्वारा, स्वयं द्वारा या किसी स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्थापित या अनुरक्षित और धारा 50 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत बाल गृह अभिप्रेत है;

(20) ''बालक न्यायालय'' से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अधीन स्थापित कोई न्यायालय या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन कोई विशेष न्यायालय, जहां कहीं विद्यमान हो, और जहां ऐसे न्यायालयों को अभिहित नहीं किया गया है, वहां इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला सेशन न्यायालय अभिप्रेत है; 2006 का 4 2012 का 32

(21) ''बालक देखरेख संस्था'' से बालगृह, खुला आश्रय, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण और उन बालकों की देखरेख और संरक्षा, जिन्हें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है, करने के लिए इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त कोई उचित सुविधा तंत्र अभिप्रेत है;

(22) ''समिति'' से धारा 27 के अधीन गठित कोई बाल कल्याण समिति अभिप्रेत है;

(23) ''न्यायालय'' से ऐसा कोई सिविल न्यायालय अभिप्रेत है जिसे दत्तकग्रहण और संरक्षकता के मामलों में अधिकारिता प्राप्त है और इसके अंतर्गत जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय भी सम्मिलित हैं;

(24) ''शारीरिक दंड'' से किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक को ऐसा शारीरिक दंड देना अभिप्रेत है जिसमें किसी अपराध के लिए प्रतिशोध के रूप में या बालक को अनुशासित करने या सुधारने के प्रयोजन के लिए जानबूझकर पीड़ा पहुंचाना अंतर्वलित है;

(25) ''बालबद्ध सेवाओं'' से संकटावस्था में बालकों के लिए चौबीस घंटे ऐसी आपातकालीन पहुंच सेवा अभिप्रेत है, जो उन्हें आपातकालीन या दीर्घकालीन देखरेख और पुनर्वास सेवा से जोड़ती हैं;

(26) ''जिला बालक संरक्षण एकक'' से किसी जिले के लिए धारा 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक बालक संरक्षण एकक अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन को और जिले में अन्य बालक संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करने का केन्द्र बिंदु हो;

(27) ''उचित सुविधा तंत्र'' से किसी सरकारी संगठन या रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा ऐसा सुविधा तंत्र उक्त प्रयोजन के लिए उचित होने के रूप में धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त है;

(28) ''योग्य व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो बालक की किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और ऐसे व्यक्ति की इस निमित्त जांच के पश्चात् पहचान कर ली गई है और उसे उक्त प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा बालक को लेने और उसकी देखरेख करने के लिए योग्य के रूप में, मान्यता प्रदान की गई;

(29) ''पोषण देखरेख'' से किसी बालक का समिति द्वारा बालक के जैविक कुटुंब से भिन्न ऐसे किसी कुटुंब के, जिसका ऐसी देखरेख करने के लिए चयन किया गया है, जिसे अर्हित घोषित किया गया है, जिसका अनुमोदन और पर्यवेक्षण किया गया है, घरेलू वातावरण में आनुकल्पिक देखरेख के प्रयोजन के लिए रखा जाना अभिप्रेत है;

(30) ''पालक कुटुंब'' से ऐसा कुटुंब अभिप्रेत है जिसे जिला बालक संरक्षण एकक द्वारा धारा 44 के अधीन पोषण देखरेख के लिए बालकों को रखने हेतु उपयुक्त पाया गया है;

(31) ''संरक्षक'' से, किसी बालक के संबंध में, उसका नैसर्गिक संरक्षक या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी वास्तविक देखरेख में, यथास्थिति, समिति या बोर्ड की राय में, वह बालक है और जिसे, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा कार्यवाहियों के दौरान संरक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है;

(32) ''सामूहिक पोषण देखरेख'' से देखरेख और संरक्षा की आवश्यकता वाले ऐसे बालकों के लिए, जिनकी पैतृक देखरेख नहीं होती है, कुटुंब जैसी ऐसी देखरेख सुविधा अभिप्रेत है, जिसका उद्देश्य कुटुंब जैसे और समुदाय आधारित समाधानों के माध्यम से व्यक्तिपरक देखरेख करने तथा संबंध और पहचान के बोध को अनुकूल बनाने का है;

1860 का 45

(33) ''जघन्य अपराध'' के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन न्यूनतम दंड सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास का है;

(34) ''अंतर-देशीय दत्तकग्रहण'' से भारत से अनिवासी भारतीय द्वारा भारतीय मूल के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी विदेशी द्वारा बालक का दत्तकग्रहण अभिप्रेत है;

(35) ''किशोर'' से अठारह वर्ष से कम आयु का बालक अभिप्रेत है;

(36) ''स्वापक ओषधि'' और ''मन:प्रभावी पदार्थ'' के क्रमश: वही अर्थ हैं, जो स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में हैं; 1985 का 61

(37) ''निराक्षेप प्रमाणपत्र'' से, अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के संबंध में, उक्त प्रयोजन के लिए केन्द्रीय दत्तकग्रहण स्रोत प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(38) ''अनिवासी भारतीय'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है और वर्तमान में एक से अधिक वर्ष से विदेश में रह रहा है;

(39) ''अधिसूचना'' से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र में या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित'' पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(40) ''संप्रेक्षण गृह'' से किसी राज्य सरकार द्वारा स्वयं या किसी स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्थापित और अनुरक्षित तथा धारा 47 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत संप्रेक्षण गृह अभिप्रेत है;

(41) ''खुला आश्रय'' से बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन स्वयं द्वारा या किसी स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से स्थापित और अनुरक्षित तथा उस धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत सुविधा तंत्र अभिप्रेत है;

(42) ''अनाथ'' से ऐसा बालक अभिप्रेत है,—

(i) जिसके जैविक या दत्तक माता-पिता या विधिक संरक्षक नहीं है; या

(ii) जिसका विधिक संरक्षक बालक की देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या देखरेख करने में समर्थ नहीं है;

(43) ''विदेशी भारतीय नागरिक'' से नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है; 1955 का 57

(44) ''भारतीय मूल के व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पारम्परिक पूर्वपुरुषों में से कोई भारतीय राष्ट्रिक है या था और जो वर्तमान में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया भारतीय मूल के व्यक्ति होने संबंधी कार्ड (पर्सन आफ इंडियन आरिजन कार्ड) धारण किए हुए है;

(45) ''छोटे अपराधों'' के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड तीन मास तक के कारावास का है; 1860 का 45

(46) ''सुरक्षित स्थान'' से ऐसा कोई स्थान या ऐसी संस्था, जो पुलिस हवालात या जेल नहीं है, अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना पृथक् रूप से की गई है या जो, यथास्थिति, किसी संप्रेक्षण गृह या किसी विशेष गृह से जुड़ी हुई है, जिसका भारसाधक व्यक्ति विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक या उल्लंघन करते पाए गए ऐसे बालकों को, बोर्ड या बालक न्यायालय, दोनों, के आदेश से जांच के दौरान या आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि और प्रयोजन के लिए दोषी पाए जाने के पश्चात् सतत् पुनर्वासन के दौरान अपनाने और उनकी देखरेख करने का इच्छुक है;

(47) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(48) ''परिवीक्षा अधिकारी'' से राज्य सरकार द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अधीन परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा जिला बालक संरक्षक एकक के अधीन नियुक्त किया गया विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारी अभिप्रेत है; 1958 का 20

(49) ''भावी दत्तक माता-पिता'' से धारा 57 के उपबंधों के अनुसार बालक के दत्तक के लिए पात्र व्यक्ति अभिप्रेत है या हैं;

(50) ''लोक स्थान'' का वही अर्थ होगा, जो अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 में है;

1956 का 104

(51) ''रजिस्ट्रीकृत'' से राज्य सरकार के प्रबंधनाधीन बालक देखरेख संस्थाओं या अभिकरणों या सुविधा तंत्रों या किसी स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन के संदर्भ में बालकों को अल्पकालिक या दीर्घकालिक आधार पर आवासीय देखरेख उपलब्ध कराने के लिए संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, बाल गृह, खुला आश्रय या विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या कोई ऐसी अन्य संस्था, जो किसी विशिष्ट आवश्यकता की अनुक्रिया में सामने आए, या धारा 41 के अधीन प्राधिकृत और रजिस्ट्रीकृत अभिकरण या सुविधा तंत्र अभिप्रेत है;

(52) ''नातेदार'' से, इस अधिनियम के अधीन दत्तक के प्रयोजन के लिए किसी बालक के संबंध में, चाचा या चाची अथवा मामा या मामी अथवा पितामह-पितामही या मातामह-मातामही अभिप्रेत है;

(53) ''राज्य अभिकरण'' से राज्य सरकार द्वारा धारा 67 के अधीन दत्तकग्रहण और संबंधित मामलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए स्थापित राज्य दत्तकग्रहण स्रोत अभिकरण अभिप्रेत है;

1860 का 45

(54) ''घोर अपराध'' के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड तीन से सात वर्ष के बीच के कारावास का है;

(55) ''विशेष किशोर पुलिस एकक'' से, यथास्थिति, किसी जिले या नगर के पुलिस बल का एकक, बालकों से संबंधित और धारा 107 के अधीन बालकों को संभालने के लिए उस रूप में अभिहित कोई अन्य पुलिस एकक, जैसे रेल पुलिस अभिप्रेत है;

(56) ''विशेष गृह'' से किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों को, जिनके बारे में जांच के माध्यम से यह पाया जाता है कि उन्होंने अपराध कारित किया है और जिन्हें बोर्ड के आदेश से ऐसी संस्था में भेजा जाता है, आवासन और पुनर्वासन संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित और धारा 48 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था अभिप्रेत है;

(57) ''विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण'' से ऐसे अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के, जिन्हें दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए समिति के आदेश द्वारा वहां रखा गया है, आवासन के लिए राज्य सरकार द्वारा या किसी स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन द्वारा स्थापित और धारा 65 के अधीन मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है;

(58) ''प्रवर्तकता'' से कुटुंबों के लिए, बालक की चिकित्सीय, शैक्षणिक और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय या अन्यथा अनुपूरक सहायता का उपबंध अभिप्रेत है;

(59) ''राज्य सरकार'' से, किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(60) ''अभ्यर्पित बालक'' से ऐसा बालक अभिप्रेत है, जिसका माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा, ऐसे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों के कारण, जो उनके नियंत्रण से परे हैं, समिति को त्यजन कर दिया गया है और समिति द्वारा उस रूप में उसे ऐसा घोषित किया गया है;

(61) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं और अन्य अधिनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में क्रमश: उनके हैं।

अध्याय 2

बालकों की देखरेख और संरक्षण के साधारण सिद्धांत

अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत।

3. यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें, बोर्ड और अन्य अभिकरण इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करते समय निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होंगे, अर्थात्:—

(i) **निर्दोषिता की उपधारणा का सिद्धांत:** किसी बालक के बारे में, अठारह वर्ष की आयु तक यह उपधारणा की जाएगी कि वह किसी असद्भावपूर्ण या आपराधिक आशय के दोषी नहीं है।

(ii) **गरिमा और योग्यता का सिद्धांत:** सभी मनुष्यों के साथ समान गरिमा और अधिकारों के साथ बर्ताव किया जाना चाहिए।

(iii) **भाग लेने का सिद्धांत:** प्रत्येक बालक को सुने जाने का और उसके हितों को प्रभावित करने वाली सभी आदेशिकाओं और विनिश्चयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है और बालक के दृष्टिकोण पर बालक की आयु और परिपक्वता को सम्यक् ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

(iv) **सर्वोत्तम हित का सिद्धांत:** बालक के संबंध में सभी विनिश्चय मुख्यतया इस विचारणा पर आधारित होंगे कि वे बालक के सर्वोत्तम हित में हैं और बालक के लिए अपनी पूर्ण शक्तता को विकसित करने में सहायक हैं।

(v) **कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत:** बालक की देखरेख, उसका पोषण और उसको संरक्षण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक कुटुंब या, यथास्थिति, दत्तक अथवा पालक माता-पिता की है।

(vi) **सुरक्षा का सिद्धांत:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालक सुरक्षित है और देखरेख तथा संरक्षण-पद्धति के संपर्क में रहते हुए और उसके पश्चात् उसकी कोई अपहानि, उससे दुर्व्यवहार या बुरा बर्ताव नहीं किया जाता है, सभी उपाय किए जाने चाहिएं।

(vii) **सकारात्मक उपाय:** सभी स्रोतों को, इसके अंतर्गत वे भी हैं जो कुटुंब और समुदाय के हैं, कल्याण की प्रोन्नति, पहचान के विकास को सुकर बनाने और बालकों की असुरक्षा को कम करने के लिए समावेशित और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराने और इस अधिनियम के अधीन मध्यक्षेप की आवश्यकता के लिए गतिमान किया जाना चाहिए।

(viii) **गैर-कलंकीय शब्दार्थों का सिद्धांत:** किसी बालक से तात्पर्यित आदेशिकाओं में प्रतिकूल या अभियोगात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(ix) **अधिकारों का अधित्यजन न किए जाने का सिद्धांत:** बालक के किसी अधिकार का किसी भी प्रकार का अधित्यजन अनुज्ञेय या विधिमान्य नहीं है चाहे उसकी ईप्सा बालक द्वारा की गई हो या बालक की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति या किसी बोर्ड या समिति द्वारा की गई हो और किसी मूल अधिकार का प्रयोग न किया जाना अधित्यजन की कोटि में नहीं आएगा।

(x) **समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत:** किसी बालक के विरुद्ध किसी भी आधार पर, जिसके अंतर्गत लिंग, जाति, नस्ल, जन्म-स्थान, नि:शक्तता भी है, किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा और पहुंच, अवसर और बर्ताव में समानता प्रत्येक बालक को दी जाएगी।

(xi) **एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत:** प्रत्येक बालक को सभी साधनों द्वारा और संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में अपनी एकांतता और गोपनीयता की संरक्षा करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(xii) **अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थात्मकता का सिद्धांत:** बालक को युक्तियुक्त जांच करने के पश्चात् अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थागत देखरेख में रखा जाएगा।

(xiii) **संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत:** किशोर न्यायिक पद्धति में प्रत्येक बालक को शीघ्रातिशीघ्र अपने कुटुंब से पुन: मिलाने का और उसी सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रास्थिति में, जिसमें वह इस अधिनियम के क्षेत्राधीन आने के पूर्व रहता था, प्रत्यावर्तित होने का, जब तक कि ऐसा प्रत्यावर्तन और संप्रत्यावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में हो, अधिकार प्राप्त होगा।

(xiv) **नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत:** किशोर न्याय पद्धति के अधीन किसी बालक के पिछले सभी अभिलेख को, विशेष परिस्थितियों के सिवाय, समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(xv) **अपयोजन का सिद्धांत:** विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से न्यायिक कार्यवाहियों का अवलंब लिए बिना, जब तक कि वह बालक या संपूर्ण समाज के सर्वोत्तम हित में न हो, निपटने के उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(xvi) **नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत:** इस अधिनियम के अधीन न्यायिक हैसियत में कार्य करते हुए सभी व्यक्तियों या निकायों द्वारा ऋजुता के बुनियादी प्रक्रियात्मक मानकों का, जिनके अंतर्गत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, पक्षपात के विरुद्ध नियम और पुनर्विलोकन का अधिकार भी है, पालन किया जाना चाहिए।

अध्याय 3

किशोर न्यायिक बोर्ड

1974 का 2

4. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्डों को, इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, स्थापित करेगी। किशोर न्यायिक बोर्ड।

(2) बोर्ड एक ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान मजिस्ट्रेट कहा गया है) न हो, जिसके पास कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो और दो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बनेगा जिनका चयन ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए और उनमें से कम से कम एक महिला होगी। यह एक न्यायपीठ का रूप लेगा और ऐसी न्यायपीठ को वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा, यथास्थिति, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की गई हैं।

1974 का 2

(3) किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त तभी किया जाएगा जब ऐसा व्यक्ति कम से कम सात वर्ष तक बालकों से तात्पर्यित स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से अंतर्वलित हो या बाल मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि में डिग्री सहित व्यवसायरत वृत्तिक हो।

(4) कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि,—

(i) उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकार्ड है;

(ii) उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है;

(iii) उसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है;

(iv) वह कभी बालक दुर्व्यवहार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।

(5) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सदस्यों, जिनके अंतर्गत बोर्ड में का प्रधान मजिस्ट्रेट भी है, का देखरेख, संरक्षण, पुनर्वासन, बालकों के लिए विधिक उपबंधों और न्याय के संबंध में ऐसा समावेशन, प्रशिक्षण और संवेदीकरण, जो विहित किया जाए, उसकी नियुक्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर अधिष्ठापन किया जाए।

(6) बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और वह रीति जिसमें ऐसा सदस्य त्यागपत्र दे सकेगा, ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(7) बोर्ड के किसी सदस्य की, प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय, नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात् समाप्त किया जा सकता है, यदि वह सदस्य—

(i) इस अधिनियम के अधीन निहित की गई शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है; या

(ii) बोर्ड की कार्यवाहियों में बिना किसी विधिमान्य कारण के लगातार तीन मास तक भाग लेने में असफल रहता है; या

(iii) किसी वर्ष में तीन-चौथाई से कम बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है; या

(iv) सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान उपधारा (4) के अधीन अपात्र हो जाता है।

उस व्यक्ति का स्थानन, जो जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रह जाता है।

5. जहां किसी बालक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन जांच आरंभ कर दी गई है और ऐसी जांच के दौरान वह बालक अठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है वहां, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड द्वारा जांच जारी रखी जा सकेगी और उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश इस रूप में पारित किए जा सकेंगे मानो ऐसा व्यक्ति अभी भी बालक है।

उस व्यक्ति का स्थानन, जिसने अपराध तब किया था जब वह व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का था।

6. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है और उसे उस समय जब वह अठारह वर्ष की आयु से नीचे का था, किसी अपराध को करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, यदि उसे बोर्ड द्वारा जमानत पर छोड़ा नहीं जाता है, जांच की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार माना जाएगा।

बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया।

7. (1) बोर्ड ऐसे समयों पर अपनी बैठकें करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के बारे में ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा, जो विहित किए जाएं, और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रियाएं बाल हितैषी हों और यह कि वह स्थान बालक को अभित्रास करने वाला अथवा नियमित न्यायालय के समान न हो।

(2) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को बोर्ड के, जब बोर्ड की कोई बैठक न हो, किसी व्यष्टिक सदस्य के समक्ष पेश किया जा सकेगा।

(3) बोर्ड, बोर्ड के किसी सदस्य के अनुपस्थित होते हुए भी कार्य कर सकेगा और बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगा:

परंतु मामले के अंतिम निपटारे के समय या धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश करने में कम से कम दो सदस्य, जिसके अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी है, उपस्थित रहेंगे।

(4) बोर्ड के सदस्यों के बीच अंतरिम या अंतिम निपटारे में कोई मतभेद होने की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी, किंतु जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अभिभावी होगी।

बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और उत्तरदायित्व।

8. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय किसी जिले के लिए गठित बोर्ड को विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड के अधिकारिता क्षेत्र में सभी कार्यवाहियों को अनन्य रूप से निपटाने की शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय और बालक न्यायालय द्वारा भी तब जब कार्यवाहियां अपील, पुनरीक्षण में या अन्यथा धारा 19 के अधीन उसके समक्ष आती हैं, किया जा सकेगा।

(3) बोर्ड के कृत्यों और उत्तरदायित्वों के अंतर्गत निम्नलिखित भी आएंगे—

(क) प्रक्रिया के प्रत्येक क्रम पर बालक और माता-पिता या संरक्षक की सूचनाबद्ध सहभागिता को सुनिश्चित करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि बालक के अधिकारों की, बालक की गिरफ्तारी, जांच, पश्चात्वर्ती देखरेख और पुनर्वासन की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान, संरक्षा हो;

(ग) विधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से बालक के लिए विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(घ) बालक को बोर्ड, जब कभी आवश्यक हो, यदि वह कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा को समझने में असमर्थ है, दुभाषिया या अनुवादक, जिसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हो, ऐसी फीस का, जो विहित की जाए, संदाय करने पर उपलब्ध कराएगा;

(ङ) परिवीक्षा अधिकारी या यदि परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी या किसी सामाजिक कार्यकर्ता को मामले का सामाजिक अन्वेषण करने और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, उन परिस्थितियों को अभिनिश्चित करने के लिए, जिनमें अभिकथित अपराध किया गया था, उसके बोर्ड के समक्ष प्रथम बार पेश किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का निदेश देना;

(च) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों का धारा 14 में विनिर्दिष्ट जांच की प्रक्रिया के अनुसार न्यायनिर्णयन और निपटारा करना;

(छ) विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित बालकों से, जिनके बारे में यह कथन किया गया है कि किसी प्रक्रम पर देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, संबंधित मामलों को, इसके द्वारा इस बात को मानते हुए कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक तत्समय देखरेख की आवश्यकता वाला बालक हो सकता है समिति और बोर्ड, दोनों के उसमें अन्तर्वलित होने की आवश्यकता है, समिति को अंतरित करना;

(ज) मामले का निपटारा करना और अंतिम आदेश पारित करना जिसके अन्तर्गत बालक के पुनर्वास के लिए व्यष्टिक देखरेख योजना भी है, जिसके अन्तर्गत परिवीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षण एकक या किसी गैर, सरकारी संगठन के सदस्य द्वारा ऐसी अनुवर्ती कार्रवाई भी है जो अपेक्षित हो;

(झ) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की देखरेख के बारे में ''योग्य व्यक्ति'' घोषित करने के लिए जांच करना;

(ञ) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए आवासीय सुविधाओं का प्रत्येक मास कम से कम एक निरीक्षण दौरा करना और सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए जिला बालक संरक्षण एकक और राज्य सरकार को कार्रवाई की सिफारिश करना;

(ट) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के विरुद्ध, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कारित अपराधों के संबंध में, इस बारे में की गई किसी शिकायत पर, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने का पुलिस को आदेश देना;

(ठ) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक के विरुद्ध इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कारित अपराधों के संबंध में इस बारे में समिति द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने का पुलिस को आदेश देना;

(ड) इस बात की जांच करने के लिए कि क्या वयस्कों के लिए बनी जेलों में कोई बालक डाला गया है, उन जेलों का नियमित निरीक्षण करना और ऐसे बालक को संप्रेक्षण गृह में स्थानांतरित किए जाने के तत्काल उपाय करना; और

(ढ) कोई अन्य कृत्य, जो विहित किया जाए।

ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया जिसे इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है।

9. (1) जब किसी मजिस्ट्रेट की जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं है, यह राय है कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने अपराध किया है, और उसके समक्ष लाया गया है, कोई बालक है तो वह ऐसी राय को अविलंब अभिलेखबद्ध करेगा और उस बालक को तत्काल ऐसी कार्यवाही के अभिलेख के साथ कार्यवाहियों पर अधिकारिता रखने वाले बोर्ड को भेजेगा।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने अपराध किया है, बोर्ड से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष यह दावा करता है कि वह व्यक्ति बालक है या अपराध के किए जाने की तारीख को बालक था, या यदि न्यायालय की स्वयं यह राय है कि वह व्यक्ति अपराध के किए जाने की तारीख को बालक था, तो उक्त न्यायालय उस व्यक्ति की आयु की अवधारणा करने के लिए ऐसी जांच करेगा, ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (किन्तु शपथपत्र नहीं) और उस व्यक्ति की यथासंभव निकटतम आयु का कथन करते हुए मामले के निष्कर्ष अभिलिखित करेगा:

परन्तु ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय के समक्ष किया जा सकेगा और उसको किसी भी प्रक्रम पर, मामले का अंतिम निपटारा हो जाने के पश्चात् भी, स्वीकार किया जाएगा और उस दावे का अवधारण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, भले ही वह व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पूर्व बालक न रह गया हो।

(3) यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वह ऐसे अपराध के किए जाने की तारीख को बालक था, तो वह उस बालक को बोर्ड के पास, समुचित आदेश पारित करने के लिए भेजेगा और न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के, यदि कोई हो, बारे में यह समझा जाएगा कि उसका कोई प्रभाव नहीं है।

(4) यदि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को, जब उस व्यक्ति के बालक होने के दावे की जांच की जा रही है, संरक्षात्मक अभिरक्षा में रखा जाना अपेक्षित है, तो उस व्यक्ति को उस अंत:कालीन अवधि में सुरक्षित स्थान में रखा जा सकेगा।

अध्याय 4

विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया

विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी।

10. (1) जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तभी ऐसे बालक को विशेष किशोर पुलिस एकक या अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा, जो बालक को अविलंब, किंतु उस स्थान से, जहां से ऐसे बालक की गिरफ्तारी हुई थी, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश करेगा:

परंतु किसी भी दशा में विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को, पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा या जेल में नहीं डाला जाएगा।

(2) राज्य सरकार,—

(i) उन व्यक्तियों के लिए उपबंध करने के लिए जिनके द्वारा (जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन भी है) विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक को बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकेगा;

(ii) उस रीति का उपबंध करने के लिए जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को, यथास्थिति, किसी संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान में भेजा जा सकेगा,

इस अधिनियम से संगत नियम बनाएगी।

ऐसे व्यक्ति की भूमिका, जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक रखा गया है।

11. ऐसे व्यक्ति की, जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा जाता है, जब आदेश प्रवर्तन में हो, उक्त बालक की जिम्मेदारी इस प्रकार होगी मानो उक्त व्यक्ति बालक का माता-पिता था और बालक के भरणपोषण के लिए उत्तरदायी था:

परंतु तब के सिवाय, जब बोर्ड की यह राय है कि माता-पिता या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे बालक का प्रभार लेने के लिए योग्य है, इस बात के होते हुए भी कि उक्त बालक का माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया गया है, बालक बोर्ड द्वारा कथित अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति के प्रभार में बना रहेगा।

ऐसे व्यक्ति की जमानत जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक है।

12. (1) जब कोई ऐसा व्यक्ति, जो दृश्यमान रूप से एक बालक है और जिसने अभिकथित जमानतीय या अजमानतीय अपराध किया है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या बोर्ड के समक्ष उपसंजात होता है या लाया जाता है, तब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति को प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा या उसे किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षाधीन या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जाएगा: 1974 का 2

परंतु ऐसे व्यक्ति को तब इस प्रकार छोड़ा नहीं जाएगा जब यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हैं कि उस व्यक्ति को छोड़े जाने से यह संभाव्य है कि उसका संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी से होगा या उक्त व्यक्ति नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा या उस व्यक्ति के छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा, और बोर्ड जमानत देने से इंकार करने के कारणों को और ऐसा विनिश्चय लेने से संबंधित परिस्थितियों को अभिलिखित करेगा।

(2) जब गिरफ्तार किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संरक्षण गृह में केवल तब तक के लिए रखवाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति को बोर्ड के समक्ष न लाया जा सके।

(3) जब ऐसा व्यक्ति, बोर्ड द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब वह ऐसे व्यक्ति के बारे में जांच के लंबित रहने के दौरान ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उसे यथास्थिति, संप्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान में भेजने के लिए आदेश करेगा।

(4) जब विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक, जमानत के आदेश के सात दिन के भीतर जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो ऐसे बालक को जमानत की शर्तों के उपांतरण के लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।

माता-पिता, संरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को इत्तिला।

13. जहां विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक को गिरफ्तार किया जाता है वहां उस पुलिस थाने या विशेष किशोर पुलिस एकक का बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पदाभिहित अधिकारी, जिसके पास ऐसा बालक लाया जाता है, बालक की गिरफ्तारी के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र—

(i) ऐसे बालक के माता-पिता या संरक्षक को, यदि उनका पता चलता है, इत्तिला देगा और उन्हें निदेश देगा कि वे उस बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों जिसके समक्ष बालक को पेश किया जाएगा; और

(ii) परिवीक्षा अधिकारी को, या यदि कोई परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी को, दो सप्ताह के भीतर एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, जिसमें बालक के पूर्ववृत्त और कौटुम्बिक पृष्ठभूमि के बारे में तथा अन्य ऐसी तात्विक परिस्थितियों के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट होगी, जिनके बारे में यह संभाव्य है कि वे जांच करने में बोर्ड के लिए सहायक होगी, तैयार करने और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए इत्तिला देगा।

(2) जहां बालक को जमानत पर छोड़ दिया जाता है वहां बोर्ड द्वारा, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी को इत्तिला दी जाएगी।

विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच।

14. (1) जहां विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक, बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, वहां बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करेगा और ऐसे बालक के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह इस अधिनियम की धारा 17 और धारा 18 के अधीन ठीक समझे।

(2) इस धारा के अधीन कोई जांच, बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर, जब तक कि बोर्ड द्वारा, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे विस्तारण के लिए लिखित में कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् दो और मास की अधिकतम अवधि के लिए उक्त अवधि विस्तारित नहीं की गई हो, पूरी की जाएगी।

(3) बोर्ड द्वारा, धारा 15 के अधीन जघन्य अपराधों की दशा में प्रारंभिक निर्धारण, बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(4) यदि बोर्ड द्वारा, छोटे अपराधों के लिए उपधारा (2) के अधीन जांच, विस्तारित अवधि के पश्चात् भी अनिर्णायक रहती है तो कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी:

परंतु घोर या जघन्य अपराधों के लिए यदि बोर्ड, जांच पूरी करने के लिए समय और बढ़ाने की अपेक्षा करता है तो, यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसे प्रदान करेगा।

(5) बोर्ड, ऋजु और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:—

(क) जांच प्रारंभ करते समय बोर्ड अपना यह समाधान करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत वकील या परिवीक्षा अधिकारी भी है, कोई दुर्व्यवहार न किया गया हो और वह ऐसे दुर्व्यवहार के मामले में सुधारात्मक उपाय करेगा;

(ख) इस अधिनियम के अधीन सभी मामलों में, कार्यवाहियां यथासंभव साधारण रीति से की जाएंगी और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि ऐसे बालक को, जिसके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं, कार्यवाहियों के दौरान बाल हितैषी वातावरण उपलब्ध करवाया जाए;

(ग) बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक बालक को जांच में सुनवाई का और भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा;

(घ) छोटे अपराधों वाले मामलों का निपटारा बोर्ड द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड द्वारा संक्षिप्त कार्यवाहियों के माध्यम से किया जाएगा; 1974 का 2

(ङ) बोर्ड द्वारा घोर अपराधों की जांच का निपटारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन समन मामलों का विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए किया जाएगा; 1974 का 2

(च) (i) अपराध किए जाने की तारीख को सोलह वर्ष से कम आयु के बालक के संबंध में जघन्य अपराधों की जांच बोर्ड द्वारा खंड (ङ) के अधीन निपटाई जाएगी;

(ii) अपराध किए जाने की तारीख को सोलह वर्ष से अधिक आयु के बालक के संबंध में धारा 15 के अधीन विहित रीति से की जाएगी।

बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण।

15. (1) किसी जघन्य अपराध की दशा में, जो अभिकथित रूप से किसी ऐसे बालक द्वारा किया गया है, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो सोलह वर्ष से अधिक आयु का है, बोर्ड, ऐसा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और वे परिस्थितियां, जिनमें अभिकथित रूप से उसने अपराध किया था, के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा और धारा 18 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा:

परन्तु ऐसे निर्धारण के लिए बोर्ड, अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक निर्धारण कोई विचारण नहीं है बल्कि उस बालक के अभिकथित अपराध के किए जाने और उसके परिणामों को समझने के सामर्थ्य को निर्धारित करना है।

(2) जहां प्रारंभिक निर्धारण करने पर बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि मामले का निपटारा बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए तो बोर्ड, यथाशक्य, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन समन मामले के विचारण से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा: 1974 का 2

परंतु बोर्ड का मामले का निपटारा करने का आदेश धारा 101 की उपधारा (2) के अधीन अपीलनीय होगा:

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन निर्धारण, धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

जांच के लंबित होने का पुनर्विलोकन।

16. (1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, प्रत्येक तीन मास में एक बार बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करेगा और बोर्ड को, अपनी बैठकों की आवृत्ति बढ़ाने का निदेश देगा या अतिरिक्त बोर्डों का गठन करने की सिफारिश कर सकेगा।

(2) बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की संख्या, ऐसे लंबित रहने की अवधि, लंबित रहने की प्रकृति और उसके कारणों का एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक छह मास में पुनर्विलोकन किया जाएगा, जो राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष, जो उसका अध्यक्ष होगा, गृह सचिव, राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सचिव और अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि से मिलकर गठित होगी।

(3) बोर्ड द्वारा, तिमाही आधार पर, ऐसे लंबित रहने की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को भी ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, दी जाएगी।

विधि का उल्लंघन न करते पाए गए बालक के बारे में आदेश।

17. (1) जहां बोर्ड का जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लाए गए बालक ने कोई अपराध नहीं किया है तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी बोर्ड उस प्रभाव का आदेश पारित करेगा।

(2) यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो वह बालक को समुचित निदेशों के साथ समिति को निर्दिष्ट कर सकेगा।

विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक के बारे में निदेश।

18. (1) जहां बोर्ड का जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि बालक ने, आयु को विचार में लाए बिना कोई छोटा अपराध या कोई घोर अपराध किया है; या सोलह वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी और अपराध की प्रकृति, पर्यवेक्षण या मध्यक्षेप की विशिष्ट आवश्यकता ऐसी परिस्थितियों, जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में बताई गई हैं, और बालक के पूर्व आचरण के आधार पर बोर्ड यदि ऐसा करना ठीक समझता है तो वह,—

(क) बालक को, समुचित जांच के पश्चात् और ऐसे बालक, तथा उसके माता-पिता या संरक्षक को परामर्श देने के पश्चात्, उपदेश या भर्त्सना के पश्चात् घर जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा;

(ख) बालक को सामूहिक परामर्श और ऐसे ही क्रियाकलापों में भाग लेने का निदेश दे सकेगा;

(ग) बालक को किसी संगठन या संस्थान अथवा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए विनिर्दिष्ट व्यक्ति, व्यक्तियों या व्यक्ति समूह के पर्यवेक्षणाधीन सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकेगा;

(घ) बालक या बालक के माता-पिता या संरक्षक को जुर्माने का संदाय करने का आदेश दे सकेगा:

परंतु यदि बालक कार्यरत है तो वह यह सुनिश्चित कर सकेगा कि तत्समय प्रवृत्त किसी श्रम विधि के उपबंधों का उल्लंघन न हुआ हो;

(ङ) बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखने का निदेश, ऐसे माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति द्वारा बालक के सदाचार और उसकी भलाई के लिए बोर्ड की अपेक्षानुसार प्रतिभू सहित या रहित तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर, दे सकेगा;

(च) बालक के सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और बालक के सदाचार और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए किसी उचित सुविधा तंत्र की देखरेख और पर्यवेक्षण में रखने का निदेश तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए दे सकेगा;

(छ) बालक को तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, विशेष गृह में ठहरने की कालावधि के दौरान सुधारात्मक सेवाएं देने के लिए, जिनके अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श देना व्यवहार उपांतरण चिकित्सा और मनश्चिकित्सीय सहायता भी है, विशेष गृह में भेजने का निदेश दे सकेगा:

परंतु यदि बालक का आचरण और व्यवहार ऐसा हो गया है जो बालक के हित में या विशेष गृह में रहने वाले अन्य बालकों के हित में नहीं होगा तो बोर्ड, ऐसे बालक को सुरक्षित स्थान पर भेज सकेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (छ) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है तो बोर्ड—

(i) विद्यालय में हाजिर होने; या

(ii) किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में हाजिर होने; या

(iii) किसी चिकित्सा केंद्र में हाजिर होने; या

(iv) किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर बारंबार जाने या हाजिर होने से बालक को प्रतिषिद्ध करने; या

(v) व्यसनमुक्ति कार्यक्रम में भाग लेने,

का अतिरिक्त आदेश पारित कर सकेगा।

(3) जहां बोर्ड, धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात् यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक का, वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है वहां बोर्ड मामले के विचारण को ऐसे अपराधों के विचारण की अधिकारिता वाले बालक न्यायालय को अंतरित करने का आदेश दे सकेगा।

बालक न्यायालय की शक्तियां।

19. (1) धारा 15 के अधीन बोर्ड से प्रारंभिक निर्धारण प्राप्त होने के पश्चात् बालक न्यायालय यह विनिश्चय कर सकेगा कि:—

(i) बालक का दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है और वह विचारण के पश्चात्, इस धारा और धारा 21 के 1974 का 2

उपबंधों के अधीन रहते हुए, बालक की विशेष आवश्यकताओं, ऋजु विचारण के सिद्धान्तों पर विचार करते हुए तथा बालक हितैषी वातावरण बनाए रखते हुए समुचित आदेश पारित कर सकेगा;

(ii) वयस्क के रूप में बालक के विचारण की कोई आवश्यकता नहीं है और बोर्ड के रूप में जांच की जा सकती है तथा धारा 18 के उपबंधों के अनुसार समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

(2) बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से संबंधित अंतिम आदेश में बालक के पुनर्वासन के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना को सम्मिलित किया जाएगा जिसके अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण एकक या किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई भी है।

(3) बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक को, जो विधि का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, इक्कीस वर्ष की आयु का होने तक सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए और तत्पश्चात् उक्त व्यक्ति को जेल में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा:

परंतु बालक को, सुरक्षित स्थान पर उसके ठहरने की कालावधि के दौरान, सुधारात्मक सेवाएं जिनके अंतर्गत शैक्षणिक सेवाएं, कौशल विकास, परामर्श देने, व्यवहार उपांतरण चिकित्सा जैसी वैकल्पिक चिकित्सा और मनश्चिकित्सीय सहायता भी है, उपलब्ध करवाई जाएंगी।

(4) बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षित स्थान पर बालक की प्रगति का मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालक से वहां किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, यथा अपेक्षित परिवीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षण एकक या सामाजिक कार्यकर्त्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष एक आवधिक अनुवर्ती रिपोर्ट दी जाए।

(5) उपधारा (4) के अधीन दी गई रिपोर्ट अभिलेख और अनुवर्तन के लिए जैसा अपेक्षित हो, बालक न्यायालय को भेजी जाएगी।

बालक, जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अभी भी सुरक्षित स्थान में ठहरने की विहित अवधि को पूरा करना है।

20. (1) जब विधि का उल्लंघन करने वाला बालक इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और अभी भी ठहरने की अवधि पूरी करनी है तो बालक न्यायालय, इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कि क्या ऐसे बालक में सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं और क्या ऐसा बालक समाज का योगदान करने वाला सदस्य हो सकता है, परिवीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षण एकक या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा या अपने स्वयं के द्वारा जैसा अपेक्षित हो, अनुवर्ती कार्रवाई के लिए व्यवस्था करेगा और इस प्रयोजन के लिए, धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन सुसंगत विशेषज्ञों के मूल्यांकन के साथ बालक के प्रगति अभिलेख को विचार में लिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् बालक न्यायालय,—

(i) ऐसी शर्तों पर, जो ठीक समझी जाएं, जिनके अंतर्गत ठहरने की विहित अवधि के शेष भाग के लिए मानीटरी प्राधिकारी की नियुक्ति भी है, बालक को छोड़े जाने का विनिश्चय कर सकेगा;

(ii) यह विनिश्चय कर सकेगा कि बालक अपनी शेष अवधि जेल में पूरा करेगा:

परंतु प्रत्येक राज्य सरकार मानीटरी प्राधिकारियों और ऐसी मानीटरी प्रक्रियाओं की, जो विहित की जाएं एक सूची रखेगी।

आदेश, जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध पारित न किया जा सकेगा।

1860 का 45

21. विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बिना मृत्यु या आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दिया जाएगा।

दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन की कार्यवाही का बालक के विरुद्ध लागू न होना।

1974 का 2

22. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में या तत्समय प्रवृत्त किसी निवारक निरोध विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी बालक के विरुद्ध उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन न कोई कार्यवाही संस्थित की जाएगी और न ही कोई आदेश पारित किया जाएगा।

विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक और ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है, संयुक्त कार्यवाहियों का न होना।

23. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 223 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में 1974 का 2
किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक के साथ किसी ऐसे व्यक्ति की, जो बालक नहीं है, संयुक्त कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।

(2) यदि बोर्ड द्वारा या बालक न्यायालय द्वारा जांच के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि वह बालक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का किसी बालक के साथ विचारण नहीं किया जाएगा।

किसी अपराध के निष्कर्षों के आधार पर निरर्हताओं का हटाया जाना।

24. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बालक, जिसने कोई अपराध किया है और जिसके बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जा चुकी है किसी ऐसी निरर्हता से, यदि कोई हो, ग्रस्त नहीं होगा, जो ऐसी विधि के अधीन किसी अपराध की दोषसिद्धि से संलग्न हो:

परंतु उस बालक की दशा में, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो सोलह वर्ष से अधिक आयु का है और बालक न्यायालय की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन उसके बारे में यह निष्कर्ष है कि उसने विधि का उल्लंघन किया है, उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(2) बोर्ड, पुलिस को या बालक न्यायालय या अपनी स्वयं की रजिस्ट्री को यह निदेश देते हुए आदेश देगा कि ऐसी दोषसिद्धि के सुसंगत अभिलेख, यथास्थिति, अपील की अवधि या ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जो विहित की जाए, समाप्त होने के पश्चात् नष्ट कर दिए जाएंगे:

परंतु किसी जघन्य अपराध की दशा में, जहां बालक के बारे में यह पाया जाता है कि उसने धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन विधि का उल्लंघन किया है, ऐसे बालक की दोषसिद्धि के सुसंगत अभिलेखों को बालक न्यायालय द्वारा प्रतिधारित रखा जाएगा।

लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध।

25. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित या विधि का उल्लंघन करते हुए पाए गए किसी बालक के बारे में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियां उस बोर्ड या न्यायालय में वैसे ही चालू रहेंगी मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया है।

विधि का उल्लंघन करने वाले भगोड़े बालक की बाबत उपबंध।

26. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी, विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालक का प्रभार ले सकेगा जो विशेष गृह या संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान से या किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था की देखरेख से, जिसके अधीन उस बालक को इस अधिनियम के अधीन रखा गया था, भगोड़ा हो गया है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बालक को, चौबीस घंटे के भीतर अधिमानत: उस बोर्ड के समक्ष, जिसने उस बालक की बाबत मूल आदेश पारित किया था, यदि संभव हो, या उस निकटतम बोर्ड के समक्ष, जहां बालक पाया जाता है, पेश किया जाएगा।

(3) बोर्ड बालक के निकल भागने के कारणों को सुनिश्चित करेगा और बालक को उस संस्था या उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से बालक भाग निकला था, या वैसे ही किसी अन्य स्थान या व्यक्ति को, जिसे बोर्ड ठीक समझे, वापस भेजे जाने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा:

परंतु बोर्ड किन्हीं विशेष उपायों की बाबत, जो बालक के सर्वोत्तम हित में आवश्यक समझे जाएं, अतिरिक्त निदेश भी दे सकेगा।

(4) ऐसे बालक के बारे में कोई अतिरिक्त कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।

अध्याय 5

बाल कल्याण समिति

बाल कल्याण समिति।

27. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के संबंध में एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का, ऐसी समितियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए

गठन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि समिति के सभी सदस्यों के अधिष्ठापन, प्रशिक्षण और संवेदनशीलता की, अधिसूचना की तारीख से दो मास के भीतर व्यवस्था की जाए।

(2) समिति, एक अध्यक्ष और चार ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे और उनमें से कम से कम एक महिला होगी और दूसरा बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होगा।

(3) जिला बालक संरक्षण एकक एक सचिव और उतने अन्य कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगा, जितने समिति को उसके प्रभावी कार्यकरण हेतु सचिवालयिक सहायता के लिए अपेक्षित हों।

(4) किसी व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा व्यक्ति कम से कम सात वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण संबंधी कार्यकलापों में सक्रिय रूप से अंतर्वलित न हो या बाल मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या समाज विज्ञान अथवा मानव विकास में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यवसायी न हो।

(5) किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास ऐसी अर्हताएं न हों, जो विहित की जाएं।

(6) किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(7) राज्य सरकार द्वारा समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति, जांच किए जाने के पश्चात् समाप्त कर दी जाएगी, यदि—

(i) वह इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया हो;

(ii) वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है;

(iii) वह, किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष में कम से कम तीन चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।

(8) जिला मजिस्ट्रेट, समिति के कार्यकरण का तिमाही पुनर्विलोकन करेगा।

1974 का 2

(9) समिति न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा, यथास्थिति महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

(10) जिला मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति का शिकायत निवारण प्राधिकारी होगा और बालक से संबंधित कोई व्यक्ति, जिला मजिस्ट्रेट को अर्जी फाइल कर सकेगा जो उस पर विचार करेगा और समुचित आदेश पारित करेगा।

समिति के संबंध में प्रक्रिया।

28. (1) समिति, एक मास में कम से कम बीस बैठकें करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार की बाबत ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगी, जो विहित की जाएं।

(2) समिति द्वारा, किसी विद्यमान बाल देखरेख संस्था का, उसके कार्यकरण की जांच पड़ताल करने और बालकों की भलाई के लिए किया गया दौरा समिति की बैठक के रूप में माना जाएगा।

(3) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक को बाल गृह में या उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे जाने के लिए, तब जब समिति सत्र में न हो, समिति के व्यष्टिक सदस्य के सामने पेश किया जा सकेगा।

(4) किसी विनिश्चय के समय समिति के सदस्यों के बीच मतभेद की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी, किंतु जहां ऐसा बहुमत नहीं है वहां अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी।

(5) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए समिति, समिति के किसी सदस्य के अनुपस्थित रहते हुए भी कार्रवाई कर सकेगी और समिति द्वारा किया गया कोई आदेश, कार्यवाही के किसी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा:

परंतु मामले के अंतिम निपटान के समय कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होंगे।

समिति की शक्तियां।

29. (1) समिति का, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों का निपटारा करने और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तथा संरक्षण के लिए उपबंध करने का प्राधिकार होगा।

(2) जहां किसी क्षेत्र के लिए समिति का गठन किया गया है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, ऐसी समिति को, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के संबंध में अनन्यत: कार्य करने की शक्ति होगी।

समिति के कृत्य और उत्तरदायित्व।

30. समिति के कृत्यों और उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

(i) उसके समक्ष पेश किए गए बालकों का संज्ञान लेना और उन्हें ग्रहण करना;

(ii) इस अधिनियम के अधीन बालकों की सुरक्षा और भलाई से संबंधित और उसको प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों की जांच करना;

(iii) बालक कल्याण अधिकारियों या परिवीक्षा अधिकारियों या जिला बालक संरक्षण एकक या गैर-सरकारी संगठनों को सामाजिक अन्वेषण करने और समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश देना;

(iv) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख करने हेतु ''योग्य व्यक्ति'' की घोषणा करने के लिए जांच करना;

(v) पोषण देखरेख के लिए किसी बालक के स्थानन का निदेश देना;

(vi) बाल व्यष्टिक देखरेख योजना पर आधारित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, समुचित पुनर्वास या प्रत्यावर्तन को सुनिश्चित करना और इस संबंध में माता-पिता या संरक्षक या योग्य व्यक्ति या बाल गृहों या उपयुक्त सुविधा तंत्र के लिए आवश्यक निदेश पारित करना;

(vii) संस्थागत सहायता की अपेक्षा वाले प्रत्येक बालक के स्थानन के लिए, बालक की आयु, लिंग, निर्योग्यता और आवश्यकताओं पर आधारित तथा संस्था की उपलब्ध क्षमता को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकृत संस्था का चयन करना;

(viii) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के आवासिक सुविधाओं का प्रत्येक मास में कम से कम दो बार निरीक्षण दौरा करना और जिला बालक संरक्षण एकक और राज्य सरकार को सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करने के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश करना;

(ix) माता-पिता द्वारा अभ्यर्पण विलेख के निष्पादन को प्रमाणित करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें विनिश्चय पर पुन:विचार करने और कुटुंब को एक साथ रखने हेतु सभी प्रयास करने का समय दिया गया है;

(x) यह सुनिश्चित करना कि ऐसी सम्यक् प्रक्रिया का, जो विहित की जाए, अनुसरण करते हुए परित्यक्त या खोए हुए बालकों का, उनके कुटुंबों को प्रत्यावर्तन करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं;

(xi) अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक की सम्यक् जांच के पश्चात् दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से मुक्त होने की घोषणा;

(xii) मामलों का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना और ऐसे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों तक पहुंचना, जिन्हें समिति के समक्ष पेश नहीं किया गया है, परंतु ऐसा तब जब ऐसा विनिश्चय कम से कम तीन सदस्यों द्वारा लिया गया हो;

(xiii) लैंगिक रूप से दुर्व्यवहार से ग्रस्त ऐसे बालकों के पुनर्वास के लिए कार्रवाई करना जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन, यथास्थिति, विशेष किशोर पुलिस एकक या स्थानीय पुलिस द्वारा समिति को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के रूप में ज्ञापित है; 2012 का 32

(xiv) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मामलों में कार्रवाई करना;

(xv) जिला बालक संरक्षण एकक या राज्य सरकार के समर्थन से बालकों की देखरेख और संरक्षण में अंतर्वलित पुलिस, श्रम विभाग और अभिकरणों के साथ समन्वय करना;

(xvi) समिति, किसी बालक देखरेख संस्था में किसी बालक से दुर्व्यवहार की शिकायत के मामले में जांच करेगी और यथास्थिति, पुलिस या जिला बालक संरक्षण एकक या श्रम विभाग या बालबद्ध सेवाओं को निदेश देगी;

(xvii) बालकों के लिए समुचित विधिक सेवाओं तक पहुंच बनाना;

(xviii) ऐसे अन्य कृत्य और दायित्व, जो विहित किए जाएं।

अध्याय 6

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया

समिति के समक्ष पेश किया जाना।

31. (1) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्नलिखित किसी व्यक्ति द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(i) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या विशेष किशोर पुलिस एकक या पदाभिहित बालक कल्याण पुलिस अधिकारी या जिला बालक कल्याण एकक के किसी अधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी श्रम विधि के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा;

(ii) किसी लोक सेवक द्वारा;

(iii) ऐसी बालबद्ध सेवाओं या किसी स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन या किसी अभिकरण द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाए;

(iv) बालक कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा;

(v) किसी सामाजिक कार्यकर्ता या लोक भावना से युक्त नागरिक द्वारा;

(vi) स्वयं बालक द्वारा; या

(vii) किसी नर्स, डाक्टर, परिचर्या गृह (नर्सिंग होम), अस्पताल या प्रसूति गृह के प्रबंध तंत्र द्वारा:

परन्तु बालक को समय नष्ट किए बिना, किन्तु यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घंटे की अवधि के भीतर समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, जांच की अवधि के दौरान समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की रीति का और बालक को, यथास्थिति, बाल गृह या उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने या सौंपने की रीति का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।

संरक्षक से पृथक् पाए गए बालक के बारे में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना।

32. (1) कोई व्यष्टि या कोई पुलिस अधिकारी या किसी संगठन या परिचर्या गृह या अस्पताल या प्रसूति गृह का कोई कृत्यकारी, जिसे किसी ऐसे बालक का पता चलता है या उसका भारसाधन लेता है या जिसे वह सौंपा जाता है जो परित्यक्त या खोया हुआ प्रतीत होता है या जिसके बारे में परित्यक्त या खोए होने का दावा किया जाता है या ऐसा बालक जो बिना कुटुंब की संभाल के अनाथ प्रतीत होता है

या जिसके अनाथ होने का दावा किया जाता है, चौबीस घंटे के भीतर (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर), यथास्थिति, बालबद्ध सेवाओं, निकटतम पुलिस थाने को या किसी बालक कल्याण समिति को या जिला बालक संरक्षण एकक को इत्तिला देगा या बालक को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत बाल देखरेख संस्था को सौंपेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी बालक के संबंध में इत्तिला अनिवार्य रूप से, ऐसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या समिति या जिला बालक संरक्षण एकक या बालक देखरेख संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

रिपोर्ट न किए जाने का अपराध।

33. यदि धारा 32 के अधीन यथा अपेक्षित किसी बालक के संबंध में कोई सूचना उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं दी जाती है तो ऐसे कृत्य को अपराध के रूप में माना जाएगा।

रिपोर्ट न करने के लिए शास्ति।

34. कोई व्यक्ति, जिसने धारा 33 के अधीन कोई अपराध किया है वह ऐसे कारावास का जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपए तक के जुर्माने का या दोनों का भागी होगा।

बालकों का अभ्यर्पण।

35. (1) कोई माता-पिता या संरक्षक, जो ऐसे शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक कारणों से, जो उसके नियंत्रण के परे हैं, बालक का अभ्यर्पण करना चाहता है, बालक को समिति के समक्ष पेश करेगा।

(2) यदि, जांच और परामर्श की विहित प्रक्रिया के पश्चात् समिति का समाधान हो जाता है तो, यथास्थिति, माता-पिता या संरक्षक द्वारा समिति के समक्ष विलेख निष्पादित किया जाएगा।

(3) ऐसे माता-पिता या संरक्षक को, जिसने बालक का अभ्यर्पण किया है, बालक के अभ्यर्पण संबंधी अपने विनिश्चय पर पुन:विचार करने के लिए दो मास का समय दिया जाएगा और अंतरिम अवधि में समिति, सम्यक् जांच के पश्चात् या तो बालक को माता-पिता या संरक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन अनुज्ञात करेगी या यदि वह छह वर्ष से कम आयु का या की है तो वह बालक को किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण में रखेगी या यदि वह छह वर्ष से अधिक आयु का या की है तो बाल गृह में रखेगी।

जांच।

36. (1) धारा 31 के अधीन बालक को पेश किए जाने पर या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, समिति, ऐसी रीति से जांच करेगी, जो विहित की जाए और समिति अपनी स्वयं की या धारा 31 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या अभिकरण से प्राप्त रिपोर्ट पर बालक को बाल गृह या आश्रय गृह या उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने के लिए और किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बालक कल्याण अधिकारी या बालक कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र सामाजिक अन्वेषण करने के लिए आदेश पारित कर सकेगी:

परंतु छह वर्ष से कम आयु के सभी बालकों को, जो अनाथ और अभ्यर्पित हैं या परित्यक्त प्रतीत होते हैं, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण में, जहां कहीं उपलब्ध हैं, रखा जाएगा।

(2) सामाजिक अन्वेषण पंद्रह दिन के भीतर पूरा किया जाएगा जिससे समिति को, बालक को पहली बार पेश करने के चार मास के भीतर अंतिम आदेश पारित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके:

परंतु अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालकों के लिए जांच पूरी करने का समय वह होगा जो धारा 38 में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) जांच पूरी हो जाने के पश्चात्, यदि समिति की यह राय है कि उक्त बालक का कोई कुटुंब या उसका कोई दृश्यमान संभाल वाला नहीं है या उसे देखरेख या संरक्षण की लगातार आवश्यकता है तो वह तब तक बालक को, यदि बालक छह वर्ष से कम आयु का है तो विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण में, बाल गृह में या उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति या पोषण कुटुंब के पास भेज सकेगी जब तक बालक के लिए ऐसे पुनर्वास उपयुक्त साधन नहीं मिल जाते, जो विहित किए जाएं, या जब तक बालक अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है:

परंतु बाल गृह में अथवा उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति या पोषण कुटुंब में रखे गए बालक की स्थिति का समिति द्वारा ऐसा पुनर्विलोकन किया जाएगा, जो विहित किया जाए।

(4) समिति, जिला मजिस्ट्रेट को लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, मामलों के निपटारे की प्रकृति पर और लंबित मामलों की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(5) जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (4) के अधीन पुनर्विलोकन करने के पश्चात्, समिति को, लंबित मामलों को दूर करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय, यदि आवश्यक हो, करने का निदेश देगा और ऐसे पुनर्विलोकन की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा जो अतिरिक्त समितियों का गठन, यदि अपेक्षित हो, करवा सकेगी:

परंतु यदि, ऐसे निदेशों के प्राप्त होने के तीन मास के पश्चात् भी समिति द्वारा लंबित मामलों को पूरा करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार उक्त समिति को समाप्त कर देगी और नई समिति का गठन करेगी।

(6) समिति की समाप्ति के पूर्वानुमान में और इस बात को देखते हुए कि नई समिति के गठन में कोई समय नष्ट न हो, राज्य सरकार, समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पात्र व्यक्तियों का एक स्थायी पैनल बनाए रखेगी।

(7) उपधारा (5) के अधीन नई समिति के गठन में हुए किसी विलंब की दशा में, पास के जिले की बालक कल्याण समिति, अंतरिम कालावधि के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करेगी।

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के बारे में पारित आदेश।

37. (1) समिति, जांच द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि समिति के समक्ष लाए गए बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, बालक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करके और यदि बालक विचार प्रकट करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व है तो बालक की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित आदेशों में से एक या अधिक आदेश पारित कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होने की घोषणा;

(ख) माता-पिता या संरक्षक या कुटुंब को, बालक कल्याण अधिकारी या पदाभिहित सामाजिक कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण सहित या उसके बिना बालक का प्रत्यावर्तन;

(ग) ऐसे बालकों को रखने के लिए संस्था की क्षमता को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक या अस्थायी देखरेख के लिए दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए या तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि बालक के कुटुंब का पता नहीं लगाया जा सकता है या यदि उसका पता लग भी गया है तो कुटुंब में बालक का प्रत्यावर्तन, बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं है बाल गृह या उपयुक्त सुविधा तंत्र या विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण में बालक का स्थानन;

(घ) दीर्घकालिक या अस्थायी देखरेख के लिए योग्य व्यक्ति के पास बालक का स्थानन;

(ङ) धारा 44 के अधीन पोषण देखरेख के आदेश;

(च) धारा 45 के अधीन प्रवर्तकता के आदेश;

(छ) ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं या सुविधा तंत्रों को, जिनकी देखरेख में बालक को, बालक की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास के संबंध में रखा गया है, निदेश जिनके अन्तर्गत आवश्यकता आधारित परामर्श, व्यावसायिक चिकित्सा या व्यवहार उपांतरण चिकित्सा, कौशल प्रशिक्षण, विधिक सहायता, शैक्षणिक सेवाओं और यथा अपेक्षित अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों और जिला बालक कल्याण एकक या राज्य सरकार और अन्य अभिकरणों के साथ अनुवर्तन और समन्वय सहित तत्काल आश्रय और सेवाओं से, जैसे कि चिकित्सा देखरेख, मनोविकार चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता संबंधी निदेश भी हैं;

(ज) बालक की, धारा 39 के अधीन दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त होने की घोषणा।

(2) समिति—

(i) पोषण देखरेख के लिए योग्य व्यक्ति की घोषणा का;

(ii) धारा 46 के अधीन पश्व देखरेख सहायता प्राप्त करने के लिए; या

(iii) किसी अन्य कृत्य के संबंध में जो विहित किया जाए कोई अन्य आदेश करने के लिए,

भी आदेश पारित कर सकेगी।

किसी बालक की दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया।

38. (1) अनाथ और परित्यक्त बालक की दशा में, समिति, बालक के माता-पिता या संरक्षकों का पता लगाने का सभी प्रयास करेगी और ऐसी जांच पूरी होने पर यदि यह स्थापित हो जाता है कि बालक या तो अनाथ है, जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है या परित्यक्त है, तो समिति बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी:

परन्तु ऐसी घोषणा ऐसे बालकों के लिए, जो दो वर्ष तक की आयु तक के हैं, बालक के पेश किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर और ऐसे बालकों के लिए, जो दो वर्ष से अधिक आयु के हैं, चार मास के भीतर की जाएगी:

परन्तु यह और कि इस बारे में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के संबंध में जांच की प्रक्रिया में किसी जैविक माता-पिता के विरुद्ध कोई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर नहीं की जाएगी।

(2) अभ्यर्पित बालक की दशा में वह संस्था, जहां अभ्यर्पण संबंधी आवेदन पर समिति द्वारा बालक को रखा गया है, धारा 35 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने के लिए उस मामले को समिति के समक्ष लाएगी।

(3) मानसिक रूप से विकृत माता-पिता के बालक या लैंगिक हमले से पीड़ित व्यक्ति के अवांछित बालक की दशा में उस बालक को समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, इस बारे में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दत्तकग्रहण के लिए मुक्त घोषित किया जा सकेगा।

(4) अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने का विनिश्चय समिति के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

(5) समिति, दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए गए बालकों की संख्या और विनिश्चयार्थ लंबित मामलों की संख्या के बारे में राज्य अभिकरण और प्राधिकरण को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिमास सूचित करेगी।

अध्याय 7

पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना

पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया।

39. (1) इस अधिनियम के अधीन बालकों के पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया का जिम्मा बालक की व्यष्टिक देखरेख योजना के आधार पर अधिमानतः कुटुंब आधारित देखरेख के माध्यम से, जैसे पर्यवेक्षण या प्रवर्तकता या दत्तक ग्रहण या पोषण देखरेख के साथ या उसके बिना कुटुंब या संरक्षक को प्रत्यावर्तन द्वारा किया जाएगा:

परंतु संस्थागत या गैर-संस्थागत देखरेख में रखे गए सहोदरों को तब तक एक साथ रखने का प्रयास किया जाएगा जब तक कि उनको एक साथ रखा जाना उनके सर्वोत्तम हित में हो।

(2) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए, पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया का जिम्मा, यदि बालक को जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो संप्रेक्षण गृहों में या यदि बोर्ड के आदेश द्वारा उन्हें वहां रखा है तो विशेष गृहों में या सुरक्षित स्थानों में या उचित सुविधा तंत्र या किसी योग्य व्यक्ति के साथ रखकर लिया जाएगा।

(3) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बालक, जो किसी कारण से कुटुंब के साथ नहीं रखे गए हैं, इस अधिनियम के अधीन ऐसे बालकों के लिए रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था में या किसी योग्य व्यक्ति के साथ या उपयुक्त सुविधा तंत्र में अस्थायी या दीर्घकालिक आधार पर रखे जा सकेंगे और जहां कहीं बालक को इस प्रकार रखा जाता है वहां पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया का जिम्मा लिया जाएगा।

(4) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बालकों को, जो संस्थागत देखरेख को छोड़ रहे हैं या विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों को, जो अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर विशेष गृहों या सुरक्षित स्थान को छोड़ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में पुन: लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धारा 46 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक का प्रत्यावर्तन।

40. (1) किसी बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण, किसी भी बाल-गृह, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या खुले आश्रय का प्राथमिक उद्देश्य होगा।

(2) यथास्थिति, बाल-गृह, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या खुला आश्रय ऐसे उपाय करेगा जो किसी कौटुंबिक वातावरण से वंचित बालक की, जहां ऐसा बालक अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से उनकी देखरेख और संरक्षण में है, प्रत्यावर्तन और संरक्षण के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(3) समिति को, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को, यथास्थिति, उसके माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति को उस बालक की देखरेख करने की उपयुक्तता अवधारित करने के पश्चात्, उसके माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करने की और उन्हें यथोचित निदेश देने की शक्ति होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''किसी बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण'' से—

(क) माता-पिता;

(ख) दत्तक माता-पिता;

(ग) पोषक माता-पिता;

(घ) संरक्षक; या

(ङ) योग्य व्यक्ति,

को प्रत्यावर्तन अभिप्रेत है।

बाल देखरेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण।

41. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सभी ऐसी संस्थाओं को, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हो या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही हों, जो पूर्णत: या भागत: देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने के लिए आशयित हैं, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हैं या नहीं, इस अधिनियम के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्टर किया जाएगा:

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण रखने वाली संस्थाओं को, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा।

2000 का 56

(2) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण के समय राज्य सरकार, संस्था की क्षमता और प्रयोजन को अवधारित और अभिलिखित करेगी तथा संस्था को, यथास्थिति, किसी बाल-गृह या खुला आश्रय या

विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या संप्रेक्षण गृह या विशेष गृह या सुरक्षित स्थान के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगी।

(3) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने वाली किसी विद्यमान या नई संस्था से उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का आवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार ऐसी संस्था को इस अधिनियम के क्षेत्राधीन लाने के लिए आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर अधिकतम छह मास की अवधि के लिए अनंतिम रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर सकेगी और ऐसे गृह की क्षमता अवधारित करेगी, जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित किया जाएगा:

परंतु यदि उक्त संस्था उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित मानदंडों को पूरा नहीं करती है तो अनंतिम रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा और उपधारा (5) के उपबंध लागू होंगे।

(4) यदि राज्य सरकार, आवेदन की तारीख से एक मास के भीतर कोई अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं करती है, तो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति के सबूत को किसी संस्था को छह मास की अधिकतम अवधि के लिए चलाने हेतु अनंतिम रजिस्ट्रीकरण समझा जाएगा।

(5) यदि रजिस्ट्रीकरण का आवेदन, किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किन्हीं अधिकारियों द्वारा छह मास के भीतर निपटाया नहीं जाता है तो उनके उच्चतर नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा उसे उनकी ओर से कर्तव्य की अवहेलना के रूप में लिया जाएगा और समुचित विभागीय कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी।

(6) किसी संस्था के रजिस्ट्रीकरण की अवधि पांच वर्ष की होगी और उनका प्रत्येक पांच वर्ष में नवीकरण किया जाएगा।

(7) राज्य सरकार ऐसी प्रक्रिया का, जो विहित की जाए, अनुसरण करने के पश्चात् ऐसी संस्थाओं के, जो धारा 53 में यथाविनिर्दिष्ट पुनर्वासन और पुन: मिलाने की सेवाएं प्रदान करने में असफल रहती हैं, रजिस्ट्रीकरण को, यथास्थिति, रद्द या विधारित कर सकेगी और किसी संस्था के रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत या मंजूर किए जाने तक, राज्य सरकार संस्था का प्रबंध करेगी।

(8) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी बाल देखरेख संस्था, जैसा कि समिति द्वारा निदेश दिया जाए, संस्था की क्षमता के अधीन रहते हुए कर्तव्यबद्ध होगी, चाहे वह, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हों या नहीं।

(9) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 54 के अधीन नियुक्त निरीक्षण समिति को बालक रखने वाली किसी संस्था का, भले ही वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न भी हो, इस बात का अवधारण करने के लिए कि क्या ऐसी संस्था देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को रख रही है, निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

बाल देखरेख संस्था का रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने के लिए शास्ति।

42. देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने वाली किसी संस्था के भारसाधक किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को, जो धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है या रहते हैं, ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगा या एक लाख रुपए से अन्यून के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा:

परंतु रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में प्रत्येक तीस दिन के विलंब को एक पृथक् अपराध माना जाएगा।

खुला आश्रय।

43. (1) राज्य सरकार, स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उतने खुले आश्रय स्थापित कर सकेगी और उनका रखरखाव कर सकेगी, जितने अपेक्षित हों और ऐसे खुले आश्रय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उस रूप में रजिस्टर किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट खुले आश्रय, आवासिक सहायता की आवश्यकता वाले बालकों के लिए, अल्पकालिक आधार पर, ऐसे बालकों के साथ दुर्व्यवहार करने या बालाहार वंचन से संरक्षण या उन्हें सड़कों पर निराश्रित छोड़े जाने से बचाने के उद्देश्य से समुदाय आधारित सुविधा के रूप में कार्य करेंगे।

(3) खुले आश्रय प्रत्येक मास ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आश्रय की सेवाओं का लाभ उठाने वाले बालकों की बाबत जिला बालक संरक्षण एकक और समिति को सूचना भेजेंगे।

पोषण देखरेख।

44. (1) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को पोषण देखरेख में, जिसके अंतर्गत समिति के आदेशों के माध्यम से उनकी देखरेख और संरक्षण के लिए सामूहिक पोषण देखरेख भी है, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करके जो इस संबंध में विहित की जाए, किसी ऐसे कुटुंब में, जिसके अंतर्गत बालक के जैव या दत्तक माता-पिता नहीं हैं या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त होने के रूप में मान्यताप्राप्त किसी असंबद्ध कुटुंब में, अल्पावधि या बढ़ाई गई अवधि के लिए रखा जा सकेगा।

(2) पोषक कुटुंब का चयन, कुटुंब की योग्यता, आशय, क्षमता और बालकों की देखरेख करने के पूर्व अनुभव के आधार पर होगा।

(3) सहोदरों को पोषक कुटुंबों में तब तक एक साथ रखने का प्रयास किया जाएगा, जब तक उन्हें एक साथ रखना उनके सर्वोत्तम हित में हो।

(4) राज्य सरकार, बालकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, निरीक्षण की ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्, जो विहित की जाए, जिला बाल संरक्षण एकक के माध्यम से ऐसी पोषण देखरेख के लिए बालकों की संख्या को ध्यान में रखकर मासिक वित्त पोषण प्रदान करेगी।

(5) उन दशाओं में, जहां बालक इस कारण से पोषण देखरेख में रखे गए हैं कि उनके माता-पिता बालक की देखरेख करने के लिए समिति द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाये गये हैं, वहां बालक के माता-पिता नियमित अंतरालों पर पोषक कुटुंब में बालक से तब तक मिल सकेंगे जब तक समिति, उसके लिए लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह अनुभव न करे कि ऐसे मिलना बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं हैं; और समिति द्वारा एक बार माता-पिता को बालक की देखरेख करने के योग्य अवधारित करने पर अंततः बालक माता-पिता के घर वापस जा सकेगा।

(6) पोषक कुटुंब, बालक को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह बालक का ऐसी रीति में समग्र कल्याण सुनिश्चित करेगा जो विहित की जाए।

(7) राज्य सरकार, ऐसी प्रक्रिया, मानदंड और रीति को, जिसमें बालक को पोषण देखरेख सेवाएं प्रदान की जाएंगी, परिभाषित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(8) समिति द्वारा बालक के कल्याण की जांच करने के लिए ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, प्रत्येक मास पोषक कुटुंबों का निरीक्षण किया जाएगा और जब कभी किसी पोषक कुटुंब द्वारा बालक की देखरेख करने में कमी पाई जाती है तो बालक को उस पोषक कुटुंब से हटा दिया जाएगा और किसी दूसरे ऐसे पोषक कुटुंब में भेज दिया जाएगा जो समिति उचित समझे।

(9) ऐसे किसी बालक को, जिसे समिति द्वारा दत्तक ग्रहण योग्य पाया जाता है, दीर्घकालीन पोषण देखरेख के लिए नहीं दिया जाएगा।

प्रवर्तकता।

45. (1) राज्य सरकार, व्यष्टिक से व्यष्टिक प्रवर्तकता, सामूहिक प्रवर्तकता या सामुदायिक प्रवर्तकता जैसी बालकों की प्रवर्तकता के विभिन्न कार्यक्रमों का जिम्मा लेने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) प्रवर्तकता के मानदंडों के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे,—

(i) जहां माता विधवा या विछिन्न विवाह स्त्री या कुटुंब द्वारा परित्यकता है;

(ii) जहां बालक अनाथ हैं और विस्तारित कुटुंब के साथ रह रहे हैं;

(iii) जहां माता-पिता जीवन के लिए संकटमय रोग से पीड़ित हैं;

(iv) जहां माता-पिता दुर्घटना के कारण अशक्त हो गए हैं और बालकों की वित्तीय और शारीरिक दोनों प्रकार से देखरेख करने में असमर्थ हैं।

(3) प्रवर्तकता की अवधि ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(4) प्रवर्तकता कार्यक्रम द्वारा बालकों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा संबंधी और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुटुंबों, बाल-गृहों और विशेष गृहों को अनुपूरक सहायता प्रदान की जा सकेगी।

बालक देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले बालकों की पश्चात्वर्ती देखरेख।

46. किसी बालक के अठारह वर्ष आयु पूरी करने पर किसी बालक देखरेख संस्था को छोड़ने पर बालक को समाज की मुख्य धारा में पुन: लाने को सुकर बनाने के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।

संप्रेक्षण गृह।

47. (1) राज्य सरकार, स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में संप्रेक्षण गृह स्थापित करेगी और उनका रखरखाव करेगी जिन्हें इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित किसी बालक को अस्थायी रूप से रखने, उसकी देखरेख और पुनर्वास के लिए इस अधिनियम की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(2) जहां राज्य सरकार की यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन स्थापित या अनुरक्षित किसी गृह से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत संस्था, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित ऐसे बालक को अस्थायी रूप से रखने के योग्य है, तो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी संस्था को संप्रेक्षण गृह के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा संप्रेक्षण गृहों के प्रबंध और मानीटरी के लिए उपबंध कर सकेगी, जिसके अंतर्गत विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित किसी बालक के पुनर्वास और उसको समाज में मिलाने के लिए उनके द्वारा दी गई सेवाओं का स्तर और विभिन्न किस्में तथा ऐसी परिस्थितियां, जिनके अधीन और वह रीति जिसमें किसी संप्रेक्षण गृह का रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया और वापस लिया जा सकेगा, भी हैं।

(4) विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित प्रत्येक ऐसे बालक को, जो माता-पिता या संरक्षक के भारसाधन में नहीं रखा जाता है और किसी संप्रेक्षण गृह में भेजा जाता है, बालक की शारीरिक और मानसिक प्रास्थिति और कारित अपराध की कोटि पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् बालक की आयु और लिंग के अनुसार उसे अलग रखा जाएगा।

विशेष गृह।

48. (1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में, जो विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों के पुनर्वास के लिए अपेक्षित हों, जिनके बारे में यह पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया है और जो किशोर न्याय बोर्ड के धारा 18 के अधीन किए गए आदेश द्वारा वहां पर रखे गए हैं, स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से विशेष गृह स्थापित कर सकेगी और उनका रखरखाव कर सकेगी, जो उस रूप में ऐसी रीति में रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे, जो विहित की जाए।

(2) राज्य सरकार, विशेष गृहों के प्रबंध और मानीटरी के लिए नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगी, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा दी गई सेवाओं के स्तर और विभिन्न किस्में, जो किसी बालक को समाज में पुन: मिलाने के लिए आवश्यक हैं और वे परिस्थितियां, जिनके अधीन और वह रीति जिसमें किसी विशेष गृह का रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया और वापस लिया जा सकेगा, भी हैं।

(3) उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियमों में विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालकों की आयु, लिंग, उनके द्वारा कारित अपराध की प्रकृति और बालक की मानसिक और शारीरिक प्रास्थिति के आधार पर उन्हें विलग और पृथक् रखने के उपबंध भी किए जा सकेंगे।

सुरक्षित स्थान।

49. (1) राज्य सरकार, किसी राज्य में धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम से कम एक सुरक्षित स्थान की स्थापना करेगी जिससे अठारह वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को, जो सोलह से अठारह वर्ष की आयु के बीच का है और कोई जघन्य अपराध कारित करने का अभियुक्त है या सिद्धदोष ठहराया गया है, रखा जा सके।

(2) प्रत्येक सुरक्षित स्थान में जांच की प्रक्रिया के दौरान ऐसे बालकों या व्यक्तियों के और कोई अपराध कारित करने के दोषसिद्ध बालकों या व्यक्तियों के ठहरने के लिए अलग प्रबंध और सुविधाएं होंगी।

(3) राज्य सरकार, नियमों द्वारा उस प्रकार के स्थानों को, जिन्हें उपधारा (1) के अधीन सुरक्षित स्थान के रूप में अभिहित किया जा सकता है और उन सुविधाओं और सेवाओं को, जिनका उसमें उपबंध किया जाए, विहित कर सकेगी।

बाल गृह।

50. (1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से ऐसे बाल गृह स्थापित कर सकेगी और उनका रखरखाव कर सकेगी, जिन्हें बालकों की देखरेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास के लिए देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को रखने के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, किसी बाल गृह को, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए ऐसे उपयुक्त गृह के रूप में अभिहित कर सकेगी, जो आवश्यकता पर निर्भर करते हुए विशिष्ट सेवाएं प्रदान करता है।

(3) राज्य सरकार, नियमों द्वारा बाल गृहों की मानीटरी और प्रबंध का उपबंध कर सकेगी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक के लिए व्यष्टिक देखरेख योजना के आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं का स्तर और प्रकृति भी है।

उचित सुविधा तंत्र।

51. (1) बोर्ड या समिति, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे किसी सुविधा तंत्र और बालक की देखरेख करने वाले सुविधा तंत्र और संगठन की उपयुक्तता की बाबत सम्यक् जांच के पश्चात् किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी बालक का अस्थायी रूप से उत्तरदायित्व लेने के योग्य होने की मान्यता ऐसी रीति में प्रदान करेगी जो विहित की जाए।

(2) बोर्ड या समिति उपधारा (1) के अधीन प्रदान की गई मान्यता को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वापस ले सकेगी।

योग्य व्यक्ति।

52. (1) बोर्ड या समिति, किसी बालक की देखरेख, संरक्षण और उपचार के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किसी बालक को अस्थायी रूप से लेने के लिए किसी व्यक्ति को उसके प्रत्यय पत्र के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् योग्य व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करेगी।

(2) यथास्थिति, बोर्ड या समिति, उपधारा (1) के अधीन प्रदान की गई मान्यता को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वापस ले सकेगी।

इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं में पुनर्वास और पुन: मिलाने की सेवाएं और उनका प्रबंध।

53. (1) वे सेवाएं, जो बालकों के पुनर्वास और पुन: मिलाने की प्रक्रिया में इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाएंगी, ऐसी रीति में होंगी, जो विहित की जाएं, जिसमें निम्नलिखित हो सकेंगी—

(i) विहित मानकों के अनुसार आधारभूत आवश्यकताएं, जैसे खाना, आश्रय, कपड़े और चिकित्सीय ध्यान;

(ii) विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए यथा अपेक्षित उपस्कर, जैसे व्हील चेयर, प्रोस्थेटिक युक्तियां, श्रवण सहाय यंत्र, ब्रेल किट या यथापेक्षित कोई अन्य उपयुक्त साधन और साधित्र;

(iii) विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षा, जिसके अंतर्गत अनुपूरक शिक्षा, विशेष शिक्षा और समुचित शिक्षा भी है:

परन्तु छह वर्ष से चौदह वर्ष के बीच की आयु वाले बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबंध लागू होंगे; 2009 का 35

(iv) कौशल विकास;

(v) उपजीविकाजन्य थेरेपी और जीवन कौशल शिक्षा;

(vi) मानसिक स्वास्थ्य मध्यक्षेप, जिसके अंतर्गत बालक की जरूरत के लिए विनिर्दिष्ट परामर्श भी है;

(vii) आमोद-प्रमोद क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत खेलकूद और सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी हैं;

(viii) विधिक सहायता, जहां अपेक्षित हो;

(ix) शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण; निराव्यसन, रोगों के उपचार के लिए परामर्श सेवाएं, जहां अपेक्षित हों;

(x) देखरेख प्रबंध, जिसके अंतर्गत व्यष्टिक देखरेख योजना की तैयारी और उसका चालू रहना भी है;

(xi) जन्म रजिस्ट्रीकरण;

(xii) पहचान का सबूत प्राप्त करने के लिए सहायता, जहां अपेक्षित हो; और

(xiii) कोई अन्य सेवा, जो बालक के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार, रजिस्ट्रीकृत या योग्य व्यष्टिकों या संस्थाओं द्वारा या तो प्रत्यक्षत: या परामर्श सेवाओं के माध्यम से युक्तियुक्त रूप से प्रदान की जा सके।

(2) संस्था के प्रबंध और प्रत्येक बालक की प्रगति को मानीटर करने के लिए प्रत्येक संस्था की, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, स्थापित की गई एक प्रबंध समिति होगी।

(3) छह वर्ष से ऊपर के बालकों को रखने वाली प्रत्येक संस्था का प्रभारी अधिकारी, बालकों को ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए, जो संस्था में बालकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए विहित किए जाएं, बाल समितियां स्थापित करने को सुकर बनाएगा।

इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं का निरीक्षण।

54. (1) राज्य सरकार, यथास्थिति, राज्य और जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन योग्य होने के रूप में रजिस्ट्रीकृत या मान्यताप्राप्त सभी संस्थाओं के लिए, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, निरीक्षण समितियां नियुक्त करेगी।

(2) ऐसी निरीक्षण समितियां, तीन सदस्यों से अन्यून के एक दल में, जिसमें कम से कम एक महिला होगी और एक चिकित्सा अधिकारी होगा, आबंटित क्षेत्रों में तीन मास में कम से कम एक बार बालक रखने वाले सुविधा तंत्रों का आज्ञापक रूप से निरीक्षण करेंगी और उनके निरीक्षण के एक सप्ताह के भीतर ऐसे निरीक्षण के निष्कर्षों की रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए, यथास्थिति, जिला बालक संरक्षण एकक या राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी।

(3) निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण के एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर जिला बालक संरक्षण एकक या राज्य सरकार द्वारा एक मास के भीतर समुचित कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

संरचनाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन।

55. (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, ऐसी अवधि में और ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं के माध्यम से, जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएं, बोर्ड, समिति, विशेष किशोर पुलिस एकक, रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं या मान्याप्राप्त उचित सुविधा तंत्रों और व्यक्तियों के कार्यकरण का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकेगी।

(2) ऐसा स्वतंत्र मूल्यांकन दोनों सरकारों द्वारा किए जाने की दशा में, केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया मूल्यांकन अभिभावी होगा।

अध्याय 8

दत्तक ग्रहण

दत्तक ग्रहण।

56. (1) दत्तक ग्रहण, अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के लिए कुटंब के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

(2) एक नातेदार से दूसरे नातेदार द्वारा किसी बालक का दत्तक ग्रहण धर्म को विचार में लाए बिना, इस अधिनियम के उपबंधों और प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार किया जा सकता है।

1956 का 78

(3) इस अधिनियम की कोई बात हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार किए गए बालकों के दत्तक ग्रहण को लागू नहीं होगी।

(4) सभी अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण, केवल इस अधिनियम के उपबंधों और प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार ही किए जाएंगे।

(5) कोई व्यक्ति, जो न्यायालय के विधिमान्य आदेश के बिना किसी बालक को किसी दूसरे देश में ले जाता है या भेजता है या किसी दूसरे देश में अन्य व्यक्ति को किसी बालक की देखरेख और अभिरक्षा को अंतरित करने के किसी इंतजाम में भाग लेता है, धारा 80 के उपबंधों के अनुसार दंडनीय होगा।

भावी दत्तक माता-पिता की पात्रता।

57. (1) भावी दत्तक माता-पिता बालक को अच्छा पालन पोषण प्रदान करने के लिए उसका दत्तक ग्रहण करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य, वित्तीय रूप से सुदृढ़, मानसिक रूप से सचेत और अत्यंत प्रेरित होंगे।

(2) दंपत्ति की दशा में, दत्तक ग्रहण के लिए पति-पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक होगी।

(3) कोई एकल या विच्छिन्न विवाह व्यक्ति भी मानदंडों को पूरा करने के अधीन रहते हुए तथा प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार दत्तक ग्रहण कर सकता है।

(4) कोई एकल पुरुष किसी बालिका के दत्तक ग्रहण के लिए पात्र नहीं है।

(5) कोई अन्य मानदंड, जो प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया।

58. (1) भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता-पिता, अपने धर्म को विचार में लाए बिना, यदि किसी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को दत्तक में लेने के लिए इच्छुक हैं, तो वे उसके लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के समक्ष आवेदन कर सकेंगे।

(2) विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा और उनको पात्र पाए जाने पर दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किसी बालक को बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट सहित प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में उनके पास भेज देगा।

(3) भावी दत्तक माता-पिता, से ऐसे माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट सहित बालक के प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति पर, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण बालक को पूर्व-दत्तक ग्रहण पोषण देखरेख में देगा और दत्तक ग्रहण आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में न्यायालय में आवेदन फाइल करेगा।

(4) न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण उसे तुरन्त भावी दत्तक माता-पिता के पास भेजेगा।

(5) दत्तक कुटुंब में बालक की प्रगति और कल्याण का प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में अनुपरीक्षण और अभिनिश्चय किया जाएगा।

किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया।

59. (1) यदि कोई अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को, उस तारीख से, जब उसे दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है, साठ दिन के भीतर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण और राज्य अभिकरण के संयुक्त प्रयासों के बावजूद किसी भारतीय या अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता-पिता के साथ नहीं रखा जा सका है तो ऐसा बालक अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त होगा:

परन्तु शारीरिक और मानसिक नि:शक्तता से ग्रस्त बालकों, सहोदरों और पांच वर्ष से अधिक आयु के बालकों को, ऐसे अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए, दत्तक ग्रहण के उन विनियमों के अनुसार, जो प्राधिकरण द्वारा विरचित किए जाएं, अन्य बालकों पर अधिमान दिया जा सकेगा।

(2) किसी पात्र अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय बालकों के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण में पूर्विकता दी जाएगी।

(3) अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति या कोई विदेशी, जो विदेश में रहने वाले भावी दत्तक माता-पिता हैं, उनके धर्म को विचार में लाए बिना, यदि भारत से किसी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को दत्तक में लेने के इच्छुक हैं, तो वे, यथास्थिति, किसी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केन्द्रीय प्राधिकरण या आभ्यासिक निवास के उनके देश में संबंधित सरकारी विभाग को प्राधिकरण द्वारा दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में उसके लिए आवेदन कर सकेंगे।

(4) यथास्थिति, प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केन्द्रीय प्राधिकरण या कोई संबंधित सरकारी विभाग ऐसे भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा और उनके पात्र पाए जाने पर उनके आवेदन को प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में भारत से किसी बालक के दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकरण को प्रवर्तित कर देगा।

(5) ऐसे भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकरण उसकी परीक्षा करेगा और यदि वह आवेदनों को उपयुक्त पाता है तो वह आवेदन को किसी ऐसे एक विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को निर्दिष्ट कर देगा, जहां दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त बालक उपलब्ध हैं।

(6) विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, ऐसे भावी दत्तक माता-पिता के साथ बालक का मिलान करेगा और ऐसे माता-पिता को बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट भेजेगा जो तदुपरि बालक को प्रतिगृहीत कर सकेंगे और अभिकरण को उनके द्वारा हस्ताक्षरित बाल अध्ययन और चिकित्सा रिपोर्ट वापस कर देंगे।

(7) भावी दत्तक माता-पिता से बालक के प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण दत्तक ग्रहण आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में न्यायालय में आवेदन फाइल करेगा।

(8) न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण उसे तुरंत प्राधिकरण, राज्य अभिकरण और भावी दत्तक माता-पिता को भेज देगा और बालक के लिए पासपोर्ट अभिप्राप्त करेगा।

(9) प्राधिकरण भारतीय आप्रवास प्राधिकारियों और बालक को लेने वाले देश को दत्तक ग्रहण की सूचना देगा।

(10) भावी दत्तक माता-पिता बालक का पासपोर्ट और वीजा जारी होते ही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण से बालक को वैयक्तिक रूप से प्राप्त करेंगे।

(11) यथास्थिति, प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केन्द्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग दत्तक कुटुंब में बालक के बारे में प्रगति रिपोर्टों की प्रस्तुति को सुनिश्चित करेंगे और किसी भी भंग की दशा में प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में प्राधिकरण और संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन के परामर्श से अनुकल्पी प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(12) कोई विदेशी या भारतीय मूल का कोई व्यक्ति या भारतीय विदेशी नागरिक, जो अभ्यासत: भारत में निवासी है, यदि भारत से किसी बालक का दत्तक ग्रहण करने में रुचि रखता है, तो उसके लिए भारत में उसके देश के राजनयिक मिशन से निराक्षेप प्रमाणपत्र के साथ प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा।

अंतरदेशीय नातेदार दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया।

60. (1) विदेश में रहने वाला कोई नातेदार, जो भारत में उसके नातेदार से किसी बालक के दत्तक ग्रहण का आशय रखता है, न्यायालय से आदेश अभिप्राप्त करेगा और प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में प्राधिकरण से निराक्षेप प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा।

(2) प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन आदेश की प्राप्ति और जैव माता-पिता या दत्तक माता-पिता से आवेदन की प्राप्ति पर निराक्षेप प्रमाणपत्र जारी करेगा और भारतीय आप्रवास प्राधिकारी और बालक के प्राप्तकर्ता देश के प्राधिकारी को उसकी सूचना देगा।

(3) दत्तक माता-पिता, उपधारा (2) के अधीन निराक्षेप प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात् जैव माता-पिता से बालक को प्राप्त करेंगे और दत्तक बालक के सहोदर और जैव माता-पिता से समय-समय पर संपर्क को सुकर बनाएंगे।

दत्तक ग्रहण के प्रतिफलस्वरूप संदाय के विरुद्ध न्यायालय की प्रक्रिया और शास्ति।

61. (1) कोई दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने से पहले न्यायालय अपना यह समाधान करेगा कि—

(क) दत्तक ग्रहण बालक के कल्याण के लिए है;

(ख) बालक की आयु और समझ को ध्यान में रखते हुए बालक की इच्छाओं पर सम्यक् विचार किया गया है; और

(ग) दत्तक ग्रहण फीस या सेवा प्रभार या बालक की समग्र देखरेख के मद्दे प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा अनुज्ञात के सिवाय, दत्तक ग्रहण के प्रतिफलस्वरूप कोई भी संदाय या पारिश्रमिक न तो भावी दत्तक माता-पिता ने दिया है या देने के लिए सहमत हुए हैं, न ही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या नातेदार दत्तक ग्रहण की दशा में बालक के माता-पिता या संरक्षक ने प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए सहमत हुए हैं।

(2) दत्तक ग्रहण कार्यवाहियां बंद कमरे में की जाएंगी और मामले को न्यायालय द्वारा उसके फाइल किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा।

अतिरिक्त प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं और प्रलेखीकरण।

62. (1) भारत मे रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता-पिता या अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति या भावी विदेशी दत्तक माता-पिता द्वारा किसी अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक के दत्तक ग्रहण की बाबत ऐसा प्रलेखीकरण और अन्य प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं, जो इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं हैं, प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार होगी।

(2) विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि भावी दत्तक माता-पिता का दत्तक ग्रहण मामला, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चार मास के भीतर निपटा दिया गया है और प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण, प्राधिकरण और राज्य अभिकरण दत्तक ग्रहण मामले की प्रगति पर निगरानी रखेगा और जहां कहीं आवश्यक हो, उसमें हस्तक्षेप करेगा, जिससे समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

दत्तक ग्रहण का प्रभाव।

63. उस तारीख से, जिसको दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होता है, निर्वसीयतता सहित सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा बालक, जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा कोई दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया गया

है, दत्तक माता-पिता का बालक हो जाएगा और दत्तक माता-पिता बालक के इस प्रकार माता-पिता हो जाएंगे मानो दत्तक माता-पिता ने बालक को पैदा किया है और उस तारीख से ही बालक या बालिका के जन्म के कुटुंब से बालक या बालिका के सभी संबंध समाप्त हो जाएंगे और उसके स्थान पर दत्तक ग्रहण आदेश द्वारा सृजित दत्तक कुटुंब में प्रतिस्थापित हो जाएंगे:

परन्तु ऐसी कोई संपत्ति, जो उस तारीख से ठीक पूर्व, जिसको दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होता है, दत्तक बालक में निहित हो गई उस संपत्ति के स्वामित्व से, संलग्न बाध्यताओं सहित, जिसके अंतर्गत जैव कुटुंब में नातेदारों का भरण-पोषण, यदि कोई हो, भी है, ऐसी बाध्यताओं के अध्यधीन बालक में निहित रहेंगी।

दत्तक ग्रहण की रिपोर्ट।

64. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संबंधित न्यायालय द्वारा जारी किए गए सभी दत्तक ग्रहण आदेशों की बाबत सूचना प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में मासिक आधार पर प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी, जिससे प्राधिकरण दत्तक ग्रहण के आंकड़े रखने के लिए समर्थ हो सके।

विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण।

65. (1) राज्य सरकार, दत्तक ग्रहण और गैर-संस्थागत देखरेख के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के पुनर्वास के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में प्रत्येक जिले में एक या अधिक संस्थाओं या संगठनों को किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता देगी।

(2) राज्य अभिकरण, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों को मान्यता प्रदान करते ही या उनका नवीकरण करते ही उसका नाम, पता और संपर्क ब्यौरे, मान्यता या नवीकरण के प्रमाणपत्र या पत्र की प्रतियों सहित प्राधिकरण को देगा।

(3) राज्य सरकार, वर्ष में कम से कम एक बार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों का निरीक्षण कराएगी और यदि अपेक्षित हो तो आवश्यक उपचारिक उपाय करेगी।

(4) उस दशा में, जब कोई विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, समिति से दत्तक ग्रहण के लिए किसी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को विधिक रूप से मुक्त कराने में या भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने में या नियत समय के भीतर न्यायालय से दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने में अपनी ओर से इस अधिनियम में या प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित आवश्यक कदम उठाने में व्यतिक्रम करता है तो ऐसा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा और व्यतिक्रम की पुनरावृत्ति की दशा में राज्य सरकार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण की मान्यता वापस ले लेगी।

दत्तक ग्रहण अभिकरणों के रूप में रजिस्ट्रीकृत न की गई संस्थाओं में निवास करने वाले बालकों का दत्तक ग्रहण।

66. (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी संस्थाएं, जिन्हें विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान न की गई हो, यह भी सुनिश्चित करेंगी कि उनकी देखरेख में के सभी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक, समिति द्वारा धारा 38 के उपबंधों के अनुसार रिपोर्ट किए गए, पेश किए गए और दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए गए हैं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी संस्थाएं निकट के विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण से औपचारिक संबंध रखेंगी और ऐसे दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए गए बालकों के सभी सुसंगत अभिलेखों सहित ब्यौरे, बालकों को दत्तक ग्रहण में रखने के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, उस विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को देगी।

(3) यदि ऐसी कोई संस्था उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो वह प्रत्येक बार के लिए रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित पचास हजार रुपए के जुर्माने के दायित्वाधीन होगी और ऐसे उपबंधों के निरंतर अवज्ञा की दशा में उसकी मान्यता भी समाप्त हो सकेगी।

राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण।

67. (1) राज्य सरकार, दत्तक ग्रहण और संबंधित विषयों की बाबत प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अधीन राज्य में एक राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण की स्थापना करेगी।

(2) राज्य अभिकरण जहां कहीं पहले ही विद्यमान है, को इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया समझा जाएगा।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण।

68. इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण को, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण के रूप में निम्नलिखित कृत्यों का पालन करने के लिए गठित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

(क) देश में दत्तक ग्रहण को प्रोन्नत करना और राज्य अभिकरण के समन्वय से अंतरराज्यिक दत्तक ग्रहण को सुकर बनाना;

(ख) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहणों को विनियमित करना;

(ग) समय-समय पर दत्तक ग्रहण और संबंधित विषयों पर ऐसे विनियमों की विरचना करना, जो आवश्यक हों;

(घ) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की बाबत बालकों के संरक्षण और सहयोग पर हेग अभिसमय के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण के कृत्यों को कार्यान्वित करना;

(ङ) कोई भी अन्य कृत्य, जो विहित किया जाए।

प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति।

69. (1) प्राधिकरण की एक विषय निर्वाचन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(क) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जो अध्यक्ष होगा/होगी — पदेन;

(ख) प्राधिकरण से संबंधित संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार — पदेन;

(ग) वित्त से संबंधित संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार — पदेन;

(घ) एक राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण और दो विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण;

(ङ) एक दत्तक माता या पिता और एक दत्तक;

(च) एक अधिवक्ता या एक आचार्य, जिनके पास कुटुंब विधि में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो;

(छ) सदस्य-सचिव, जो संगठन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होगा।

(2) उपरोक्त (घ) से (च) में वर्णित सदस्यों के चयन और नामनिर्देशन के लिए मानदंड उनकी पदावधि के साथ ही उनकी नियुक्ति के निर्बंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

(3) विषय निर्वाचन समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) प्राधिकरण के कार्यकरण का निरीक्षण करना और समय-समय पर इसके कार्यों का पुनर्विलोकन करना, जिससे यह अत्यधिक प्रभावी रीति से क्रियाशील हो सके;

(ख) वार्षिक बजट, वार्षिक लेखाओं और संपरीक्षा रिपोर्टों के साथ-साथ प्राधिकरण की कार्ययोजना और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(ग) केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से संगठन के भीतर प्रशासनिक और कार्यक्रमीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण के भर्ती नियमों, सेवा नियमों, वित्त नियमों के साथ-साथ अन्य विनियमों को अपनाना;

(घ) कोई अन्य कृत्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उसमें निहित किया जाए।

(4) विषय निर्वाचन समिति मास में एक बार अधिवेशन ऐसी रीति में करेगी, जो विहित की जाए।

(5) प्राधिकरण अपने कृत्य मुख्यालय से और अपने ऐसे क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करेगी जो इसके कृत्यिक आवश्यकता के अनुसार स्थापित किए जाएं।

प्राधिकरण की शक्तियां।

70. (1) प्राधिकरण के कृत्यों के दक्ष पालन के लिए इसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या किसी बाल गृह या किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को रखने वाली किसी बाल देखरेख संस्था, किसी राज्य अभिकरण या किसी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण को अनुदेश जारी करना और ऐसे अभिकरणों द्वारा ऐसे निदेशों का पालन किया जाएगा;

(ख) इसके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के निरंतर अननुपालन की दशा में, संबंधित सरकार या प्राधिकारी को उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी पदधारी या कृत्यकारी या संस्था के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने की सिफारिश करना;

(ग) किसी पदधारी या कृत्यकारी या संस्था द्वारा इसके अनुदेशों का निरंतर अननुपालन का कोई मामला, उसके विचारण की अधिकारिता रखने वाले किसी मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करना और वह मजिस्ट्रेट, जिसको ऐसा कोई मामला अग्रेषित किया गया है, उस मामले की सुनवाई के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो वह मामला उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 346 के अधीन अग्रेषित किया गया हो; 1974 का 2

(घ) कोई अन्य शक्ति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसमें निहित की जाए।

(2) दत्तक ग्रहण के किसी मामले में कोई मतभेद होने की दशा में, जिसके अंतर्गत भावी दत्तक माता-पिता या दत्तक ग्रहण किए जाने वाले बालक की पात्रता भी है, प्राधिकरण का विनिश्चय अभिभावी होगा।

प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट।

71. (1) प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा जो विहित की जाए।

(2) केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

72. (1) केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशि का संदाय करेगी जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों का पालन करने में उपयोजित किए जाने के लिए उचित समझे।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन यथा विहित कृत्यों के पालन के लिए ऐसी धनराशियां व्यय करेगा, जो वह उचित समझे और ऐसी राशियों को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय समझा जाएगा।

प्राधिकरण के लेखे और संपरीक्षा।

73. (1) प्राधिकरण, समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।

(2) प्राधिकरण के लेखाओं की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर संपरीक्षा की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा में कोई भी व्यय नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा संदेय होगा।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे पुस्तकों, लेखाओं, संबंधित वाऊचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकारी के लेखाओं को उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

(5) केंद्रीय सरकार, संपरीक्षा रिपोर्ट को प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 9

बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध

बालक की पहचान के प्रकटन का प्रतिषेध।

74. (1) किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचारपत्र, पत्रिका या समाचार पृष्ठ या दृश्य-श्रव्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप में की किसी रिपोर्ट में ऐसे नाम, पते या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्टि को प्रकट नहीं किया जाएगा, जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या किसी पीड़ित बालक या किसी अपराध के साक्षी की, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे मामले में अंतर्वलित है, पहचान हो सकती है और न ही ऐसे किसी बालक का चित्र प्रकाशित किया जाएगा:

परंतु यथास्थिति, जांच करने वाला बोर्ड या समिति, ऐसा प्रकटन, लेखबद्ध किए जाने वाले ऐसे कारणों से तब अनुज्ञात कर सकेगी, जब उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के सर्वोत्तम हित में हो।

(2) पुलिस, चरित्र प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए या अन्यथा बालक के किसी अभिलेख का, ऐसे मामलों में प्रकटन नहीं करेगी जहां कि मामला बंद किया जा चुका हो या उसका निपटारा किया जा चुका हो।

(3) उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड।

75. जो कोई बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए उस बालक पर ऐसी रीति से, जिससे उस बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट होना संभाव्य हो, हमला करेगा, उसका परित्याग करेगा, उत्पीड़न करेगा, उसे उच्छन्न करेगा या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करेगा या उस पर हमला किया जाना, उसका परित्याग, उत्पीड़न, उच्छन्न या उसकी उपेक्षा किया जाना कारित करेगा या ऐसा किए जाने के लिए उसे उपाप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या एक लाख रुपए के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा:

परन्तु यदि यह पाया जाता है कि जैविक माता-पिता द्वारा बालक का ऐसा परित्याग उनके नियंत्रण के परे की परिस्थितियों के कारण है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा परित्याग जानबूझकर नहीं है और ऐसे मामलों में इस धारा के दांडिक उपबंध लागू नहीं होंगे:

परंतु यह और कि यदि ऐसा अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो किसी संगठन द्वारा नियोजित है या उसका प्रबंधन कर रहा है, जिसे बालक की देखरेख और संरक्षण सौंपा गया है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परंतु यह भी कि पूर्वोक्त क्रूरता के कारण यदि बालक शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है या उसे मानसिक रोग हो जाता है या वह मानसिक रूप से नियमित कार्यों को करने में अयोग्य हो जाता है या उसके जीवन या अंग को खतरा होता है, ऐसा व्यक्ति कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और पांच लाख रुपए के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन।

76. (1) जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक को नियोजित करता है या किसी बालक से भीख मंगवाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष की हो सकेगी और एक लाख रुपए के जुर्माने से भी दंडनीय होगा:

परंतु यदि भीख मांगने के प्रयोजन के लिए व्यक्ति बालक का अंगोच्छेदन करता है या उसे विकलांग बनाता है तो वह कारावास से, जो सात वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और पांच लाख रुपए के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) जो कोई बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के कारित करने का दुष्प्रेरण करता है, वह उपधारा (1) में यथा उपबंधित दण्ड से, दंडनीय होगा और ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (v) के अधीन अयोग्य माना जाएगा:

परंतु ऐसे बालक को किन्हीं भी परिस्थितियों में विधि का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा और उसे ऐसे संरक्षक या अभिरक्षक के भारसाधन या नियंत्रण से हटा लिया जाएगा और समुचित पुनर्वास के लिए समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

बालक को मादक लिकर या स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति।

77. जो कोई सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश के सिवाय किसी बालक को कोई मादक लिकर या कोई स्वापक ओषधि या तंबाकू उत्पाद या मन:प्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय, उसे साथ रखने, उसकी पूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग किया जाना।

78. जो कोई किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक ओषधि, मन:प्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय, साथ रखने, पूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख रुपए तक के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

किसी बाल कर्मचारी का शोषण।

79. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो कोई किसी नियोजन के प्रयोजन के लिए बालक को दृश्यमानत: लगाएगा या उसे बंधुआ रखेगा या उसके उपार्जनों को विधारित करेगा या उसके उपार्जन को अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी और एक लाख रुपए के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''नियोजन'' पद के अंतर्गत माल और सेवाओं का विक्रय और आर्थिक लाभ के लिए लोक स्थानों में मनोरंजन करना भी आएगा।

विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण किए बिना दत्तक ग्रहण करने के लिए दांडिक उपाय।

80. यदि कोई व्यक्ति या संगठन किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को इस अधिनियम में यथा उपबंधित उपबंधों या प्रक्रियाओं का अनुसरण किए बिना दत्तक ग्रहण करने के प्रयोजन के लिए प्रस्थापना करता है, उसे देता है या प्राप्त करता है, तो ऐसा व्यक्ति या संगठन, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या एक लाख रुपए के जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा:

परंतु ऐसे मामले में जहां अपराध किसी मान्यताप्राप्त दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा किया जाता है, दत्तक ग्रहण अभिकरण के भारसाधक और दिन-प्रतिदिन कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर अधिनिर्णीत उपरोक्त दंड के अतिरिक्त, ऐसे अभिकरण का धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण और धारा 65 के अधीन उसकी मान्यता को भी कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वापस ले लिया जाएगा।

बालकों का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय और उपापन।

81. ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी बालक का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय या क्रय करता है या उसे उपाप्त करता है, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और एक लाख रुपए के जुर्माने का भी दायी होगा:

परंतु जहां ऐसा अपराध बालक का वास्तविक भारसाधन रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत किसी अस्पताल या परिचर्या गृह या प्रसूति गृह के कर्मचारी भी हैं, किया जाता है, वहां कारावास की अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी और सात वर्ष तक की हो सकेगी।

शारीरिक दंड।

82. (1) किसी बालक देखरेख संस्था का भारसाधक या उसमें नियोजित कोई व्यक्ति, जो किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से किसी बालक को शारीरिक दंड देगा, वह प्रथम दोषसिद्धि पर दस हजार रुपए के जुर्माने से और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट संस्था में नियोजित कोई व्यक्ति, उस उपधारा के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध होता है तो ऐसा व्यक्ति सेवा से पदच्युति का भी दायी होगा और उसे उसके पश्चात् प्रत्यक्षत: बालकों के साथ कार्य करने से भी विवर्जित कर दिया जाएगा।

(3) ऐसे मामले में, जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संस्था में किसी शारीरिक दंड की रिपोर्ट की जाती है और ऐसी संस्था का प्रबंध तंत्र किसी जांच में सहयोग नहीं करता है या समिति या बोर्ड या न्यायालय या राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं करता है, वहां ऐसी संस्था के प्रबंध तंत्र का भारसाधक व्यक्ति, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, दण्डनीय होगा और वह जुर्माने का भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा।

उग्रवादी समूहों या अन्य वयस्कों द्वारा बालक का उपयोग।

83. (1) कोई गैर-राज्यिक, स्वयंभू उग्रवादी समूह या दल, जिसकी केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में घोषणा की गई है, यदि किसी प्रयोजन के लिए किसी बालक की भर्ती करता है या उसका उपयोग करता है, तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक ही हो सकेगी, भागी होगा और पांच लाख रुपए के जुर्माने का भी, दायी होगा।

(2) कोई वयस्क या कोई वयस्क समूह, बालकों का व्यष्टिक रूप से या किसी गैंग के रूप में अवैध कार्यकलापों के लिए उपयोग करता है, वह कठोर कारावास का, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, भागी होगा और पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा।

बालक का व्यपहरण और अपहरण।

1860 का 45

84. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से धारा 369 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित किसी ऐसे बालक या अवयस्क को लागू होंगे जो अठारह वर्ष से कम आयु का है और सभी उपबंधों का अर्थान्वयन तद्नुसार किया जाएगा।

नि:शक्त बालकों पर किए गए अपराध।

85. जो कोई इस अध्याय में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध को, किसी बालक पर, जिसे किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा इस प्रकार नि:शक्त रूप में प्रमाणित किया गया है, करता है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दुगुनी शास्ति का दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''नि:शक्तता'' पद का वही अर्थ होगा जो

1996 का 1

नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (झ) में उसका है।

अपराधों का वर्गीकरण और अभिहित न्यायालय।

86. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, वहां ऐसा अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और बालक न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक किंतु सात वर्ष से कम है, वहां ऐसा अपराध संज्ञेय, अजमानतीय होगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध तीन वर्ष से कम अवधि के कारावास से या केवल जुर्माने से दंडनीय है, वहां ऐसा अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा।

दुष्प्रेरण।

87. जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दुष्प्रेरित कृत्य कर दिया जाता है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित होगा।

स्पष्टीकरण—कोई कृत्य या अपराध, दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब माना जाएगा जब वह उकसाने के परिणामस्वरूप या षडयंत्र के अनुसरण में या ऐसी सहायता से, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है, किया जाता है।

वैकल्पिक दंड।

88. जहां कोई कार्य या लोप कोई ऐसा अपराध गठित करता है जो इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय है, वहां ऐसी किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी ऐसी विधि के अधीन उस दंड का भागी होगा, जो ऐसे दंड का उपबंध करता है जो मात्रा में अधिक है।

इस अध्याय के अधीन बालक द्वारा किया गया अपराध।

89. कोई बालक जो इस अध्याय के अधीन कोई अपराध करता है वह इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला बालक माना जाएगा।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

बालक के माता-पिता या संरक्षक की हाजिरी।

90. यथास्थिति, समिति या बोर्ड, जिसके समक्ष बालक, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन लाया जाता है, जब भी वह ऐसा करना ठीक समझे, बालक का वास्तविक भारसाधन रखने वाले माता-पिता या संरक्षक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस बालक के बारे में किसी कार्यवाही में उपस्थित हो।

बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना।

91. (1) यदि जांच के अनुक्रम में किसी प्रक्रम पर समिति या बोर्ड का समाधान हो जाता है कि बालक की हाजिरी जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक नहीं है तो, यथास्थिति, समिति या बोर्ड बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा और उसकी हाजिरी को कथन अभिलिखित करने के प्रयोजन तक सीमित करेगा और तत्पश्चात् संबंधित बालक की अनुपस्थिति में भी जांच तब तक जारी रहेगी जब तक समिति या बोर्ड द्वारा अन्यथा आदेश न किया जाए।

(2) जहां बोर्ड या समिति के समक्ष बालक की हाजिरी अपेक्षित है, वहां ऐसा बालक स्वयं और बालक के साथ एक अनुरक्षक, यथास्थिति, बोर्ड या समिति या जिला बालक संरक्षण एकक द्वारा वास्तविक उपगत व्यय के अनुसार यात्रा प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।

किसी अनुमोदित स्थान पर दीर्घकालिक चिकित्सा उपचार की अपेक्षा वाले रोग से पीड़ित बालक का स्थानन।

92. जब किसी ऐसे बालक के बारे में, जिसे समिति या बोर्ड के समक्ष लाया गया है, यह पाया जाता है कि वह ऐसे रोग से पीड़ित है जिसके लिए लंबे समय तक चिकित्सीय उपचार की अपेक्षा होगी या उसे कोई शारीरिक या मानसिक व्याधि है, जो उपचार से ठीक हो जाएगी, तब, यथास्थिति, समिति या बोर्ड बालक को ऐसे समय के लिए, जिसे वह अपेक्षित उपचार के लिए आवश्यक समझता है, किसी उपयुक्त सुविधातंत्र के रूप में मान्यताप्राप्त किसी स्थान पर, जो विहित किया जाए, भेज सकेगा।

ऐसे बालक का स्थानांतरण, जो मानसिक रूप से बीमार है या अल्कोहल या अन्य मादक द्रव्यों का आदी है।

93. (1) जहां समिति या बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अनुसरण में किसी विशेष गृह या किसी संप्रेषण गृह या किसी बाल गृह या किसी संस्था में रखा गया कोई बालक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है या अल्कोहल या ऐसी अन्य मादक द्रव्यों का आदी है जिससे किसी व्यक्ति में व्यवहारात्मक परिवर्तन हो जाते हैं, वहां समिति या बोर्ड, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, ऐसे बालक को मनोचिकित्सा अस्पताल या मनोचिकित्सा परिचर्या गृह ले जाने का आदेश कर सकेगा। 1987 का 14

(2) यदि बालक को उपधारा (1) के अधीन किसी मनोचिकित्सा अस्पताल या मनोचिकित्सा परिचर्या गृह में ले जाया गया था तो समिति या बोर्ड मनोचिकित्सा अस्पताल या मनोचिकित्सा परिचर्या गृह के छुट्टी दिए जाने के प्रमाणपत्र में दिए गए परामर्श के आधार पर ऐसे बालक को आदी व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों (जिसके अंतर्गत किसी स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ भी हैं) के लिए चलाए जा रहे वैसे ही केन्द्रों में से किसी में भेज सकेगा और ऐसा भेजा जाना केवल बालक के अंत:रोगी उपचार के लिए अपेक्षित अवधि के लिए होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''आदी व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्र'' का वही अर्थ है जो केन्द्रीय सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विरचित ''अल्कोहालिजम और

पदार्थ (ओषधियां) दुरुपयोग के निवारण के लिए और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की सहायता स्कीम'' या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्स्थानी स्कीम में उसका है;

(ख) ''मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति'' का वही अर्थ है जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (ठ) में उसका है; 1987 का 14

(ग) ''मनोचिकित्सा अस्पताल'' या ''मनोचिकित्सा परिचर्या गृह'' का वही अर्थ है, जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (थ) में उनका है। 1987 का 14

आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारण।

94. (1) जहां बोर्ड या समिति को, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन (साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न) उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की प्रतीति के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त व्यक्ति बालक है तो समिति या बोर्ड बालक की यथासंभव सन्निकट आयु का कथन करते हुए ऐसे संप्रेषण को अभिलिखित करेगा और आयु की और अभिपुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना, यथास्थिति, धारा 14 या धारा 36 के अधीन जांच करेगा।

(2) यदि समिति या बोर्ड के पास इस संबंध में संदेह होने के युक्तियुक्त आधार हैं कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो, यथास्थिति, समिति या बोर्ड, निम्नलिखित साक्ष्य अभिप्राप्त करके आयु अवधारण की प्रक्रिया का जिम्मा लेगा—

(i) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;

(ii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र;

(iii) और केवल उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जाएगा:

परंतु समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई ऐसी आयु अवधारण जांच ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरी की जाएगी।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा उसके समक्ष इस प्रकार लाए गए व्यक्ति की अभिलिखित आयु, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति की सही आयु समझी जाएगी।

बालक का उसके निवास-स्थान को स्थानांतरण।

95. (1) यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है कि बालक अधिकारिता के बाहर के स्थान से है तो, यथास्थिति, बोर्ड या समिति सम्यक् जांच के पश्चात्,यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि यह बालक के सर्वोत्तम हित में है और बालक के गृह जिले की समिति या बोर्ड के साथ सम्यक् परामर्श करके उक्त समिति या बोर्ड को सुसंगत दस्तावेजों के साथ और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, जैसी विहित की जाए, यथाशीघ्र बालक के स्थानांतरण का आदेश करेगा:

परंतु ऐसा स्थानांतरण विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की दशा में जांच पूरी होने और बोर्ड द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के पश्चात् ही किया जाएगा:

परंतु यह और कि अंतरराज्यिक स्थानांतरण की दशा में बालक को यदि सुविधाजनक हो तो, यथास्थिति, बालक के गृह जिले की समिति या बोर्ड को या गृह राज्य की राजधानी नगर की समिति या बोर्ड को सौंपा जाएगा।

(2) स्थानांतरण के आदेश को अंतिम रूप दे दिए जाने पर, यथास्थिति, समिति या बोर्ड विशेष किशोर पुलिस एकक को ऐसा आदेश प्राप्त करने के पन्द्रह दिन के भीतर बालक की अनुरक्षा के लिए अनुरक्षा आदेश देगा:

परंतु किसी बालिका के साथ महिला पुलिस अधिकारी होगी:

परंतु यह और कि जहां कोई विशेष किशोर पुलिस एकक उपलब्ध नहीं है वहां, यथास्थिति, समिति या बोर्ड उस संस्था को, जहां बालक अस्थायी रूप से ठहरा हुआ है या जिला बालक संरक्षण एकक को यात्रा के दौरान बालक की अनुरक्षा के लिए निदेश देगा।

(3) राज्य सरकार बालक की अनुरक्षा के लिए कर्मचारिवृंद को यात्रा भत्ता उपलब्ध करने के लिए नियम बनाएगी, जिसका अग्रिम संदाय किया जाएगा।

(4) स्थानांतरित बालक को प्राप्त करने वाला, यथास्थिति, बोर्ड या समिति प्रत्यावर्तन या पुनर्वास या समाज में पुन: मिलाने की इस अधिनियम में यथा उपबंधित प्रक्रिया को पूरा करेगी।

बालक का भारत के विभिन्न भागों में बाल गृहों या विशेष गृहों या उचित सुविधा तंत्रों या योग्य व्यक्तियों को स्थानांतरण।

96. (1) राज्य सरकार किसी भी समय, यथास्थिति, बोर्ड या समिति की सिफारिश पर, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए संबंधित समिति या बोर्ड को पूर्व सूचना के साथ, बालक को किसी बाल गृह या विशेष गृह या उचित सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति से राज्य के भीतर किसी गृह या सुविधा तंत्र में स्थानांतरण का आदेश दे सकेगी:

परंतु उसी जिले के भीतर वैसी ही गृह या सुविधा तंत्र या व्यक्ति के बीच बालक के स्थानांतरण के लिए उक्त जिले की यथास्थिति समिति या बोर्ड ऐसा आदेश जारी करने के लिए सक्षम होगा।

(2) यदि राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण का आदेश राज्य से बाहर की किसी संस्था को किया जाता है तो ऐसा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से ही किया जाएगा।

(3) बालक की ऐसे बाल गृह या विशेष गृह में ठहरने की कुल अवधि को ऐसे स्थानांतरण से बढ़ाया नहीं जाएगा।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश, उस क्षेत्र की यथास्थिति, समिति या बोर्ड के लिए प्रवर्तित किए गए समझे जाएंगे, जिसमें बालक को भेजा जाता है।

किसी संस्था से बालक को निर्मुक्त करना।

97. (1) जब किसी बालक को किसी बाल गृह या विशेष गृह में रखा जाता है, तो यथास्थिति, किसी परिवीक्षा अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या सरकार या स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन की रिपोर्ट पर समिति या बोर्ड ऐसे बालक को या तो आत्यंतिक रूप से या ऐसी शर्तों पर, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, बालक को माता-पिता या संरक्षक के साथ रहने या आदेश में नामित ऐसे किसी प्राधिकृत व्यक्ति के पर्यवेक्षणाधीन रहने की अनुज्ञा देते हुए, जो उसे प्राप्त करने और भारसाधन में लेने का, बालक को शिक्षित बनाने और किसी उपयोगी व्यापार या आजीविका के लिए प्रशिक्षित करने या पुनर्वास के लिए उसकी देखरेख करने के लिए उसे लेने और भारसाधन में लेने का इच्छुक हो, निर्मुक्त करने पर विचार कर सकेगी:

परंतु यदि कोई बालक जिसे इस धारा के अधीन सशर्त निर्मुक्त किया गया है या वह व्यक्ति, जिसके पर्यवेक्षण के अधीन बालक को रखा गया है, ऐसी शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो बोर्ड या समिति, यदि आवश्यक हो तो बालक को भारसाधन में ले सकेगी और बालक को संबंधित गृह में वापस रख सकेगी।

(2) यदि बालक को अस्थायी आधार पर निर्मुक्त किया गया है तो वह समय, जिसके दौरान बालक उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा के अनुसरण में संबंधित गृह में उपस्थित नहीं है, उस समय का भाग माना जाएगा, जिसके लिए बालक, बाल गृह या विशेष गृह में रखे जाने का भागी है:

परंतु विधि का उल्लंघन करने वाला बालक उपधारा (1) में यथावर्णित बोर्ड द्वारा अधिकथित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उस समय का, जिसके लिए वह संस्था में रखे जाने का अभी भी भागी है, बोर्ड द्वारा, ऐसी असफलता के कारण समाप्त हुए समय के बराबर समय तक विस्तार किया जाएगा।

किसी संस्था में रखे गए बालक को अनुपस्थिति की इजाजत।

98. (1) यथास्थिति, बोर्ड या समिति, किसी बालक को विशेष अवसरों जैसे परीक्षा, नातेदारों का विवाह, मित्र या परिजन की मृत्यु या दुर्घटना या माता-पिता के गंभीर रोग या ऐसी ही प्रकृति की आकस्मिकता पर पर्यवेक्षण के अधीन साधारणतया एक बार में सात दिन से अनधिक की अवधि के लिए, जिसके अंतर्गत यात्रा में लगने वाला समय नहीं है, अनुज्ञात करने के लिए अनुपस्थिति की इजाजत दे सकेगा।

(2) उस समय को, जिसके दौरान कोई बालक उस संस्था से, जिसमें उसे रखा गया है, इस धारा के अधीन दी गई अनुज्ञा के अनुसरण में अनुपस्थित है, उस समय का भाग माना जाएगा जिसके लिए वह बाल गृह या विशेष गृह में रखे जाने का भागी है।

(3) यदि कोई बालक, छुट्टी की अवधि की समाप्ति पर या अनुज्ञा प्रतिसंहृत या समपहृत किए जाने पर यथास्थिति, बाल गृह या विशेष गृह में वापस आने से इंकार करता है या आने में असफल रहता है तो बोर्ड या समिति यदि आवश्यक हो तो उसे भारसाधन मे लाएगी और संबंधित गृह में वापस करेगी:

परंतु विधि का उल्लघंन करने वाला कोई बालक छुट्टी की अवधि की समाप्ति पर या अनुज्ञा प्रतिसंहृत या समपहृत किए जाने पर विशेष गृह में वापस आने में असफल रहता है तो उस अवधि का, जिसके लिए वह संस्था में रखे जाने का अभी भी भागी है, बोर्ड द्वारा उस अवधि में बराबर अवधि तक, जो ऐसी असफलता के कारण समाप्त हो गई है, विस्तार कर दिया जाएगा।

रिपोर्टों का गोपनीय माना जाना।

99. (1) बालक से संबंधित सभी रिपोर्टें, जिन पर समिति या बोर्ड द्वारा विचार किया गया है, गोपनीय मानी जाएंगी:

परंतु यथास्थिति, समिति या बोर्ड यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो उसका सार किसी अन्य समिति या बोर्ड या बालक या बालक के माता या पिता या संरक्षक को संसूचित कर सकेगा और ऐसी समिति या बोर्ड या बालक या माता या पिता या संरक्षक को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे सकेगा जो रिपोर्ट में कथित विषय से सुसंगत हो।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पीड़ित को उसके मामले के अभिलेख, आदेशों और सुसंगत कागज-पत्रों तक पहुंच से इंकार नहीं किया जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

100. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के निदेशों के अधीन कार्रवाई करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

अपीलें।

101. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन समिति या बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसा आदेश किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, पोषण, देखरेख और प्रवर्तकता पश्च देखरेख संबंधी समिति के ऐसे विनिश्चयों के सिवाय, जिनके संबंध में अपील जिला मजिस्ट्रेट को होगी, बालक न्यायालय में अपील कर सकेगा:

परंतु, यथास्थिति, बालक न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट, तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को पर्याप्त कारणों से समय पर अपील करने से निवारित किया गया था और ऐसी अपील का विनिश्चय तीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 15 के अधीन किसी जघन्य अपराध का प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात्, बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील सेशन न्यायालय को होगी और वह न्यायालय अपील का विनिश्चय करते समय अनुभवी मनोचिकित्सकों और चिकित्सा विशेषज्ञों की, उनसे भिन्न जिनकी सहायता बोर्ड द्वारा उक्त धारा के अधीन आदेश पारित करने में अभिप्राप्त की जा चुकी है, सहायता ले सकेगा।

(3) (क) ऐसे किसी बालक के संबंध में, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि उसने ऐसा कोई अपराध किया है, जो ऐसे किसी बालक द्वारा, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो सोलह वर्ष से अधिक आयु का है, किए गए जघन्य अपराध से भिन्न है, बोर्ड द्वारा किए गए दोषमुक्ति के आदेश; या

(ख) समिति द्वारा, इस निष्कर्ष के संबंध में कि वह व्यक्ति ऐसा बालक नहीं है जिसे देखरेख और संरक्षा की आवश्यकता हो, किए गए किसी आदेश,

के विरुद्ध अपील नहीं होगी।

(4) इस धारा के अधीन अपील में पारित सेशन न्यायालय के किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं होगी।

(5) बालक न्यायालय के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा। 1974 का 2

पुनरीक्षण।

102. उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से या इस निमित्त प्राप्त किसी आवेदन पर, किसी भी समय, किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें किसी समिति या बोर्ड या बालक न्यायालय या न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया हो, अभिलेख, आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे:

परंतु उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं करेगा।

जांच, अपीलों और पुनरीक्षण कार्यवाहियों में प्रक्रिया।

103. (1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, समिति या बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अधीन जांच करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाए और उसके अधीन रहते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में समन मामलों के विचारण के लिए अधिकथित प्रक्रिया का यथाशक्य अनुसरण करेगा। 1974 का 2

(2) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपीलों या पुनरीक्षण कार्यवाहियों में सुनवाई करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया यथासाध्य दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार होगी। 1974 का 2

समिति या बोर्ड की अपने आदेशों को संशोधित करने की शक्ति।

104. (1) इस अधिनियम में अपील और पुनरीक्षण संबंधी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति या बोर्ड इस निमित्त प्राप्त किसी आवेदन पर अपने द्वारा पारित किन्हीं आदेशों को संशोधित कर सकेगा जो उस संस्था के बारे में हों, जिसमें किसी बालक को भेजा जाना है या उस व्यक्ति के बारे में हो, जिसकी देखरेख या पर्यवेक्षण में किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन रखा जाना है:

परंतु ऐसे किन्हीं आदेशों का संशोधन करने के लिए सुनवाई के दौरान बोर्ड के कम से कम दो सदस्य, जिनमें से एक प्रधान मजिस्ट्रेट होगा और समिति के कम से कम तीन सदस्य और संबंधित सभी व्यक्ति या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होंगे, जिनके विचारों को उक्त आदेश का संशोधन करने के पूर्व, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा सुना जाएगा।

(2) समिति या बोर्ड द्वारा पारित आदेशों में की लिपिकीय भूलें या उनमें किसी आकस्मिक चूक या लोप से होने वाली गलतियां किसी समय, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त प्राप्त किसी आवेदन पर सुधारी जा सकेंगी।

किशोर न्याय निधि।

105. (1) राज्य सरकार, ऐसे नाम में, जो वह उचित समझे, बालकों के जिनके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जाती है, कल्याण और पुनर्वास के लिए एक निधि का सृजन कर सकेगी।

(2) निधि में ऐसे स्वैच्छिक संदानों, अभिदायों या अभिदानों का प्रत्यय किया जाएगा, जो किसी व्यष्टि या संगठन द्वारा किए जाएं।

(3) उपधारा (1) के अधीन सृजित निधि का प्रशासन इस अधिनियम को कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकार के विभाग द्वारा ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो विहित किए जाएं।

राज्य बालक संरक्षण सोसाइटी और जिला बालक संरक्षण एकक।

106. प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य के लिए बालक संरक्षण सोसाइटी और प्रत्येक जिले के लिए बालक संरक्षण एकक का गठन करेगी, जो ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से मिलकर बनेगी, जो उस सरकार द्वारा इस अधिनियम के, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन संस्थाओं की स्थापना और अनुरक्षण भी है, बालकों और उनके पुनर्वास तथा संबंधित विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ समन्वय के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों की अधिसूचना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, जो विहित किए जाएं, नियुक्त किए जाएं।

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस एकक।

107. (1) प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सहायक उपनिरीक्षक से अन्यून पंक्ति के कम से कम एक अधिकारी को, जिसके पास योग्यता, समुचित प्रशिक्षण और स्थिति ज्ञान हो, पुलिस, स्वैच्छिक और गैर-सरकारी संगठनों के समन्वय से अनन्य रूप से बालकों पर या तो पीड़ितों या अपराधियों के रूप में कार्रवाई करने के लिए, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में अभिहित किया जा सकेगा।

(2) बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए, राज्य सरकार प्रत्येक जिले और नगर में विशेष किशोर पुलिस एककों का गठन करेगी, जिनका प्रधान उप पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक का पुलिस अधिकारी होगा और जिसमें उपधारा (1) के अधीन अभिहित सभी पुलिस अधिकारी होंगे और बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखने वाले दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें एक महिला होगी, होंगे।

(3) विशेष किशोर पुलिस एककों के सभी पुलिस अधिकारियों को, विशेषकर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में समावेश करने पर, विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक प्रभावी रूप से कर सकें।

(4) विशेष किशोर पुलिस एकक के अंतर्गत बालकों से संबंधित रेल पुलिस भी हैं।

अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता।

108. केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक उपाय करेगी कि—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों का मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी है, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाए, जिससे कि जनसाधारण, बालकों और उनके माता-पिता अथवा संरक्षकों को ऐसे उपबंधों की जानकारी हो सके;

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को, इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन से संबंधित विषयों पर नियतकालिक प्रशिक्षण दिया जाए।

अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना।

2006 का 4

109. (1) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की, यथास्थिति, धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग और धारा 17 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग (जिन्हें इसमें, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग कहा गया है) उक्त अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे गए कृत्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, मानीटर भी करेंगे।

(2) यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी विषय में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो बालक अधिकार संरक्षण

2006 का 4

आयोग अधिनियम, 2005 के अधीन राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग में निहित हैं।

(3) यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग इस धारा के अधीन के अपने क्रियाकलापों को

2006 का 4

बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 16 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट में भी सम्मिलित करेगा।

नियम बनाने की शक्ति।

110. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी:

परंतु केन्द्रीय सरकार ऐसे सभी या किन्हीं विषयों की बाबत माडल नियम विरचित कर सकेगी, जिनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाया जाना अपेक्षित है और जहां ऐसे माडल नियम किसी ऐसे विषय के संबंध में विरचित किए गए हैं, वे आवश्यक उपांतरणों सहित राज्य को तब तक लागू होंगे जब तक उस विषय के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियम नहीं बना लिए जाते हैं और जब ऐसे नियम बनाए जाएं तो वे ऐसे माडल नियमों के अनुरूप होंगे।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्ननिलिखित सभी विषयों या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(i) धारा 2 की उपधारा (14) के खंड (vii) के अधीन गुमशुदा या भागा हुआ बालक जिसके माता-पिता का पता नहीं लगाया जा सकता है की दशा में जांच की रीति;

(ii) धारा 2 की उपधारा (18) के अधीन किसी बालगृह से सहबद्ध बाल कल्याण अधिकारी के दायित्व;

(iii) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की अर्हताएं;

(iv) धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड के सभी सदस्यों का समावेश प्रशिक्षण और संवेदीकरण;

(v) धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और वह रीति जिसमें ऐसा सदस्य पद त्याग सकेगा;

(vi) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के अधिवेशनों का समय और उसकी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के नियम;

(vii) धारा 8 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन किसी दुभाषिए या अनुवादक की अर्हताएं, अनुभव और फीस का संदाय;

(viii) धारा 8 की उपधारा (3) के खंड (ढ) के अधीन बोर्ड का कोई अन्य कृत्य;

(ix) वे व्यक्ति जिनके माध्यम से धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन कथित विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा और वे रीति जिसमें ऐसे बालक को किसी अन्वेषण गृह या सुरक्षित स्थान में भेजा जा सकेगा;

(x) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसे उसके द्वारा जमानत पर छोड़ा नहीं गया है, संबंध में ऐसी रीति, जिसमें उस व्यक्ति को तब तक संप्रेक्षण गृह में रखा जाएगा जब तक कि उसे बोर्ड के समक्ष पेश न किया जाए;

(xi) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन त्रैमासिक आधार पर बोर्ड द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को लंबन की सूचना देने का रूप-विधान;

(xii) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन मानिटरी प्रक्रियाएं और मानीटरी प्राधिकारियों की सूची;

(xiii) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति जिसमें बोर्ड, पुलिस या न्यायालय द्वारा बालक के सुसंगत अभिलेखों को नष्ट किया जा सकेगा;

(xiv) धारा 27 की उपधारा (5) के अधीन बाल कल्याण समिति के सदस्यों की अर्हताएं;

(xv) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन बाल कल्याण समिति की बैठकों में कारबार का संव्यवहार करने के संबंध में नियम और प्रक्रियाएं;

(xvi) धारा 30 के खंड (भ) के अधीन परित्यक्त या खोए हुए बालकों को उनके कुटुंबों को प्रत्यावर्तित करने की प्रक्रिया;

(xvii) धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की रीति और बालक को बालगृह या आश्रयगृह या उचित सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति को भेजने और सौंपने की रीति;

(xviii) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन बाल कल्याण समिति द्वारा जांच करने की रीति;

(xix) धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन यदि बालक छह वर्ष से कम आयु का है तो बालक को विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, बालगृह या उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति या पोषण कुटुंब में तब तक भेजने की रीति जब तक बालक के समुचित पुनर्वास के लिए उचित साधन नहीं मिल जाते हैं जिसके अंतर्गत वह रीति भी है जिसमें बालगृह में या उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति या पोषण कुटुंब में रखे गए बालक की स्थिति का समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकेगा;

(xx) वह रीति जिसमें धारा 36 की उपधारा (4) के अधीन समिति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को मामलों के लंबन के पुनर्विलोकन की त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकेगी;

(xxi) धारा 37 की उपधारा (2) के खंड (iii) के अधीन समिति के अन्य कृत्यों से संबंधित कोई अन्य आदेश;

(xxii) धारा 38 की उपधारा (5) के अधीन समिति द्वारा राज्य अभिकरण और प्राधिकरण को विधिक रूप से दत्तक ग्रहण करने के लिए मुक्त घोषित बालकों की संख्या और लंबित मामलों की संख्या के संबंध में प्रत्येक मास दी जाने वाली सूचना;

(xxiii) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें इस अधिनियम के अधीन सभी संस्थाओं को रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा;

(xxiv) कोई संस्था जो धारा 41 की उपधारा (7) के अधीन ऐसी संस्था जो पुनर्वास और पुनः एकीकरण सेवाएं प्रदान करने में असफल रहती है के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या विधारित करने की प्रक्रिया;

(xxv) धारा 43 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति जिसमें खुले आश्रय द्वारा जिला बाल संरक्षण एकक और समिति को प्रतिमास सूचना भेजी जाएगी;

(xxvi) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन बालकों को पोषण देखरेख, जिसके अंतर्गत समूह पोषण देखरेख भी है, में रखने की प्रक्रिया;

(xxvii) धारा 44 की उपधारा (4) के अधीन पोषण देखरेख में बालकों के निरीक्षण की प्रक्रिया;

(xxviii) धारा 44 की उपधारा (6) के अधीन वह रीति जिसमें पोषण कुटुंब द्वारा बालक को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान किया जाएगा;

(xxix) धारा 44 की उपधारा (7) के अधीन वह प्रक्रिया और मानदण्ड जिसमें बालकों को पोषण देखरेख सेवाएं प्रदान की जाएंगी;

(xxx) धारा 45 की उपधारा (8) के अधीन बालकों की भलाई का पता लगाने के लिए समिति द्वारा पोषण कुटुंबों के निरीक्षण का रूप विधान;

(xxxi) धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन बालकों की प्रवर्तकता के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे व्यष्टि से व्यष्टि प्रवर्तकता, समूह प्रवर्तकता या सामुदायिक प्रवर्तकता का जिम्मा लेने का प्रयोजन;

(xxxii) धारा 45 की उपधारा (3) के अधीन प्रवर्तकता की अवधि;

(xxxiii) धारा 47 के अधीन अठारह वर्ष की आयु पूरा करने वाले, संस्था की देखरेख छोड़ने वाले किसी बालक को वित्तीय सहायता प्रदान करने की रीति;

(xxxiv) धारा 47 की उपधारा (3) के अधीन संप्रेक्षण गृहों का प्रबंध और मानीटरी जिसके अंतर्गत विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित किसी बालक के पुनर्वास और समाज में पुनः मिलानें के लिए मानक और उनके द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाएं और वे

परिस्थितियां भी हैं जिनके अधीन और वह रीति जिसमें किसी संप्रेक्षण गृह को रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा सकेगा या प्रतिसंहृत किया जा सकेगा;

(xxxv) धारा 48 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन विशेष गृहों का प्रबंधन और मानीटरी जिसके अंतर्गत मानक और उनके द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी हैं;

(xxxvi) धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन बालगृहों की मानीटरी और प्रबंधन जिसके अंतर्गत मानक और उनके द्वारा प्रत्येक बालक के लिए व्यष्टिक देखरेख योजनाओं पर आधारित उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की प्रकृति है;

(xxxvii) धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें बोर्ड या समिति, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे किसी सुविधा तंत्र को, बालक की देखरेख के लिए सुविधातंत्र और संगठन की उपयुक्तता के संबंध में सम्यक् जांच के पश्चात् किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए बालक का अस्थायी रूप से लेने के लिए मान्यता;

(xxxviii) बोर्ड या समिति द्वारा धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन किसी बालक की देखरेख, संरक्षण और उपचार के लिए ऐसे बालक को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को योग्य के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए प्रत्यय पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया;

(xxxix) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें इस अधिनियम के अधीन बालकों के पुनर्वास और पुनः मिलाने के लिए आधारभूत अपेक्षाओं जैसे खाद्य, आश्रय, वस्त्र और चिकित्सा की सुविधाएं किसी संस्था द्वारा उपलब्ध की जाएंगी;

(xl) धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति जिसमें संस्थान के प्रबंधन और प्रत्येक बालक की प्रगति की मानीटरी करने के लिए प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रबंधन समिति स्थापित की जाएगी;

(xli) धारा 53 की उपधारा (3) के अधीन बाल समितियों द्वारा किए जा सकने वाले कार्यकलाप;

(xlii) धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन राज्य और जिले के लिए रजिस्ट्रीकृत या उचित रूप में मान्यता प्रदान की गई सभी संस्थाओं के लिए निरीक्षण समितियों की नियुक्ति;

(xliii) धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बोर्ड, समिति, विशेष किशोर पुलिस एककों, रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं या मान्यता प्राप्त उचित सुविधा तंत्रों और व्यक्तियों के कार्यकरण का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकेगी जिसके अंतर्गत अवधि और व्यक्ति या संस्थाओं के माध्यम से भी है;

(xliv) धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति जिसमें संस्थाएं विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए गए बालकों के ब्यौरे प्रस्तुत करेंगी;

(xlv) धारा 68 के खंड (ङ) के अधीन प्राधिकरण के कोई अन्य कृत्य;

(xlvi) धारा 69 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति के सदस्यों के चयन या नामनिर्देशन का मानदंड और उनकी पदावधि के साथ उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें;

(xlvii) धारा 69 की उपधारा (4) के अधीन वह रीति जिसमें प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति बैठक करेगी;

(xlviii) धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी;

(xlix) धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के कृत्य;

(l) धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें प्राधिकरण, उचित लेखे और सुसंगत दस्तावेज रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा;

(li) धारा 92 के अधीन वह अवधि जो समिति या बोर्ड द्वारा, बालकों के, जो ऐसे रोग से ग्रस्त हैं जिसके लिए लंबे चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है या जिन्हें शारीरिक या मानसिक रोग है, जिसका उपचार किसी उचित सुविधा तंत्र में होगा, के उपचार के लिए आवश्यक समझी जाए;

(lii) धारा 95 की उपधारा (1) के अधीन किसी बालक को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया;

(liii) धारा 95 की उपधारा (3) के अधीन बालक के अनुरक्षक कर्मचारिवृंद को यात्रा भत्ते का उपबंध;

(liv) धारा 103 की उपधारा (1) के अधीन समिति या किसी बोर्ड द्वारा कोई जांच, अपील या पुनरीक्षण करते समय अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(lv) धारा 105 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति जिसमें किशोर न्याय निधि को प्रशासित किया जाएगा;

(lvi) धारा 106 के अधीन राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी और प्रत्येक जिले के लिए बाल संरक्षण एककों का कार्यकरण;

(lvii) धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को समर्थ बनाना;

(lviii) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित करना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

2000 का 56

111. (1) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

112. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी: कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) तथापि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

———————

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 11)

[21 मार्च, 2016]

माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति और सेवाओं के मानकीकरण, अनुरूपता, निर्धारण और क्वालिटी आश्वासन के क्रियाकलापों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए एक राष्ट्रीय मानक निकाय की स्थापना के लिए और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) ''वस्तु'' से कृत्रिम या प्राकृतिक, या अंशत: कृत्रिम या अंशत: प्राकृतिक कोई पदार्थ अभिप्रेत है, चाहे वह भारत के भीतर कच्चा या अंशत: या पूर्णत: प्रसंस्कृत या विनिर्मित या हस्तनिर्मित या भारत में आयातित हो;

(2) ''परख और हॉलमार्क केंद्र'' से मूल्यवान धातु की वस्तुओं की शुद्धता को अवधारित करने और मूल्यवान धातु की वस्तुओं पर ऐसी रीति में हॉलमार्क लगाने के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त परीक्षण और चिह्नांकन केंद्र अभिप्रेत है;

(3) ''ब्यूरो'' से धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है;

(4) ''प्रमाणन अधिकारी'' से धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई प्रमाणन अधिकारी अभिप्रेत है;

(5) ''प्रमाणित निकाय'' से किसी ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जो किसी मानक के अनुरूप है, के संबंध में धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन अनुरूपता या अनुज्ञप्ति का प्रमाणपत्र धारक अभिप्रेत है;

(6) ''प्रमाणित जौहरी'' से ऐसा जौहरी अभिप्रेत है जिसको ब्यूरो द्वारा किसी मूल्यवान धातु की वस्तु को ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, हॉलमार्क करने के पश्चात् विक्रय हेतु विनिर्माण कराने या उसका विक्रय करने के लिए कोई प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;

(7) ''अनुरूपता निर्धारण'' से ऐसा प्रदर्शन अभिप्रेत है कि किसी धातु, प्रसंस्करण, पद्धति, सेवा, व्यक्ति या निकाय से संबंधित ऐसी अपेक्षाओं को पूरा किया गया है, जो विनिर्दिष्ट की जाएं;

(8) ''अनुरूपता निर्धारण स्कीम'' से ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा से संबंधित कोई ऐसी स्कीम अभिप्रेत है, जिसे ब्यूरो द्वारा धारा 12 के अधीन अधिसूचित किया जाए;

(9) ''उपभोक्ता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में यथा परिभाषित है; 1986 का 68

(10) ''आवेष्टक'' के अंतर्गत कोई डाट, मंजूषा, बोतल, बर्तन, बक्सा, टोकरा, ढक्कन, कैप्सूल, पेटी, चौखटा, लपेटन, थैला, बोरा, थैली या अन्य आधान भी हैं;

(11) ''महानिदेशक'' से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त महानिदेशक अभिप्रेत है;

(12) ''कार्यकारिणी समिति'' से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है;

(13) ''निधि'' से धारा 20 के अधीन गठित निधि अभिप्रेत है;

(14) ''माल'' से अनुयोज्य दावों, धन, स्टॉक और शेयरों से भिन्न माल विक्रय अधिनियम, 1930 के अधीन सभी प्रकार की जंगम संपत्तियां अभिप्रेत हैं; 1930 का 3

(15) ''शासी परिषद्'' से धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित कोई शासी परिषद् अभिप्रेत है;

(16) ''हॉलमार्क'' से बहुमूल्य धातु की वस्तुओं के संबंध में, मानक चिह्न अभिप्रेत है, जो सुसंगत भारतीय मानक के अनुसार उस वस्तु में बहुमूल्य धातु की आनुपातिक अंतर्वस्तु को उपदर्शित करता है;

(17) ''भारतीय मानक'' से किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में ब्यूरो द्वारा स्थापित और प्रकाशित मानक, जिसके अंतर्गत कोई प्रायोगिक या अनन्तिम मानक भी है, अभिप्रेत है, जो ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की क्वालिटी और विनिर्देश का सूचक है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन ब्यूरो द्वारा अंगीकृत कोई मानक; और

(ii) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अधीन स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित और प्रकाशित या मान्यताप्राप्त कोई मानक, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त था; 1986 का 63

1860 का 21

(18) ''भारतीय मानक संस्था'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत भारतीय मानक संस्थान अभिप्रेत है;

(19) ''जौहरी'' से विक्रय हेतु मूल्यवान धातु की वस्तुओं का विनिर्माण कराने के या मूल्यवान धातु की वस्तुओं का विक्रय करने के कारबार में लगा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(20) ''अनुज्ञप्ति'' से किसी ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में, जो किसी मानक के अनुरूप है, विनिर्दिष्ट मानक चिह्न उपयोग करने के लिए धारा 13 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(21) ''विनिर्माता'' से किसी माल या वस्तु का डिजाइन तैयार करने और उसका विनिर्माण करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(22) ''चिह्न'' के अंतर्गत कोई आकृति, छाप, सिरा, लेबल, टिकट, चित्ररूपण, नाम, हस्ताक्षर, शब्द, अक्षर या अंक या उनका कोई संयोजन भी है;

(23) ''सदस्य'' से शासी परिषद्, कार्यकारिणी समिति या किसी सलाहकार समिति का सदस्य अभिप्रेत है;

(24) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित करना'' या ''अधिसूचित'' शब्द के प्रयोग का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(25) ''व्यक्ति'' से माल या वस्तु का कोई विनिर्माता, आयातकर्ता, वितरक, फुटकर विक्रेता, विक्रेता या पट्टाकर्ता या कोई सेवा प्रदाता या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जो माल या वस्तु पर अपना नाम, व्यापार चिह्न या कोई अन्य भिन्न चिह्न या कोई सेवा प्रदान करते समय किसी प्रतिफल के लिए उनका उपयोग करता या उन्हें प्रयुक्त करता है या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पुरस्कार या दान के रूप में माल या वस्तुएं देता है या सेवा प्रदान करता है और इसमें उनके प्रतिनिधि तथा ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो ऐसे क्रियाकलापों में लगा है, जहां विनिर्माता, आयातकर्ता, वितरक, फुटकर विक्रेता, विक्रेता, पट्टाकर्ता या सेवा प्रदाता की पहचान नहीं हो सकती;

(26) ''मूल्यवान धातु'' से सोना, चांदी, प्लेटिनम और प्लैडियम अभिप्रेत है;

(27) ''मूल्यवान धातु की वस्तु'' से पूर्णत: या भागत: मूल्यवान धातुओं या उनके मिश्रातु से बनाई गई कोई वस्तु अभिप्रेत है;

(28) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(29) ''प्रसंस्करण'' से ऐसी अंतर-संबंधी या अंतर-क्रियात्मक क्रियाकलापों का सैट अभिप्रेत है, जो आगम को निर्गमों में परिवर्तित करता है;

(30) ''मान्यताप्राप्त परीक्षण और चिह्नांकन केंद्र'' से धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त कोई परीक्षण और चिह्नांकन केंद्र अभिप्रेत है;

(31) ''मान्यताप्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला'' से धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त कोई परीक्षण प्रयोगशाला अभिप्रेत है;

(32) ''रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी'' से किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के अन्य निकाय या किसी व्यापार चिह्न या डिजाइन को रजिस्टर करने या कोई पेटेन्ट प्रदान करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(33) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन ब्यूरो द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(34) ''विक्रय'' से किसी प्रतिफल के लिए या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा का विक्रय, वितरण करना, भाड़े, पट्टे पर देना या उसका विनिमय करना अभिप्रेत है;

(35) ''विक्रेता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के विक्रय में लगा है;

(36) ''सेवा'' से ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी संगठन और किसी ग्राहक के बीच अंतरापृष्ठ पर क्रियाकलापों द्वारा और संगठन के आंतरिक कार्यकलापों द्वारा उत्पन्न परिणाम अभिप्रेत है;

(37) ''विनिर्देश'' से किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की प्रकृति, क्वालिटी, संख्या, शुद्धता, संरचना, परिमाण, आयाम, भार, श्रेणी, टिकाऊपन, उद्‌गम, आयु, पदार्थ, विनिर्माण या प्रसंस्करण के ढंग, सेवा परिदान करने की संगतता और विश्वसनीयता या ऐसे अन्य लक्षणों के, जिससे उसका किसी अन्य माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा से विभेद किया जाता है, प्रति यथासाध्य निर्देश से उस माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा का वर्णन अभिप्रेत है;

(38) ''विनिर्दिष्ट'' से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है;

(39) ''मानक'' से ऐसे दस्तावेजीकृत करार अभिप्रेत हैं जिनमें नियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या लक्षणों की परिभाषाओं के रूप में लगातार उपयोग किए जाने वाले तकनीकी विनिर्देश या अन्य सटीक मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्विष्ट हैं कि उनके प्रयोजन के लिए माल, वस्तुएं, प्रसंस्करण, पद्धति और सेवाएं ठीक हैं;

(40) ''मानक चिह्न'' से किसी विशिष्ट भारतीय मानक के माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की अनुरूपता या किसी ऐसे मानक की अनुरूपता का प्रतिनिधित्व करने के लिए ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट चिह्न अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत हॉलमार्क भी है, जिसका चिह्न ब्यूरो द्वारा स्थापित, अंगीकृत किया गया है या उसे मान्यता प्रदान की गई है और जो मानक चिह्न के रूप में वस्तु या माल पर चिह्नित है या उसके आवेष्टक पर या ऐसे माल या वस्तु से संलग्न किसी लेबल पर चिह्नित है;

(41) ''पद्धति'' से अंत: संबद्ध या अंत: क्रियाशील कारकों का एक सेट अभिप्रेत है;

(42) ''परीक्षण प्रयोगशाला'' से अपेक्षाओं के एक सेट के प्रति माल या वस्तु का परीक्षण करने और उसके निष्कर्षों की रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए स्थापित कोई निकाय अभिप्रेत है;

(43) ''व्यापार चिह्न'' से ऐसा चिन्ह अभिप्रेत है जो, यथास्थिति, माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के व्यापार के अनुक्रम में उपदर्शन करने के प्रयोजनार्थ या इस प्रकार उपदर्शन करते हुए जिसे या तो स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप में, उस व्यक्ति की पहचान के उपदर्शन सहित या रहित, जिसे उस चिह्न के उपयोग का अधिकार है, माल या वस्तु या प्रसंस्करण या पद्धति या सेवा के संबंध में उपयोग किया जाता है या उपयोग करना प्रस्थापित है।

अध्याय 2

भारतीय मानक ब्यूरो

ब्यूरो की स्थापना और शासी परिषद् का गठन।

3. (1) ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक राष्ट्रीय निकाय की स्थापना की जाएगी, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो कहा जाएगा।

(2) ब्यूरो पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए स्थावर और जंगम, दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा तथा उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) शासी परिषद् के सदस्यों से ब्यूरो का गठन होगा और ब्यूरो के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन शासी परिषद् में निहित होगा, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) केंद्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का, जिसका ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है, भारसाधक मंत्री, जो ब्यूरो का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) केंद्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का, जिसका ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है, राज्य मंत्री या उप मंत्री, यदि कोई हो, जो ब्यूरो का पदेन उपाध्यक्ष होगा और जहां ऐसा कोई राज्य मंत्री या उप मंत्री नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ब्यूरो के उपाध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाए;

(ग) केंद्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का, जिसका ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है, भारत सरकार का सचिव, पदेन;

(घ) ब्यूरो का महानिदेशक, पदेन;

(ङ) उतने अन्य व्यक्ति, जितने सरकार, उद्योग, वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थाओं, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विहित किए जाएं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(4) उपधारा (3) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि और उनके बीच रिक्तियों को भरने की रीति तथा सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए:

1986 का 63

परन्तु भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अधीन गठित भारतीय मानक ब्यूरो के पदेन सदस्य से भिन्न कोई अन्य सदस्य, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् अपनी पदावधि के पूर्ण होने तक सदस्य के रूप में अपने पद पर बना रहेगा।

(5) शासी परिषद् किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी वह इस अधिनियम के किसी उपबंध का अनुपालन करने में सहायता या सलाह लेने की वांछा करे, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, अपने से सहयोजित कर सकेगी और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह उन प्रयोजनों से, जिनके लिए सहयोजित किया गया है, सुसंगत शासी परिषद् के विचार-विमर्श में भाग ले, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(6) शासी परिषद्, लिखित में, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी सदस्य, महानिदेशक या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए,जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन उसकी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को धारा 37 के अधीन शक्तियों के सिवाय, जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति।

4. (1) शासी परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक कार्यकारिणी समिति का गठन कर सकेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) ब्यूरो का महानिदेशक, जो उसका पदेन सभापति होगा; और

(ख) उतने सदस्य, जो विहित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति ऐसे कृत्यों का पालन, शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो उसको शासी परिषद् द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

ब्यूरो की सलाहकार समितियां।

5. (1) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुए, शासी परिषद्, समय-समय पर और जब भी यह आवश्यक समझा जाए, ब्यूरो के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए निम्नलिखित सलाहकार समितियां गठित कर सकेगी; अर्थात्:—

(क) वित्त सलाहकार समिति;

(ख) अनुरूपता निर्धारण सलाहकार समिति;

(ग) मानक सलाहकार समिति;

(घ) परीक्षण और अंशशोधन सलाहकार समिति; और

(ङ) उतनी अन्य समितियां, जितनी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) प्रत्येक सलाहकार समिति, सभापति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

रिक्तियों आदि के कारण कार्य या कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

6. धारा 3 के अधीन शासी परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल निम्नलिखित के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी, अर्थात्:—

(क) शासी परिषद् में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि; या

(ख) शासी परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि; या

(ग) शासी परिषद् की प्रक्रिया में कोई अनियमितता, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करती हो।

महानिदेशक।

7. (1) केंद्रीय सरकार, ब्यूरो का एक महानिदेशक नियुक्त करेगी।

(2) ब्यूरो के महानिदेशक की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(3) शासी परिषद् के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, ब्यूरो का महानिदेशक ब्यूरो का मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी होगा।

(4) ब्यूरो का महानिदेशक ब्यूरो की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(5) महानिदेशक, लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ब्यूरो के किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपनी ऐसी शक्तियां और कृत्य, जो विनियमों के अधीन उसको समनुदेशित की गई हैं या शासी परिषद् द्वारा उसको प्रत्यायोजित की गई हैं, जिनको वह आवश्यक समझें प्रत्यायोजित कर सकेगा।

ब्यूरो के अधिकारी और कर्मचारी।

8. (1) ब्यूरो ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

ब्यूरो की शक्तियां और कृत्य।

9. (1) ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का, जो इस अधिनियम के अधीन ब्यूरो को समनुदेशित किए जाएं, प्रयोग और पालन शासी परिषद् द्वारा किया जाएगा और विशिष्टतया ऐसी शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियां सम्मिलित हो सकेंगी—

(क) भारत में या भारत से बाहर शाखाएं, कार्यालय या अभिकरण स्थापित करना;

(ख) ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, प्रणाली या सेवा के लिए मानक चिह्न के समरूप किसी माल, वस्तु प्रसंस्करण, प्रणाली या सेवा के संबंध में ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन पर ब्यूरो परस्पर सहमत हो, किसी अंतरराष्ट्रीय निकाय या संस्था के चिह्न को पारस्परिक आधार पर या अन्यथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से मान्यता प्रदान करना;

(ग) किसी देश या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन में किसी तत्समान संस्था या संगठन के साथ ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन पर ब्यूरो परस्पर सहमत हो, भारत के बाहर ब्यूरो और भारतीय मानकों की मान्यता की ईप्सा करना;

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए स्थानों, परिसरों या यानों में प्रवेश करना और तलाशी लेना और माल या वस्तु या दस्तावेजों का निरीक्षण और अभिग्रहण करना;

(ङ) ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन पर परस्पर सहमति हो, मानकों के अनुपालन के लिए माल या वस्तुओं या प्रसंस्करणों के विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करना;

(च) क्वालिटी प्रबंधन, मानकों, अनुरूपता निर्धारण, प्रयोगशाला परीक्षण और अंशशोधन तथा किन्हीं अन्य संबद्ध क्षेत्रों के संबंध में प्रशिक्षण सेवाएं उपलब्ध कराना;

(छ) भारतीय मानकों का प्रकाशन करना और ऐसे प्रकाशनों तथा अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रकाशनों का विक्रय करना;

(ज) भारत और भारत से बाहर अभिकरणों को ब्यूरो के सभी अथवा किन्हीं क्रियाकलापों को करने और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो आवश्यक हों और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, प्राधिकृत करना;

(झ) ब्यूरो के समान उद्देश्यों वाले प्रादेशिक, अंतरराष्ट्रीय और विदेशी निकायों में सदस्यता अभिप्राप्त करना और अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण प्रक्रिया में भाग लेना;

(ञ) अनुरूपता निर्धारण से भिन्न प्रयोजनों के लिए नमूनों का परीक्षण करना; और

(ट) विधिक माप विज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप करना।

(2) ब्यूरो माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों और सेवाओं की क्वालिटी और सुरक्षा के संवर्धन, मानीटरी और प्रबंध के लिए ऐसे सभी कदम उठाएगा, जो उपभोक्ताओं और विभिन्न अन्य पणधारियों के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक हों और ऐसे कदमों के अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेंगे,—

(क) किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की बाजार निगरानी या सर्वेक्षण को, उनकी क्वालिटी मानीटर करने के लिए कार्यान्वित करना और ऐसी निगरानी या सर्वेक्षणों के निष्कर्षों को प्रकाशित करना;

(ख) उपभोक्ताओं और उद्योग में जागरूकता पैदा करके किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में क्वालिटी का संवर्धन और उन्हें किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में क्वालिटी और मानकों के बारे में शिक्षित करना;

(ग) किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में सुरक्षा का संवर्धन;

(घ) किसी ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की पहचान, जिसके लिए कोई नया भारतीय मानक स्थापित करने की या किसी विद्यमान भारतीय मानक को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है;

(ङ) भारतीय मानकों के उपयोग का संवर्धन;

(च) भारत में या भारत के बाहर किसी ऐसी संस्था को मान्यता या प्रत्यायन प्रदान करना, जो अनुरूपता प्रमाणन में लगी है और किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा का या परीक्षण प्रयोगशालाओं का निरीक्षण;

(छ) किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में, क्वालिटी में सुधार या क्वालिटी आश्वासन क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के संबंध में विनिर्माताओं के किसी संगम या उपभोक्ताओं या किसी अन्य निकाय के क्रियाकलापों का समन्वयन और संवर्धन; और

(ज) ऐसे अन्य कृत्य, जो किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की क्वालिटी के संवर्धन, मानीटरी और प्रबंध के लिए तथा उपभोक्ताओं और अन्य पणधारियों के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक हों।

(3) ब्यूरो, इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का पालन, निदेश के अनुसार और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएं, शासी निकाय के माध्यम से करेगा।

अध्याय 3

भारतीय मानक, प्रमाणीकरण और अनुज्ञप्ति

भारतीय मानक।

10. (1) ब्यूरो द्वारा स्थापित मानक, भारतीय मानक होंगे।

(2) ब्यूरो—

(क) किसी माल, वस्तु प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, भारतीय मानक को स्थापित, प्रकाशित, पुनरीक्षित और संवर्धित कर सकेगा;

(ख) ऐसी रीति में जो विहित की जाए, भारत में या अन्यत्र किसी अन्य संस्था द्वारा किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में स्थापित किसी मानक को भी भारतीय मानक के रूप में अंगीकृत कर सकेगा;

(ग) भारत में या भारत के बाहर किसी ऐसी संस्था को मान्यता या प्रत्यायन प्रदान कर सकेगा, जो मानकीकरण में लगी हो;

(घ) ऐसे अनुसंधान का जिम्मा लेगा, उसकी सहायता और संवर्धन करेगा, जो भारतीय मानकों को तैयार करने के लिए आवश्यक हो।

(3) ब्यूरो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए जब कभी आवश्यक समझा जाए, माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों और सेवाओं की बाबत मानकों को तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की इतनी संख्या में तकनीकी समितियां गठित कर सकेगा जो आवश्यक समझी जाएं।

(4) भारतीय मानक अधिसूचित किया जाएगा और ब्यूरो द्वारा वापस लिए जाने का विधिमान्य रहेगा।

(5) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी भारतीय मानक या ब्यूरो के किसी अन्य प्रकाशन का प्रतिलिप्यधिकार ब्यूरो में निहित होगा।

ब्यूरो के प्राधिकार के बिना प्रकाशन, पुन:उद्धरण या अभिलिखित करने का प्रतिषेध।

11. (1) कोई व्यष्टि ब्यूरो के प्राधिकार के बिना, किसी भारतीय मानक या उसके किसी भाग या ब्यूरो के किसी अन्य प्रकाशन का किसी भी रीति या रूप में प्रकाशन, पुन: उद्धरण या उसे अभिलिखित नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति ऐसा कोई दस्तावेज जारी नहीं करेगा जिससे यह धारणा सृजित होती है या होती हो कि यह इस अधिनियम में यथा अनुध्यात भारतीय मानक है या इसमें भारतीय मानक अंतर्विष्ट है:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी व्यष्टि को अपने स्वयं के व्यक्तिगत उपयोग के लिए भारतीय मानक की कोई प्रति तैयार करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुरूपता निर्धारण स्कीम।

12. (1) ब्यूरो, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किसी ऐसे भारतीय मानक या किसी अन्य मानक की बाबत, यथास्थिति, किसी माल, वस्तु प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा या किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के किसी समूह के लिए कोई विनिर्दिष्ट या भिन्न अनुरूपता निर्धारण स्कीम अधिसूचित कर सकेगा।

(2) ब्यूरो, अपनी प्रत्येक अनुरूपता निर्धारण स्कीम के संबंध में मानक चिह्न विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो ऐसे डिजाइन का होगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो किसी विशिष्ट मानक का प्रतिनिधित्व करने के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

अनुज्ञप्ति या अनुरूपता, प्रमाणपत्र मंजूर करना।

13. (1) कोई व्यक्ति, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र मंजूर किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा, यदि माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा भारतीय मानक के अनुरूप है।

(2) जहां कोई माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा किसी मानक के अनुरूप है, तो महानिदेशक विनियमों द्वारा यथा अवधारित और अनुरूपता या अनुज्ञप्ति प्रमाणपत्र के प्रचालन के पूर्व या उसके दौरान ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी फीस के संदाय पर जिसके अंतर्गत विलंब फीस या जुर्माना भी है, आदेश द्वारा निम्नलिखित मंजूर कर सकेगा—

(क) ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अनुरूपता प्रमाणपत्र; या

(ख) ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, मानक चिह्न का उपयोग या उसको लागू करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति।

(3) किसी मानक चिह्न का प्रयोग करने के लिए अनुरूपता प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति मंजूर करते समय ब्यूरो, आदेश द्वारा आवश्यक रूप से चिपकाए जाने वाले ऐसे चिह्न लगाने और लेबल लगाने वाली अपेक्षाओं को, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(4) ब्यूरो, अनुरूपता निर्धारण और क्वालिटी आश्वासन के प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो इसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित हों, परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित, अनुरक्षित और मान्यता प्रदान कर सकेगा।

जौहरियों और कतिपय विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं के विक्रेताओं के मानक चिह्नों का प्रमाणन।

14. (1) केंद्रीय सरकार, ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् ऐसी बहुमूल्य धातु वस्तुओं या अन्य माल या वस्तुओं का, जो वह आवश्यक समझे, यथास्थिति, किसी हालमार्क या मानक चिह्न से चिह्नित होना, उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में अधिसूचित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) में अधिसूचित माल या वस्तुएं, ब्यूरो द्वारा प्रमाणित खुदरा बाजारों के माध्यम से, ऐसे माल या वस्तुओं का ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त परीक्षण और चिह्नांकन केंद्रों द्वारा सुसंगत मानक की अनुरूपता का अवधारण कर दिए जाने और, यथास्थिति, विनियमों द्वारा यथा अवधारित हालमार्क या मानक चिह्न से चिह्नित किए जाने के पश्चात् बेची जा सकेंगी।

(3) केंद्रीय सरकार, ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल या वस्तुओं के विक्रेताओं के लिए, ऐसी शर्तों को, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, पूर्ण करने वाले प्रमाणित विक्रय बाजारों के माध्यम से ही बेचे जाने को अनिवार्य कर सकेगी।

(4) ब्यूरो, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल या वस्तुओं के विक्रय के लिए किसी जौहरी या किसी अन्य विक्रेता के मानक चिह्न या हालमार्क के प्रमाणन को आदेश द्वारा मंजूर, नवीकृत, निलंबित या रद्द कर सकेगा।

(5) ब्यूरो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल या वस्तुओं की अनुरूपता निर्धारण और मानक चिह्न, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी हैं, के लागू किए जाने के लिए परीक्षण और चिह्नांकन केंद्रों को, जिसके अंतर्गत कसौटी और हालमार्किंग केंद्र भी हैं, ऐसी रीति में स्थापित, अनुरक्षित और मान्यता प्रदान कर सकेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(6) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल या वस्तुओं की बाबत कोई परीक्षण और चिह्नांकन केंद्र या कसौटी और हालमार्किंग केंद्र, जो ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त केंद्र से भिन्न है, किसी माल या वस्तु पर कोई मानक चिह्न, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी हैं या उसकी मिलती-जुलती नकल है, उपयोग, चिपकाना, समुद्रभृत, उत्कीर्ण, मुद्रित नहीं करेगा या नहीं लगाएगा; और किसी मानक चिह्न, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी है, का उपयोग और लागू किए जाने का दावा विज्ञापनों, विक्रय संवर्धन विज्ञप्तियों, कीमत सूचियों या इसी प्रकार से अन्य के माध्यम से नहीं करेगा।

(7) प्रत्येक मान्यताप्राप्त परीक्षण और चिह्नांकन केंद्र, जिसके अंतर्गत कसौटी और हालमार्किंग केंद्र भी हैं, ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, माल या वस्तुओं की अनुरूपता का परिशुद्धतापूर्वक अवधारण करने के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल या वस्तुओं पर मानक चिह्न का उपयोग या प्रयोग करेगा।

(8) कोई भी मान्यताप्राप्त परीक्षण और चिह्नांकन केंद्र, जिसके अंतर्गत कसौटी और हालमार्किंग केंद्र भी हैं, उपधारा (5) के अधीन उसे मान्यताप्राप्त होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी माल या वस्तु के संबंध में मानक चिह्नांकन, जिसके अंतर्गत हालमार्किंग भी है, या उसकी मिलती-जुलती नकल का तब तक उपयोग या प्रयोग नहीं करेगा, जब तक ऐसा माल या वस्तु सुसंगत मानक के अनुरूप नहीं है।

आयात, विक्रय, प्रदर्शन आदि का प्रतिषेध।

15. (1) कोई व्यक्ति, ब्यूरो से प्रमाणन के अधीन के सिवाय, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन किसी माल या वस्तु का आयात, वितरण, विक्रय, भंडारण या विक्रय के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति, ब्यूरो द्वारा प्रमाणित से भिन्न, धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित और मानक चिह्न से चिह्नित माल या वस्तुओं, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी है, का विक्रय या प्रदर्शन या विक्रय के लिए प्रस्ताव नहीं करेगा और विज्ञापनों, विक्रय संवर्धन विज्ञप्तियों, मूल्य सूचियों या इसी प्रकार से अन्य माध्यम से मानक चिह्न, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी है, के संबंध में दावा नहीं करेगा।

(3) कोई भी प्रमाणित जौहरी या विक्रेता इस बात के होते हुए भी कि उसे मानक चिह्न के साथ, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी है, प्रमाणन प्रदान किया गया है, किन्हीं अधिसूचित माल या वस्तुओं या उनकी मिलती-जुलती नकल का विक्रय या प्रदर्शन या विक्रय के लिए प्रस्ताव तब तक नहीं करेगा, जब तक ऐसा माल या वस्तुएं ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, मानक चिह्न या हालमार्क से चिह्नित नहीं है, और जब तक ऐसा माल या वस्तु सुसंगत मानक के अनुरूप नहीं है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग का निदेश दिया जाना।

16. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में या मानव, पशु या पौध स्वास्थ्य के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा या अऋजु व्यापार पद्धतियों के निवारण या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित कर सकेगा—

(क) किसी अनुसूचित उद्योग का माल या वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा;

(ख) ऐसे माल, वस्तुएं, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के लिए ऐसी आवश्यक अपेक्षाएं,

और जो किसी मानक के अनुरूप होगी तथा ऐसे माल वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा पर अनिवार्य रूप से अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र के अधीन मानक चिह्न का उपयोग करने का निदेश दे सकेगी।

स्पष्टीकरण — इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,—

(i) ''अनुसूचित उद्योग पद'' का अर्थ वही होगा जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में है; 1951 का 65

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि आवश्यक अपेक्षाएं, प्राप्त किए जाने वाले पैरामीटरों के निबंधनों में अभिव्यक्त अपेक्षाएं या तकनीकी निबंधनों में मानक की अपेक्षाएं हैं, जो प्रभावी रूप से सुनिश्चित करती हों कि कोई माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के उद्देश्य को प्रभावी रूप से पूरा करता है।

(2) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ब्यूरो या आवश्यक प्रत्यायन या मान्यता तथा विधिमान्य अनुमोदन रखने वाले किसी अन्य अभिकरण को उपधारा (1) के अधीन सुसंगत मानक या विहित आवश्यक अपेक्षाओं के संबंध में अनुरूपता प्रमाणन और उसके प्रवर्तन के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

मानक चिह्नांकन के बिना कतिपय माल के विनिर्माण, विक्रय आदि का प्रतिषेध।

17. (1) कोई व्यक्ति,—

(क) किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अधीन ऐसा करने के सिवाय, मानक चिह्नाकन के बिना, धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा का विनिर्माण, आयात, वितरण, विक्रय, किराए पर देना, पट्टे पर देना, भंडारण या विक्रय के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा; या

(ख) इस बात के होते हुए भी कि उसे अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, मानक चिह्न का प्रयोग नहीं करेगा, जब तक ऐसा माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा सुसंगत मानक या विहित आवश्यक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।

(2) कोई भी व्यक्ति विज्ञापनों, विक्रय संवर्धन विज्ञप्तियों, कीमत सूचियों या इसी प्रकार से अन्य के माध्यम से लोक दावा नहीं करेगा कि उसका माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा किसी भारतीय मानक के अनुरूप है या ब्यूरो या धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी से विधिमान्य अनुरूपता प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना माल या वस्तु पर ऐसी घोषणा नहीं करेगा।

(3) ब्यूरो से किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अधीन ऐसा करने के सिवाय, कोई भी व्यक्ति किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा या किसी पेटेंट के हक में या किसी व्यापार चिह्न या डिजाइन के हक में, विनिर्माण, वितरण, विक्रय, किराए पर देने, पट्टे पर देने या विक्रय के लिए प्रदर्शन या प्रस्ताव के लिए मानक चिह्न या उसकी कोई मिलती-जुलती नकल का किसी भी रीति में उपयोग या प्रयोग नहीं करेगा या तात्पर्यित रूप से उनका उपयोग या प्रयोग नहीं करेगा।

अनुज्ञप्तिधारी, विक्रेता आदि की बाध्यताएं।

18. (1) अनुज्ञप्तिधारी, सभी समयों पर मानक चिह्न वाले माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों या सेवाओं की अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) यथास्थिति, वितरक या विक्रेता का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि मानक चिह्न वाले माल, वस्तुएं, प्रसंस्करण, पद्धतियां या सेवाएं प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारी से क्रय की जाएं।

(3) माल या वस्तुओं के विक्रय या विक्रय के लिए प्रस्ताव करने अथवा प्रदर्शन या विक्रय के लिए प्रस्ताव करने से पूर्व विक्रेता का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि—

(क) ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट मानक चिह्न वाले माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों या सेवाओं पर अपेक्षित लेबल और चिह्नांकन ब्यौरे हों;

(ख) उत्पाद या आवरण पर चिह्नांकन और लेबल अपेक्षाएं ऐसी रीति में प्रदर्शित की जाएं, जो ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हैं।

(4) प्रत्येक प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारक ब्यूरो को ऐसी सूचना और यथास्थिति, किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में उपयोग की गई सामग्री या पदार्थ के ऐसे नमूनों का प्रदाय करेगा जो ब्यूरो उनकी गुणवत्ता की मानीटरी के लिए और ऐसी फीस की वसूली के लिए जो अनुरूपता प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति में विहित की जाए, के लिए अपेक्षा करे।

(5) (क) ब्यूरो यह देखने के लिए कि क्या कोई माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा जिसके संबंध में किसी मानक चिह्न का उपयोग किया गया है, सुसंगत मानक की अपेक्षाओं को पूरा करती है या क्या किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में अनुज्ञप्ति के साथ या अनुज्ञप्ति के बिना मानक चिह्न का उपयोग उचित रूप से किया गया है, ऐसा निरीक्षण कर सकेगा और किसी सामग्री या पदार्थ के नमूने ले सकेगा जो वह उचित समझे।

(ख) ब्यूरो अपने निष्कर्षों तथा उसके अनुसरण में दिए गए निदेशों के परिणामों का प्रचार कर सकेगा।

(6) यदि ब्यूरो का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन वे माल, वस्तुएं, प्रसंस्करण, पद्धतियां या सेवाएं, जिनके संबंध में मानक चिह्न का उपयोग किया गया है, सुसंगत मानक की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं, तो ब्यूरो प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारक या उसके प्रतिनिधि को अननुपालनकारी माल या वस्तुओं की आपूर्ति और विक्रय को बंद करने का निदेश दे सकेगा और उन अननुपालनकारी माल या वस्तुओं, जिनकी पहले ही आपूर्ति की जा चुकी है या विक्रय के लिए जिनका प्रस्ताव किया जा चुका है और जिन पर ऐसा चिह्न लगा है, जो बाजार या किसी ऐसे स्थान से, जहां से उनका विक्रय के लिए प्रस्ताव किए जाने की संभावना है, वापस मंगाने का निदेश दे सकेगा या सेवा प्रदान करने का प्रतिषेध कर सकेगा।

(7) जहां किसी प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारक या उसके प्रतिनिधि ने ऐसे माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों या सेवाओं का विक्रय किया है, जिन पर मानक चिह्न लगा हुआ है या उसकी कोई मिलती-जुलती नकल लगी है, जो सुसंगत मानक के अनुरूप नहीं है, तो ब्यूरो प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारक या उसके प्रतिनिधि को,—

(क) मानक चिह्न लगे हुए माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, मरम्मत करने या उसे प्रतिस्थापित या पुनः प्रसंस्कृत करने का निदेश देगा; या

(ख) उपभोक्ता को ऐसा प्रतिकर देने का निदेश दे सकेगा जो कि ब्यूरो द्वारा विहित किया जाए; या

(ग) ऐसे अननुपालनकारी माल या वस्तु, जिस पर मानक चिह्न लगा है, द्वारा कारित किसी क्षति के लिए धारा 31 के उपबंधों के अनुसार दायी होने का निदेश दे सकेगा।

अध्याय 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

भारतीय मानक ब्यूरो का वित्तीय प्रबंध।

19. केन्द्रीय सरकार इस निमित्त संसद् द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् ब्यूरो को ऐसी धनराशियों का अनुदान और ऋण प्रदान कर सकेगी, जो सरकार आवश्यक समझे।

ब्यूरो की निधि।

20. (1) भारतीय मानक ब्यूरो निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्यूरो को दिया गया कोई अनुदान और उधार;

(ख) इस अधिनियम के अधीन ब्यूरो द्वारा प्राप्त सभी फीसें और प्रभार;

(ग) ब्यूरो द्वारा प्राप्त सभी जुर्माने;

(घ) ब्यूरो द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त राशियां, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित की पूर्ति के लिए किया जाएगा—

(क) ब्यूरो के सदस्यों, महानिदेशक, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) अधिनियम के अधीन ब्यूरो द्वारा उसके कृत्यों के निर्वहन में व्यय; और

(ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर व्यय:

परन्तु उपधारा (1) के खंड (ग) में प्राप्त जुर्मानों का उपयोग उपभोक्ता जागरुकता, उपभोक्ता संरक्षण और देश में माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों या सेवाओं की गुणवत्ता के संवर्धन के लिए किया जाएगा।

ब्यूरो की उधार लेने की शक्तियां।

21. (1) ब्यूरो, इस अधिनियम के अधीन अपने सभी या किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति से या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे दिए गए किसी साधारण या विशेष प्राधिकार के निबंधनों के अनुसार किसी भी स्रोत से, जो वह ठीक समझे, धन उधार ले सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार ब्यूरो द्वारा उपधारा (1) के अधीन लिए गए उधारों की बाबत मूल धन के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के संदाय को ऐसी रीति से प्रत्याभूत कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

बजट।

22. ब्यूरो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें ब्यूरो की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जाएंगे और उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

23. (1) ब्यूरो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए अपने क्रियाकलापों का पूरा लेखा-जोखा देगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, वार्षिक रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात् संसद्, के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

लेखा और संपरीक्षा।

24. (1) ब्यूरो उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श से विहित किया जाए।

(2) ब्यूरो के लेखाओं की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर संपरीक्षा की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत किसी व्यय का संदाय ब्यूरो द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को किया जाएगा।

(3) ब्यूरो के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार तथा विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं तथा विशिष्टतया उसे बहियों, लेखाओं संबंधी वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागज-पत्रों के पेश किए जाने की मांग करने और ब्यूरो के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित ब्यूरो के लेखे, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 5

प्रकीर्ण उपबंध

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति।

25. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ब्यूरो इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के पालन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो उसे केन्द्रीय सरकार समय-समय पर लिखित रूप में दे :

परंतु ब्यूरो को, यथासाध्य रूप से, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने से पूर्व अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) क्या कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, इस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) केन्द्रीय सरकार ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगी जो माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों तथा सेवाओं की क्वालिटी के संवर्धन, मानीटरी और प्रबंध के लिए और उपभोक्ताओं तथा विभिन्न पणधारियों के हितों की संरक्षा करने के लिए आवश्यक हो तथा धारा 16 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए किसी अन्य माल, वस्तुओं, प्रक्रियाओं, प्रणाली और सेवाओं को अधिसूचित कर सकेगी।

ब्यूरो और भारतीय मानक के नाम के उपयोग पर निर्बंधन।

26. (1) कोई व्यक्ति लोगों को प्रवंचित करने या प्रवंचित करने की संभावना के दृष्टिकोण से ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा के बिना,—

(क) किसी नाम का, जो ब्यूरो के नाम से काफी मिलता-जुलता है जिससे लोगों को प्रवंचित करता हो या प्रवंचित करने की संभावना हो या ऐसा नाम है, जिसमें ''भारतीय मानक'' पद या उसका कोई संक्षेपाक्षर अंतर्विष्ट है; या

(ख) किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में किसी पेटेंट या चिह्न या व्यापार चिह्न या डिजाइन, जिसमें ''भारतीय मानक'' या ''भारतीय मानक विनिर्देश'' या ऐसे पदों के किसी संक्षेपाक्षर का,

उपयोग नहीं करेगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी:—

(क) किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के अन्य निकाय को, जिसका कोई नाम या चिह्न हो, रजिस्टर नहीं करेगा; या

(ख) कोई ऐसा व्यापार चिन्ह् या डिजाइन जिस पर कोई नाम या चिह्न हो, रजिस्टर नहीं करेगा; या

(ग) किसी आविष्कार के संबंध में, जिसका शीर्षक ऐसा हो, जिस पर कोई नाम या चिह्न हो,कोई पेटेंट प्रदान नहीं करेगा,

यदि ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग उपधारा (1) के उल्लंघन में हो।

(3) यदि किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि किसी नाम या चिह्न का उपयोग उपधारा (1) के उल्लंघन में है तो वह रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस प्रश्न को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट कर सकेगा और उस पर उस सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

प्रमाणन प्राधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियां।

27. (1) ब्यूरो यह निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या कोई माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जिसके संबंध में मानक चिह्न का उपयोग किया गया है, सुसंगत मानक के अनुरूप हैं या क्या मानक चिह्न का उपयोग किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में अनुज्ञप्ति के साथ या उसके बिना उचित रूप से किया गया है और ऐसे अन्य कृत्यों के निष्पादन के लिए, जो उन्हें सौंपे जाएं, उतने प्रमाणन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जितने आवश्यक हों।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, प्रमाणन अधिकारी को,—

(क) किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जिसके संबंध में मानक चिह्न का उपयोग किया गया है, की बाबत किए गए किसी प्रचालन का निरीक्षण करने की शक्ति होगी; और

(ख) किसी माल या वस्तु के या किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जिसके संबंध में मानक चिह्न का उपयोग किया गया है, में उपयोग की गई किसी सामग्री या पदार्थ के नमूने लेने की शक्ति होगी।

(3) ब्यूरो द्वारा प्रत्येक प्रमाणन अधिकारी को प्रमाणन अधिकारी के रूप में नियुक्ति का एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा और मांग किए जाने पर प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) प्रत्येक प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्ति धारक—

(क) प्रमाणन अधिकारी को उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसे समर्थ बनाने हेतु युक्तियुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;

(ख) उन शर्तों में किसी परिवर्तन के बारे में प्रमाणन अधिकारी या ब्यूरो को सूचित करेगा, जो प्रमाणन अधिकारी या ब्यूरो द्वारा अनुरूपता प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति के प्रदान किए जाने के समय घोषित या सत्यापित की गई थी।

(5) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किए गए किसी कथन या प्रदान की गई सूचना या दिए गए साक्ष्य से या किए गए निरीक्षण से प्रमाणन अधिकारी या ब्यूरो द्वारा अभिप्राप्त कोई सूचना गोपनीय समझी जाएगी:

परंतु अभियोजन और उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के प्रयोजन के लिए किसी सूचना के प्रकटन को कोई बात लागू नहीं होगी।

तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति।

28. (1) यदि प्रमाणन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी माल या वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जिनके संबंध में धारा 11 या धारा 14 की उपधारा (6) या उपधारा (8) या धारा 15 या धारा 17 का उल्लंघन हुआ है, को किसी स्थान, परिसर या यान में छिपाकर रखा गया है तो वह ऐसे, यथास्थिति, माल या वस्तुओं, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के लिए ऐसे स्थान, परिसर या यान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन की गई किसी तलाशी के परिणामस्वरूप ऐसा कोई माल या वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा पाई जाती है जिसके संबंध में धारा 11 या धारा 14 की उपधारा (6) या उपधारा (8) या धारा 15 या धारा 17 का उल्लंघन हुआ है, वहां प्रमाणन अधिकारी ऐसे माल या वस्तु और अन्य सामग्री तथा दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा, जो उसकी राय में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत है:

परंतु जहां ऐसे माल या वस्तु या सामग्री या दस्तावेज का अभिग्रहण व्यवहार्य नहीं है, वहां प्रमाणन अधिकारी स्वामी पर एक आदेश की तामील कर सकेगा कि वह प्रमाणन अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय माल या वस्तु या समग्री या दस्तावेज को नहीं हटाएगा, विलग नहीं करेगा या अन्यथा उनमें व्यौहार नहीं करेगा।

(3) तलाशियों और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहित, 1973 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे। 1974 का 2

उल्लंघन के लिए शास्ति।

29. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 11 या धारा 26 की उपधारा (1) का उल्लंघन करता है, वह जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो धारा 14 की उपधारा (6) या उपधारा (8) या धारा 15 का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो मानक चिह्न , जिसके अंतर्गत हालमार्क भी है, लगे माल या उत्पादित या विक्रीत या विक्रय किए जाने के लिए प्रस्तावित की गई वस्तुओं के मूल्य के पांच गुणा तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा:

परंतु जहां उत्पादित या विक्रीत या विक्रय के लिए प्रस्तावित माल या वस्तुओं के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता, वहां यह उपधारणा की जाएगी कि एक वर्ष का उत्पादन ऐसे उल्लंघन में था और ऐसे उल्लंघन के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक आवर्त को माल या वस्तुओं के मूल्य के रूप में लिया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो धारा 17 के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पहले उल्लंघन के लिए दो लाख रुपए से कम नहीं होगा और दूसरे तथा पश्चात्वर्ती उल्लंघनों के लिए पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो मानक चिह्न जिसके अंतर्गत हालमार्क भी है, से लगे या उसके साथ प्रयुक्त माल या उत्पादित या विक्रीत या विक्रय किए जाने के लिए प्रस्तावित की गई वस्तुओं के मूल्य के दस गुणा तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा:

परंतु जहां उत्पादित या विक्रीत या विक्रय के लिए प्रस्तावित माल या वस्तुओं के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता, वहां यह उपधारणा की जाएगी कि एक वर्ष का उत्पादन ऐसे उल्लंघन में था और ऐसे उल्लंघन के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक आवर्त को माल या वस्तुओं के मूल्य के रूप में लिया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन अपराध संज्ञेय होंगे।

कंपनियों द्वारा अपराध।

30. जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है वहां कंपनी का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, जो उस समय जब अपराध किया गया था, कंपनी का भारसाधक था और कंपनी के कारबार संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था या कंपनी का प्राधिकृत प्रतिनिधि या साथ ही वह कंपनी अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा इस तथ्य को विचार में लाए बिना कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि की सहमति या मौनानुकूलता से या उसके बिना किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण किया गया माना जा सकता है, तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंड दिए जाने के भागी होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अननुरूपकारी माल के लिए प्रतिकर।

31. जहां किसी अनुज्ञप्तिधारक या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक या उसके प्रतिनिधि ने ऐसे किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा का विक्रय किया है, जिस पर ऐसा मानक चिह्न, जो सुसंगत मानकों के अनुरूप नहीं है या उसकी कोई मिलती-जुलती नकल लगी हुई है, वहां प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारक या उसका प्रतिनिधि उपभोक्ता के प्रति ऐसे अननुरूपकारी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा द्वारा कारित क्षति के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिकर के लिए दायी होंगे।

न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान।

32. (1) मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या इस निमित्त विशिष्ट रूप से सशक्त प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित के द्वारा किए गए किसी परिवाद के सिवाय नहीं लेगा,—

(क) ब्यूरो द्वारा या ब्यूरो के प्राधिकार के अधीन; या

(ख) उप पुलिस अधीक्षक या समतुल्य से अन्यून पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा; या

(ग) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित किसी प्राधिकारी द्वारा; या

(घ) सरकार के प्राधिकार के अधीन सशक्त किसी अधिकारी द्वारा; या

(ङ) किसी उपभोक्ता द्वारा; या

(च) किसी संगम द्वारा।

(3) उप पुलिस अधीक्षक या उसके समतुल्य से अन्यून पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि धारा 29 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों में से कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है तो वह बिना वारंट के तलाशी ले सकेगा और माल, डाई, ब्लाक, मशीन, प्लेट, अन्य उपकरणों या चीजों का, जो अपराध के करने में अंतर्वलित हैं, चाहे जहां भी पाई जाएं, अभिग्रहण कर सकेगा और इस प्रकार अभिग्रहण की गई सभी वस्तुओं को, यथा साध्य शीघ्रता से उपधारा (1) में यथा विहित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि वह संपत्ति जिसकी बाबत उल्लंघन हुआ है ब्यूरो को समपहृत हो जाएगी।

(5) न्यायालय निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कोई जुर्माना पूर्णतया या उसका कोई भाग ब्यूरो को संदेय होगा।

अपराधों का शमन। **33.** (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन पहली बार दंडनीय किसी ऐसे अपराध, जो केवल कारावास से या कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय अपराध नहीं है, का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित होने से पूर्व या पश्चात् महानिदेशक द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसी रीति मे, जो विहित की जाए, किया जा सकेगा: 1974 का 2

परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट राशि किसी भी दशा में जुर्माने की अधिकतम रकम से, जो इस प्रकार शमन किए गए अपराध के लिए धारा 29 के अधीन अधिरोपित की जा सकेगी, से अधिक नहीं होगी और पूर्व में शमन किए गए अपराध की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् किए गए किसी दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध को पहली बार किया गया अपराध माना जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी किसी अपराध के शमन करने से संबंधित शक्तियों का उपयोग ब्यूरो के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए करेगा।

(3) किसी अपराध के शमन के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(4) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित होने के पूर्व किया गया है, वहां अपराधी के विरुद्ध, ऐसे अपराध के संबंध में, जिसके लिए इस प्रकार अपराध का शमन किया गया है, कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(5) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात् किया गया है, वहां ऐसे शमन को उस न्यायालय की जानकारी में, जिसमें अभियोजन लंबित है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लिखित रूप में लाया जाएगा और अपराध के शमन के लिए ऐसी सूचना देने पर और न्यायालय द्वारा उसको स्वीकार किए जाने पर उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, उन्मोचित कर दिया जाएगा।

अपील। **34.** (1) इस अधिनियम की धारा 13 या धारा 14 की उपधारा (4) या धारा 17 के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ब्यूरो के महानिदेशक को यथाविहित अवधि के भीतर अपील कर सकेगा।

(2) अपील के लिए विहित अवधि के पश्चात् की गई किसी अपील को ग्रहण नहीं किया जाएगा:

परंतु अपील के लिए विहित अवधि के अवसान के पश्चात् किसी अपील को तब ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी महानिदेशक का यह समाधान कर देता है कि विहित अवधि के भीतर अपील न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे।

(3) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में और आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रति और ऐसी फीस के साथ की जाएगी, जो विहित की जाए।

(4) किसी अपील का निपटान करने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए:

परंतु किसी अपील का निपटान करने से पूर्व अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(5) महानिदेशक स्वप्रेरणा से या विहित रीति में किए गए किसी आवेदन पर किसी अधिकारी द्वारा, जिसे उसके द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (5) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाली केंद्रीय सरकार को ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

ब्यूरो के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

35. ब्यूरो के सभी सदस्यों और सभी अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के बारे में, जब वे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य करना तात्पर्यित है यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक हैं।

1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

36. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या ब्यूरो के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

ब्यूरो के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन।

37. ब्यूरो द्वारा जारी सभी आदेश और विनिश्चय और सभी अन्य लिखतें, ऐसे अधिकारी या अधिकारियों के हस्ताक्षर द्वारा, जो ब्यूरो द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाएं, अधिप्रमाणित की जाएंगी।

नियम बनाने की शक्ति।

38. केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

विनियम बनाने की शक्ति।

39. कार्यकारिणी समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और नियमों से संगत विनियम बना सकेगी।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

40. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति , उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किंतु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।

कतिपय अधिनियमों के प्रवर्तन पर अधिनियम का प्रभाव न होना।

1937 का 1

1940 का 23

41. अधिनियम की कोई बात कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 या औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, जो किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण पद्धति या सेवा के किसी मानकीकरण या क्वालिटी नियंत्रण से व्यौहार करते हैं, के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

42. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

43.(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 1986 का 63

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इसके द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसके अंतर्गत कोई नियम, विनियम, अधिसूचना, स्कीम, विनिर्देश, भारतीय मानक, मानक चिह्न, किया गया, जारी किया गया या अंगीकृत निरीक्षण आदेश या सूचना, की गई कोई नियुक्ति या घोषणा या दी गई कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, प्राधिकार या प्रदान की गई छूट या निष्पादित कोई दस्तावेज या लिखित या दिया गया कोई निदेश या की गई कोई कार्यवाही या अधिरोपित शास्ति या जुर्माना भी है, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

(3) उपधारा (2) में किसी विशिष्ट विषय के उल्लेख के बारे में यह नहीं माना जाएगा कि वह निरसन के प्रभाव की बाबत साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण रूप में लागू किए जाने पर 1897 का 10 प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 18)

[25 मार्च, 2016]

भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को सुशासन के रूप में ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित करके ऐसी सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के, जिसके लिए भारत की संचित निधि से व्यय उपगत किया जाता है दक्ष,पारदर्शी और लक्ष्यित परिदान के लिए, तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर इसके अधीन किए गए किसी अपराध या उल्लंघन को भी लागू होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारम्भ के प्रति निर्देश के रूप में है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''आधार संख्या'' से धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी पहचान संख्या अभिप्रेत है;

(ख) ''आधार संख्या धारक'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई आधार संख्यांक जारी किया गया है;

(ग) ''अधिप्रमाणन'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना सहित आधार संख्या, केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को, उसके सत्यापन हेतु भेजी जाती है और ऐसा निक्षेपागार उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी शुद्धता का या कमी का सत्यापन करता है;

(घ) ''अधिप्रमाणन अभिलेख'' से अधिप्रमाणन के समय और अनुरोध करने वाले अस्तित्व की पहचान और प्राधिकरण द्वारा उसको दिए गए उत्तर का अभिलेख अभिप्रेत है;

(ङ) ''प्राधिकरण'' से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) ''प्रसुविधा'' से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु के रूप में दी गई कोई सहूलियत, दान, इनाम, अनुतोष या संदाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी अन्य प्रसुविधाएं जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं;

(छ) ''बायोमैट्रिक सूचना'' से किसी व्यक्ति की फोटो, अंगुलि छाप, आइरिस स्कैन या उसकी अन्य ऐसी जैविक विशेषता अभिप्रेत है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ज) ''केंद्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार'' से एक या अधिक अवस्थानों में ऐसा केंद्रीयकृत डाटा आधार अभिप्रेत है, जिसमें आधार संख्या धारकों की जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना के साथ ऐसे व्यक्तियों को जारी सभी आधार संख्यांक तथा उससे संबंधित अन्य सूचना अंतर्विष्ट हैं;

(झ) ''अध्यक्ष'' से धारा 12 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ञ) ''कोर बायोमैट्रिक सूचना'' से किसी व्यक्ति की अंगुलि छाप, आइरिस स्कैन या उसकी अन्य ऐसी जैविक विशेषता अभिप्रेत है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ट) ''जनसांख्यिकीय सूचना'' के अंतर्गत किसी व्यक्ति के नाम, जन्म की तारीख, पता और अन्य सुसंगत जानकारी, जो आधार संख्या जारी करने के प्रयोजन के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, से संबंधित सूचना है किन्तु इसके अंतर्गत मूलवंश, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, हकदारी, आय या चिकित्सा इतिहास के अभिलेख नहीं होंगे;

(ठ) ''नामांकन अभिकरण'' से इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक सूचना एकत्र करने के लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण या किसी रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(ड) ''नामांकन'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्याएं जारी करने के प्रयोजन के लिए नामांकन करने वाले अभिकरणों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक सूचना एकत्रित करने के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ढ) किसी व्यक्ति के संबंध में ''पहचान सूचना'' के अंतर्गत उसकी आधार संख्या, उसकी बायोमैट्रिक सूचना और उसकी जनसांख्यिकीय सूचना है;

(ण) ''सदस्य'' के अंतर्गत धारा 12 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य है;

(त) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और तदनुसार उसके सजातीय अर्थों और व्याकरणीय रूपभेदों सहित ''अधिसूचित'' पद का अर्थ लगाया जाएगा;

(थ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(द) ''हकदारी के अभिलेख'' से किसी कार्यक्रम के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई या उसके द्वारा प्राप्त प्रसुविधाओं, सहायिकियों और सेवाओं के अभिलेख अभिप्रेत हैं;

(ध) ''रजिस्ट्रार'' से इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों के नामांकन के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यताप्राप्त कोई अस्तित्व अभिप्रेत है;

(न) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(प) ''अनुरोधकर्ता अस्तित्व'' से ऐसा अभिकरण या व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति की आधार संख्या और जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना, केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को अधिप्रमाणन हेतु देता है;

(फ) ''निवासी'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नामांकन के लिए आवेदन की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास में कुल मिलाकर एक सौ बयासी दिन या अधिक दिनों की कालावधि या कालावधियों तक भारत में रह रहा है;

(ब) ''सेवा'' से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी रूप में उपलब्ध कोई व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी अन्य सेवाएं भी हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं;

(भ) ''सहायिकी'' से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, नकद या वस्तु के रूप में, किसी प्रकार की कोई सहायता, समर्थन, अनुदान, आर्थिक सहायता या विनियोग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी अन्य सहायिकियां भी हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं।

अध्याय 2
नामांकन

आधार संख्या।

3. (1) प्रत्येक निवासी अपनी जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना देते हुए, नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके आधार संख्या अभिप्राप्त करने का हकदार होगा:

परंतु केंद्रीय सरकार, समय-समय पर व्यक्तियों का ऐसा अन्य प्रवर्ग अधिसूचित कर सकेगी जो आधार संख्या अभिप्राप्त करने का हकदार हो सकेगा।

(2) नामांकन करने वाला अभिकरण, नामांकन के समय ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नामांकन कराने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित ब्यौरों की जानकारी देगा, अर्थात्:—

(क) ऐसी रीति जिसमें सूचना का उपयोग किया जाएगा;

(ख) पाने वालों की प्रकृति, जिनके साथ अधिप्रमाणन के दौरान सूचना का साझा किया जाना आशयित है; और

(ग) सूचना तक पहुंच बनाने के अधिकार की विद्यमानता, ऐसी पहुंच बनाने हेतु अनुरोध करने की प्रक्रिया और ऐसा व्यक्ति या प्रभारी विभाग के ब्यौरे, जिसको ऐसे अनुरोध किए जा सकते हैं।

(3) प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना प्राप्त होने पर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचना का सत्यापन करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को एक आधार संख्या जारी करेगा।

आधार संख्या के गुण।

4. (1) किसी व्यक्ति को जारी किया गया आधार संख्यांक किसी अन्य व्यक्ति को पुन: समनुदेशित नहीं किया जाएगा।

(2) कोई आधार संख्यांक अनियमित संख्या होगी और उसका आधार संख्यांक धारक के गुणों या पहचान से कोई संबंध नहीं होगा।

(3) कोई आधार संख्या, अधिप्रमाणन और ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किसी भी प्रयोजन के लिए भौतिक या इलैक्ट्रोनिक रूप में आधार संख्यांक धारक की पहचान के सबूत के रूप में स्वीकृत की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''इलैक्ट्रोनिक रूप में'' पद का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रोद्यागिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में है। 2000 का 21

कतिपय प्रवर्ग के व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने हेतु विशेष उपाय।

5. प्राधिकरण, रिक्तियों, बालकों, ज्येष्ठ नागरिकों, नि:शक्त जनों, अकुशल और असंगठित कर्मकारों, यायावरी जनजातियों या ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिनका कोई स्थायी निवास गृह नहीं है और ऐसे अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों को जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, आधार संख्या जारी करने के लिए विशेष उपाय करेगा।

कतिपय सूचना का अद्यतन किया जाना।

6. प्राधिकरण, समय-समय पर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक धारकों से अपनी जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना को अद्यतन करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिससे कि केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में उनकी सूचना की सतत शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।

अध्याय 3

अधिप्रमाणन

कतिपय सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं आदि की प्राप्ति के लिए आवश्यक आधार संख्या के सबूत का आवश्यक होना।

7. यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसी सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए भारत की संचित निधि से व्यय उपगत किया जाता है या उससे प्राप्ति, भारत की संचित निधि का भाग है, शर्त के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसा आधार संख्या का अधिप्रमाणन करवाए, उसके धारण करने का सबूत दे या ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसे कोई आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है वहां ऐसा व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन करे:

परन्तु यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है तो ऐसे व्यक्ति को सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के परिदान के लिए पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधन की प्रस्थापना की जाएगी।

आधार संख्या का अधिप्रमाणन।

8. (1) प्राधिकरण, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस का संदाय करके और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किसी अनुरोधकर्ता अस्तित्व द्वारा दी गई किसी आधार संख्या धारक की आधार संख्या को, उसकी बायोमैट्रिक सूचना या जनसांख्यिकीय सूचना के संबंध में अधिप्रमाणित करेगा।

(2) अनुरोधकर्ता अस्तित्व—

(क) जब तक कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, किसी व्यक्ति की अधिप्रमाणन के प्रयोजनों के लिए पहचान सूचना एकत्र करने से पूर्व, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसकी सहमति अभिप्राप्त करेगा; और

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी व्यक्ति की पहचान सूचना का उपयोग केवल अधिप्रमाणन के लिए केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार को देने के लिए किया जाए।

(3) अनुरोधकर्ता अस्तित्व अधिप्रमाणन के लिए अपनी पहचान सूचना देने वाले व्यक्ति को, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए अधिप्रमाणन के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरों की जानकारी देगा, अर्थात्:—

(क) सूचना की प्रकृति जिसे अधिप्रमाणन पर साझा किया जा सकेगा;

(ख) ऐसे उपयोग जिसके लिए अनुरोधकर्ता अस्तित्व द्वारा अधिप्रमाणन के दौरान प्राप्त सूचना का उपयोग किया जा सकेगा; और

(ग) अनुरोधकर्ता अस्तित्व को पहचान सूचना देने संबंधी अनुकल्प।

(4) प्राधिकरण, किसी कोर बायोमैट्रिक सूचना को अपवर्जित करते हुए, अधिप्रमाणन पूछताछ का उत्तर ऐसी पहचान सूचना को साझा करते हुए सकारात्मक, नकारात्मक या किसी अन्य समुचित उत्तर में देगा।

आधार संख्या का नागरिकता या अधिवास, आदि का साक्ष्य न होना।

9. आधार संख्या या उसका अधिप्रमाणन, स्वत: ही, किसी आधार संख्या धारक के संबंध में नागरिकता या अधिवास का कोई अधिकार या सबूत प्रदत्त नहीं करेगा।

केंद्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार।

10. प्राधिकरण, केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कोई ऐसे अन्य कृत्य, करने के लिए जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक या अधिक अस्तित्वों को लगा सकेगा।

अध्याय 4

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

प्राधिकरण की स्थापना।

11. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी जो नामांकन और अधिप्रमाणन की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा।

(2) प्राधिकरण, पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

(4) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारत में अन्य स्थानों में अपने कार्यालयों की स्थापना कर सकेगा।

प्राधिकरण की संरचना।

12. प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्य और मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो प्राधिकरण का सदस्य-सचिव होगा, से मिलकर बनेगा।

प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं।

13. प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास कम से कम दस वर्ष का तकनीकी, शासन, विधि, विकास, अर्थशास्त्र , वित्त, प्रबंध, सार्वजनिक कार्य या प्रशासन से संबंधित विषयों का अनुभव और ज्ञान हो।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें।

14. (1) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य, ऐसी तारीख से, जिसको वे पद ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे:

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के पूर्व, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जो विहित किया जाए, पद और गोपनीयता की शपथ लेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या सदस्य,—

(क) केन्द्रीय सरकार को कम से कम तीस दिन पूर्व लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा; या

(ख) धारा 15 के उपबंधों के अनुसार अपने पद से हटाया जा सकेगा।

(4) अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा अंशकालिक सदस्यों को संदेय भत्ते या पारिश्रमिक वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना।

15. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या किसी समय किया गया है;

(ख) जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है;

(ग) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिससे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) जिसने केन्द्रीय सरकार की राय में अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकारक हो गया है।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

अध्यक्ष या सदस्यों पर पद की समाप्ति के पश्चात् नियोजन पर निर्बंधन।

16. अध्यक्ष या कोई सदस्य किसी कारण से पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना,—

(क) उस तारीख से, जिसको वह पद धारण करने से प्रविरत होता है तीन वर्ष की अवधि तक किसी ऐसे संगठन, कंपनी या किसी अन्य अस्तित्व में कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा या उसके प्रबंध तंत्र से संसक्त नहीं होगा, जो प्राधिकरण द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान किए गए या संविदागत किसी कार्य से सहयुक्त रहा है:

परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कानूनी प्राधिकरण या किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी में किसी नियोजन को लागू नहीं होगी; 2013 का 18

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन के लिए या उसकी ओर से किसी ऐसी विनिर्दिष्ट कार्यवाही या संव्यवहार या बातचीत या किसी मामले के संबंध में कार्य नहीं करेगा, जिसका प्राधिकरण एक पक्षकार है और जिसकी बाबत पद की समाप्ति के पूर्व अध्यक्ष या ऐसे सदस्य ने प्राधिकरण के लिए कार्य किया था या उसको सलाह दी थी;

(ग) ऐसी जानकारी का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति को सलाह नहीं देगा, जो उसने अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में अपनी हैसियत में अभिप्राप्त की थी और जनता के लिए अनुपलभ्य या उसे उपलब्ध कराए जाने के लिए समर्थ नहीं था;

(घ) कार्यालय में उसके अंतिम दिन से तीन वर्ष की अवधि तक, किसी ऐसे अस्तित्व से जिसके साथ उसकी पदावधि के दौरान सीधा और महत्वपूर्ण सरकारी व्यौहार था, सेवा की संविदा नहीं करेगा, उसके निदेशक मंडल में नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा या उसके नियोजन का प्रस्ताव प्रतिगृहीत नहीं करेगा।

अध्यक्ष के कृत्य।

17. अध्यक्ष, प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और इस अधिनियम के किसी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण की ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

18. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला प्राधिकरण का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकरण का विधिक प्रतिनिधि होगा और—

(क) प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन;

(ख) कार्यचालन संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत विनिश्चयों;

(ग) प्राधिकरण के विनिश्चय और कार्यचालन संबंधी कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव की रूपरेखा लेखबद्ध करने;

(घ) प्राधिकरण के राजस्व और व्यय का विवरण तैयार करने और बजट का निष्पादन करने; और

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने या ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रत्येक वर्ष प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए—

(क) पूर्ववर्ती वर्ष में प्राधिकरण के सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए साधारण रिपोर्ट;

(ख) कार्यचालन संबंधी कार्यक्रम;

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष के वार्षिक लेखे; और

(घ) आगामी वर्ष के लिए बजट,

प्रस्तुत करेगा।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

प्राधिकरण की बैठकें।

19. (1) प्राधिकरण, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कार्य करने के संबंध में जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) अध्यक्ष, यदि वह किसी कारण से प्राधिकरण में उपस्थित होने में असमर्थ है तो ज्येष्ठतम सदस्य प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) प्राधिकरण की किसी बैठक में उसके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा, किया जाएगा और बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन सदस्य का निर्णायक मत होगा।

(4) प्राधिकरण के सभी विनिश्चय अध्यक्ष या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य या सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

(5) यदि कोई सदस्य, जो किसी कंपनी का निदेशक है और जो ऐसे निदेशक के रूप में प्राधिकरण की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित है, तो वह सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति प्रकट करेगा और ऐसे प्रकटन को प्राधिकरण की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा तथा वह सदस्य उस विषय की बाबत प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा।

रिक्तियों, आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

20. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है;

(ख) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी।

21. (1) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से प्राधिकरण को उसके कृत्यों के निर्वहन में अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और प्रवर्गों का अवधारण कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण के कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

प्राधिकरण की आस्तियों, दायित्वों का अंतरण।

22. प्राधिकरण की स्थापना से ही,—

(क) भारत सरकार के योजना आयोग की अधिसूचना सं॰ ए-4301/02/2009-प्रशासन-I, तारीख 28 जनवरी, 2009 द्वारा स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की सभी आस्तियां और दायित्व प्राधिकरण को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे;

स्पष्टीकरण—ऐसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आस्तियों में सभी अधिकार और शक्तियां और सभी संपत्तियां, चाहे जंगम हो या स्थावर, जिसके अंतर्गत विशिष्टतया, नकद अतिशेष, निक्षेप और ऐसी संपत्तियों में के या उससे उद्भूत अन्य सभी हित और अधिकार जो ऐसे भारतीय पहचान प्राधिकरण के कब्जे में हों और उससे संबंधित सभी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज भी हैं, सम्मिलित समझी जाएंगी तथा दायित्वों में किसी भी प्रकार के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यताएं;

(ख) खंड (क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस दिन से ठीक पूर्व ऐसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में सम्मिलित समझे जाएंगे। नामांकन के दौरान भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण द्वारा संगृहीत सभी डाटा और जानकारी, किए गए अधिप्रमाणन के सभी ब्यौरे, उपगत ऋण, बाध्यताएं और दायित्व उसके द्वारा या उसके साथ या उसके लिए की गई सभी संविदाएं और ऐसे सभी विषय और बातें जिन्हें किए जाने के लिए वह वचनबद्ध है, प्राधिकरण द्वारा उपगत, उसके द्वारा या उसके साथ या उसके लिए की गई या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएगी;

(ग) उस दिन से ठीक पूर्व उक्त भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को शोध्य सभी धनराशियां, प्राधिकरण को शोध्य समझी जाएंगी; और

(घ) जो उस दिन से ठीक पूर्व ऐसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की गई थी या जो इस प्रकार संस्थित की जा सकती थी, ऐसे सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेगी या संस्थित की जा सकेगी।

प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य।

23. (1) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण, व्यक्तियों को आधार संख्यांक जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करेगा और उसका अधिप्रमाणन करेगा।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्:—

(क) विनियमों द्वारा नामांकन के लिए अपेक्षित जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना और उसके संग्रहण तथा सत्यापन के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना;

(ख) ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक की ईप्सा करने वाले किसी व्यक्ति से जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना एकत्रित करना;

(ग) केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार के प्रवर्तन के लिए एक या अधिक अस्तित्वों को नियुक्त करना;

(घ) आधार संख्यांक जनित करना और उसे व्यक्तियों को सौंपना;

(ङ) आधार संख्यांकों का अधिप्रमाणन करना;

(च) केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, व्यक्तियों की सूचना बनाए रखना और उसे अद्यतन करना;

(छ) किसी आधार संख्यांक और उससे संबंधित जानकारी का ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, लोप करना और निष्क्रिय करना;

(ज) विभिन्न सहायिकियों, प्रसुविधाओं, सेवाओं और अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए जिनके लिए आधार संख्या का उपयोग किया जा सकेगा, आधार संख्या के उपयोग की रीति विनिर्दिष्ट करना;

(झ) रजिस्ट्रारों, नामांकन अभिकरणों और सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति के लिए और उनकी नियुक्तियों के प्रतिसंहरण के लिए, विनियमों द्वारा निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करना;

(ञ) केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार की स्थापना, प्रवर्तन और बनाए रखना;

(ट) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए आधार संख्यांक धारकों की सूचना ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, साझा करना;

(ठ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार रजिस्ट्रार, नामांकन अभिकरणों और इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अन्य अभिकरणों की जानकारी और अभिलेख मंगाना, उनके परिचालनों का निरीक्षण, जांच तथा संपरीक्षा करना;

(ड) इस अधिनियम के अधीन, विनियम द्वारा आकड़ा प्रबंध, सुरक्षा प्रोटोकोल और अन्य प्रौद्योगिकी रक्षोपायों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करना;

(ढ) विद्यमान आधार संख्यांक धारक को नई आधार संख्या जारी करने के लिए विनियम द्वारा शर्तें और प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करना;

(ण) इस अधिनियम के अधीन ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण करना या रजिस्ट्रार, नामांकन अभिकरणों या अन्य सेवा प्रदाताओं को उनके द्वारा उपलब्ध सेवाओं के लिए ऐसी फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करना;

(त) ऐसी समितियां नियुक्त करना, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक हों;

(थ) बायोमैट्रिक और संबंधित क्षेत्रों की अग्रसरता के लिए जिनके अंतर्गत समुचित तंत्र के माध्यम से आधार संख्यांकों का उपयोग भी है अनुसंधान और विकास का संवर्धन करना;

(द) रजिस्ट्रार, नामांकन अभिकरणों और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए विनियम द्वारा, नीतियां और प्रक्रिया विकसित करना और उन्हें विनिर्दिष्ट करना;

(ध) व्यक्तियों, रजिस्ट्रारों, नामांकन अभिकरणों और अन्य सेवा प्रदाताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए सुविधा केन्द्रों और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना;

(न) ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य, जो विहित किए जाएं।

(3) प्राधिकरण,—

(क) जानकारी एकत्र करने, उसके भंडारण, सुरक्षित या प्रक्रियागत करने या व्यक्तियों को आधार संख्या का परिदान करने या उसका अधिप्रमाणन करने संबंधी कृत्यों में से किन्हीं कृत्यों को करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या अन्य अभिकरणों से, यथास्थिति, समझौता ज्ञापन या करार कर सकेगा;

(ख) जानकारी एकत्रित करने, उसके भंडारण, सुरक्षित रखने, प्रक्रियागत करने या उसका अधिप्रमाणन करने या उसके संबंध में कोई अन्य कृत्य करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, उतनी संख्या में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति कर सकेगा, उतने अभिकरणों को लगा सकेगा या प्राधिकृत कर सकेगा,

जितने इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों।

(4) प्राधिकरण ऐसे भत्तों या पारिश्रमिक पर तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उतने परामर्शदाताओं सलाहकारों और अन्य व्यक्तियों को लगा सकेगा जितने इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए अपेक्षित हो।

अध्याय 5

अनुदान, लेखा और संपरीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

24. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को धनराशियों का अनुदान दे सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु ठीक समझे।

अन्य फीस और राजस्व।

25. प्राधिकरण द्वारा संगृहीत फीस या राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।

लेखा और लेखा परीक्षा।

26. (1) प्राधिकरण उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे।

(2) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, प्राधिकार और विशेषाधिकार होंगे, जो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं और उसे विशिष्ट रूप से लेखा बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र पेश किए जाने और मांग करने तथा प्राधिकरण के कार्यालयों में से किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकरण के लेखे उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ हर वर्ष प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार, संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशीघ्र, उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

विवरणी और वार्षिक रिपोर्ट आदि।

27. (1) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए या जैसा, केन्द्रीय सरकार निदेश दे, प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन किसी विषय की बाबत ऐसी विवरणियां और विवरण तथा विशिष्टियां देगा जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, पेश करेगा।

(2) प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए तैयार करेगा:—

(क) प्राधिकरण के पूर्व वर्षों के सभी क्रियाकलापों का विवरण;

(ख) पूर्व वर्ष के वार्षिक लेखे; और

(ग) आगामी वर्ष के लिए कार्य संबंधी कार्यक्रम।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति उसके प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

अध्याय 6

सूचना का संरक्षण

सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता।

28. (1) प्राधिकरण व्यक्तियों की पहचान संबंधी सूचना और अधिप्रमाणन के अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण, व्यक्तियों की पहचान सम्बंधी सूचना और अधिप्रमाणन के अभिलेखों की गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा।

(3) प्राधिकरण, यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी आवश्यक उपाय करेगा कि प्राधिकरण के कब्जे की या नियंत्रण में सूचना, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में भंडारित सूचना भी है, ऐसी पहुंच, उपयोग या प्रकटन से, जिसको इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियम के अधीन अनुज्ञात नहीं किया गया है और आकस्मिक या साशय विनाश, हानि या नुकसान से सुरक्षित और संरक्षित है।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (2) में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण—

(क) समुचित तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपाय को अंगीकार करेगा और उसे कार्यान्वित करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त या लगाए गए अभिकरण, परामर्शदाता, सलाहकार या अन्य व्यक्तियों के पास सूचना के लिए उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपाय हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे अभिकरणों, परामर्शदाताओं, सलाहकारों या अन्य व्यक्तियों के साथ किए गए करारों या ठहरावों में अधिरोपित बाध्यताएं, उन बाध्यताओं के समतुल्य हैं, जो इस अधिनियम के अधीन, प्राधिकरण पर अधिरोपित की गई हैं और ऐसे अभिकरणों, परामर्शदाताओं, सलाहकारों तथा अन्य व्यक्तियों से केवल प्राधिकरण के अनुदेशों पर कार्रवाई करने की अपेक्षा करेगा।

(5) तत्समय प्रवृत्त, किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्राधिकरण या उसके कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी या कोई ऐसा अभिकरण जो कि केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार को बनाए रखता है, अपनी सेवा के दौरान या उसके पश्चात्, केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में भंडारित कोई सूचना या अधिप्रमाणन अभिलेख किसी को प्रकट नहीं करेगा:

परंतु कोई आधार संख्यांक धारक, ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण से उसकी कोर बायोमैट्रिक सूचना को अपवर्जित करते हुए, उसकी पहचान सूचना देने के लिए अनुरोध कर सकता है।

सूचना साझा करने पर निर्बंधन।

29. (1) इस अधिनियम के अधीन संगृहित या सृजित कोई कोर बायोमैट्रिक सूचना,—

(क) किसी भी कारण से किसी व्यक्ति के साथ साझा नहीं की जाएगी, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन आधार संख्यांक के सृजन और अधिप्रमाणन से भिन्न, किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं की जाएगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन संगृहीत या सृजित कोर बायोमैट्रिक सूचना से भिन्न पहचान सम्बधी सूचना, केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, साझा की जा सकेगी।

(3) किसी अनुरोधकर्ता अस्तित्व के पास उपलब्ध पहचान संबंधी सूचना का,—

(क) अधिप्रमाणन के लिए कोई पहचान सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत करते समय किसी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा; या

(ख) ऐसे व्यक्ति की पूर्व सहमति के सिवाय, जिससे ऐसी सूचना संबंधित है प्रकट नहीं किया जाएगा।

(4) किसी आधार संख्यांक धारक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन संगृहीत या सृजित कोई आधार संख्यांक या कोर बायोमैट्रिक सूचना विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजनों के सिवाय सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या चिपकाई नहीं जाएगी।

बायोमैट्रिक सूचना का संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना समझा जाना।

30. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार इलैक्ट्रानिक रूप में संगृहीत और भंडारित बायोमैट्रिक सूचना को ''इलैक्ट्रानिक अभिलेख'' और ''संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना'' समझा जाएगा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और उसके अधीन बनाए गए नियम में अंतर्विष्ट उपबंध ऐसी सूचना को उतने विस्तार तक, इस अधिनियम के उपबंधों के अतिरिक्त न कि उनके अल्पीकरण में लागू होंगे। 2000 का 21

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''इलैक्ट्रानिक रूप'' पद का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में उसका है; 2000 का 21

(ख) ''इलैक्ट्रानिक अभिलेख'' पद का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में उसका है; 2000 का 21

(ग) ''संवेदनशील व्यक्तिगत या सूचना'' पद का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43क के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में उसका है। 2000 का 21

जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना का परिवर्तन।

31. (1) यदि किसी आधार संख्यांक धारक की कोई जनसांख्यिकी सूचना गलत पाई जाती है या उसमें तत्पश्चात् कोई परिवर्तन किया जाता है, तो आधार संख्यांक धारक प्राधिकरण से ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में उसके अभिलेख में ऐसी जनसांख्यिकी सूचना को परिवर्तित करने का अनुरोध करेगा।

(2) यदि किसी आधार संख्यांक धारक की कोई बायोमैट्रिक सूचना खो जाती है या उसमें तत्पश्चात् किसी कारण से परिवर्तन किया जाता है तो आधार संख्यांक धारक प्राधिकरण से ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में उसके अभिलेख में आवश्यक परिवर्तन करने का अनुरोध करेगा।

(3) प्राधिकरण, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, उसके अभिलेख में यदि उसका ऐसा समाधान हो जाता है तो ऐसे आधार संख्यांक धारक से संबंधित अभिलेख में ऐसा परिवर्तन, जो अपेक्षित हो, कर सकेगा और संबंधित आधार संख्यांक धारक को ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा।

(4) इस अधिनियम या इस निमित्त बनाए गए विनियमों में उपबंधित रीति के सिवाय, केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में की किसी पहचान सूचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

सूचना रखना और अधिप्रमाणन के लिए अनुरोध अभिलेखों तक पहुंच।

32. (1) प्राधिकरण ऐसी रीति से और ऐसी अवधि तक, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए अधिप्रमाणन अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

(2) प्रत्येक आधार संख्यांक धारक ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपना अधिप्रमाणन अभिलेख, अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) प्राधिकरण, स्वयं या उसके नियंत्रणाधीन किसी अस्तित्व के माध्यम से अधिप्रमाणन के प्रयोजन के बारे में कोई सूचना संगृहित, सुरक्षित या अनुरक्षित नहीं करेगा।

कतिपय मामलों में सूचना का प्रकटन।

33. (1) धारा 28 की उपधारा (2) या उपधारा (5) या धारा 29 की उपधारा (2) में की कोई बात जिला न्यायालय से निम्नतर किसी न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में किया गया सूचना का कोई प्रकटन, जिसके अंतर्गत पहचान सूचना या अधिप्रमाणन अभिलेख भी है, के सम्बध में लागू नहीं होगी:

परन्तु इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा, प्राधिकरण को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) धारा 28 की उपधारा (2) या उपधारा (5) या धारा 29 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में, उपधारा (2) या उपधारा (3) में की कोई बात, केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी के जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो किसी निदेश के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए किसी सूचना के प्रकटन को जिसके अंतर्गत पहचान संबंधी सूचना या अधिप्रमाणन अभिलेख भी है, लागू नहीं होगी:

परन्तु इस उपधारा के अधीन जारी प्रत्येक निर्देश का, उसके प्रभावी होने से पूर्व मंत्रिमंडल सचिव और विधि कार्य विभाग और इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार के सचिवों से मिलकर बनी अन्वेक्षा समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा:

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन जारी कोई निर्देश उसके जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि तक विधिमान्य होगा जिसे अन्वेक्षा समिति द्वारा पुनर्विलोकन के पश्चात् तीन मास की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

नामांकन के समय प्रतिरूपण के लिए शास्ति।

34. जो कोई मिथ्या जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना देते हुए किसी अन्य व्यक्ति का चाहे मृत हो या जीवित, वास्तविक हो या काल्पनिक, प्रतिरूपण करेगा या प्रतिरूपण करने का प्रयत्न करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना को परिवर्तित करके आधार संख्या धारक का प्रतिरूपण करने के लिए शास्ति।

35. जो कोई किसी आधार संख्या धारक को या आधार संख्या धारक की पहचान को विनियोजित करने के आशय से किसी आधार संख्यांक धारक की जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना में, किसी अन्य व्यक्ति का चाहे मृत हो, या जीवित, वास्तविक हो या काल्पनिक प्रतिरूपण करके या प्रतिरूपण का प्रयत्न करके परिवर्तन करेगा या करने का प्रयत्न करेगा वह करावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

प्रतिरूपण के लिए शास्ति।

36. जो कोई, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहचान सूचना संगृहित करने के लिए प्राधिकृत न होते हुए शब्दों, आचरण या भावभंगिमा द्वारा ऐसा अपदेश करेगा कि वह ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कम्पनी की दशा में, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

पहचान सूचना के प्रकटन के लिए शास्ति।

37. जो कोई, नामांकन या अधिप्रमाणन के दौरान, संगृहित किसी पहचान सूचना को, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किए गए किसी करार या ठहराव के उल्लंघन में अप्राधिकृत किसी व्यक्ति को साशय प्रकट करेगा, पारेषण करेगा या उसकी प्रतिलिपि बनाएगा या अन्यथा प्रसारित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कम्पनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार तक अप्राधिकृत पहुंच के लिए शास्ति।

38. जो कोई, प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत न होते हुए साशय,—

(क) केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार तक पहुंच बनाएगा या पहुंच सुनिश्चित करेगा;

(ख) केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार से या किसी स्थानांतरणीय भंडारण में भंडारित कोई डाटा डाउनलोड करेगा, प्रतिलिपि बनाएगा या उद्धरण लेगा;

(ग) केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में कोई वाइरस या अन्य कम्प्यूटर संदूषक प्रविष्ट करेगा या करवाएगा;

(घ) केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में के डाटा को नुकसान पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचवाएगा;

(ङ) केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार तक पहुंच विछिन्न करेगा या विछिन्न करवाएगा;

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को जो केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार तक पहुंच के लिए प्राधिकृत है, पहुंच बनाने से इंकार करेगा या इंकार करवाएगा;

(छ) धारा 28 की उपधारा (5) के उल्लंघन में कोई सूचना प्रकट करेगा या धारा 29 के उल्लंघन में सूचना साझा करेगा, उसका उपयोग या संप्रदर्शित करेगा या ऊपर उल्लिखित कृत्यों में से किसी कृत्य को करने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करेगा;

(ज) किसी स्थानान्तरणीय भंडारण मीडिया या केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में भंडारित किसी सूचना को नष्ट करेगा, हटाएगा या उसमें परिवर्तन करेगा या उसके मूल्य या उपयोगिता को कम करेगा या उसे किन्हीं साधनों द्वारा हानिकर रूप से प्रभावित करेगा; या

(झ) प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त किसी कंप्यूटर स्रोत कोड को नुकसान पहुंचाने के आशय से चुराएगा, छिपाएगा, नष्ट या परिवर्तित करेगा या किसी व्यक्ति से उसकी चोरी करवाएगा या उसे छिपवाएगा, नष्ट या परिवर्तित करवाएगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''कम्पयूटर संदूषक'', ''कम्प्यूटर वाइरस'' और ''नुकसान'' पदों के वही अर्थ होंगे जो सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43 के स्पष्टीकरण में क्रमश: उनके हैं और ''कम्प्यूटर स्रोत कोड'' पद का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की धारा 65 के स्पष्टीकरण में उसका है। 2000 का 21

केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में डाटा के साथ छेड़छाड़ करने के लिए शास्ति।

39. जो कोई, प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत न होते हुए केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में या किसी स्थानांतरणीय भंडारण, भंडार माध्यम में डाटा का और ''कम्प्यूटर स्रोत्र कोड'' पद का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की धारा 65 के स्पष्टीकरण में उसका है। आधार संख्यांक धारक से संबंधित सूचना का उपांतरण करने के आशय से या उसकी किसी जानकारी का पता लगाने के आशय से उपयोग करेगा या उसमें कोई छेड़छाड़ करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

अनुरोधकर्ता अस्तित्व द्वारा अप्राधिकृत उपयोग के लिए शास्ति।

40. जो कोई, अनुरोधकर्ता अस्तित्व होते हुए, धारा 8 की उपधारा (3) के उल्लंघन में किसी व्यक्ति की पहचान सूचना का उपयोग करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

प्रज्ञापना संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए शास्ति।

41. जो कोई, नामांकनकर्ता अभिकरण या अनुरोधकर्ता अस्तित्व होते हुए धारा 3 की उपधारा (2) या धारा 8 की उपधारा (4) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

साधारण शास्ति।

42. जो कोई, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन कोई ऐसा अपराध करेगा जिसके लिए इस धारा से भिन्न अन्यत्र कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध।

43. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे;

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराध या उल्लंघन को लागू होना।

44. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंध, अधिनियम का किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किए गए किसी अपराध या उल्लंघन को भी, उसकी राष्ट्रीयता को विचार में लाए बिना लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के उपबंध, किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किए गए किसी अपराध या उल्लंघन को लागू होंगे, यदि उस कृत्य या आचरण में, जिससे यह अपराध या उल्लंघन होता है, केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में का कोई डाटा अंतर्वालित हो।

अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति।

45. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो।

शास्तियों का अन्य दंडों में हस्तक्षेप न करना।

46. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य शास्ति या दंड के अधिरोपण को निवारित नहीं करेगी।

अपराधों का संज्ञान।

47. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय, नहीं करेगा।

(2) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार की प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की शक्ति।

48. (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि—

(क) प्राधिकरण, ऐसी परिस्थितियों के कारण जो उसके नियंत्रण के परे हैं, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या

(ख) प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार व्यतिक्रम किया है और उस व्यतिक्रम के फलस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या प्राधिकरण के प्रशासन को हानि हुई है; या

(ग) लोक आपात विद्यमान हो गया है,

तो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिक से अधिक छह मास की उतनी अवधि के लिए जितनी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अतिष्ठित कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जैसा राष्ट्रपति निदेश दें;

परन्तु केन्द्रीय सरकार, ऐसी कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व प्राधिकरण को प्रस्थापित अधिक्रमण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगी और प्राधिकरण के अभ्यावेदन पर, यदि कोई हों, विचार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर—

(क) अध्यक्ष और अन्य सदस्य, अतिष्ठित करने की तारीख से ही अपना पद, उसी रूप में रिक्त कर देंगे;

(ख) उन सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन, प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग किया जा सकेगा या निर्वहन किया जा सकेगा, उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन किए जाने तक उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा; और

(ग) प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन सभी संपत्तियां, उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन किए जाने तक, केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठित काल की समाप्ति पर या उसके पूर्व, केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण का, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नए सिरे से नियुक्ति करके, पुनर्गठन करेगी और ऐसी दशा में ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपना पद रिक्त किया है, पुनर्नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति और इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई की तथा उन परिस्थितियों की, जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई है, पूरी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

सदस्यों, अधिकारियों आदि का लोक सेवक होना।

49. प्राधिकरण का अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, के बारे में, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कर रहे है या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक हैं। 1860 का 45

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

50. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कृत्यों के पालन में, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार, उसे समय-समय पर लिखित रूप में दे:

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व प्राधिकरण को यथासाध्य अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात केन्द्रीय सरकार, को प्राधिकरण द्वारा तकनीकी या प्रशासनिक विषयों से संबंधित निदेश के लिए सशक्त नहीं करेगी।

(2) कोई प्रश्न नीति का है या नहीं इस बारे में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

प्रत्यायोजन।

51. प्राधिकरण, लिखित में, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (धारा 54 के अधीन शक्ति के सिवाय) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

52. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण या प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं होगी।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

53. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वह प्ररूप और रीति, जिसमें और वह प्राधिकारी, जिसके समक्ष, धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी;

(ख) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा सदस्यों को संदेय भत्ते या पारिश्रमिक;

(ग) धारा 17 के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष की अन्य शक्तियां और कृत्य;

(घ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (न) के अधीन प्राधिकरण की अन्य शक्तियां और कृत्य;

(ङ) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जाने वाले लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप;

(च) वह प्ररूप और रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विवरणियां और विवरण तथा विशिष्टियां दी जाएंगी;

(छ) वह प्ररूप और रीति तथा समय, जब प्राधिकरण, धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट देगा;

(ज) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या उपबंध किया जाए।

प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति।

54. (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा (2) के खंड (छ) के अधीन बायोमैट्रिक सूचना और खंड (ट) के अधीन जनसांख्यिकीय सूचना और खंड (ड) के अधीन नामांकनकर्ता अभिकरण द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना संग्रहीत करने की प्रक्रिया;

(ख) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन आधार संख्या जारी करने के लिए जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना के सत्यापन की रीति;

(ग) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन आधार संख्यांक धारक की पहचान के सबूत के रूप में आधार संख्या स्वीकार करने के लिए शर्तें;

(घ) धारा 5 के अधीन व्यक्तियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग जिनके लिए प्राधिकरण आधार संख्या आबंटित करने हेतु विशेष उपाय करेगा;

(ङ) धारा 6 के अधीन बायोमैट्रिक सूचना और जन जनसांख्यिकीय सूचना को अद्यतन करने की रीति;

(च) धारा 8 के अधीन आधार संख्या के अधिप्रमाणन के लिए प्रक्रिया;

(छ) धारा 10 के अधीन केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कृत्य;

(ज) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की बैठकों का समय और स्थान तथा उसके द्वारा कार्य करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है;

(झ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ञ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना और खंड (ख) के अधीन उनके संग्रहण की रीति;

(ट) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में व्यक्तियों की सूचना को बनाए रखने और उसे अद्यतन करने की रीति;

(ठ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन आधार संख्या और उससे संबंधित सूचना का लोप या उसे निष्क्रिय करने की रीति;

(ङ) विभिन्न सहायकियों, प्रसुविधाएं, सेवाओं और ऐसे अन्य प्रयोजनों, जिनके लिए धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन आधार संख्या का उपयोग किया जा सकेगा, के लिए आधार संख्याओं के उपयोग की रीति;

(ढ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन रजिस्ट्रार, नामांकनकर्ता अभिकरणों और अन्य सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें और उनकी नियुक्तियों का प्रतिसंहरण;

(ण) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ट) के अधीन आधार संख्यांक धारक की सूचना साझा करने की रीति;

(त) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन डाटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकाल और अन्य प्रौद्योगिकी रक्षोपाय से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाएं;

(थ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ढ) के अधीन विद्यमान आधार संख्यांक धारक को नई आधार संख्यांक जारी करने की प्रक्रिया;

(द) रजिस्ट्रार, नामांकनकर्ता अभिकरण या अन्य सेवा प्रदाताओं को, धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन उनके द्वारा उपलब्ध कार्रवाई की गई सेवाओं के लिए ऐसी फीस के संग्रहण हेतु प्राधिकृत करने की रीति;

(ध) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन रजिस्ट्रार, नामांकनकर्ता अभिकरणों और अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियां और पद्धतियां;

(न) धारा 28 की उपधारा (5) के परंतुक के अधीन आधार संख्यांक धारक द्वारा पहचान सूचना तक पहुंच बनाने की रीति;

(प) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन इस अधिनियम के अधीन संगृहीत या सृजित कोर बायोमैट्रिक सूचना से भिन्न पहचान सूचना साझा करने की रीति;

(फ) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन जनसांख्यिकीय सूचना और उपधारा (2) के अधीन बायोमैट्रिक सूचना में परिवर्तन करने की रीति;

(ब) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन अधिप्रमाणन के अनुरोध और उस पर की गई प्रतिक्रिया को अनुरक्षित रखने की रीति और समय तथा उपधारा (2) के अधीन आधार संख्यांक धारक द्वारा अधिप्रमाणित अभिलेख अभिप्राप्त करने की रीति;

(भ) कोई अन्य विषय, जिसका विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसकी बाबत विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या उपबंध किया जाए।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

55. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना।

56. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

अधिनियम का विधि के अधीन अन्य प्रयोजनों के लिए आधार संख्या के उपयोग को निवारित न करना।

57. इस अधिनियम की कोई बात, किसी राज्य या किसी निगमित निकाय या व्यक्ति द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या इस प्रभाव की किसी संविदा के अनुसरण में, किसी प्रयोजन के लिए व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या के उपयोग को निवारित नहीं करेगी:

परंतु इस धारा के अधीन आधार संख्यांक का उपयोग धारा 8 और अध्याय 6 के अधीन प्रक्रिया और बाध्यताओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

58. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

व्यावृत्तियां।

59. यथास्थिति भारत सरकार के योजना आयोग के संकल्प से सम्बन्धित अधिसूचना संख्यांक ए-43011/02/2009- प्रशासन 1, तारीख 28 जनवरी, 2009 या मंत्रिमंडल सचिवालय से सम्बन्धित अधिसूचना संख्यांक का॰आ॰ 2492 (अ), तारीख 12 सितंबर, 2015 के अधीन इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन विधिमान्यत: की गई समझी जाएगी।

डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 32)

[28 मई, 2016]

कृषि के विकास के लिए और कृषि तथा सहबद्ध विज्ञान संबंधी विद्या की अभिवृद्धि तथा अनुसंधान संबंधी कामकाज को अग्रसर करने के लिए विद्यमान राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार का डा॰ राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में संपरिवर्तन करके एक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन का उपबंध करने और उसे राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था घोषित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डा॰ राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

डा॰ राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा।

2. डा॰ राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञात संस्था के उद्देश्य ऐसे हैं जो उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं, अत: इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि डा॰ राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञात संस्था राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था होगी।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''विद्या परिषद्'' से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) ''शैक्षणिक कर्मचारिवृंद'' से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद अभिप्रेत हैं जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में अभिहित किए जाते हैं;

(ग) ''कृषि'' से मृदा और जल प्रबंध के बुनियादी तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान, फसल उत्पादन जिसके अंतर्गत सभी उद्यान फसलों का उत्पादन, पौधों, नाशकजीवों और रोगों का नियंत्रण भी है, उद्यान कृषि जिसके अंतर्गत पुष्प विज्ञान भी है, पशु पालन जिसके अन्तर्गत पशु चिकित्सा और दुग्ध विज्ञान, मत्स्य उद्योग भी है, वन विज्ञान जिसके अंतर्गत फार्म वन विज्ञान भी है, गृह विज्ञान, कृषि इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, कृषि और पशु पालन उत्पादों का विपणन और प्रसंस्करण, भूमि उपयोग और प्रबंध अभिप्रेत है;

(घ) ''बोर्ड'' से विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) ''अध्ययन बोर्ड'' से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;

(च) ''कुलाधिपति'' से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;

(छ) ''महाविद्यालय'' से विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय अभिप्रेत है, चाहे वह मुख्यालय पर, कैंपस में या अन्यत्र अवस्थित हो;

(ज) ''विभाग'' से विश्वविद्यालय का अध्ययन विभाग अभिप्रेत है;

(झ) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृंद भी हैं;

(ञ) ''विस्तारी शिक्षा'' से कृषि, उद्यान कृषि, मत्स्य उद्योग और उससे संबंधित उन्नत व्यवसाय तथा कृषि और कृषि उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी जिसके अंतर्गत फसलोत्तर प्रौद्योगिकी और विपणन भी है, के विभिन्न चरणों में काम करने वाले फलोद्यानियों, कृषकों और अन्य समूहों के प्रशिक्षण से संबंधित शैक्षणिक क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं;

(ट) ''संकाय'' से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

(ठ) ''अध्यादेश'' से विश्वविद्यालय का अध्यादेश अभिप्रेत हैं;

(ड) ''विनियम'' से विश्वविद्यालय के किसी विहित प्राधिकारी द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(ढ) ''अनुसंधान सलाहकार समिति'' से विश्वविद्यालय की अनुसंधान सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

(ण) ''परिनियम'' से विश्वविद्यालय के परिनियम अभिप्रेत हैं;

(त) ''छात्र'' से डिग्री, डिप्लोमा या सम्यक् रूप से संस्थित अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधि अभिप्राप्त करने के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम अनुसार विश्वविद्यालय में नामांकित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(थ) ''शिक्षक'' से आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, अध्यापन संकाय के सदस्य और उनके समतुल्य सदस्य अभिप्रेत हैं, जो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय या किसी संस्थान में शिक्षण देने या अनुसंधान या विस्तारी शिक्षा कार्यक्रमों या इनके समुच्चय का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं तथा जिन्हें अध्यादेशों द्वारा शिक्षकों के रूप में अभिहित किया गया है;

(द) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम के अधीन स्थापित डा॰ राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(ध) ''कुलपति'' से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है; और

(न) ''कुलाध्यक्ष'' से विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।

1988 का बिहार अधिनियम संख्यांक 8

डा॰ राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन।

4. (1) बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के अधीन, जहां तक इसका संबंध राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय से है, स्थापित और निगमित विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन ''डा॰ राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय'' के नाम से निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय बिहार राज्य के पूसा में होगा और वह अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर भी, जो यह ठीक समझे, कैंपस स्थापित कर सकेगा:

परंतु विश्वविद्यालय, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के विद्यमान कैंपस और अन्य सहयुक्त सुविधाओं को समेकित करेगा तथा कार्यभार ग्रहण करने की प्रभावी तारीख वह तारीख होगी जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, बोर्ड, विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और वे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण करते हैं, एतद्द्वारा डा॰ राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करते हैं।

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य।

5. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:—

(क) कृषि और सहबद्ध विज्ञान की ऐसी विभिन्न शाखाओं में शिक्षा देना जो वह उचित समझे;

(ख) कृषि और सहबद्ध विज्ञान में शिक्षा की अभिवृद्धि तथा अनुसंधान के संचालन को अग्रसर करना;

(ग) बिहार राज्य पर विशिष्ट ध्यान देते हुए देश में विस्तारी शिक्षा के कार्यक्रम करना;

(घ) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के साथ भागीदारी और सहलग्नता में अभिवृद्धि करना;

(ङ) ऐसे अन्य क्रियाकलाप करना जो वह समय-समय पर अवधारित करे।

विश्वविद्यालय की शक्तियां।

6. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(i) कृषि और सहबद्ध विज्ञान में शिक्षण की व्यवस्था करना;

(ii) कृषि और विद्या की सहबद्ध शाखाओं में अनुसंधान करने की व्यवस्था करना;

(iii) विस्तारी कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान और तकनीकी सूचना के निष्कर्षों के प्रसार की व्यवस्था करना;

(iv) ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो वह विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करना और परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर उन्हें डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियां प्रदत्त करना और उचित और पर्याप्त कारण से किसी ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों, डिग्रियों या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों को वापस लेना;

(v) परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानद डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना;

(vi) फील्ड कार्यकर्ताओं, ग्रामीण नेताओं और ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए,जिन्हें विश्वविद्यालय के नियमित छात्र के रूप में नामांकित नहीं किया गया है, व्याख्यान और शिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें ऐसे प्रमाणपत्र प्रदान करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं;

(vii) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकारी या उच्चतर विद्या की संस्था के साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजन के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार या सहयोग करना या सहयुक्त होना;

(viii) यथावश्यक कृषि, उद्यान कृषि, मत्स्य विज्ञान, वन विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान, दुग्ध विज्ञान, गृह विज्ञान और सहबद्ध विज्ञान से संबंधित महाविद्यालयों की स्थापना करना और उन्हें चलाना;

(ix) ऐसे कैंपस, कृषि विज्ञान केन्द्र, विशेष केन्द्र, विशेषीकृत प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, संग्रहालय या अनुसंधान और संस्था के लिए अन्य ऐसी इकाइयां स्थापित करना और उन्हें चलाना जो उसकी राय में, उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(x) अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तारी शिक्षा के पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(xi) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों को सृजित करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(xii) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(xiii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के ऐसे मानक अवधारित करना जिसके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकेगी;

(xiv) छात्रों और कर्मचारियों के लिए निवास स्थान सुविधा की व्यवस्था करना और उसे बनाए रखना;

(xv) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना;

(xvi) सभी प्रवर्ग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी है, अधिकथित करना;

(xvii) छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना और इस संबंध में ऐसे अनुशासन संबंधी उपाय करना जो वह आवश्यक समझे;

(xviii) ऐसी फीस और अन्य प्रभार जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं नियत करना, उनकी मांग करना और प्राप्त करना;

(xix) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए उसकी संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(xx) अपने प्रयोजनों के लिए उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति भी है, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबंध और व्ययन करना; और

(xxi) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

अधिकारिता।

7. (1) कृषि और सहबद्ध विषयों के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तारी शिक्षा के कार्यक्रमों की बाबत विश्वविद्यालय की अधिकारिता और उत्तरदायित्व का विस्तार, बिहार राज्य के विशेष संदर्भ सहित संपूर्ण देश पर होगा।

(2) विद्यमान राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालय, निदेशालय, अनुसंधान स्टेशन, प्रयोग स्टेशन और कृषि विज्ञान केन्द्र तथा विश्वविद्यालय की अधिकारिता और प्राधिकार के अधीन आने वाली अन्य संस्थाएं उसकी घटक इकाई होंगी और किसी अन्य इकाई को संबद्ध इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।

(3) विश्वविद्यालय फील्ड विस्तार कार्यकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकेगा और ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र विकसित कर सकेगा जो उसकी अधिकारिता के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित हों।

विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना।

8. विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश लेने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपयोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी कोई मानदंड अपनाएं या उस पर अधिरोपित करें:

परंतु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को स्त्रियों, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त व्यक्तियों या समाज के दुर्बल वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

कुलाध्यक्ष।

9. (1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष को, उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं तथा उपस्कर का और किसी संस्था या महाविद्यालय का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की गई परीक्षा, दिए गए शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

(3) कुलाध्यक्ष, प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना देगा और विश्वविद्यालय को ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन या ऐसी अन्य अवधि के भीतर, जो कुलाध्यक्ष अवधारित करे, ऐसा अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जो वह आवश्यक समझे।

(4) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, ऐसा निरीक्षण या जांच करा सकेगा जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट है।

(5) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है वहां विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में स्वयं हाजिर होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(6) कुलाध्यक्ष, निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और उस पर कार्रवाई करने की बाबत उस पर ऐसे विचार और सलाह दे सकेगा, जो कुलाध्यक्ष देना चाहे और कुलाध्यक्ष से संबोधन की प्राप्ति पर कुलपति, बोर्ड को निरीक्षण या जांच के परिणाम और कुलाध्यक्ष के विचार और उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में उसके द्वारा दी गई सलाह तुरन्त संसूचित करेगा।

(7) बोर्ड, कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जिसकी वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों पर करने के लिए प्रस्थापना करता है या उसके द्वारा की गई है, संसूचित करेगा।

(8) जहां बोर्ड, युक्तियुक्त समय के भीतर कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करता है, वहां कुलाध्यक्ष बोर्ड द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(9) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्रवाई को निष्प्रभाव कर सकेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं है:

परंतु ऐसा कोई आदेश करने से पहले वह विश्वविद्यालय से इस बात का कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

(10) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

10. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(1) कुलाधिपति;

(2) कुलपति;

(3) संकायाध्यक्ष;

(4) निदेशक;

(5) कुलसचिव;

(6) नियंत्रक;

(7) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष; और

(8) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कुलाधिपति।

11. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति, कुलाध्यक्ष द्वारा, ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलाधिपति, अपने पदाभिधान से, विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(3) कुलाधिपति, यदि वह उपस्थित है तो डिग्रियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

कुलपति।

12. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले में तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा ऐसे मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को देगा:

परंतु यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह ऐसा मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु यह और कि विश्वविद्यालय में सेवारत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध बोर्ड को अपील करे और तब बोर्ड कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट, उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के बाहर है या किया गया विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी से अपने विनिश्चय का ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह प्राधिकारी उस विनिश्चय का पूर्णत: या भागत: पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या उसके द्वारा उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

संकायाध्यक्ष और निदेशक।

13. प्रत्येक संकायाध्यक्ष और प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कुलसचिव।

14. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

नियंत्रक।

15. नियंत्रक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

अन्य अधिकारी।

16. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी।

17. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(1) बोर्ड;

(2) विद्या परिषद्;

(3) अनुसंधान परिषद्;

(4) विस्तारी शिक्षा परिषद्;

(5) वित्त समिति;

(6) संकाय और अध्ययन बोर्ड; और

(7) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

प्रबंध बोर्ड।

18. (1) बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा।

(2) बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां तथा कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विद्या परिषद्।

19. (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और वह इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के भीतर विद्या, शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा के नियंत्रण और साधारण विनियमन तथा उनके स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगी, जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

(2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

अनुसंधान परिषद्।

20. अनुसंधान परिषद् का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विस्तारी शिक्षा परिषद्।

21. विस्तारी शिक्षा परिषद् का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

वित्त समिति।

22. वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

संकाय।

23. विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

अध्ययन बोर्ड।

24. अध्ययन बोर्ड का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

अन्य प्राधिकारी।

25. धारा 17 के खंड (7) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

परिनियम बनाने की शक्ति।

26. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और उनका पदों पर बने रहना, पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य सभी विषय जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य और उनकी उपलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी उपलब्धियां;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य-निधि का उपबंध, सेवा-समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी है;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों मे माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा बोर्ड को अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) विभागों, केन्द्रों, महाविद्यालय और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति;

(ट) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ठ) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों का वापस लिया जाना;

(ड) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना;

(ढ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(ण) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना; और

(त) ऐसे सभी अन्य विषय जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाने हैं या किए जाएं।

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे।

27. (1) प्रथम परिनियम वे हैं जो अनुसूची में उपवर्णित हैं।

(2) बोर्ड, समय-समय पर, परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा:

परन्तु बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन पर प्रभाव डालने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगा, उसका संशोधन नहीं करेगा और उसका निरसन नहीं करेगा जब तक ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर बोर्ड विचार करेगा।

(3) प्रत्येक परिनियम या उसके किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या उससे अनुमति विधारित कर सकेगा या उसे बोर्ड को उसके विचारार्थ वापस भेज सकेगा।

(4) कोई परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष द्वारा उसकी अनुमति नहीं दे दी गई हो।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पश्चात् की तीन वर्ष की अवधि के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

(6) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि बोर्ड, ऐसे निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहता है तो कुलाध्यक्ष, बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में अपनी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, यथोचित रूप से परिनियमों को बना या संशोधित कर सकेगा।

अध्यादेश बनाने की शक्ति।

28. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य भी हैं;

(ज) छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, और उनके लिए अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) जिन कर्मचारियों के लिए परिनियमों में उपबंध किया गया है उनसे भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और उपलब्धियां;

(ट) विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ, जिनके अंतर्गत विद्वत निकाय या संगम भी हैं, सहकार और सहयोग करने की रीति;

(ड) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य;

(ढ) शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की सेवा के ऐसे अन्य निबंधन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित नहीं हैं;

(ण) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबंध;

(त) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना; और

(थ) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं।

(2) प्रथम अध्यादेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिनियमों द्वारा विहित रीति से बोर्ड द्वारा किसी भी समय संशोधित या निरसित किए जा सकेंगे।

विनियम।

29. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी स्वयं अपने और अपने द्वारा स्थापित की गई समितियों के कार्य संचालन के लिए, जिनका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।

वार्षिक रिपोर्ट।

30. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय होंगे और वह बोर्ड को उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और बोर्ड अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगा।

(2) बोर्ड, वार्षिक रिपोर्ट अपनी टीका-टिप्पणी सहित यदि कोई हो, कुलाध्यक्ष को भेजेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो उसे यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक लेखे।

31. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पंद्रह मास से अनधिक के अंतराल पर उनकी संपरीक्षा की जाएगी।

(2) वार्षिक लेखाओं की प्रति,उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित बोर्ड को और बोर्ड के संप्रेक्षणों के साथ कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेक्षण बोर्ड के ध्यान में लाए जाएंगे और बोर्ड के संप्रेक्षणों को, यदि कोई हों, कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की गई संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखाओं की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें।

32. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय और उसके किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा अनुरोध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा। 1996 का 26

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया।

33. (1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है उसके द्वारा ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा और बोर्ड, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, उस छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 32 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को, यथाशक्य, लागू होंगे ।

अपील करने का अधिकार।

34. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय या संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, बोर्ड को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरि बोर्ड, उस विनिश्चय को जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा।

भविष्य-निधि और पेंशन निधियां।

35. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य-निधि और पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) जहां ऐसी भविष्य-निधि या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहां केन्द्रीय सरकार, यदि ठीक समझे, यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य-निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य-निधि हो।

1925 का 19

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के गठन के बारे में विवाद।

36. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

समितियों का गठन।

37. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां स्थापित करने की शक्ति दी गई है वहां जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसी समितियों में, संबंधित प्राधिकरण के ऐसे सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, होंगे जिन्हें प्राधिकरण प्रत्येक मामले में ठीक समझे।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

38. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र, ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिस तक वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता है।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना।

39. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं।

सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

40. इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्ण की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के बोर्ड, कुलपति, किसी प्राधिकारी या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को साबित करने का ढंग।

1872 का 1

41. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेजों की, जो विश्वविद्यालय के कब्जे में है, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी

रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, कुलसचिव द्वारा सत्यापित कर दिए जाने पर, उस दशा में जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने पर साक्ष्य में ग्राहय होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ले ली जाएगी और उससे संबंधित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी।

विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रभाव।

42. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,—

(क) किसी संविदा या अन्य लिखित में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रतिनिर्देश है;

(ख) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय की या उसके स्वामित्व में की जंगम और स्थावर, सभी संपत्ति विश्वविद्यालय में निहित होंगी;

(ग) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के सभी अधिकार और दायित्व विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और वे विश्वविद्यालय के अधिकार और दायित्व होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पूर्व राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से नियोजित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपेक्षित अर्हता और विश्वविद्यालय में भर्ती के मानदंड को पूरा करता है, उस रूप में नियोजित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा:

परंतु शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के ऐसे प्रत्येक सदस्य और संकाय के ऐसे प्रत्येक सदस्य को, जो अपेक्षित अर्हता और मानदंड को पूरा नहीं करता है, अर्हता को उन्नत करने और मानदंड को पूरा करने के लिए दो वर्ष का अवसर दिया जाएगा:

परंतु यह और कि स्थायी रूप से नियोजित प्रत्येक अन्य व्यक्ति को विनियम में उपबंधित रीति से अर्हता को उन्नत करने और मानदंड को पूरा करने का अवसर दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी रूप से नियोजित प्रत्येक अन्य व्यक्ति की पदावधि, पारिश्रमिक, निबंधन और शर्तें, पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि तथा अन्य विषयों के बारे में अधिकारों और विशेषाधिकारों का अवधारण बिहार राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(3) बिहार राज्य सरकार द्वारा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अधिशिष्ट या अस्थायी शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, शिक्षक, संकाय का सदस्य या अन्य कर्मचारी को, जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध कोई विवाद लंबित है, नियोजित करने के सभी प्रयास किए जाएंगे।

(4) ऐसा कोई विवाद या मुकदमेबाजी, जिनके लिए वाद हेतुक शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य, शिक्षक, संकाय सदस्य या अन्य कर्मचारी और राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के बीच इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व उद्भूत हुआ है, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य, शिक्षक संकाय सदस्य या अन्य कर्मचारी और राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के बीच वैसे ही संस्थित किया जाएगा, अभियोजित किया जाएगा या जारी रखा जाएगा मानो यह अधिनियम अधिनियमित ही नहीं हुआ है और ऐसे सभी मामलों का प्रबंध बिहार राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले विशेष प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा तथा ऐसे मामलों के प्रबंधन से संबंधित सभी व्यय, जिसके अंतर्गत उसके किसी व्यक्ति को संदेय प्रतिकर भी है, राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।

(5) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को चलाया जा रहा कोई शैक्षिक पाठ्यक्रम, कार्यक्रम या स्कीम को पाठ्यक्रम, कार्यक्रम या स्कीम के पूरा होने तक ऐसे उपांतरणों सहित, जैसा विश्वविद्यालय ठीक समझे, जारी रखा जाएगा।

(6) बिहार राज्य सरकार और विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक कर्मचारिवृंद शिक्षक संकाय सदस्य या अन्य कर्मचारी की पेंशन और अन्य दायित्वों की, व्यक्ति की सेवा की क्रमिक अवधि के आनुपातिक विस्तार तक आनुपातिक लागत का वहन करेंगे और राज्य सरकार उस विश्वविद्यालय को अपना अंशदान देगी जिससे इस मद्दे किसी दायित्व का निर्वहन किया जा सकेगा।

(7) छात्रों, शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, संकाय और प्रत्येक अन्य कर्मचारी के स्थायी अभिलेखों से संबंधित किसी विषय का उपबंध विनियमों द्वारा किया जाएगा।

(8) पेंशन और अन्य सभी सेवानिवृत्ति पश्च प्रसुविधाओं का वहन, जिसके अंतर्गत प्रत्येक शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, शिक्षक, संकाय सदस्य और प्रत्येक अन्य कर्मचारी की, जिन्होंने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अधिवर्षिता प्राप्त की है, चिकित्सा सुविधाएं भी हैं, बिहार राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा जिसका संदाय विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जाएगा और जो बिहार राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त उससे संबंधित बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे।

(9) विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, संकाय सदस्य और प्रत्येक अन्य कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा शासित होगी।

(10) शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, संकाय सदस्य और प्रत्येक अन्य कर्मचारी की सेवा शर्तों को शासित करने वाला किसी ऐसे विषय का अवधारण, जिसके लिए इस अधिनियम में कोई उपबंध नहीं किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए तत्स्थानी उपबंधों द्वारा किया जाएगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

43. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार,राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

संक्रमणकालीन उपबंध।

44. इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम नियंत्रक, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा;

(ग) बोर्ड के प्रथम सदस्य, कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे;

(घ) विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य, कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे:

परन्तु यदि उपरोक्त पदों या प्राधिकारियों में कोई रिक्ति होती है तो वह कुलाध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन किया गया है, पद धारण करता यदि ऐसी रिक्ति नही हुई होती।

1988 का बिहार अधिनियम 8

बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम का निरसन।

45. (1) बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987,जहां तक इसका संबंध राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार से है, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए,—

(क) बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के अधीन, जहां तक इसका संबंध राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार से है, की गई सभी नियुक्तियां, जारी किए गए आदेश और प्रदान की गई डिग्रियां और अन्य शैक्षणिक उपाधियां, दिए गए डिप्लोमा और प्रमाणपत्र, प्रदत्त विशेषाधिकार या की गई अन्य बातें, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन क्रमश: की गई, जारी किए गए, प्रदान की गई, दिए गए, अनुदत्त या की गई समझी जाएंगी और इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि उन्हें इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अधिक्रांत न कर दिया गया हो, और

(ख) शिक्षकों की नियुक्ति या प्रोन्नतियों के लिए चयन समितियों की सभी कार्रवाइयां जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व हुई हैं और ऐसी चयन समितियों की सिफारिशों की बाबत शासी निकाय की सभी कार्रवाइयां, जहां उनके आधार पर नियुक्ति के कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व पारित नहीं किए गए थे, इस बात के होते हुए भी कि चयन के लिए प्रक्रिया इस अधिनियम द्वारा, जहां तक इसका संबंध राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार से है, उपांतरित कर दी गई है, विधिमान्य हुई समझी जाएगी किंतु ऐसे लंबित चयनों के संबंध में अगली कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और उस प्रक्रम से चालू होगी जहां वे ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व थी, सिवाय तब के यदि संबद्ध प्राधिकारी कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से तत्प्रतिकूल विनिश्चय करते हैं।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना।

46. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत परिनियम, अध्यादेश या विनियम को अथवा उनमें से किसी को ऐसी तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पहले की न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति होगी किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम को इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा कि उससे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू होता है, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

अनुसूची

(धारा 27 देखिए)

विश्वविद्यालय के परिनियम

कुलाधिपति:

1. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति, साधारणतया शिक्षा और विशिष्टतया कृषि विज्ञान में ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों में से, बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी:

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष ऐसे सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन नहीं करता है तो वह बोर्ड से नई सिफारिशें मंगा सकेगा।

(2) कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुन: नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु कुलाधिपति, अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी, अपने पद पर तब तक बना रह सकेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पदग्रहण नहीं कर लेता है।

कुलपति:

2. (1) कुलपति की नियुक्ति, खंड (2) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

(i) सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार जो अध्यक्ष होगा;

(ii) सदस्य के रूप में कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती जो संयोजक भी होगा;

(iii) केन्द्रीय सरकार का एक नामनिर्देशिती।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(4) कुलपति अपना पदग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पांच वर्ष की और अवधि के लिए या जब तक सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता इनमें से जो भी पहले हो, पुन: नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु पांच वर्ष की उक्त अवधि का अवसान हो जाने पर भी वह अपने पद पर, एक वर्ष से अनधिक अवधि तक या जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता है और वह अपना पदग्रहण नहीं कर लेता है, बना रहेगा।

(5) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:—

(i) कुलपति को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक वेतन और मकान किराया भत्ता से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे और वह अपनी पदावधि के दौरान बिना किराया दिए सुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान के रखरखाव की बाबत कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा;

(ii) कुलपति ऐसे सेवांत फायदों और भत्तों का हकदार होगा जो बोर्ड द्वारा कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से समय-समय पर नियत किए जाएं:

परंतु जहां विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था का अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले या उससे संबद्ध किसी संस्था का कर्मचारी कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उसे ऐसी भविष्य-निधि में जिसका वह सदस्य है अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य-निधि में ऐसे

व्यक्ति के खाते में उसी दर से अभिदाय करेगा जिस दर से व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था:

परन्तु यह और कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा;

(iii) कुलपति, भारत सरकार के सचिव की पंक्ति के समतुल्य अधिकारियों के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर के अनुसार यात्रा और अन्य भत्तों का हकदार होगा;

(iv) कुलपति स्थानांतरण यात्रा भत्तों और अन्य भत्तों का हकदार होगा जो पदग्रहण करने तथा छोड़ने पर भारत सरकार के सचिव की पंक्ति के समतुल्य अधिकारियों को अनुज्ञेय है;

(v) कुलपति किसी कलैंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी को प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को पन्द्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किस्तों में अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा:

परन्तु यदि कुलपति आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पद ग्रहण करता है या छोड़ता है तो छुट्टी को अनुपातत: सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए ढ़ाई दिन की दर से जमा किया जाएगा;

(vi) कुलपति, उपखंड (iv) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्धवेतन छुट्टी का भी हकदार होगा। इस अर्धवेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा:

परंतु जब परिवर्तित छुट्टी उपलब्ध है तो अर्धवेतन छुट्टी की दुगुनी मात्र देय अर्धवेतन छुट्टी के प्रति विकलित की जाएगी;

(vii) कुलपति, भारत सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत और गृह यात्रा रियायत का हकदार होगा;

(viii) कुलपति, पद छोड़ने के समय भारत सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी नकदीकरण के फायदे का हकदार होगा;

(6) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है अथवा यदि वह अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो, यथास्थिति, ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष या निदेशक, कुलपति के कर्तव्यों का तब तक पालन करेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति पद ग्रहण नहीं कर लेता या कुलपति अपने पद के कर्तव्य नहीं संभाल लेता।

कुलपति की शक्तियां और कर्त्तव्य:

3. (1) कुलपति, बोर्ड, विद्या परिषद्, वित्त समिति, अनुसंधान परिषद् और विस्तारी शिक्षा परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालयों के किसी प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा, किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकरण का सदस्य न हो।

(3) कुलपति का यह देखने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर नियंत्रण करेगा और वह विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(5) कुलपति को विश्वविद्यालयों में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह ऐसी किसी भी शक्ति का, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजन कर सकेगा।

(6) कुलपति को बोर्ड, विद्या परिषद्, अनुसंधान परिषद्, विस्तारी शिक्षा परिषद् और वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

महाविद्यालयों और संकायों के संकायाध्यक्ष:

(1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो संबद्ध महाविद्यालय का प्रमुख भी होगा।

(2) यदि किसी संकाय में एक से अधिक महाविद्यालय हैं तो, कुलपति संकायाध्यक्षों में से किसी एक को संकाय का संकायाध्यक्ष नामनिर्देशित कर सकेगा।

(3) महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति परिनियम 18 के अनुसार इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(4) संकायाध्यक्ष, किराया मुक्त और असुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा।

(5) संकायाध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परंतु संकायाध्यक्ष पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(6) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष रुग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो उस पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए जाएंगे जिन्हें कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(7) संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय और संकाय में अध्यापन के संचालन और उसका स्तर बनाए रखने के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(8) संकायाध्यक्ष, संकाय के अध्ययन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्, अनुसंधान परिषद् और विस्तारी शिक्षा परिषद् का सदस्य होगा।

शिक्षा निदेशक:

(1) शिक्षा निदेशक की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालयों का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) शिक्षा निदेशक, किराया मुक्त और असुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा।

(3) शिक्षा निदेशक पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु शिक्षा निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(4) शिक्षा निदेशक विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में सभी शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना, समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

अनुसंधान निदेशक:

6. (1) अनुसंधान निदेशक की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा की जाएगी और विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) अनुसंधान निदेशक, किराया मुक्त और असुसज्जित निवास स्थान का हकदार होगा।

(3) अनुसंधान निदेशक पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु अनुसंधान निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(4) अनुसंधान निदेशक विश्वविद्यालय के सभी अनुसंधान कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण तथा समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(5) अनुसंधान निदेशक विश्वविद्यालय की अनुसंधान-परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

विस्तारी शिक्षा निदेशक:

7. (1) विस्तारी शिक्षा निदेशक की नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) विस्तारी शिक्षा निदेशक, किराया मुक्त और असुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा।

(3) विस्तारी शिक्षा निदेशक, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परंतु विस्तारी शिक्षा निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(4) विस्तारी शिक्षा निदेशक विश्वविद्यालय के सभी विस्तारी शिक्षा कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा तथा अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(5) विस्तारी शिक्षा निदेशक, विश्वविद्यालय की विस्तारी शिक्षा परिषद् का पदेन सदस्य सचिव होगा।

कुलसचिव:

8. (1) कुलसचिव की नियुक्ति परिनियम 18 के अधीन गठिन चयन समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कुलसचिव अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(3) कुलसचिव की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(4) उसे पांच वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकेगा।

(5) कुलसचिव की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु कुलसचिव साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(6) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हुए व्यक्ति की दशा में उसकी पदावधि, उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन, प्रतिनियुक्ति के निबंधनों के अनुसार होंगे।

(7) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या जब कुलसचिव रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(8) (क) कुलसचिव को, ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध, जिनके अंतर्गत शिक्षक नहीं हैं, जो बोर्ड के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी तथा ऐसी जांच के लंबित रहने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परिनिंदा की या वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी:

परंतु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को, उसके संबंध में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है।

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के आदेश के विरुद्ध अपील, कुलपति को होगी।

(ग) ऐसे मामले में, जहां जांच से यह प्रकट होता हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहां, कुलसचिव जांच के पूरा होने पर कुलपति को अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट देगा:

परंतु कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील बोर्ड को होगी।

(9) कुलसचिव, बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा, किंतु वह इन प्राधिकरणों में से किसी भी प्राधिकरण का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(10) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति को, जो बोर्ड उसके भारसाधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे;

(ख) बोर्ड, विद्या परिषद् और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति के अधिवेशनों को बुलाने के लिए सभी सूचनाएं जारी करे;

(ग) बोर्ड, विद्या परिषद् के और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे;

(घ) बोर्ड और विद्या परिषद् के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे;

(ङ) अध्यादेशों या अधिसूचनाओं द्वारा विहित रीति के अनुसार, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की, व्यवस्था करे;

(च) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिवेशनों की कार्यसूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं, और ऐसे अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे और अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपने प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे; और

(ज) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए।

नियंत्रक:

9. (1) नियंत्रक की नियुक्ति, परिनियम 18 के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) नियंत्रक पांच वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकेगा।

(4) नियंत्रक की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(5) किसी व्यक्ति के प्रतिनियुक्ति पर नियंत्रक के रूप में नियुक्त होने की दशा में, उसकी पदावधि, उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन, प्रतिनियुक्ति के मानक के अनुसार होंगे:

परंतु नियंत्रक साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(6) जब नियंत्रक का पद रिक्त है या जब नियंत्रक, रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(7) नियंत्रक, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, किंतु ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(8) नियंत्रक—

(क) विश्वविद्यालय की निधि का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा; और

(ख) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों, अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं या जिनकी समय-समय पर बोर्ड या कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाए।

(9) बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, नियंत्रक—

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अंतर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति भी है, धारण करेगा और उसका प्रबंध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए जिसके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने के लिए और उनको बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों की स्थिति तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाली पद्धतियों के विषय में सलाह देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यालयों, विशेषित प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों और संस्थाओं के उपस्कर तथा उपयोज्य अन्य सामग्री के स्टाक की जांच की जाए;

(छ) अप्राधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा; और

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यालय, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(10) नियंत्रक द्वारा या बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय को संदेय किसी धनराशि के बारे में रसीद, उस धन के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी।

विभागाध्यक्ष:

10. (1) कुलपति द्वारा नियुक्त प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो सह-आचार्य की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा तथा जिसके कर्तव्य और कृत्य तथा नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएंगी।

(2) विभागाध्यक्ष अध्यापन के लिए संकायाध्यक्ष, अनुसंधान के लिए अनुसंधान निदेशक, विस्तारी शिक्षा कार्य के लिए विस्तारी शिक्षा निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा।

(3) संकायाध्यक्ष संबद्ध महाविद्यालयों में विभागाध्यक्षों का प्रशासनिक नियंत्रक अधिकारी होगा:

परंतु यदि किसी विभाग में एक से अधिक आचार्य हैं तो कुलपति द्वारा विभागाध्यक्ष की नियुक्ति आचार्यों में से की जाएगी:

परंतु यह और कि ऐसे विभाग की दशा में, जहां केवल एक आचार्य है, कुलपति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो आचार्य को या सह-आचार्य को, विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करे।

(4) आचार्य या सह-आचार्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी।

(5) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया आचार्य या सह-आचार्य उस रूप में तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह पुन: नियुक्ति का पात्र होगा।

(6) विभागाध्यक्ष, अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।

(7) विभागाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(8) विभागाध्यक्ष पैंसठ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष:

11. (1) प्रत्येक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति परिनियम 18 के अधीन इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) प्रत्येक पुस्तकालयाध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं।

प्रबन्ध बोर्ड का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य:

12. (1) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(i) कुलपति, पदेन अध्यक्ष;

(ii) बिहार राज्य के कृषि या पशुपालन, मत्स्य उद्योग और उद्यान कृषि विभागों के भारसाधक सचिवों में से तीन सचिव चक्रानुक्रम से कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे:

(iii) तीन ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(iv) कृषि आधारित उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति या कृषि विकास में विशेष ज्ञान रखने वाला विनिर्माता जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाला उप-महानिदेशक (शिक्षा);

(vi) महाविद्यालय का एक संकायाध्यक्ष और एक निदेशक जो चक्रानुक्रम के आधार पर कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(vii) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति;

(viii) महिला सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता जिसे कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाए;

(ix) एक सलाहकार (कृषि), नीति आयोग;

(x) प्राकृतिक संसाधन या पर्यावरण प्रबंध में एक विशिष्टता-प्राप्त प्राधिकारी जिसे कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाए;

(xi) संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के ऐसे दो व्यक्ति, जो क्रमश:, कृषि और पशुपालन से संबंधित भारत सरकार के विभागों का प्रतिनिधित्व करते हों; जिन्हें भारत सरकार के संबंधित सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए;

(xii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सचिव का नामनिर्देशिती; और

(xiii) विश्वविद्यालय का कुलसचिव — सचिव।

(2) बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3) बोर्ड को विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति का प्रबंध और प्रशासन करने तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों का, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, संचालन करने की शक्ति होगी।

(4) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड को, उसमें निहित

अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(i) अध्यापन और शैक्षणिक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उनकी उपलब्धियां अवधारित करना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुमोदन के अध्यधीन विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द के कर्तव्यों और सेवा की शर्तों को परिभाषित करना;

(ii) ऐसे शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृन्द को, जो आवश्यक हों, और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालयों के संकायाध्यक्षों और अन्य संस्थाओं के निदेशक और अध्यक्षों को इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना;

(iii) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से उन पर नियुक्तियां करना;

(iv) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना;

(v) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना जो वह ठीक समझे;

(vi) वित्त समिति की सिफारिशों पर एक वर्ष के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना;

(vii) विश्वविद्यालय की किसी धनराशि को, जिसके अंतर्गत कोई अनुपयोजित आय भी है, ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में जो वह ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में समय-समय पर विनिहित करना, जिसके अंतर्गत ऐसे विनिधानों में समय-समय पर उसी प्रकार परिवर्तन करने की शक्ति है;

(viii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना;

(ix) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(x) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और रद्द करना;

(xi) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाता है तो उन शिकायतों को दूर करना;

(xii) परीक्षकों या विशेषज्ञों या परामर्शदाताओं, सलाहकारों और विशेष कर्तव्यारूढ़ अन्य अधिकारियों की फीस, मानदेय, उपलब्धियां और यात्रा भत्ते नियत करना;

(xiii) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा और उपयोग की व्यवस्था करना;

(xiv) ऐसे विशेष इंतजाम करना जो छात्राओं के निवास और उनमें अनुशासन के लिए आवश्यक हों;

(xv) अपनी शक्तियों में से कोई शक्ति जो वह ठीक समझे, कुलपति, संकायाध्यक्ष, निदेशक, कुलसचिव या नियंत्रक को या विश्वविद्यालय के अन्य ऐसे कर्मचारी या प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति को जो वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित करना;

(xvi) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(xvii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विशेष कर्तव्यारूढ़ अधिकारियों और विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करना;

(xviii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं।

बोर्ड के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति:

13. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसके पांच सदस्यों से होगी।

विद्या परिषद् का गठन और उसकी शक्तियां:

14. (1) विद्या परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i) कुलपति, पदेन अध्यक्ष;

(ii) विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष;

(iii) विश्वविद्यालय का अनुसंधान निदेशक;

(iv) विश्वविद्यालय का विस्तारी शिक्षा निदेशक;

(v) शिक्षा निदेशक;

(vi) चक्रानुक्रम आधार पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई पुस्तकालयाध्यक्ष;

(vii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से सहयोजित दो विख्यात वैज्ञानिक;

(viii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सात विभागाध्यक्ष, जिसमें कम से कम एक प्रत्येक संकाय से हो;

(ix) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, पदेन सचिव।

(2) विद्या परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और शिक्षण की पद्धतियों, महाविद्यालयों और संस्थाओं में सहकारी अध्यापन, मूल्यांकन और शैक्षणिक स्तरों में सुधारों के बारे में निदेश देना;

(ख) महाविद्यालयों के बीच समन्वय करना और शैक्षणिक विषयों पर समिति की स्थापना या नियुक्ति करना;

(ग) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी महाविद्यालय या बोर्ड द्वारा निदेश किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना; और

(घ) परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम और नियम बनाना जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों और अध्ययनवृत्तियों के दिए जाने, फीस, रियायतों, सामुदायिक जीवन और हाजिरी के संबंध में हो।

विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति:

15. विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के एक-तिहाई सदस्यों से होगी।

अध्ययन बोर्ड:

16. (1) प्रत्येक संकाय में एक अध्ययन बोर्ड होगा।

(2) प्रत्येक संकाय का अध्ययन बोर्ड निम्नलिखित रूप से गठित होगा:—

(i) संकायाध्यक्ष — अध्यक्ष;

(ii) अनुसंधान निदेशक — सदस्य;

(iii) विस्तारी शिक्षा निदेशक — सदस्य;

(iv) संकाय के ऐसे सभी विभागाध्यक्ष जो सह-आचार्य की पंक्ति से नीचे के नही होंगे — सदस्य;

(v) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विद्या परिषद् का एक प्रतिनिधि जो विशिष्ट संकाय से नहीं होगा;

(vi) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कृषि शिक्षा प्रणाली से दो विख्यात वैज्ञानिक जो विश्वविद्यालय के नहीं होंगे;

(vii) उच्चतम समग्र श्रेणी बिन्दु औसत (ओजीपीए) धारक एक अंतिम वर्ष का स्नातकोत्तर छात्र — सदस्य;

(viii) संकाय का सहायक कुलसचिव (विद्या) — सदस्य; और

(ix) शिक्षा निदेशक — सदस्य।

(3) अध्ययन बोर्ड के कृत्य होंगे, विद्या परिषद् को संबद्ध संकाय द्वारा प्रस्थापित विभिन्न उपाधियों के लिए विहित की जाने वाली पाठ्यचर्या की सिफारिशें करना और विहित अनुमोदित पाठ्यक्रमों के शिक्षण के लिए उपयुक्त सिफारिशें करना, अर्थात्:—

(क) अध्ययन पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के लिए, जिनमें अनुसंधान उपाधियां नहीं हैं, परीक्षकों की नियुक्ति;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति; और

(ग) अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय।

वित्त समिति:

17. (1) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i) कुलपति — अध्यक्ष;

(ii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग का वित्तीय सलाहकार या उसका नामनिर्देशिती जो उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा;

(iii) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति जिनमें कम से कम एक व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होगा;

(iv) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति; और

(v) विश्वविद्यालय का नियंत्रक — सदस्य-सचिव।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसके तीन सदस्यों से होगी।

(3) वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(4) यदि वित्त समिति का कोई सदस्य वित्त समिति के किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है तो उसे विसम्मति का कार्यवृत्त अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार होगा।

(6) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्थापनाओं की और उन मदों की जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, बोर्ड द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जाएगी।

(7) नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(8) वित्त समिति विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों के आधार पर, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी (जिसके अंतर्गत उत्पादक कार्यों की दशा में ऋणों के आगम भी हो सकेंगे)।

चयन समितियां:

18.(1) शिक्षकों, नियंत्रक, कुलसचिव, पुस्तकालयाध्यक्षों, विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों के संकायाध्यक्षों, अन्य संस्थाओं के निदेशकों और अध्यक्षों के पद पर नियुक्ति हेतु बोर्ड को सिफारिशें करने के लिए एक चयन समिति होगी।

(2) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति, उक्त सारणी के स्तंभ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथाविनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनेगी:

सारणी

1	2	3
क.	निदेशक/संकायाध्यक्ष	(i) कुलपति या उसका नामनिर्देशिती—अध्यक्ष (ii) कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती—सदस्य (iii) तीन विख्यात वैज्ञानिक, जो कुलपति या समतुल्य (सेवारत या सेवानिवृत्त) की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे और जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं—सदस्य।
ख.	आचार्य/समतुल्य	(i) कुलपति या उसका नामनिर्देशिती—अध्यक्ष (ii) कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती—सदस्य (iii) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष—सदस्य (iv) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला अनुसंधान निदेशक या विस्तारी शिक्षा निदेशक या शिक्षा निदेशक—सदस्य (v) तीन विख्यात विषय विशेषज्ञ, जो विभागाध्यक्ष (सेवारत या सेवानिवृत्त) की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे और जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं—सदस्य।
ग.	सह आचार्य/सहायक आचार्य/समतुल्य	(i) कुलपति या उसका नामनिर्देशिती—अध्यक्ष (ii) कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती—सदस्य (iii) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष—सदस्य (iv) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला शिक्षा निदेशक या अनुसंधान निदेशक या विस्तारी शिक्षा निदेशक—सदस्य (v) दो विख्यात शिक्षक या वैज्ञानिक जो आचार्य या समतुल्य (सेवारत या सेवानिवृत्त) की पंक्ति से नीचे का न हो और जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं—सदस्य।

1	2	3
घ.	कुलसचिव/नियंत्रक/ पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) कुलपति या उसका नामनिर्देशिती—अध्यक्ष (ii) कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती—सदस्य (iii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक निदेशक/ संकायाध्यक्ष—सदस्य (iv) बोर्ड द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ—सदस्य।

(3) कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में उसका नामनिर्देशिती चयन समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा:

परन्तु चयन समिति के अधिवेशन कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशितियों के साथ पूर्व परामर्श के पश्चात् नियत किए जाएंगे:

परन्तु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियां तभी तक विधिमान्य होंगी जब कम से कम दो सदस्य जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, अधिवेशन में उपस्थित हों।

(4) चयन समिति का अधिवेशन कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में उसके नामनिर्देशिती द्वारा बुलाया जाएगा।

(5) सिफारिशें करने में चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया समिति द्वारा साक्षात्कार से पूर्व विनिश्चित की जाएगी।

(6) यदि बोर्ड, चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह उसके कारण लेखबद्ध करेगा और मामले को अंतिम आदेशों के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगा।

(7) अस्थायी पदों पर नियुक्तियां नीचे उपदर्शित रीति में की जाएंगी:—

(i) कुलपति को किसी व्यक्ति को छह मास से अनधिक की अवधि के लिए, जिसे बोर्ड के अनुमोदन से छह मास की एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, तदर्थ आधार पर नियुक्त करने का प्राधिकार होगा:

परंतु यदि कुलपति का समाधान हो जाता है कि कार्य के हित में रिक्ति को भरा जाना आवश्यक है, तो उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति द्वारा पूर्णत: अस्थायी आधार पर छह मास से अनधिक अवधि के लिए नियुक्ति की जा सकेगी।

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति संबंधित महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति के एक नामनिर्देशिती से मिलकर गठित स्थानीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी:

परंतु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो सकेंगे:

परंतु यह और कि मृत्यु या किसी अन्य कारण से कारित अध्यापन के पदों की अकस्मात् आकस्मिक रिक्तियों की दशा में, संकायाध्यक्ष संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से, एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति के संबंध में कुलपति और कुलसचिव को रिपोर्ट देगा।

(iii) यदि परिनियमों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किसी शिक्षक की नियुक्ति की सिफारिश नियमित चयन समिति द्वारा नहीं की जाती है तो ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में नहीं बना रहेगा, जब तक कि उसका यथास्थिति, किसी अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा पश्चात्वर्ती चयन नहीं कर लिया जाता है।

(8) अशैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए चयन समिति के गठन की रीति, जो परिनियमों में विहित नहीं की गई है, अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

नियुक्ति का विशेष ढंग:

19. (1) परिनियम 18 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड उच्च विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधि और वृत्तिक योग्यता वाले किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में, यथास्थिति, आचार्य या सह आचार्य का पद या कोई अन्य शैक्षणिक पद, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा और उस व्यक्ति के ऐसा करने हेतु सहमत होने पर उसे पद पर नियुक्त कर सकेगा।

(2) बोर्ड, अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना का जिम्मा लेने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को नियुक्त कर सकेगा।

नियत अवधि के लिए नियुक्ति:

20. बोर्ड, परिनियम 18 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयनित किसी व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, किसी नियत अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगा।

निदेशक, संकायाध्यक्ष, आचार्य आदि की अर्हताएं:

21. (1) विभिन्न संकायों के निदेशक, संकायाध्यक्ष, आचार्य और सह-आचार्य और सहायक आचार्य तथा अनुसंधान और विस्तारी शिक्षा में उनके समतुल्यों की अर्हताएं अध्यादेशों द्वारा यथाविहित होंगी।

(2) अशैक्षणिक कर्मचारिवृंद की अर्हता अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

समितियां:

22. (1) धारा 17 में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उतनी स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकेंगे जितनी वे ठीक समझें और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेंगे जो उस प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं।

(2) खंड (1) के अधीन नियुक्त कोई ऐसी समिति उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा पुष्टि के अध्यधीन किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी, जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए।

शिक्षकों आदि के सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता:

23. (1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृंद लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे जिसके निबंधन अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

(3) खंड 2 में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास जमा कराई जाएगी।

अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता:

24. विश्वविद्यालय के सभी अशैक्षणिक कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे जो समय-समय पर बनाए जाएं।

ज्येष्ठता सूची:

25. (1) जब कभी इन परिनियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकरण का सदस्य होना है, तो उस ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसकी श्रेणी में निरंतर सेवाकाल और ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, जो बोर्ड समय-समय पर विहित करे।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह, जिन व्यक्तियों को इन परिनियमों के उपबंध लागू होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक पूरी और अद्यतन ज्येष्ठता सूची खंड (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार करे और उसे बनाए रखें।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट श्रेणी में लगातार सेवाकाल बराबर हो या किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुलसचिव स्वप्रेरणा से और किसी व्यक्ति के अनुरोध पर उस मामले को बोर्ड को प्रस्तुत करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

कर्मचारियों का विश्वविद्यालय से हटाया जाना:

26. (1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो, वहां शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य की दशा में कुलपति और अन्य कर्मचारियों की दशा में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और बोर्ड को उन परिस्थितियों की तुरंत रिपोर्ट देगा जिनमें वह आदेश किया गया था:

परंतु यदि बोर्ड की यह राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलंबन होना चाहिए तो वह उस आदेश को वापस कर सकेगा।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के संबंध में बोर्ड तथा अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या अन्य कर्मचारियों को हटाने के लिए तभी हकदार होगा जब उसके लिए उचित कारण हो, उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय कर दिया गया हो, अन्यथा नहीं।

(4) किसी शिक्षक, कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(5) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको हटाए जाने का आदेश किया जाता है:

परन्तु जहां शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलंबित है, वहां उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको वह निलंबित किया गया था।

(6) इस परिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी—

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो वह, यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देने के पश्चात् या उसके बदले में तीन मास के वेतन का संदाय करने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा;

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो, यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने के पश्चात् या उसके बदले में एक मास के वेतन का संदाय करने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा:

परन्तु ऐसा पद त्याग केवल उस तारीख को प्रभावी होगा जिसको यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

मानद उपाधियां:

27. (1) बोर्ड, विद्या परिषद् की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष से मानद उपाधियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगा:

परन्तु आपात स्थिति की दशा में, बोर्ड स्वप्रेरणा से ऐसी प्रस्थापनाएं कर सकेगा।

(2) बोर्ड, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से, विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त किसी मानद उपाधि को वापस ले सकेगा।

उपाधियों आदि का वापस लिया जाना:

28. बोर्ड उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगा:

परंतु ऐसा कोई संकल्प तभी पारित किया जाएगा जब उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने की लिखित सूचना दे दी जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित किया जाए और जब बोर्ड द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जो वह उसके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार नहीं कर लिया जाता है।

विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना:

29. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी।

(2) कुलपति अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को, जिनको वह उचित समझे ऐसे अधिकारियों को जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) कुलपति अनुशासन बनाए रखने और ऐसी कार्यवाही करने संबंधी, जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हों, अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी शक्तियों के प्रयोग में, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या किन्हीं छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए या विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे ऐसी रकम के जुर्माने से दंडित किया जाए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा अथवा उसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्था या विभाग द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों को किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का जिसमें वह या वे सम्मिलित हुए हैं परीक्षाफल रद्द कर दिया जाए।

(4) महाविद्यालयों और संस्थाओं के संकायाध्यक्षों और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को अपने-अपने महाविद्यालयों, संस्थाओं और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार होगा, जो ऐसे महाविद्यालयों, संस्थाओं और विभागों में शिक्षण के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।

(5) कुलपति, खंड (4) में विनिर्दिष्ट संकायाध्यक्षों और अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासन और उचित संचालन के लिए विस्तृत नियम बनाए जाएंगे।

(6) महाविद्यालयों और संस्थाओं के संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों के अध्यक्ष भी ऐसे अनुपूरक नियम बना सकेंगे जो वे खंड (5) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझें।

(7) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है।

महाविद्यालय आदि के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना:

30. विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय या किसी संस्था के छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियां, अध्यादेशों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, महाविद्यालय या संस्था के संकायाध्यक्ष में निहित होंगी।

दीक्षांत समारोह:

31. उपाधियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह ऐसी रीति से आयोजित किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए।

कार्यकारी अध्यक्ष:

32. जब किसी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष का उपबंध नहीं किया गया है अथवा जब इस प्रकार उपबंधित अध्यक्ष अनुपस्थित है या कुलपति ने लिखित रूप में कोई व्यवस्था नहीं की है तो सदस्य अपने आप में से किसी एक को अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

त्यागपत्र:

33. बोर्ड, विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय के कोई अन्य प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही प्रभावी हो जाएगा।

निर्हताएं:

34. (1) कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्रहित होगा, यदि—

(i) वह विकृतचित्त का है;

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(iii) वह किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है और उसकी बाबत कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, दंडादिष्ट किया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में उल्लिखित निरर्हताओं में से किसी निरर्हता से ग्रस्त है या रहा है तो वह प्रश्न कुलाध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्रवाई नहीं होगी।

सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्त:

35. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकरण की सदस्यता:

36. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, वह व्यक्ति जो किसी विशिष्ट प्राधिकरण का सदस्य होने के नाते या किसी विशिष्ट नियुक्ति पर होने के नाते विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य है केवल तब तक ऐसा पद या सदस्यता धारण करेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकरण का सदस्य या उस विशिष्ट नियुक्ति पर बना रहता है।

पूर्व छात्र संगम:

37. (1) विश्वविद्यालय का एक पूर्व छात्र संगम होगा।

(2) पूर्व छात्र संगम की सदस्यता के लिए अभिदाय अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(3) पूर्व छात्र संगम का कोई सदस्य, मतदान करने या निर्वाचन के लिए खड़े होने का तभी हकदार होगा जब वह निर्वाचन की तारीख से पहले कम से कम एक वर्ष तक उक्त संगम का सदस्य रहा है और विश्वविद्यालय का कम से कम पांच वर्ष की अवस्थिति का डिग्री धारक है:

परन्तु एक वर्ष की सदस्यता पूरी करने संबंधी शर्त प्रथम निर्वाचन की दशा में लागू नहीं होगी।

छात्र परिषद्:

38. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक महाविद्यालय में छात्र कल्याण से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों की बाबत, जिनके अंतर्गत क्रीड़ा, खेलकूद, नाट्यकला, वाद-विवाद, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आदि भी हैं,

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक छात्र परिषद् होगी, और ऐसी परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

(i) महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष—अध्यक्ष;

(ii) सभी छात्रावासों के वार्डन;

(iii) परिसर संपदा अधिकारी;

(iv) संकायाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पांच विभागाध्यक्ष;

(v) छात्रावास के प्रिफेक्ट;

(vi) प्रत्येक कक्षा या वर्ष से एक ऐसा छात्र जिसने पूर्ववर्ती शैक्षणिक सत्र में उच्चतम समग्र श्रेणी अंक औसत (ओजीपीए) प्राप्त किया है;

(vii) छात्र कल्याण अधिकारी — सदस्य सचिव।

(2) छात्र परिषद् प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार अपना अधिवेशन करेगी।

अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे:

39. (1) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश, बोर्ड द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय, संशोधित या निरसित किए जा सकेंगे।

(2) धारा 27 में प्रगणित ऐसे विषयों के बारे में जो उसकी उपधारा (1) के खण्ड (ढ) में प्रगणित विषयों से भिन्न हैं, बोर्ड द्वारा कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित नहीं किया गया हो।

(3) बोर्ड को इस बात की शक्ति नहीं होगी कि वह विद्या परिषद् द्वारा खंड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन करे किन्तु वह प्रस्तावना को नामंजूर कर सकेगा या विद्या परिषद् के पुनर्विचार के लिए संपूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को ऐसे किन्ही संशोधनों सहित जिनका सुझाव बोर्ड दे, वापस भेज सकेगा।

(4) जहां बोर्ड ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है वहां विद्या परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में जब मूल प्रारूप, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई और विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुन: अभिपुष्ट कर दिया जाता है तब प्रारूप बोर्ड को वापस भेजा जा सकेगा जो उसे अंगीकृत कर लेगा या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर देगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरंत प्रवृत्त होगा।

(6) बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसके अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) कुलाध्यक्ष को, अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वह ऐसे किसी अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित कर दे और वह यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित अध्यादेश पर अपने आक्षेपों के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा।

(8) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय से टीका-टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् अध्यादेश का निलम्बन करने वाले आदेश को वापस ले सकेगा या अध्यादेश को अननुज्ञात कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

विनियम:

40. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित विषयों के बारे में इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से सुसंगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात्:—

(i) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना जिनका विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अपेक्षित है ;

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों के लिए उपबंध करना, जो ऐसे प्राधिकारियों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबंधित हों और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा।

(3) बोर्ड इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने या किसी ऐसे विनियम के निष्प्रभाव किए जाने का निदेश दे सकेगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन:

41. अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकारी अपनी शक्ति, अपने या उसके नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी या व्यक्ति को ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्ति के प्रयोग का संपूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी में निहित बना रहेगा।

अन्य संस्था और संगठनों के साथ सहयोग:

42. विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय की अधिस्नातक और पी॰एच॰डी॰ डिग्रियां प्रदान करने के लिए आंशिक अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु सहयोगात्मक स्नातकोत्तर अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करने के लिए किसी अनुसंधान और/या उच्चतर विद्या की शैक्षणिक संस्था के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से करार करने का प्राधिकार होगा।

अनुसंधान परिषद् का गठन और कृत्य:

43. (1) कृषि और सहबद्ध विद्या शाखाओं के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की अनुसंधान नीतियों तथा कार्यक्रमों पर साधारण पर्यवेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय की एक अनुसंधान परिषद् होगी।

(2) अनुसंधान परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i) कुलपति—अध्यक्ष;

(ii) विस्तारी शिक्षा निदेशक—सदस्य;

(iii) शिक्षा निदेशक—सदस्य;

(iv) विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के सभी संकायाध्यक्ष—सदस्य;

(v) राज्य सरकार का नामनिर्देशिती जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा—सदस्य;

(vi) विश्वविद्यालय की अनुसंधान टीमों के सभी समन्वयक—सदस्य;

(vii) कुलपति द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट दो विख्यात कृषि वैज्ञानिक—सदस्य;

(viii) अनुसंधान निदेशक—सदस्य-सचिव।

(3) अनुसंधान परिषद् का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार आवश्यक होगा।

(4) अनुसंधान परिषद् के अधिवेशन की गणपूर्ति अनुसंधान परिषद् के एक-तिहाई सदस्यों से होगी।

(5) यदि त्यागपत्र के कारण या अन्यथा कोई रिक्ति होती है तो उसे शेष अवधि के लिए भरा जाएगा।

विस्तारी शिक्षा परिषद् का गठन और कृत्य:

44. (1) कृषि और सहबद्ध विद्या शाखाओं के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की विस्तारी शिक्षा नीतियों और कार्यक्रमों का साधारण पर्यवेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय की एक विस्तारी शिक्षा परिषद् होगी।

(2) विस्तारी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी:—

(i) कुलपति—अध्यक्ष;

(ii) अनुसंधान निदेशक—सदस्य;

(iii) शिक्षा निदेशक—सदस्य;

(iv) विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के सभी संकायाध्यक्ष—सदस्य;

(v) राज्य सरकार का नामनिर्देशिती जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा—सदस्य;

(vi) कुलपति द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नामनिर्देशित दो किसान प्रतिनिधि और एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता—सदस्य;

(vii) कुलपति द्वारा दो वर्षों के लिए नामनिर्देशित विश्वविद्यालय से बाहर के दो विख्यात वैज्ञानिक—सदस्य; और

(viii) विस्तारी शिक्षा निदेशक—सदस्य-सचिव।

(3) विस्तारी शिक्षा परिषद् का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार आवश्यक होगा।

(4) विस्तारी शिक्षा परिषद् के अधिवेशन की गणपूर्ति विस्तारी शिक्षा परिषद् के एक तिहाई-सदस्यों से होगी।

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 आदि का लागू होना:

45. (1) विश्वविद्यालय के सभी नियमित कर्मचारी, पेंशन और उपदान तथा साधारण भविष्य-निधि प्रदान करने के संबंध में, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 और साधारण भविष्य-निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के उपबंधों से शासित होंगे।

(2) भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 और साधारण भविष्य-निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 में किया गया कोई संशोधन विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी लागू होगा।

(3) पेंशन के संराशीकरण के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के उपबंध उसमें किन्हीं संशोधनों के साथ लागू होंगे।

(4) कुलपति पेंशन मंजूरी प्राधिकारी और पेंशन प्राधिकार प्राधिकारी होगा।

(5) पेंशन का संदाय नियंत्रक के कार्यालय द्वारा केन्द्रीयकृत और नियंत्रित होगा।

———————

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 35)

[29 जुलाई, 2016]

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

बृहत् नाम का संशोधन।

1986 का 61

2. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के बृहत् नाम के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"सभी उपजीविकाओं में बालकों के लगाए जाने का प्रतिषेध करने और परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में कुमारों के लगाए जाने का प्रतिषेध करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम"।

संक्षिप्त नाम का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में, ''बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर ''बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे। 1986 का 61

धारा 2 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (i) को उसके खंड (ia) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खंड (ia) से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(i) ''कुमार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है, किन्तु अपनी आयु का अठारहवां वर्ष पूरा नहीं किया है;';

(ख) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ii) ''बालक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का चौदहवां वर्ष या ऐसी आयु जो नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट की जाए, इनमें से जो भी अधिक है, पूरी नहीं की है;'। 2009 का 35

धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। किसी उपजीविका या प्रक्रिया में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''3. (1) किसी बालक को किसी उपजीविका या प्रक्रिया में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां बालक,—

(क) अपने विद्यालय के समय के पश्चात् या प्रावकाशों के दौरान अपने कुटुंब या कुटुम्ब के ऐसे उद्यमों की सहायता करता है, जो अनुसूची में उपवर्णित परिसंकटमय उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं से भिन्न है;

(ख) किसी दृश्य-श्रव्य मनोरंजन उद्योग में, जिसके अंतर्गत विज्ञापन, फिल्म, टेलीविजन सीरियल या सर्कस के सिवाय ऐसे कोई अन्य मनोरंजन या खेल संबंधी क्रियाकलाप भी हैं, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, कलाकार के रूप में कार्य करता है :

परन्तु इस खंड के अधीन ऐसा कोई कार्य बालक की विद्यालय शिक्षा को प्रभावित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी बालक के संबंध में ''कुटुम्ब'' पद से उसकी माता, पिता, भाई, बहन और पिता की बहन और भाई तथा माता की बहन और भाई अभिप्रेत हैं;

(ख) ''कुटुम्ब के उद्यम'' पद से कोई ऐसा कार्य, वृत्ति, विनिर्माण या कारबार अभिप्रेत है जो कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा अन्य व्यक्तियों को साथ लगाकर किया जाता है;

(ग) ''कलाकार'' पद से ऐसा बालक अभिप्रेत है जो अपने को अभिनेता, गायक, खिलाड़ी के रूप में या उपधारा (2) के खंड (ख) के अन्तर्गत आने वाले मनोरंजन या खेल संबंधी कार्यकलापों से संबंधित ऐसे अन्य क्रियाकलाप, में जो विहित किया जाए, प्रत्यक्षत: अन्तर्वलित करके अभिरूची या वृत्ति के रूप में कोई कार्य करता है या अभ्यास करता है।''।

नई धारा 3क का अंत:स्थापन। कतिपय परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में कुमारों का प्रतिषेध।

6. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''3क. कोई कुमार, अनुसूची में उपवर्णित किन्हीं परिसंकटमय उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे अपरिसंकटमय कार्य की प्रकृति विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसमें किसी कुमार को इस अधिनियम के अधीन कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।''।

धारा 4 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 4 में ''अनुसूची में किसी उपजीविका या प्रक्रिया को जोड़ सकेगी'' शब्दों के स्थान पर ''अनुसूची में किसी परिसंकटमय उपजीविका या प्रक्रिया को जोड़ सकेगी या उसमें से लोप कर सकेगी'' शब्द रखें।

8. मूल अधिनियम की धारा 5 में,— धारा 5 का संशोधन।

(*i*) पार्श्व शीर्ष में, ''बालक श्रम तकनीकी सलाहाकार समिति'' शब्दों के स्थान पर, ''तकनीकी सलाहकार समिति'' शब्द रखे जाएंगे;

(*ii*) उपधारा (1) में, ''बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति'' शब्दों के स्थान पर, ''तकनीकी सलाहकार समिति'' शब्द रखें जाएंगे।

9. मूल अधिनियम के भाग 3 के शीर्षक में, ''बालकों'' शब्द के स्थान पर, ''कुमारों'' शब्द रखा जाएगा। भाग 3 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 6 में, ''धारा 3'' शब्द और अंक के स्थान पर, ''धारा 3क'' शब्द, अंक और अक्षर रखा जाएगा। धारा 6 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 7 में, ''बालक'' शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है, ''कुमार'' शब्द रखा जाएगा। धारा 7 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 8 में, ''बालक'' शब्द के स्थान पर, ''कुमार'' शब्द रखा जाएगा। धारा 8 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 9 में, ''बालक'' शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, ''कुमार'' शब्द रखा जाएगा। धारा 9 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 10 में, ''बालक'' शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, ''कुमार'' शब्द रखा जाएगा। धारा 10 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 11 में,— धारा 11 का संशोधन।

(क) ''बालकों'' शब्द के स्थान पर, ''कुमारों'' शब्द रखा जाएगा;

(ख) ''बालक'' शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है, ''कुमार'' शब्द रखा जाएगा।

16. मूल अधिनियम की धारा 12 में,— धारा 12 का संशोधन।

(क) पार्श्व शीर्ष में ''धारा 3 और धारा 14'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''धारा 3क और धारा 14'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) ''धारा 3 और धारा 14'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''धारा 3क और धारा 14'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

17. मूल अधिनियम की धारा 13 में, ''बालकों'' शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है, ''कुमारों'' शब्द रखा जाएगा। धारा 13 का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 14 में,— धारा 14 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(1) जो कोई किसी बालक को धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित करता है या काम करने के लिए अनुज्ञात करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा:

परन्तु ऐसे बालक के माता-पिता या संरक्षक को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि वे ऐसे बालक को, धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अनुज्ञात न करें।

(1क) जो कोई किसी कुमार को धारा 3क के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित करता है या काम करने के लिए अनुज्ञात करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा:

परन्तु ऐसे कुमार के माता-पिता या संरक्षक को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि वे ऐसे कुमार को, धारा 3क के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करने के लिए अनुज्ञात न करें।

(1ख) उपधारा (1) और उपधारा (1क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 3 या धारा 3क में निर्दिष्ट किसी बालक या कुमार के माता-पिता या संरक्षक प्रथम अपराध की दशा में दंड के भागी नहीं होंगे।''।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(2) जो कोई, धारा 3 या धारा 3क के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराए जाने पर, तत्पश्चात् वैसा ही अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(2क) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे माता-पिता या संरक्षक, जो धारा 3 या धारा 3क के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराए जाने पर, तत्पश्चात् वैसा ही अपराध करेगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।''।

(ग) उपधारा (3) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

नई धारा 14क, धारा 14ख, धारा 14ग और धारा 14घ का अंत:स्थापन।

19. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

अपराधों का संज्ञेय होना।

''14क. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नियोजक द्वारा किया गया और धारा 3 या धारा 3क के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा। 1974 का 2

बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि।

14ख. (1) समुचित सरकार, प्रत्येक जिले में अथवा दो या अधिक जिलों के लिए बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि नामक एक निधि की स्थापना करेगी, जिसमें ऐसे जिले या जिलों की अधिकारिता के भीतर के बालक और कुमार के नियोजक से वसूल की गई जुर्माने की रकम जमा की जाएगी।

(2) समुचित सरकार, प्रत्येक ऐसे बालक या कुमार के लिए, जिसके लिए उपधारा (1) के अधीन जुर्माने की रकम जमा की गई है, निधि में पंद्रह हजार रुपए की रकम जमा करेगी।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन निधि में जमा की गई रकम ऐसे बैंकों में जमा की जाएगी या उसका ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा, जैसा समुचित सरकार विनिश्चित करे।

(4) उपधारा (3) के अधीन, यथास्थिति, जमा की गई या विनिहित रकम, और उस पर प्रोद्भूत ब्याज की रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे बालक या कुमार को संदत्त की जाएगी जिसके पक्ष में ऐसी रकम जमा की गई है।

स्पष्टीकरण—समुचित सरकार के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 239क के अधीन संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक या उपराज्यपाल भी है।

छुड़ाए गए बालक या कुमार का पुनर्वास।

14ग. ऐसे बालक या कुमार का, जो इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित किया गया है और उसे छुड़ा लिया गया है, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार पुनर्वास किया जाएगा।

अपराधों का शमन।

14घ. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला मजिस्ट्रेट, अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर उसके द्वारा धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन पहली बार किए गए किसी अपराध का या किसी ऐसे अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, जो माता-पिता या संरक्षक है, किए गए किसी अपराध का, ऐसी रीति में और समुचित सरकार को ऐसी रकम का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, शमन कर सकेगा। 1974 का 2

(2) यदि अभियुक्त, अपराध के शमन के लिए ऐसी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाहियां चालू रहेंगी।

(3) जहां कोई अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व किसी अपराध का शमन कर दिया जाता है वहां ऐसे अपराध के संबंध में उस अपराधी के विरुद्ध, जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(4) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के प्रारंभ होने के पश्चात् किया जाता है वहां ऐसे शमन को उस न्यायालय की जानकारी में लाया जाएगा जिसमें अभियोजन लंबित है और अपराध के शमन का अनुमोदन किए जाने पर, ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार शमन किया जाता है, उन्मोचित कर दिया जाएगा।''।

नई धारा 17क और धारा 17ख का अंत:स्थापन।

20. धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपबंधों का कार्यान्वयन किया जाना।

''17क. समुचित सरकार, जिला मजिस्ट्रेट को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के उपबंधों का उचित रूप से कार्यान्वयन किया जाए, ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी और उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी, जो आवश्यक हों तथा जिला मजिस्ट्रेट, उसके अधीनस्थ के ऐसे अधिकारी को, जो इस प्रकार प्रदत्त या अधिरोपित सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा तथा ऐसी स्थानीय सीमाओं को, जिनके भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों को कार्यान्वित किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो विहित किया जाए, किया जाएगा विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

निरीक्षण और मानीटर करना।

17ख. समुचित सरकार, ऐसे स्थानों का, जहां पर बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है, और परिसंकटमय उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं को किया जाता है ऐसे अंतरालों पर, जो वह ठीक समझे, कालिक निरीक्षण करने और करवाने के लिए और इस अधिनियम के उपबंधों से संबंधित मुद्दों को मानीटर करेगी।''।

धारा 18 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) को उसके खंड (ख) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:अक्षरांकित खंड (ख) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(क) धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन शर्तें और सुरक्षा उपाय और उसकी उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन अन्य क्रियाकलाप;''।

(ii) इस प्रकार पुन: अक्षरांकित खंड (ख) में ''बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति'' शब्दों के स्थान पर ''तकनीकी सलाहकार समिति'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उसके खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) को खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:अक्षरांकित खंड (ग) में, ''बालक'' शब्द के स्थान पर, ''कुमार'' शब्द रखा जाएगा;

(iv) इस प्रकार पुन:अक्षरांकित खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(च) धारा 14ख की उपधारा (4) के अधीन बालक या कुमार को रकम के संदाय की रीति;

(छ) धारा 14घ की उपधारा (1) के अधीन अपराध के शमन की और समुचित सरकार को रकम का संदाय करने की रीति;

(ज) धारा 17क के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कर्तव्य तथा वे स्थानीय सीमाएं, जिनके भीतर ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को कार्यान्वित किया जाएगा।''।

अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन।

22. मूल अधिनियम में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

'अनुसूची

(धारा 3क देखिए)

(1) खानें।

(2) ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक।

(3) परिसंकटमय प्रक्रिया।

स्पष्टीकरण— इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए ''परिसंकटमय प्रक्रिया'' का वही अर्थ है जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (गख) में है।'। 1948 का 63

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 38)

[3 अगस्त, 2016]

भारत के लोक लेखाओं या प्रत्येक राज्य के लोक लेखाओं के अधीन एक निधि की स्थापना और उसमें प्रतिकरात्मक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण, शास्तिक प्रतिकरात्मक वनरोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य मद्दे उपयोक्ता अभिकरणों से प्राप्त धन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन ऐसे अभिकरणों से वसूल की गई अन्य सभी रकमों को जमा करने; निधियों के प्रशासन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में प्राधिकरण के गठन और कृत्रिम पुनरुत्पादन (बागान), सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन, वन संरक्षण, वन संबंधी अवसंरचना विकास, हरित भारत कार्यक्रम, वन जीव संरक्षण का कार्य करने के लिए इस प्रकार संगृहीत धनराशियों के उपयोजन और अन्य संबंधित क्रियाकलापों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

उच्चतम न्यायालय ने [1995 की रिट याचिका (सिविल) सं॰ 202] टी॰एन॰ गोडावर्मन तिरुमलपाद बनाम भारत संघ और अन्य में तारीख 30 अक्तूबर, 2002 के अपने आदेश में यह मत व्यक्त किया कि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का सृजन किया जाए जिसमें प्रतिकरात्मक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण, शास्तिक प्रतिकरात्मक वनरोपण, अपयोजित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य या जलागम क्षेत्र उपचार योजना आदि मद्दे उपयोक्ता अभिकरणों से प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जाएंगी;

और यह भी मत व्यक्त किया गया था कि ऐसे मामलों में जहां अपयोजित वन भूमि संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् जैव विविधता या वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित क्रियाकलाप करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

1972 का 35

के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर आती है, वहां उपयोक्ता अभिकरणों से प्राप्त धनराशि भी इस निधि में जमा की जाएगी;

और उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया है कि कृत्रिम पुनरुत्पादन (बागान) के अतिरिक्त, निधि का उपयोग सहायताप्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन वन संरक्षण, अवसंरचना विकास, वन्य जीव संरक्षण और अन्य संबंधित क्रियाकलापों के लिए भी किया जाएगा और निधियों का प्रभावी और उचित उपयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के माध्यम से साथ-साथ मानीटर किए जाने और मूल्यांकन करने की एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की जानी चाहिए;

और उच्चतम न्यायालय ने उक्त रिट याचिका में तारीख 26 सितम्बर, 2005 के अपने निर्णय में यह मत व्यक्त किया है कि पारिस्थितिकी की संरक्षा के लिए उत्पन्न और पुनरुत्पादन की व्यवस्था के लिए निधि को संविधान के अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 283 के अधीन निधि के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए;

और तारीख 5 मई, 2006 के अपने निदेश में उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया था कि चूंकि सरकार ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन नहीं किया है इसलिए प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के प्रवर्तन में आने तक एक तदर्थ प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पास पड़े हुए उक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की ओर से वसूल किए गए धन का तदर्थ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण में केन्द्रीय पूल बनाने का निदेश दिया;

और केन्द्रीय सरकार ने तदर्थ प्राधिकरण के पास पड़ी निधियों के उपयोग के लिए राज्य प्राधिकरण के विषय पर तारीख 2 जुलाई, 2009 को मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए थे;

और उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 10 जुलाई, 2009 के निदेश में यह निदिष्ट किया था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए राज्य प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों और संरचना को अधिसूचित और कार्यान्वित किया जाए;

और उच्चतम न्यायालय ने तारीख 10 जुलाई, 2009 के निदेशों में यह और निदिष्ट किया कि कोई अनुकल्पी प्रणाली लाए जाने तक उच्चतम न्यायालय से अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात् प्रतिकरात्मक वनरोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य और संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों) मद्दे धन तदर्थ प्राधिकरण में जमा किया जाता रहेगा;

और उच्चतम न्यायालय के तारीख 5 मई, 2006 के उसके आदेश सहित, उसके निदेशों की अनुपालना में राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा संगृहीत अड़तीस हजार करोड़ से अधिक रुपए को तदर्थ प्राधिकरण के अधीन रख दिया गया है और उसे राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करा दिया गया है;

और राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा संगृहीत निधियों के उपयोग के लिए स्थायी संस्थागत तंत्र का अभाव तदर्थ प्राधिकरण में विशाल अव्ययित निधियों के संचय का मुख्य कारण है;

अतः, अब, उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों, निदेशों और संप्रेक्षणों के आधार पर तदर्थ प्राधिकरण के पास संचित निधियों और राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा संगृहीत की जाने वाली निधियों की किसी पारदर्शी रीति में सुरक्षा, संरक्षा और त्वरित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए संसद् के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि तथा एक राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण तथा प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र में राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि तथा राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण सृजित करने का प्रस्ताव है।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षित नाम प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका विस्तार, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, संपूर्ण भारत पर है।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) ''तदर्थ प्राधिकरण'' से टी॰एन॰ गोडावर्मन तिरुमलपाद **बनाम** भारत संघ और अन्य [1995 की रिट याचिका (सिविल) सं॰ 202] में उच्चतम न्यायालय के तारीख 5 मई, 2006 के आदेश के अधीन गठित तदर्थ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) ''अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्राधिकरण'' से राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) ''अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण'' से राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

1980 का 69

(घ) ''प्रतिकरात्मक वनरोपण'' से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि के वनेत्तर उपयोग के अपयोजन के बदले किया गया वनरोपण अभिप्रेत है;

(ङ) ''पर्यावरणीय सेवाओं'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(i) माल जैसे कि काष्ठ, गैर-इमारती वन उत्पाद, ईंधन, चारे, जल की व्यवस्था और चरागाह, पर्यटन, वन्य जीव संरक्षण और जीवन सहायता जैसी सेवाओं की व्यवस्था;

(ii) बाढ़ नियंत्रण, कार्बन पृथक्करण, मृदा, वायु और जल प्रणाली के स्वास्थ्य जैसी विनियम सेवाएं;

(iii) पारिस्थितिकी सेवाओं, जैव विविधता, पोषक चक्रण और प्राथमिक उत्पादन, जिसके अंतर्गत परागण और बीज छितराव भी है, के लिए आवश्यक ऐसी अन्य सेवाओं की सहायता करना;

1980 का 69

(च) ''प्रादेशिक कार्यालय का अध्यक्ष'' से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन वन संरक्षण मामलों का निपटारा करने के लिए प्रादेशिक कार्यालय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ज्येष्ठतम अधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) ''मानीटरी समूह'' से धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन गठित राष्ट्रीय निधि और राज्य निधि से निकाली गई रकमों से किए गए क्रियाकलापों को मानीटर करने संबंधी विशेषज्ञों का समूह अभिप्रेत है;

(ज) ''राष्ट्रीय प्राधिकरण'' से धारा 8 के अधीन गठित राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(झ) ''राष्ट्रीय निधि'' से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अभिप्रेत है;

(ञ) ''शुद्ध वर्तमान मूल्य'' से वनेत्तर उपयोगों के लिए अपयोजित वन क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई गई पर्यावरणीय सेवाओं का परिमाणन अभिप्रेत है जो इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा अवधारित किया जाए;

1980 का 69

(ट) ''शास्तिक प्रतिकरात्मक वनरोपण'' से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन ऐसे क्षेत्र की सीमा के बदले, जिस पर वनेत्तर क्रियाकलाप वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना किए गए हैं, मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट प्रतिकरात्मक वनरोपण से अधिक किया जाने वाला वनरोपण कार्य अभिप्रेत है;

(ठ) ''विहित'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ङ) ''राज्य प्राधिकरण'' से धारा 10 के अधीन गठित राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ढ) ''राज्य निधि'' से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक राज्य द्वारा स्थापित राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अभिप्रेत है;

(ण) ''उपयोक्ता अभिकरण'' से ऐसा कोई व्यक्ति, संगठन या कंपनी या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का विभाग अभिप्रेत है, जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वन भूमि के वनेत्तर प्रयोजन के लिए अपयोजन या उसके संबंध में अधिसूचना को रद्द करने हेतु अनुरोध कर रहा है या उस वन भूमि का उपयोग वनेत्तर प्रयोजनों के लिए कर रहा है। 1980 का 69

अध्याय 2

राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि और राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधियों की स्थापना, उनका प्रबंधन और उपयोजन

राष्ट्रीय निधि की स्थापना।

3. (1) ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत के लोक लेखा के अधीन ''राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि'' नामक एक विशेष निधि की स्थापना की जाएगी।

(2) राष्ट्रीय निधि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन होगी और उसका प्रबंध राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(3) निधि की स्थापना की तारीख को राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा संगृहीत सभी धन, जो तदर्थ प्राधिकरण के अधीन रखा गया है और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया गया है, राष्ट्रीय निधि में अंतरित किया जाएगा।

(4) राष्ट्रीय निधि में प्रत्येक राज्य द्वारा वार्षिक आधार पर उपयोक्ता अभिकरणों से उनके पक्ष में अपयोजित वन भूमि की बाबत वसूल की गई निधियों का दस प्रतिशत भी जमा किया जाएगा, जिसे राज्य निधि में प्रत्यक्षत: जमा किया गया है।

(5) राष्ट्रीय निधि में निम्नलिखित भी जमा किए जाएंगे—

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान, यदि कोई हो;

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई ऋण या कोई उधार;

(ग) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा उपकृति, दान या संदान के माध्यम से प्राप्त कोई अन्य राशियां।

(6) राष्ट्रीय निधि में प्राप्त धन भारत के लोक लेखा के अधीन ब्याज वाली निधि होगा।

(7) राष्ट्रीय निधि में शेष अव्यपगतीय होगा और वर्षानुवर्ष आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार ब्याज प्राप्त करेगा।

राज्य निधि की स्थापना।

4. (1) ऐसी तारीख से, जो प्रत्येक राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे राज्य के लोक लेखाओं के अधीन ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि–...(राज्य का नाम)'' नामक एक विशेष निधि की स्थापना की जाएगी:

परंतु बिना विधान-मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र की दशा में, ऐसी निधि की स्थापना, उस तारीख से, जो संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित नियत करें, भारत संघ के लोक लेखा के अधीन की जाएगी।

(2) प्रत्येक राज्य में राज्य निधि, ऐसे राज्य की राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी और ऐसे राज्य के राज्य प्राधिकरण द्वारा उसका प्रबंध ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा।

(3) किसी राज्य की राज्य निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

(i) ऐसी धनराशियों का अव्ययित शेष, जो तारीख 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में ऐसे राज्य में गठित तदर्थ प्राधिकरण द्वारा राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण को अंतरित किया गया है;

(ii) धारा 5 के खंड (क) के अधीन राष्ट्रीय निधि से अंतरणीय सभी धन;

(iii) प्रतिकरात्मक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण, शास्तिक प्रतिकरात्मक वनरोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, जलागम क्षेत्र उपचार योजना मद्दे ऐसे राज्यों द्वारा उपयोक्ता अभिकरणों से प्राप्त सभी
1980 का 69 धन या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अधीन अनुमोदन प्रदान करते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुबद्ध शर्तों की अनुपालना के लिए कोई भी धन; और

(iv) ऐसे मामलों में, जहां अपयोजित वन भूमि संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् जैव विविधता और वन्य जीव
1972 का 53 के संरक्षण से संबंधित क्रियाकलाप करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18, धारा 26क या धारा 35 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर आती है, वहां ऐसे राज्यों द्वारा उपयोक्ता अभिकरणों से वसूलीय निधियां।

(4) कोई राज्य सरकार अपने द्वारा गठित राज्य निधि में निम्नलिखित भी जमा कर सकेगी—

(i) राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान, यदि कोई हो;

(ii) राज्य प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई ऋण या लिया गया कोई उधार;

(iii) राज्य प्राधिकरण द्वारा उपकृति, दान या संदान के माध्यम से प्राप्त कोई अन्य राशियां।

(5) राज्य निधि में प्राप्त धन ऐसे राज्य के लोक लेखाओं के अधीन ब्याज वाली निधि होगी।

(6) प्रत्येक राज्य निधि में शेष अव्यपगतीय होगा और वर्षानुवर्ष आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार ब्याज प्राप्त करेगा।

राष्ट्रीय निधि का संवितरण और उपयोग।

5. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राष्ट्रीय निधि में उपलब्ध धन का निम्नलिखित रीति में संवितरण और उपयोग किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) राज्य द्वारा संगृहीत सभी ऐसे धन का, जो तदर्थ प्राधिकरण के अधीन रखा गया है और उस पर प्रोद्भूत ब्याज का नब्बे प्रतिशत धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे राज्य में स्थापित राज्य निधि में अंतरित किया जाएगा;

(ख) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा संगृहीत सभी ऐसे धन और उस पर प्रोद्भूत ब्याज, जो तदर्थ प्राधिकरण के अधीन रखे गए हैं तथा राष्ट्रीय निधि में धारा 3 की उपधारा (4) में यथा उपबंधित सभी नए प्रोद्भवमान और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के दस प्रतिशत का उपयोग निम्नलिखित की पूर्ति के लिए किया जाएगा—

(i) राष्ट्रीय प्राधिकरण के प्रबंध के लिए अनावर्ती और आवर्ती व्यय, जिसके अंतर्गत इसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं;

(ii) राष्ट्रीय प्राधिकरण और प्रत्येक राज्य प्राधिकरण द्वारा निष्पादित कार्यों की मानीटरी और मूल्यांकन पर उपगत व्यय;

(iii) राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित विनिर्दिष्ट स्कीमों पर उपगत व्यय।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''स्कीम'' के अंतर्गत कोई संस्थान, सोसाइटी, वन और वन्य जीव के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केन्द्र, पायलट स्कीम, संहिताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों का मानकीकरण तथा वनोद्योग और वन्य जीव क्षेत्र के लिए अन्य ऐसे संबंधित क्रियाकलाप भी हैं।

राज्य निधि का संवितरण और उपयोग।

6. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य निधि में उपलब्ध धन का निम्नलिखित रीति में संवितरण और उपयोग किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) प्रतिकरात्मक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण, शास्तिक प्रतिकरात्मक वनरोपण, जलागम क्षेत्र उपचार योजना और किसी अन्य स्थल विनिर्दिष्ट स्कीम के लिए प्राप्त धन का उपयोग, राज्य द्वारा प्रस्तुत स्थल विनिर्दिष्ट स्कीमों के साथ ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि के अपयोजन के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के अनुसार किया जा सकेगा; 1980 का 69

(ख) शुद्ध वर्तमान मूल्य और शास्तिक शुद्ध वर्तमान मूल्य मद्दे प्राप्त धन का उपयोग ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कृत्रिम पुनरुत्पादन (बागान), सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन वन प्रबंध, वन संरक्षण, वन और वन्यजीव संबंधी अवसंरचना विकास, वन्य जीव संरक्षण और प्रबंध, काष्ठ और अन्य वन उत्पाद बचत युक्तियों के प्रदाय और अन्य सहबद्ध क्रियाकलापों के लिए किया जाएगा;

(ग) किसी राज्य निधि में उपलब्ध निधियों पर प्रोद्भूत ब्याज और राज्य सरकारों द्वारा संगृहीत सभी ऐसे धन पर प्रोद्भूत ब्याज का उपयोग, जो उच्चतम न्यायालय के तारीख 5 मई, 2006 के निदेशों की अनुपालना में तदर्थ प्राधिकरण के अधीन रखे गए हैं और राष्ट्रीय बैंकों में जमा किए गए हैं, वन और वन्य जीव के संरक्षण और विकास के लिए ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए;

(घ) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5क के अधीन गठित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा किए गए विनिश्चय या उच्चतम न्यायालय के ऐसे आदेशों के अनुसार, जिनमें संरक्षित क्षेत्रों में वन भूमि के अपयोजन के मामले अंतर्वलित हैं, उपयोक्ता अभिकरणों से वसूल किए गए सभी धन को समग्र रूप में रखा जाएगा और उससे हुई आय का उपयोग अनन्य रूप से राज्यों के संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षा और संरक्षण क्रियाकलाप करने के लिए किया जाएगा और आपवादिक परिस्थितियों में समग्र धन के किसी भाग का उपयोग राष्ट्रीय प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन भी किया जा सकेगा; 1972 का 53

(ङ) उपयोक्ता अभिकरणों से वसूल की गई ऐसी रकम, जो प्रत्यक्षत: किसी वर्ष में राज्य निधि में जमा की गई है, का दस प्रतिशत धारा 5 के खंड (ख) में यथा उपबंधित व्यय की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय निधि में अंतरित किया जाएगा;

(च) किसी राज्य प्राधिकरण के प्रबंध के लिए अनावर्ती और आवर्ती व्यय, जिसके अंतर्गत इसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं, की पूर्ति ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, राज्य निधि में उपलब्ध रकमों पर प्रोद्भूत ब्याज के भाग में से की जा सकेगी;

(छ) परा सीमा वनोद्योग या किसी विशिष्ट राज्य में वनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपयोजन की पर्यावरणीय विवक्षा के मामले में, यदि राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा समीचीन और आवश्यक पाया जाए तो वह संबंधित राज्य प्राधिकरणों के परामर्श से यह आदेश कर सकेगा कि ऐसी राशि, जो परा सीमा प्रभावों की हानि पूर्ति के लिए आवश्यक हों, ऐसे राज्य या राज्यों की राज्य निधि में अंतरित की जाए;

(ज) राज्य प्राधिकरण, ऐसे राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति और राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति द्वारा निश्चित की गई संक्रिया की वार्षिक योजना के अनुसार पूर्व अवधारित किस्तों में क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए पहचान किए गए अभिकरणों को धन देगा।

लेखा प्रक्रिया।

7. किसी वर्ष में राष्ट्रीय निधि और राज्य निधि में धन जमा करने की रीति को विनियमित करने की लेखा प्रक्रिया ऐसी रीति में होगी, जो विहित की जाए।

अध्याय 3

राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों का गठन

राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन।

8. (1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, ''राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण'' के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय निधि का प्रबंध और उपयोग करेगा।

(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण का एक शासी निकाय होगा, जिसकी सहायता कार्यपालक समिति, मानीटरी समूह और प्रशासनिक सहायता तंत्र द्वारा की जाएगी।

(4) राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार—अध्यक्ष पदेन;

(ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, कृषि मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय विकास मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अंतरिक्ष और भू विज्ञान मंत्रालय के सचिव तथा नेशनल इंस्टिट्यूट फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(iii) वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(iv) अपर वन महानिदेशक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(v) अपर वन महानिदेशक (वन्य जीव), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(vi) हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन का मिशन महानिदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(vii) वित्त सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(viii) पांच प्रधान मुख्य वन संरक्षक, दस क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक से अधिक नहीं, जो एक बार में दो वर्ष की अवधि के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर नामनिर्देशित किया जाएगा—पदेन सदस्य;

(ix) वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(x) पांच विशेषज्ञ, जिनमें से प्रत्येक को पर्यावरणविदों, संरक्षकों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों में से प्रत्येक में एक, जो केंद्रीय सरकार द्वारा दो क्रमवर्ती अवधियों से अनधिक के अध्यधीन दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे—सदस्य।

(5) केन्द्रीय सरकार, अपर वन महानिदेशक की पंक्ति के किसी अधिकारी को राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी जो राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय और कार्यपालिका समिति का सदस्य सचिव होगा।

राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति और मानीटरी समूह।

9. (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय की, अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों और शक्तियों के अनुपालन में कार्यपालक समिति और मानीटरी समूह द्वारा सहायता की जाएगी।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i) वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन अध्यक्ष;

(ii) अपर वन महानिदेशक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(iii) अपर वन महानिदेशक (वन्य जीव), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(iv) हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन का मिशन महानिदेशक, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(v) वित्त सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(vi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सभी प्रादेशिक कार्यालयों के प्रमुख—पदेन सदस्य;

(vii) वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(viii) एक वृत्तिक पारिस्थितिकीविज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार से संबंधित नहीं हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा—सदस्य;

(ix) तीन विशेषज्ञ, जो वन विज्ञान, जनजातीय विकास और वन अर्थव्यवस्था विकास के क्षेत्रों में से प्रत्येक में से एक, जो केन्द्रीय सरकार से संबंधित नहीं हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है—सदस्य;

(x) राष्ट्रीय प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी—सदस्य सचिव।

(3) मानीटरी समूह, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, वन्य जीव, वन, दूरस्थ संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र तथा सामाजिक सेक्टर के क्षेत्र और महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के छह विशेषज्ञों से मिलकर बनेगा।

(4) कार्यपालक समिति को, अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों और शक्तियों का पालन करने में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात्:—

(i) वन महानिरीक्षक की पंक्ति का संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(ii) भारत सरकार के निदेशक की पंक्ति का वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी; और

(iii) वन उप महानिरीक्षक की पंक्ति का उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

(5) राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से कार्यपालक समिति और मानीटरी समूह की इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण में सहायक वन महानिरीक्षक के स्तर के और अन्य पदधारियों के पद सृजित कर सकेगा।

राज्य प्राधिकरण का गठन।

10. (1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, प्रत्येक राज्य में ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण'' के नाम से ज्ञात एक राज्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि ऐसा चाहे तो प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों में राज्य प्राधिकरण के गठन के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत कर सकेगी।

(3) किसी राज्य में गठित राज्य प्राधिकरण, ऐसे राज्य में स्थापित राज्य निधि के प्रबंध और अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसके उपयोग के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) राज्य प्राधिकरण एक शासी निकाय से मिलकर बनेगा और विषय निर्वाचन समिति तथा कार्यपालक समिति द्वारा उसकी सहायता की जाएगी।

(5) राज्य का शासी निकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(i) राज्य का मुख्य मंत्री और बिना विधान-मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र की दशा में, यथास्थिति, उसका उपराज्यपाल या प्रशासक—पदेन अध्यक्ष;

(ii) वन मंत्री—पदेन सदस्य;

(iii) मुख्य सचिव—पदेन सदस्य;

(iv) पर्यावरण विभाग, वित्त विभाग, योजना विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, जनजातीय विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव—पदेन सदस्य;

(v) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल का प्रमुख)—पदेन सदस्य;

(vi) मुख्य वन्य जीव वार्डन—पदेन सदस्य।

(6) किसी राज्य में वन विभाग का प्रभारी प्रधान सचिव उस राज्य में राज्य प्राधिकरण का सदस्य सचिव होगा।

(7) राज्य सरकार, मुख्य वन संरक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी, जो राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति और कार्यपालक समिति का सदस्य सचिव होगा।

राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति और कार्यपालक समिति।

11. (1) राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय की इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों और शक्तियों के पालन में विषय निर्वाचन समिति और कार्यपालिका समिति द्वारा सहायता की जाएगी।

(2) किसी राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i) मुख्य सचिव—पदेन अध्यक्ष;

(ii) वन विभाग, पर्यावरण विभाग, वित्त विभाग, योजना विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, जनजातीय विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव—पदेन सदस्य;

(iii) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल का प्रमुख)—पदेन सदस्य;

(iv) मुख्य वन्य जीव वार्डन—पदेन सदस्य;

(v) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980—पदेन सदस्य;

(vi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित प्रादेशिक कार्यालय का प्रमुख—पदेन सदस्य;

(vii) नोडल अधिकारी; राज्य वन विकास अभिकरण—पदेन सदस्य;

(viii) जनजातीय विषयों का एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदायों का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है—पदेन सदस्य;

(ix) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य प्राधिकरण—सदस्य सचिव।

(3) किसी राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल का प्रमुख)—पदेन अध्यक्ष;

(ii) मुख्य वन्य जीव वार्डन—पदेन सदस्य;

(iii) वन और वन्य जीवों से संबंधित स्कीमों के संबंध में कार्यवाही करने वाला मुख्य वन संरक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी—पदेन सदस्य;

(iv) वन और वनोद्योग अनुसंधान के संबंध में कार्यवाही करने वाला मुख्य वन संरक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी—पदेन सदस्य;

(v) नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण—पदेन सदस्य;

(vi) पर्यावरण विभाग, वित्त विभाग, योजना विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग,

कृषि विभाग, जनजातीय विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि—पदेन सदस्य;

(vii) वित्त नियंत्रक या वित्त सलाहकार, जो वित्त विभाग द्वारा नामनिर्देशित किया जाना है—पदेन सदस्य;

(viii) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो विख्यात गैर-सरकारी संगठन—सदस्य;

(ix) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के दो प्रतिनिधि—सदस्य;

(x) जनजातीय विषयों का एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदायों का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है—पदेन सदस्य;

(xi) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य प्राधिकरण—सदस्य सचिव।

(4) राज्य प्राधिकरण, विषय निर्वाचन समिति और कार्यपालक समिति की इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगा, अर्थात्:—

(i) वन संरक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(ii) राज्य सरकार में उप सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी;

(iii) वन उप संरक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

(5) राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से कार्यपालक निकाय और मानीटरी समूह की इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए राज्य प्राधिकरण में सहायक वन संरक्षक के स्तर के और अन्य पदधारियों के पद सृजित कर सकेगा।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें।

12. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राष्ट्रीय प्राधिकरण, कार्यपालक समिति, मानीटरी समूहों के सदस्यों, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी और पदधारियों, राज्य प्राधिकरण के सदस्यों, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति और कार्यपालक समिति के सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

निरर्हताएं।

13. कोई व्यक्ति राष्ट्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति, किसी राज्य प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति और कार्यपालक समिति, मानीटरी समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,—

(i) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ii) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(iii) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे उस रूप में घोषित किया गया है; या

(iv) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन संगठनों या उपक्रमों की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया है; या

(v) उसका, केन्द्रीय सरकार की राय में, राष्ट्रीय प्राधिकरण या संबंधित राज्य प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित है जिससे सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के संबंध में उसके द्वारा निर्वहन किए गए कर्त्तव्यों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अध्याय 4

राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों की शक्तियां और कृत्य

राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य।

14. (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय—

(i) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के लिए विस्तृत नीति की ऐसी रूपरेखा निश्चित करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए;

(ii) राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखाओं का अनुमोदन करेगा;

(iii) राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति और मानीटरी समूह द्वारा किए गए विनिश्चय, जिसके अंतर्गत विनिधान विनिश्चय भी है, संबंधी रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगा;

(iv) धारा 5 के खंड (ख) के उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा;

(v) केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के अध्यधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण में पद सृजित करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा;

(vi) अंतरराज्यिक और केन्द्र-राज्य स्वरूप के विवाद्यकों का निराकरण करने के लिए राज्य प्राधिकरणों को तंत्र उपलब्ध कराएगा;

(vii) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए ऐसी प्रक्रियाएं विरचित करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय और कार्यपालक समिति तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण के मानीटरी समूह ऐसे स्थानों पर बैठकें करेंगे और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में, जिसके अंतर्गत उसमें उनकी गणपूर्ति भी है, ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, जो विहित की जाएं।

राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति की शक्तियां और कृत्य।

15. (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति—

(i) राज्य प्राधिकरण की संक्रियाओं की वार्षिक योजना का, उसके प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर ऐसे संशोधनों के साथ, जिन्हें वह ठीक और उचित समझे, अनुमोदन करेगी;

(ii) धारा 5 के खंड (ख) के उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिए प्रस्तावों की विरचना करेगी;

(iii) धारा 5 के खंड (ख) के उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट स्कीमों को निष्पादित करेगी;

(iv) राष्ट्रीय प्राधिकरण के पदों पर संविदा पर या प्रतिनियुक्ति आधार पर कर्मचारी अभिनियोजित करेगी;

(v) सहायक वन महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों के स्तर पर राष्ट्रीय प्राधिकरण में पदों के सृजन के लिए प्रस्तावों को तैयार करेगी;

(vi) राष्ट्रीय निधि में उपलब्ध अधिशेष रकमों की निधियों का विनिधान करेगी;

(vii) राष्ट्रीय निधि में रकमों की प्राप्ति की बाबत दिन-प्रतिदिन के अन्य कार्य निष्पादित करेगी;

(viii) लेखा बहियां और ऐसे अन्य अभिलेख रखेगी;

(ix) ऐसी वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और अन्य सहायता को सुकर बनाएगी, जो राज्य प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित हों;

(x) अपने विनिश्चियों को सूचना के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय को प्रस्तुत करेगी;

(xi) राष्ट्रीय प्राधिकरण पर जन सूचना प्रणाली बनाए रखेगी और उसे अद्यतन करेगी और उसके संव्यवहार से संबंधित सभी सूचनाएं लोक क्षेत्र में प्रस्तुत करेगी;

(xii) ऐसे अन्य कार्य करेगी जो राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

मानीटरी समूह के कृत्य।

16. (1) मानीटरी समूह—

(i) केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाओं का उपयोग करके, निधियों के प्रभावी और उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी की गई निधियों का उपयोग करके राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित कार्यों को साथ-साथ मानीटर करने और उनके मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र प्रणाली तैयार करेगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी की गई निधियों का उपयोग करके राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में निष्पादित कार्यों को मानीटर करने और उनका मूल्यांकन तृतीय पक्षकार के माध्यम से भी कर सकेगी;

(ii) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी की गई निधियों का उपयोग करके, निष्पादित किए गए कार्यों का निरीक्षण और वित्तीय संपरीक्षा करेगा;

(iii) पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए उपाय तैयार करेगा।

(2) मानीटरी समूह तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

राज्य प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य।

17. (1) किसी राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय—

(i) राष्ट्रीय प्राधिकरण की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित समस्त रूपरेखा के भीतर ऐसे राज्य प्राधिकरण के कार्यकरण के लिए विस्तृत नीति रूपरेखा अधिकथित करेगा;

(ii) समय-समय पर राज्य प्राधिकरण के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करेगा।

(2) राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(3) राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय और विषय निर्वाचन समिति तथा कार्यपालक समिति ऐसे स्थानों पर बैठकें करेंगे और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में, जिसके अंतर्गत उसमें उनकी गणपूर्ति भी है, ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, जो विहित की जाएं।

राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति की शक्तियां और कृत्य।

18. (1) किसी राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति—

(i) ऐसे राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति द्वारा तैयार की गई संक्रियाओं की वार्षिक योजना की संवीक्षा और ऐसे संशोधनों के साथ, जिन्हें वह ठीक और उचित समझती है, अनुमोदन करेगी और उसे अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति को भेजेगी;

(ii) राज्य निधि से जारी की गई निधियों के उपयोग की प्रगति को मानीटर करेगी;

(iii) कार्यपालक समिति द्वारा किए गए विनिश्चयों, जिसके अंतर्गत विनिधान विनिश्चय भी हैं, संबंधी रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगी;

(iv) राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन के लिए कार्यपालक समिति द्वारा निश्चित किए गए प्रस्तावों का राज्य प्राधिकरण की पूर्व सहमति के अध्यधीन अनुमोदन करेगी;

(v) राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करेगी और उसे प्रतिवर्ष राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने के लिए राज्य सरकार को भेजेगी;

(vi) अंतर-विभागीय समन्वयन सुनिश्चित करेगी।

(2) किसी राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बैठक करेगी।

राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति के कृत्य और शक्तियां।

19. (1) किसी राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति—

(i) राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति की सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् संक्रियाओं की वार्षिक योजना तैयार करेगी और उसे राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति को प्रस्तुत करेगी;

(ii) राज्य निधि में उपलब्ध रकमों से कार्यान्वित किए गए कार्यों का गुणात्मक और परिमाणात्मक पर्यवेक्षण, मानीटरी और मूल्यांकन करेगी;

(iii) ऐसे राज्य की राज्य निधि में उपलब्ध अधिशेष रकमों का विनिधान करेगी;

(iv) लेखा बहियां और अन्य अभिलेख रखेगी;

(v) राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी;

(vi) राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी;

(vii) राज्य प्राधिकरण में के पदों पर संविदा के आधार पर या प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी अभिनियोजित करेगी;

(viii) राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी;

(ix) वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए उत्तरदायी होगी;

(x) राज्य प्राधिकरण के संबंध में दिन-प्रतिदिन के अन्य कार्यकरण के लिए उत्तरदायी होगी;

(xi) राज्य प्राधिकरण की जन सूचना प्रणाली बनाए रखेगी और उसे अद्यतन करेगी और उसके संव्यवहार से संबंधित सभी सूचनाएं लोक क्षेत्र में प्रस्तुत करेगी;

(xii) ऐसे अन्य कार्य करेगी, जो राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय या विषय निर्वाचन समिति या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

(2) राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

अध्याय 5

वित्त, लेखा, संपरीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट

राष्ट्रीय प्राधिकरण का बजट।

20. (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें राष्ट्रीय प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित किया जाएगा और उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण, विशिष्ट रूप से राष्ट्रीय प्राधिकरण के बजट को तैयार और कार्यान्वित करने के लिए ऐसे वित्तीय विनियमों और प्रक्रियाओं को अंगीकृत करेगा, जो विहित किए जाएं।

राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निधियों का विनिधान।

21. राष्ट्रीय प्राधिकरण अपनी निधियों का, जिसके अंतर्गत कोई आरक्षित निधि भी है, केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में या अनुसूचित बैंकों में ऐसी रीति में, विनिधान कर सकेगा, जो विहित की जाए:

परन्तु केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों को विनिहित नहीं किया जाएगा और उनका उपयोग उनसे संबंधित प्रयोजनों के लिए और उसी रीति में किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्राधिकरण के लेखे और संपरीक्षा।

22. (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा, ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में सामान्यत: होते हैं और उसे विशिष्ट रूप में बहियां, लेखा, संबंधित वाऊचर और अन्य दस्तावेज तथा कागज पेश किए जाने की मांग करने और राष्ट्रीय प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित राष्ट्रीय प्राधिकरण के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे।

(5) नियंत्रक महालेखापरीक्षक, अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा संगृहीत सभी धन, जिन्हें तदर्थ प्राधिकरण के पास रखा गया है और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया गया है, के लेखाओं की संपरीक्षा करेगा और इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) केन्द्रीय सरकार को नियंत्रक महालेखापरीक्षक के माध्यम से राष्ट्रीय निधि और राष्ट्रीय प्राधिकरण की विशेष संपरीक्षा या कार्य संपादन संपरीक्षा कराने की शक्ति होगी।

राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट।

23. (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध होगा,—

(i) वर्ष के दौरान राष्ट्रीय निधि और राज्य निधियों से जारी की गई रकमों से किए गए क्रियाकलापों का मूल्यांकन और उनकी मानीटरी करने का संक्षिप्त विवरण;

(ii) धारा 5 के खंड (ख) के उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट उन विनिर्दिष्ट स्कीमों का जो वर्ष के दौरान निष्पादित की गई हों, संक्षिप्त विवरण;

(iii) संगृहीत और व्यय की गई धनराशि की रकम।

राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना।

24. केन्द्रीय सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ, रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

राज्य प्राधिकरण का बजट।

25. (1) प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें राज्य प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित किया जाएगा और उसे राज्य सरकार को भेजेगा।

(2) प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, विशिष्ट रूप से राज्य प्राधिकरण के बजट को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए ऐसे वित्तीय विनियमों और प्रक्रियाओं को अंगीकृत करेगा, जो विहित की जाएं।

राज्य प्राधिकरण द्वारा निधियों का विनिधान।

26. राज्य प्राधिकरण ऐसे राज्य की राज्य निधि में उपलब्ध निधियों का विनिधान केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में या अनुसूचित बैंकों में ऐसी रीति में, कर सकेगा, जो विहित की जाए:

परन्तु राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों को विनिहित नहीं किया जाएगा और उनका उपयोग विहित प्रयोजन के लिए और विहित रीति में किया जाएगा।

राज्य प्राधिकरण के लेखे और संपरीक्षा।

27. (1) प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।

(2) प्रत्येक राज्य प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा, ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय राज्य प्राधिकरण द्वारा नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखे की संपरीक्षा के संबंध में सामान्यत: होते हैं और उसे विशिष्ट रूप में बहियां, लेखा, संबंधित वाऊचर और अन्य दस्तावेज तथा कागज पेश किए जाने की मांग करने और राष्ट्रीय प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित राज्य प्राधिकरण के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से राज्य प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे।

(5) नियंत्रक महालेखापरीक्षक, अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर ऐसे सभी धन के लेखाओं की संपरीक्षा करेगा, जो तदर्थ प्राधिकरण द्वारा तारीख 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में राज्यों में गठित राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण को अंतरित किए गए हैं और इस धारा के अधीन राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) केन्द्रीय सरकार और संबद्ध राज्य सरकार को नियंत्रक महालेखापरीक्षक के माध्यम से राज्य निधि और राज्य प्राधिकरण की विशेष संपरीक्षा या कार्य संपादन संपरीक्षा कराने की शक्ति होगी।

राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट।

28. (1) प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा लेखा–जोखा देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।

(2) राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध होगा,—

(i) इस धारा की अपेक्षा के अध्यधीन प्रत्येक पुन: वनरोपण, वनरोपण और संरक्षण क्रियाकलाप की संख्या और अवस्थान;

(ii) क्रियाकलाप के सबंध में हैक्टर में साफ कराई गई, संरक्षित और वृक्षरोपित भूमियों का परिमाण और अवस्थान;

(iii) संगृहीत और व्यय की गई वनरोपण धनराशि की रकम।

राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखा जाना।

29. राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ, रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान–मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी:

परंतु बिना विधान–मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र की दशा में, केन्द्रीय सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट को उनमें अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ, रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति।

30. (1) केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के परामर्श से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के बारे में उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय निधि का प्रबंध;

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरणों द्वारा राज्य निधि का प्रबंध;

(ग) धारा 6 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए धन का उपयोग करने की रीति;

(घ) धारा 6 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए धन का उपयोग करने की रीति;

(ङ) धारा 6 के खंड (च) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्तों के संदाय की रीति;

(च) धारा 7 के अधीन राष्ट्रीय निधि और राज्य निधियों में धन जमा करने की रीति का विनियमन करने वाली लेखांकन प्रक्रिया;

(छ) धारा 12 के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण कार्यपालक समिति, मानीटरी समूह के सदस्यों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पदधारियों, राज्य प्राधिकरण विषय निर्वाचन समिति और प्रत्येक राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति के सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें;

(ज) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय और कार्यपालक समिति तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण का मानीटरी समूह, कारबार संव्यवहार और बैठक के स्थान, जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है, की बाबत नियम और प्रक्रियाएं;

(झ)धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन किसी राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय और विषय निर्वाचन समिति और कार्यपालक समिति के कारबार संव्यवहार तथा बैठक के स्थान, जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है, की बाबत नियम और प्रक्रियाएं;

(ञ) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण का बजट तैयार करना;

(ट) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन वित्तीय विनियमन और प्रक्रियाएं, विशिष्टतया राष्ट्रीय प्राधिकरण का बजट तैयार करने और कार्यान्वित करने की प्रक्रिया;

(ठ) धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की निधियों का विनिधान;

(ड) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों का बनाए रखा जाना और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार किया जाना;

(ढ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रिपोर्ट का तैयार किया जाना;

(ण) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन राज्य प्राधिकरण का बजट तैयार किया जाना;

(त) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन वित्तीय विनियम और प्रक्रियाएं, विशिष्टतया राज्य प्राधिकरण द्वारा बजट तैयार करने और कार्यान्वित करने की प्रक्रिया;

(थ) धारा 26 के अधीन राज्य प्राधिकरणों द्वारा निधियों का विनिधान;

(द) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक राज्य प्राधिकरण द्वारा लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों का बनाए रखा जाना और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार किया जाना;

(ध) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन राज्य प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार किया जाना; और

(न) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या

पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आस्तियों, दायित्वों आदि का अंतरण।

31. (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण के गठन की तारीख से ही—

(i) तदर्थ प्राधिकरण की सभी आस्तियां और दायित्व राष्ट्रीय प्राधिकरण को अंतरित हो जाएंगे और उसमे निहित हो जाएंगे;

स्पष्टीकरण—तदर्थ प्राधिकरण की आस्तियों के अंतर्गत वे सभी अधिकार और शक्तियां, सभी संपत्तियां, चाहे जंगम हों या स्थावर, जिसके अंतर्गत विशिष्टतया नकद अतिशेष, जमा राशियां और ऐसी संपत्तियों से उद्भूत होने वाले अन्य सभी हित और अधिकार भी हैं, जो तदर्थ प्राधिकरण के कब्जे में हों और उससे संबंधित सभी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज भी हैं और दायित्वों के अंतर्गत सभी ऋण, दायित्व और किसी भी प्रकार की बाध्यताएं भी होंगी;

(ii) खंड (i) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तदर्थ प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में राष्ट्रीय प्राधिकरण के गठन के ठीक पहले तदर्थ प्राधिकरण द्वारा उसके साथ या उसके लिए उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं या किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले और बातें राष्ट्रीय प्राधिकरण के द्वारा, उसके लिए उपगत की गई या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएंगी;

(iii) राष्ट्रीय प्राधिकरण के गठन से ठीक पहले तदर्थ प्राधिकरण को शोध्य धन की सभी राशियां राष्ट्रीय प्राधिकरण को शोध्य हो जाएंगी;

(iv) तदर्थ प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या जो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किए जा सकने वाले सभी वाद और कार्यवाहियां राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखे जा सकेंगे या संस्थित किए जा सकेंगे।

(2) राज्य प्राधिकरण के गठन की तारीख से ही,—

(i) तारीख 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में ऐसे राज्य में गठित राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की सभी आस्तियां और दायित्व राज्य प्राधिकरण को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे;

स्पष्टीकरण—तारीख 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में ऐसे राज्य में गठित राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की भी आस्तियों के अंतर्गत वे सभी अधिकार और शक्तियां, सभी संपत्तियां, चाहे जंगम हो या स्थावर, जिसके अंतर्गत विशिष्टतया नकद अतिशेष, जमा राशियां और ऐसी संपत्तियों में या उससे उद्भूत होने वाले अन्य सभी हित और अधिकार, जो 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में ऐसे राज्य में गठित प्राधिकरण के कब्जे में हों तथा उससे संबंधित सभी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज भी हैं और दायित्वों के अंतर्गत सभी ऋण, दायित्व और किसी भी प्रकार की बाध्यताएं भी समझी जाएंगी;

(ii) खंड (i) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पहले 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में ऐसे राज्य में गठित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा या उसके साथ या उसके लिए या 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में ऐसे राज्य में गठित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं या किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले या बातें राज्य प्राधिकरण द्वारा या उसके साथ या उसके लिए उपगत की गई या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएंगी;

(iii) राज्य प्राधिकरण के गठन से पहले 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में ऐसे राज्य में गठित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण को शोध्य धन की सभी राशियां राज्य प्राधिकरण को शोध्य हो जाएंगी;

(iv) 2 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में ऐसे राज्य में गठित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या जो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की जा सकती थी, सभी वाद और विधिक कार्यवाहियां राज्य प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रह सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी।

विधिमान्यता।

32. (1) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय निधि में जमा रकम को संविधान के अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 283 के अर्थांतर्गत भारत के लोक लेखे में जमा की गई और सदैव जमा समझा जाएगा और उसे संसद् द्वारा बनायी गई विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा संगृहीत ऐसे सभी धन, जो तदर्थ प्राधिकरण के पास रखे गए हैं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किए गए हैं और उन पर प्रोद्भूत ब्याज राष्ट्रीय निधि में अंतरित हो जाएंगे।

(3) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य निधि में जमा रकम को संविधान के अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 283 के अर्थांतर्गत राज्य के लोक लेखे में जमा किया गया और सदैव जमा समझा जाएगा और उसे राज्य विधान-मंडल द्वारा बनायी गई विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति।

33. (1) केन्द्रीय सरकार, यदि वह लोकहित में आवश्यक और समीचीन पाती है तो राष्ट्रीय प्राधिकरण या किसी राज्य प्राधिकरण को ऐसे नीति निदेश लिखित में जारी कर सकेगी और यथास्थिति, राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण पर ऐसे नीति निदेश बाध्यकारी होंगे।

(2) कोई प्रश्न नीति संबंधी प्रश्न है या नहीं, इस बारे में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

———————

कराधान विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 48)

[15 दिसम्बर, 2016]

आय-कर अधिनियम, 1961 और
वित्त अधिनियम, 2016
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

अध्याय 2

आय-कर

धारा 115खखङ का संशोधन।

2. आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 115खखङ में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2017 से रखी जाएगी, अर्थात्:— 1961 का 43

''(1) जहां किसी निर्धारिती की,—

(क) कुल आय में धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है और उसे धारा 139 के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी में परिलक्षित किया गया है; या

(ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित कुल आय में धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, यदि ऐसी आय खंड (क) के अंतर्गत नहीं आती है,

वहां संदेय आय-कर,—

(i) खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आय पर साठ प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम; और

(ii) आय-कर की ऐसी रकम, जो निर्धारिती से उस दशा में प्रभार्य होती, यदि उसकी कुल आय में से खंड (i) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी जाती,

का योग होगा।''।

धारा 271ककख का संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककख में—

(i) उपधारा (1) में, ''1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्'' अंकों और शब्दों के पश्चात्, '', किंतु उस तारीख के पूर्व, जिसको कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है'' शब्द, कोष्ठक और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) निर्धारण अधिकारी, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे मामले में जहां धारा 132 के अधीन तलाशी उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, आरंभ की गई है, वहां निर्धारिती, उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, शास्ति के रूप में निम्नलिखित का संदाय करेगा,—

(क) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्ष की अप्रकटित आय के तीस प्रतिशत की दर से संगणित राशि, यदि ऐसा निर्धारिती,—

(i) तलाशी के अनुक्रम में, धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विवरण में अप्रकटित आय को स्वीकार करता है और वह रीति विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न हुई है;

(ii) उस रीति का प्रमाण देता है, जिसमें अप्रकटित आय व्युत्पन्न हुई थी; और

(iii) विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व,—

(अ) अप्रकटित आय की बाबत ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कर का संदाय करता है; और

(आ) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी, उसमें ऐसी अप्रकटित आय की घोषणा करते हुए प्रस्तुत करता है;

(ख) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के साठ प्रतिशत की दर से संगणित कोई राशि, यदि यह खंड (क) के उपबंधों के अधीन नहीं आती है।'';

(iii) उपधारा (2) में, ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, ''या उपधारा (1क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 271ककग का अंत:स्थापन।

4. आय-कर अधिनियम में धारा 271ककख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2017 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय आय के संबंध में शास्ति।

''271ककग. (1) निर्धारण अधिकारी, धारा 271ककख के उपबंधों से भिन्न इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे मामले में, जहां अवधारित आय में किसी पूर्व वर्ष के लिए धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित की गई है, वहां निर्धारिती धारा 115खखङ के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, शास्ति के रूप में धारा 115 खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन संदेय कर के दस प्रतिशत की दर से संगणित राशि का संदाय करेगा:

परंतु धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय के संबंध में उस सीमा तक कोई शास्ति उद्गृहीत नहीं की जाएगी जिस तक निर्धारिती द्वारा ऐसी आय धारा 139 के अधीन प्रस्तुत की गई आय की विवरणी में सम्मिलित की गई है और कर का धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के उपबंधों के अनुसार सुसंगत पूर्व वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व संदाय कर दिया गया है।

(2) धारा 270क के उपबंधों के अधीन निर्धारिती पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय के संबंध में कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(3) धारा 274 और 275 के उपबंध यथाशक्य इस धारा में निर्दिष्ट शास्ति के संबंध में लागू होंगे।''।

अध्याय 3

वित्त अधिनियम

2016 का 28

धारा 2 का संशोधन।

5. वित्त अधिनियम, 2016,—

(क) अध्याय 2 की धारा 2 की उपधारा (9) में,—

(i) तीसरे परंतुक में, ''धारा 115 खखङ'' शब्द, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;

(ii) छठे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित ''अग्रिम कर'' में, ऐसे अग्रिम कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा:';

नए अध्याय 9क का अंत:स्थापन।

(ख) अध्याय 9 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'अध्याय 9क

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण संबंधी कराधान और विनिधान व्यवस्था योजना, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

199क. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम प्रधान मंत्री गरीब कल्याण संबंधी कराधान और विनिधान व्यवस्था योजना, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगी जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

199ख. इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''घोषणाकर्ता'' से धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) ''आय-कर अधिनियम'' से आय-कर अधिनियम, 1961 अभिप्रेत है; 1961 का 43

(ग) ''प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम, 2016 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् जमा स्कीम कहा गया है)'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचित स्कीम अभिप्रेत है; और

(घ) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

अप्रकटित आय की घोषणा।

199ग. (1) कोई व्यक्ति इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस स्कीम के प्रारंभ होने की तारीख को या उसके पश्चात् किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व 1 अप्रैल, 2017 को या उससे पूर्व आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य, नकद या किसी विनिर्दिष्ट अस्तित्व के साथ व्यक्ति द्वारा बनाए रखे गए खाते में निक्षेप के रूप में किसी आय के सम्बंध में घोषणा कर सकेगा।

(2) ऐसी आय के विरुद्ध, जिसके संबंध में उपधारा (1) के अधीन घोषणा की गई है किसी व्यय या किसी हानि के मोक या मुजरा के सम्बंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''विनिर्दिष्ट अस्तित्व'' से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा,—

(i) भारतीय रिजर्व बैंक;

(ii) कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है); 1949 का 10

(iii) कोई प्रधान डाकघर और उप डाकघर; और

(iv) कोई अन्य अस्तित्व, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाए।

कर प्रभार और अधिभार।

199घ. (1) आय-कर अधिनियम या किसी वित्त अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 199ग की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके अधीन घोषित अप्रकटित आय ऐसी अप्रकटित आय के तीस प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रभार्य कर की रकम में, ऐसे कर के तैंतीस प्रतिशत की दर से प्रधान मंत्री गरीब कल्याण उपकर के नाम से ज्ञात परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा जिससे कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।

शास्ति।

199ङ. आय-कर अधिनियम या किसी वित्त अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने वाला व्यक्ति, धारा 199घ के अधीन प्रभारित कर और अधिभार के अतिरिक्त अप्रकटित आय के दस प्रतिशत की दर से शास्ति का संदाय करने का दायी होगा।

अप्रकटित आय का निक्षेप।

199च. (1) आय-कर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने वाला व्यक्ति, अप्रकटित आय की ऐसी रकम, जो पच्चीस प्रतिशत से कम न हो, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम, 2016 में जमा करेगा।

(2) जमा पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और जमा की गई रकम को जमा करने की तारीख से चार वर्ष के पश्चात् आहरित किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और ऐसी अन्य शर्तों को भी पूरा किया जाएगा, जो प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम, 2016 में विनिर्दिष्ट की जाएं।

घोषणा करने की रीति।

199छ. आय-कर अधिनियम की धारा 140 के अधीन आय की विवरणी का सत्यापन करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषणा इस प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचित प्रधान आयुक्त या आयुक्त को की जाएगी और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी, जो विहित की जाए।

कर, शास्ति, अधिभार का संदाय और जमा करने के लिए समय।

199ज. (1) अप्रकटित आय के संबंध में धारा 199घ के अधीन संदेय कर और अधिभार तथा धारा 199ङ के अधीन संदेय शास्ति का संदाय, धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के फाइल किए जाने से पूर्व किया जाएगा।

(2) धारा 199च की उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम, धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के फाइल किए जाने से पूर्व जमा की जाएगी।

(3) धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के साथ, क्रमश: धारा 199च की उपधारा (1) में निर्दिष्ट जमा, धारा 199घ और धारा 199ङ के अधीन कर, अधिभार और शास्ति के संदाय का सबूत संलग्न होगा।

घोषित अप्रकटित आय का कुल आय में सम्मिलित न किया जाना।

199झ. धारा 199ग की उपधारा (1) के अनुसार घोषित अप्रकटित आय की रकम आय-कर अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए घोषणाकर्ता की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

घोषित अप्रकटित आय का संपूरित निर्धारणों की अंतिमता पर कोई प्रभाव न होना।

199ञ. इस स्कीम के अधीन घोषणाकर्ता, धारा 199ग में निर्दिष्ट अप्रकटित आय या उस पर संदत्त कर और अधिभार की किसी रकम के संबंध में आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन किए गए किसी निर्धारण या पुन: निर्धारण को पुन: आरंभ करने या ऐसे किसी निर्धारण या पुन: निर्धारण के संबंध में किसी अपील, निर्देश या अन्य कार्यवाही में किसी मुजरे या अनुतोष का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

1957 का 27

कर आदि का प्रतिदेय न होना।

199ट. धारा 199घ के अधीन संदत्त कर और अधिभार या धारा 199ङ के अधीन संदत्त शास्ति की कोई रकम प्रतिदेय नहीं होगी।

घोषणाकर्ता के विरुद्ध घोषणा का साक्ष्य में ग्राह्य न होना।

199ठ. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन की गई किसी घोषणा में अंतर्विष्ट कोई बात धारा 199ण में उल्लिखित अधिनियमों से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए घोषणाकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी।

तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा की गई घोषणा का शून्य होना।

199ड. इस स्कीम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई घोषणा तथ्यों के दुर्व्यपदेशन या उन्हें छिपाकर या धारा 199घ के अधीन कर और अधिभार या धारा 199ङ के अधीन शास्ति के संदाय के बिना या धारा 199च के उपबंधों के अनुसार जमा स्कीम में रकम जमा किए बिना की गई है, वहां ऐसी घोषणा शून्य होगी और इस स्कीम के अधीन कभी भी नहीं की गई समझी जाएगी।

आय-कर अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना।

199ढ. विशेष मामलों में दायित्व से संबंधित आय-कर अधिनियम के अध्याय 15 और उस अधिनियम की धारा 119, धारा 138 और धारा 189 के उपबंध जहां तक हो सके इस स्कीम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आय-कर अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में लागू होते हैं।

कतिपय व्यक्तियों को स्कीम का लागू न होना।

199ण. इस स्कीम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,—

(क) किसी व्यक्ति के संबंध में जिसकी बाबत विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन निरोध का कोई आदेश किया गया है:

1974 का 52

परंतु—

(i) निरोध के ऐसे आदेश का, जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12क के उपबंध लागू नहीं होते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व प्रतिसंहरण नहीं किया गया है; या

(ii) निरोध के ऐसे आदेश का, जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध लागू होते हैं, धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए अवधि के अवसान से पूर्व या उसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर प्रतिसंहरण नहीं किया गया है; या

(iii) निरोध के ऐसे आदेश का, जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 12क के उपबंध लागू होते हैं, उस धारा की उपधारा (3) के अधीन प्रथम पुनर्विलोकन की अवधि के अवसान से पूर्व या उसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिसंहरण नहीं किया गया है; या

(iv) निरोध के ऐसे आदेश को सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है;

(ख) भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9 या अध्याय 17, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, बेनामी संपत्ति संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियोजन के संबंध में; 1860 का 45 1985 का 61 1967 का 37 1988 का 49 1988 का 45 2003 का 15

(ग) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई व्यक्ति; 1992 का 27

(घ) किसी ऐसी अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के संबंध में, जो काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन कर से प्रभार्य है। 2015 का 22

शंकाओं का दूर किया जाना।

199त. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि धारा 199ग की उपधारा (1) में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस स्कीम में अंतर्विष्ट किसी बात का इस स्कीम के अधीन घोषणा करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई फायदा, छूट या उन्मुक्ति प्रदान करने के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

199थ. (1) यदि इस स्कीम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा जो इस स्कीम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से जिसको इस स्कीम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

199द. (1) बोर्ड इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगा।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 199 छ के अधीन की जाने वाली घोषणा और सत्यापन का प्ररूप और रीति; और

(ख) ऐसा कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस स्कीम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।'।

मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 1)

[15 फरवरी, 2017]

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह 28 दिसंबर, 2016 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1936 के अधिनियम संख्यांक 4 की धारा 6 का प्रतिस्थापन।

2. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

मजदूरी का चालू सिक्के या करेंसी नोटों में या चैक द्वारा या बैंक खाते में जमा करके दिया जाना।

''6. सभी मजदूरी चालू सिक्के या करेंसी नोटों में या चैक द्वारा या कर्मचारी के बैंक खाते में मजदूरी जमा करके दी जाएगी:

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे, औद्योगिक या अन्य स्थापन को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसका नियोजक ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को केवल चैक द्वारा या उसके बैंक खाते में मजदूरी जमा करके, मजदूरी का संदाय करेगा।''

3. (1) मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2016 निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

———————

डॉ॰ जी॰ नारायण राजू,
सचिव, भारत सरकार।

UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

GMGIPMRND—816GI—09-11-2017.

MANOJ KUMAR Digitally signed by MANOJ KUMAR Date: 2017.11.13 10:50:16 +05'30'